खण्ड–493, अंक–1
शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(13 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि–परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1अ से 1–31
उपस्थित सदस्य	1–5
पूर्व न्यायाधीश काटजू द्वारा महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रकरण ...	7–9
प्रश्नोत्तर (जारी)	10–12
पूर्व न्यायाधीश काटजू द्वारा महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रकरण पर निन्दा प्रस्ताव ...	12–13
प्रश्नोत्तर	13–60
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	60–61
जनपद कौशाम्बी स्थित हिनौता मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर में नई तहसील के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत प्रमुख जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	62–63
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुरजा की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद शाहजहांपुर में 10 वर्षों से प्रस्तावित सीवर लाइन के बिछाये जाने के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कप्तानगंज से तमकोही तक प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मौजा ताल रामगढ़ में स्थित नाले के अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65
विधान सभा क्षेत्र धौरहरा खीरी अन्तर्गत गोड़पुरवा–सिंगावर तक की सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65–66

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में गन्ना समिति के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 66

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भदार–श्रीमिक मार्ग पर गम्भीर नदी में बने पुल की एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 66–67

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में बन्धे निर्माण हेतु कतिपय ग्रामों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा के तहत तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की सेवा विस्तार कर मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के पिच मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	68
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र शिवशंकरपुरी वार्ड में मोहल्ला बागड़ियान में खाली भू–खण्ड पर पार्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	68
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	68–69
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–311 की सूचनाओं को सदन में न सुने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	69–73
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा विधेयक, 2015 (पारित)	74
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	74–75
विधान सभा सत्र के दौरान आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मेट्रो चालन की मीटिंग बुलाये जाने सम्बन्धी प्रकरण	75–76
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76–81
जनपद देवरिया के गोरखपुर–कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार–रुद्रपुर– कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2–कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया–रुद्रपुर–करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भागलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने सम्बन्धी श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस लिया गया) ...	81–83
जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर	83–84

यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	84–85
प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	85
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन...	85
नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवायें एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	85–86
प्रदेश के जनपद उन्नाव की ग्राम सभा ओरहर, पड़रीकला, निबईगैर एहतमाली, कोरारीकला, तारगांव एवं कुलहाबगहा में चकबन्दी अधिनियम की धारा–6 (1) के अन्तर्गत अनियमित रूप से स्थगित की गई चकबन्दी प्रक्रिया को किसानों के हित में यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	86
जनपद देवरिया में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना यथाशीघ्र कराये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	86
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	86–114
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत)	114–131
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	131–146
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा	147–157

एवं मतदान–अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)...	158–170
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	170–183
पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन ...	183
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	183–185
नियम–51 की सूचनाओं के समय सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध	185–186
जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र में अत्यधिक आपराधिक वारदातों तथा जहरखुरानों द्वारा लगातार हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	186
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	186
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन नगर पंचायत में 33/11 के0वी0ए0 के बिजली घर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	186
जनपद गाजीपुर में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अनुचरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	186
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के कतिपय ब्लाकों में चयनित प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में अधूरे भवनों का	187–187

निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड साऊ घाट के ग्राम कडरखास में कब्रिस्तान से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं सिविल जज के आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 अय्यूब द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री का केवल वक्तव्य	187–189
जनपद बलिया में बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल रसड़ा को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	189
जनपद हाथरस के श्री गोपाल आदर्श विद्यालय सोसाइटी की भूमि को श्री गोपाल आदर्श इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	189
जनपद इलाहाबाद के करछना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा बेन्दौं में दिनांक 01 मार्च, 2015 को श्री बलराम पटेल पुत्र श्री छक्कन पटेल की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	189–190
जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नियमताबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ...	190–191

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री बरेली
12. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
15. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
29. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
30. अरूण कुमार, डा0 बरेली
31. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
34. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
40. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
42. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
43. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
44. आलमबदी, श्री आजमगढ़
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
46. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
47. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
48. आशीष यादव, श्री बदायूं
49. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
50. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
52. इकबाल, श्री बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री संभल
54. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी

61. उदयराज, श्री उन्नाव
62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
66. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
67. ओम कुमार, श्री बिजनौर
68. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
69. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
70. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
71. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
72. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
73. करतार सिंह भड़ाना, श्रीमुजफ्फरनगर
74. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
75. काली चरन सुमन, श्री आगरा
76. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
77. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
78. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
79. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
80. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
81. कैलाश, श्री गाजीपुर
82. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
83. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
84. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
85. गजराज सिंह, श्री हापुड़
86. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
87. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
88. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
89. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
90. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
91. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
92. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
93. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
94. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
95. गोमती यादव, श्री लखनऊ
96. गोरख पासवान, श्री बलिया
97. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
98. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
99. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
100. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
101. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
102. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
103. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
104. जगपाल, श्री सहारनपुर
105. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
106. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
107. जफर आलम, श्री अलीगढ़
108. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
109. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
110. जमील अहमद कास्मी, श्रीमुजफ्फरनगर
111. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
112. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
113. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
114. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
115. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
116. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
117. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
118. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
119. तसलीम, श्री बिजनौर
120. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
121. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
122. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
123. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
124. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
125. दलजीत सिंह, श्री बांदा

126. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
127. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
128. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
129. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
130. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
131. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
132. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
133. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
134. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
135. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
136. धर्मराज, श्री बाराबंकी
137. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
138. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
139. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
140. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
141. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
142. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
143. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
144. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
145. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
146. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
147. नारद राय, श्री बलिया
148. नाहिद हसन, श्री शामली
149. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
150. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
151. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
152. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
153. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
154. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
155. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
156. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
157. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
158. पीतमराम, श्री पीलीभीत
159. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
160. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
161. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
162. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
163. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
164. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
165. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
166. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
167. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
168. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
169. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
170. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
171. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
172. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
173. फेरन लाल, श्री ललितपुर
174. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
175. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
176. बदलू खां, श्री उन्नाव
177. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
178. बाबू खां, श्री हरदोई
179. बाबूलाल, श्री गोण्डा
180. बावन सिंह, श्री गोण्डा
181. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
182. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
183. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
184. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
185. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
186. बैजनाथ, श्री मऊ
187. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
188. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
189. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
190. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
191. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर

192. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
193. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
194. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
195. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
196. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
197. मनबोध, श्री देवरिया
198. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
199. मनीष रावत, श्री सीतापुर
200. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
201. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
202. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
203. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
204. महबूब अली, श्री अमरोहा
205. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
206. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
207. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
208. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
209. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
210. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
211. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
212. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
213. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
214. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
215. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
216. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
217. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
218. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
219. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
220. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
221. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
222. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
223. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
224. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
225. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
226. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0कौशाम्बी
227. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
228. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
229. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
230. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
231. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
232. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
233. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
234. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
235. यासर शाह, श्री बहराइच
236. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
237. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
238. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
239. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
240. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
241. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
242. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
243. रणजीत सुमन, श्री एटा
244. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
245. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
246. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
247. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
248. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
249. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
250. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
251. रवि शर्मा, श्री झांसी
252. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
253. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
254. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
255. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
256. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद

257. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
258. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
259. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
260. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
261. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
262. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
263. 'राजिव, श्री सहारनपुर
264. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
265. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
266. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
267. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
268. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
269. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
270. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
271. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
272. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
273. राधे श्याम, श्री अमेठी
274. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
275. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
276. राम करन आर्य, श्री बस्ती
277. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
278. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
279. राम गोविन्द, श्री बलिया
280. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
281. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
282. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
283. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
284. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
285. राम मगन, श्री बाराबंकी
286. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
287. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
288. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
289. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
290. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
291. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
292. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
293. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
294. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
295. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
296. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
297. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
298. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
299. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
300. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
301. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
302. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
303. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
304. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
305. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
306. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
307. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
308. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
309. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
310. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
311. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
312. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
313. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
314. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
315. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
316. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
317. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
318. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
319. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
320. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
321. विजय सिंह, श्री रामपुर
322. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
323. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी

324. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
325. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
326. 'विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शाकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
344. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
345. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
346. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
347. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
348. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
349. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
350. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
351. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
352. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
353. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
354. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
355. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
356. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
357. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
358. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
359. संजय कपूर, श्री रामपुर
360. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
361. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
362. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
363. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
364. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
365. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
366. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
367. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
368. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
369. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
370. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
371. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
372. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली

388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री शामली
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
395. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
396. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
397. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
398. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
399. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
400. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
401. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
'402. रिक्त महोबा
''403. रिक्त बलिया
'''404. रिक्त महराजगंज

' श्री कप्तान सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–231 चरखारी, जनपद महोबा दिनांक 21 फरवरी, 2015 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित होने के फलस्वरूप।

'' श्री उमाशंकर सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–358 रसड़ा, जनपद महोबा दिनांक 06 मार्च, 2012 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित होने के फलस्वरूप।

''' श्री बजरंग बहादुर सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–315 फरेन्दा, जनपद महराजगंज, दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित होने के फलस्वरूप।

नोट :–दिनांक 17 फरवरी, 2015 तक यथा संशोधित।

महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाइक

मंत्रि–परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय, विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी, मद्य निषेध, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, वन, जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, कृषि, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खेल एवं युवा कल्याण।
2	श्री मो0 आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ

		एवं शिशु कल्याण।
5	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।
1	2	3
6	श्री अम्बिका चौधरी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण।
7	श्री बलराम यादव	कारागार
8	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
9	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
10	श्री पारस नाथ यादव	उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण
11	श्री रामगोविन्द चौधरी	बेसिक शिक्षा
12	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन
13	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल
14	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन
15	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
16	श्री राजेन्द्र चौधरी	राजनैतिक पेंशन
17	श्री नारद राय	खादी एवं ग्रामोद्योग
18	श्री कैलाश	पंचायती राज
19	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
20	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद
21	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
22	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भू–तत्व एवं खनिकर्म
23	प्रो0 शिवाकान्त ओझा	प्राविधिक शिक्षा
24	श्री इकबाल महमूद	मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम
25	श्री महबूब अली	माध्यमिक शिक्षा
26	श्री शाहिद मंजूर	श्रम एवं सेवायोजन

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन

4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	धर्मार्थ कार्य

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
2	श्री फरीद महफूज किदवई	वन, खेल एवं युवा कल्याण
3	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
4	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
5	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
6	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य।
7	श्री अभिषेक मिश्रा	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
8	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण।
9	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
10	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
11	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
12	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
13	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
14	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा।
15	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
16	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेल एवं युवा कल्याण।
17	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास।
18	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
19	श्री विनोद कुमार उर्फ	माध्यमिक शिक्षा

	पण्डित सिंह	
20	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
21	श्री आलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
1	2	3
22	श्री राम सकल गूजर	प्राविधिक शिक्षा
23	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
24	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
25	श्री यासर शाह	ऊर्जा

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष
श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष
रिक्त

प्रमुख सचिव
श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2013–2014)

1–श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2–श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3–श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4–श्रीमती शादाब फातिमा, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर)

5–श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6–श्री उदयराज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

7–डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8–श्री राजबली जैसल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

9–श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–293

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री एटा
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
22. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 बरेली
24. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
30. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
31. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
32. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
33. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
34. आलमबदी, श्री आजमगढ़
35. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
36. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
37. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
38. आशीष यादव, श्री बदायूं
39. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
40. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
42. इकबाल, श्री बिजनौर
43. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
44. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
46. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
52. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद

55. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
56. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
57. काली चरन सुमन, श्री आगरा
58. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
59. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
60. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. कैलाश, श्री गाजीपुर
64. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
65. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
66. गजराज सिंह, श्री हापुड़
67. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
68. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
69. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
70. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
71. गोमती यादव, श्री लखनऊ
72. गोरख पासवान, श्री बलिया
73. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
74. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
75. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
76. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
77. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
78. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
79. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
80. जगपाल, श्री सहारनपुर
81. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
82. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
83. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
84. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
85. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
86. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
87. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
88. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
89. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
90. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
91. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
92. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
93. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
94. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
95. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
96. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
97. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
98. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
99. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
100. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
101. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
102. धर्मराज, श्री बाराबंकी
103. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
104. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
105. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
106. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
107. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
108. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
109. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
110. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
111. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
112. पीतमराम, श्री पीलीभीत
113. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
114. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
115. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
116. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
117. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
118. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
119. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया

120.प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
121.प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
122.बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
123.बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
124.बदलू खां, श्री उन्नाव
125.बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
126.बाबूलाल, श्री गोण्डा
127.बावन सिंह, श्री गोण्डा
128.बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
129.बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
130.बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
131.बृजेश कुमार, श्री हरदोई
132.बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
133.बैजनाथ, श्री मऊ
134.भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
135.भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
136.भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
137.भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
138.मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
139.मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
140.मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
141.मनबोध, श्री देवरिया
142.मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
143.मनीष रावत, श्री सीतापुर
144.मनोज कुमार, श्री चन्दौली
145.मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
146.मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
147.ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
148.महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
149.महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
150.महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
151.महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
152.माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
153.माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
154.मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
155.मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
156.मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
157.मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
158.मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
159.मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
160.मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
161.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
162.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
163.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
164.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
165.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
166.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
167.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
168.योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
169.योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
170.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
171.रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
172.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
173.रणजीत सुमन, श्री एटा
174.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
175.रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
176.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
177.रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
178.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
179.रवि शर्मा, श्री झांसी
180.राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
181.राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
182.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
183.राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
184.राजमती, श्रीमती गोरखपुर

185.राजिव, श्री सहारनपुर
186.राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
187.राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
188.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
189.राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
190.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
191.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
192.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
193.राधे श्याम, श्री अमेठी
194.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
195.राम करन आर्य, श्री बस्ती
196.रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
197.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
198.राम गोविन्द, श्री बलिया
199.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
200.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
201.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
202.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
203.राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
204.राम मगन, श्री बाराबंकी
205.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
206.राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
207.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
208.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
209.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
210.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
211.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
212.रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
213.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
214.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
215.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
216.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
217.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
218.लक्ष्मीकान्त उर्फ
पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
219.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
220.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
221.लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
222.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
223.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
224.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
225.विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
226.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
227.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
228.विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
229.विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
230.विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
231.विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
232.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
233.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
234.विजय सिंह, श्री रामपुर
235.विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
236.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
237.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
238.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
239.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
240.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
241.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
242.शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
243.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
244.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
245.शाकिर अली, श्री देवरिया
246.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
247.शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
248.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
249.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
250.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर

251.शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
252.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
253.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
254.शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
255.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
256.श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
257.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
258.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
259.संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
260.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
261.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
262.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
263.सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
264.सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
265.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
266.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
267.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
268.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
269.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
270.सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
271.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
272.सियाराम सागर, डा0 बरेली
273.सीमा, श्रीमती जौनपुर
274.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
275.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
276.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
277.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
278.सुधाकर, श्री मऊ
279.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
280.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
281.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
282.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
283.सुरेश राणा, श्री शामली
284.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
285.सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
286.सुल्तान बेग, श्री बरेली
287.सुशील सिंह, श्री चन्दौली
288.सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
289.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
290.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
291.हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
292.हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
293.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, पूर्व न्यायाधीश काटजू द्वारा महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रकरण

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व न्यायधीश काटजू द्वारा जो महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस जी के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठिये। बैठ जायं आप।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि राष्ट्रपिता का सम्मान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनियां करती है और आपका जो सबसे उच्च आसन है, इसके ऊपर भी बापू की तस्वीर लगी है। बापू के बारे में जिस तरह की बात कही है और एक ऐसे व्यक्ति ने जो खुद इन्साफ की कुर्सी पर बैठे हों और जाने जाते हों देश भर में अपनी बहुत सी सेवाओं के लिये। बापू के लिये जिस तरह की टिप्पणी की गई है उससे वाकई पूरे देशवासियों को उससे तकलीफ पहुंची है, देश के बाहर रहने वालों को तकलीफ पहुंची है। क्योंकि लोक सभा और राज्य सभा में निन्दा प्रस्ताव पारित हुआ है, पास हुआ है, यूनेनिमसली पास हुआ है, किसी राजनैतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया। सभी को दुःख है बापू के इस अपमान का तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी इस तरह का कोई रेज्यूलूशन आना चाहिए और बापू के अपमान को अगर सहन कर लिया गया तो देश से फिर लोकतंत्र का चला जाना बिल्कुल नामुमकिन नहीं होगा। यह बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक बात है कि जूडीशियरी के जिम्मेदार लोग, इंसाफ को देखने, परखने और समझाने वाले लोग ऐसी बात करें बापू के बारे में जो न सुनने में अच्छी लगे, न बरतने में अच्छी लगे और न इससे अच्छा इतिहास बनेगा। अपने कैरियर को बनाने के लिये अगर उच्च पदों के लोग इस हद तक चले जायेंगे तो फिर चरित्रहीनता की कोई सीमा नहीं रह जायेगी। मैं समझता हूं कि आपका सहयोग इसमें रहेगा।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सुभाष चन्द्र बोस जी के बारे में भी इस तरह की टिप्पणी कही गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं हम उससे अपने आपको पूरी तरह से सम्बद्ध करते हैं मैं और मेरा दल और हम चाहते हैं मान्यवर, कि एक प्रस्ताव इस तरह का सदन में आना चाहिए और सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल राष्ट्रीय लोक दल भी इससे सहमत है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है कि जिसे हमारा पूरा भारत देश राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान देता है महात्मा गांधी जी, और साथ ही साथ आजादी के महान सेनानायक जिसे हम सभी लोग क्रांतिदूत के प्रतीक रूप में, सुभाष चन्द्र बोस के रूप में जानते हैं। इन दोनों महान विभूतियों के विषय में एक रिटायर्ड जज के द्वारा जिस तरीके से ओछी टिप्पणी की गई है यह देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है एवं कुल मिलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है। सुभाष चन्द्र बोस जिनके प्रति पूरे देशवासी श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं ऐसे महान विभूति के विषय में ऐसी घटिया टिप्पणी करना दिवालिया मानसिकता को भी जाहिर करती है और मान्यवर, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। जिससे हम उम्मीद करते हैं कि समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। जिससे हम उम्मीद करते हैं यदि कहीं पर अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने की पहल होगी। जिससे हम उम्मीद करते हैं कि विकृत मानसिकता से यदि कहीं किसी प्रकार का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोई पात्र रहा है तो उस पर कोई रोक लगेगी। वह स्वंय आज इस पर उतारू है। ऐसी ओछी टिप्पणी के माध्यम से न पूरे देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया बल्कि ऐसे हालात भी पैदा किए जिससे कि लोग आक्रोशित और आन्दोलित होकर सड़कों पर भी आवें। हम समझते हैं बात आगे और न बिगड़े यहीं पर इस पर विराम लग जाए। इसलिए मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का इस समय सत्र चल रहा है हम सभी सदन में मौजूद हैं और इसी दरम्यान यह घटिया बयानबाजी भी हुई है तो सर्वसम्मति से इस पर एक निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए और मान्यवर, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। चूंकि यह न केवल निन्दनीय है बल्कि ऐसे लोगों के मनोबल को दबाने के लिए क्योंकि आज इस प्रकार की बयानबाजी कर सकते हैं तो कल को हमारे राष्ट्र के लिए भी घिनौनी बयानबाजी कर सकते हैं। इसके पीछे और आशय नहीं वह कहीं न कहीं किसी न किसी आयोग में चेयरमैन बन जाएं केवल इस बात के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर किसी का प्रिय बनने के चक्कर में ऐसी घृणात्मक बयानबाजी किए हैं। हम इसकी निन्दा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं और सर्वसम्मत से इस पर एक निन्दा प्रस्ताव आवे ऐसी मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि एक प्रस्ताव ले आवें प्रस्ताव पारित हो जायेगा प्रश्नप्रहर में यह सब न करिए बाद में यह हो जाएगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, राज्य सभा में जो यह पास हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए आपके नेता तो बोल चुके हैं। (शोर)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, राज्य सभा में प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद बयान आया विदेश से कि राज्य सभा ने जो यह पास किया है अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखाई जाए यही नहीं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केवल निन्दा प्रस्ताव पास करने के बाद विदेश से यह बयान दिया है कि इस प्रकार की मैंने तो कोई गल्ती की नहीं, उसके बाद वह कहते हैं अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखायें। मैंने अगर कुछ किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लें। मान्यवर, एक तो आदमी गल्ती करे और गल्ती करने के बाद फिर गल्ती करे मेरा आपसे निवेदन है कि मा0 नेता प्रतिपक्ष ने, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मा0 नेता भा0ज0पा0 ने सब लोगों ने बात रखी है और कड़ाई से बात रखी है मान्यवर, एक निन्दा प्रस्ताव उच्च सदन द्वारा पास करने के बाद फिर उसके ऊपर टिप्पणी करना, मान्यवर, यह भी अनुशासनहीनता में आता है इसका भी संज्ञान लेकर इसमें भी कोई सख्त टिप्पणी या कार्यवाही करनी पड़े तो वह करनी चाहिए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, संज्ञेय अपराधों में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए खाली निन्दा प्रस्तावों से काम चलने वाला नहीं है। मैं और मेरा दल संज्ञेय अपराधों में मुकदमा कायम करने के पक्ष में है।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव आ जाएगा बाजपेयी जी आप क्यों खड़े हो गए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

प्रस्ताव से असहमति नहीं सहमति है। मेरा एक प्रस्ताव था आपके पास मैंने आपको विचार करने के लिए दिया था जो कल घटनाक्रम हुआ था 311 में..

श्री अध्यक्ष–

अभी रुक जाइए। वह आएगा तो नियम–300 में कहिएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

नियम–300 में सुन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

सुन लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी एक प्रस्ताव बना लें अभी जब जीरो आवर आएगा तो प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसको पास करा लिया जाएगा।

श्री सतीश महाना–

मेरा प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अरे प्रश्न आने तो दीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सुन लीजिए प्रश्नों से ही संबंधित है। प्रश्न संख्या–4 देखने का कष्ट करें। मेरा इस प्रकार का कोई प्रश्न लगा ही नहीं। मेरा प्रश्न लगा ही नहीं है जो लगते हैं वह प्रश्न तो आते नहीं हैं। इसको मैंने आपके संज्ञान में डाला है। जो प्रश्न मैंने दिया नहीं वह कैसे आ गया।

श्री अध्यक्ष–

जब आपका नाम आएगा तो कहिएगा।

ख11.10 बजे, प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा सीधे कराये जाने का सरकार का विचार

'01–श्री दलजीत सिंह (अनुपस्थित)–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा सीधे कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देश के निर्माण और उन्नति के लिये जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाकर पंचायत राज की स्थापना करने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन किया गया।

73वें संविधान संशोधन में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत तीनों ही स्तरों पर पंचायतों में सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाना है। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किये जाने का प्राविधान किया गया है।

73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ही उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की सुसंगत धाराओं में संशोधन करते हुए जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव अपने ही सदस्यों में से किये जाने का प्राविधान किया गया है।

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने एवं श्री दलजीत सिंह के अनुपस्थित रहने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, हमारी रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

समय बचेगा तो देख लेंगे।

श्रमिकों के स्वास्थ्य जीवन सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की विशेष कार्य योजना की जानकारी

'02–श्री मनीष असीजा तथा श्री सतीश महाना–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच चूड़ी उद्योग में सेवारत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गंभीर बीमारी होने अथवा आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में इन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा न होने के कारण इनके परिवारीजन एवं आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन श्रमिकों के स्वास्थ्य जीवन सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्राविधानों को प्रदेश में लागू किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली अधिसूचित/प्रख्यापन की प्रक्रिया में है। इस नियमावली के अधिसूचित/प्रख्यापित होने के उपरान्त इन श्रमिकों हेतु केन्द्र सरकार के उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 में वर्णित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था पर सुन लीजिये। उत्तर तो तब आयेगा जब मेरे द्वारा वह प्रश्न लगाया गया हो।

श्री अध्यक्ष–

जब यह प्रश्न समाप्त हो जायेगा तब प्रश्नों के बारे में जो व्यवस्था होगी उसमें आप उठाइयेगा।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत अफसोस के साथ मैं कहने को बाध्य हूं कि असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के भविष्य को ठीक करने के लिये, सुनिश्चित करने के लिये 2008 का यह जो कानून है इसका उत्तर सन् 2012 से यही का यही आ रहा है। मा0 मंत्री जी आप खुद देखें कि आज 2008 से 2015 हो गया है। मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। यह फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग के लगभग पांच लाख से ऊपर मजदूरों के विषय में यह प्रश्न है। 100 साल से पुराने इस कांच उद्योग में लगे हुए ये जो मजदूर हैं यह गर्म भट्ठियों के सामने काम करते हैं, बर्नरों के सामने काम करते हैं और लम्बे समय तक

जब यह कांच की गर्म भट्ठियों के सामने काम करते हैं तो इनके स्वास्थ्य पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक मजदूर के रूप में अचानक कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाये तब भी इनका परिवार चौराहे–दोराहे पर खड़ा होता है और कभी कोई आकस्मिक खर्च बेटी की शादी या और कोई बात हो तो साहूकारों के चंगुल में फंसकर यह फिर सड़क पर आ जाते हैं। सौ साल से अधिक पुराने इस परम्परागत कांच उद्योग के यह लगभग पांच लाख से ऊपर मजदूर हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप सहानुभूतिपूर्वक इस पर कोई व्यवस्था जरूर देंगे। जैसे आपने बुनकर भाइयों के लिये स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया है तो वैसे ही क्या सरकार इन कांच चूड़ी मजदूरों जिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत परेशानी है, को स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी करेगी ? दूसरा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है उसी प्रकार क्या सरकार इन गरीब कांच मजदूरों के लिये कम ब्याज दर पर एक–दो–तीन परसेन्ट पर कांच मजदूर या मजदूर क्रेडिट कार्ड जारी करेगी ? तीसरा, मा0 अध्यक्ष जी, आकस्मिक दुर्घटना में जो परिवार पूरा का पूरा बिखर जाता है तो वर्तमान में जन–धन योजना में सामाजिक सुरक्षा में दो लाख का दुर्घटना बीमा है तो अनिवार्य रूप से क्या सरकार प्रत्येक कांच चूड़ी मजदूर को जन–धन योजना के अन्तर्गत आच्छादित करते हुये आकस्मिक दुर्घटना बीमा में इनको लाभ देने का काम करेगी ?

श्री शाहिद मंजूर–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की जो पीड़ा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इसकी गम्भीरता को देखते हुये ही इस एक्ट को प्राख्यापित करने की प्रक्रिया चल रही है। जब यह प्रश्न लगा था उसके बाद मेरी चिन्ता बढ़ी और आपके माध्यम से मैं यह विश्वास दिला रहा हूं कि दो महीने में या आने वाले लगभग एक–डेढ़ महीने में इसको हम प्राख्यापित कर देंगे और आपके द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जो चिन्ता अभी जताई गई है उसमें हमारा प्रयास है कि भविष्य निधि और सेवायोजन के दौरान दुर्घटना, आवासीय और बच्चों के लिये शिक्षा योजना, कर्मचारियों के लिये कौशल विकास, अन्त्येष्टि हेतु सहायता और वृद्धाश्रम। हम कोशिश करेंगे कि इस एक्ट के तहत हम इसको प्रख्यापित करें और उनको सारी योजनाओं का लाभ पहुंचायें।

श्री मनीष असीजा–

माननीय मंत्री जी, कांच चूड़ी उद्योग से जुड़े हुए सीधे–सीधे 05 लाख मजदूर हैं जो सीधे गरम भट्ठी के सामने काम करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसकी विशेष जांच करा लें और यह परिस्थितियां ठीक हों और यदि आपको लगता हो कि लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के अन्तर्गत इन फिरोजाबाद के लाखों कांच चूड़ी मजदूरों के लिए कोई विशेष कार्य योजना बन सकती है तो उसके लिए कोई एक जांच ही कराकर दिखवा लें, शायद उसमें से ठीक परिणाम आयें तो आप उसमें कदम उठायें।

श्री शाहिद मंजूर–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जांच कराने का विषय नहीं है। हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और इसीलिए इसमें तेजी लाकर इसको प्रख्यापित करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से इन

मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य की, उनके बच्चों के कौशल विकास की और उनके भविष्य को देखते हुए जो भी कदम उठाये जा सकते हैं, सरकार उनको उठायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले खेतिहर मजदूर, राजमिस्त्री, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, क्या इनको ई0एस0आई0 की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

श्री शाहिद मंजूर–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन मजदूरों का जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है, उन तमाम मजदूरों को यह सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। श्रम विभाग उनको वह सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध करा रहा है। ई0एस0आई0 की तमाम सुविधाएं उन मजदूरों को दी जा रही हैं।

ख्11.20 बजे, पूर्व न्यायाधीश काटजू द्वारा महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के बारे में की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रकरण पर निन्दा प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज इस रिजोल्यूशन की बड़ी अहमियत है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा, जस्टिस काटजू के निन्दनीय कथन को राष्ट्रपिता के लिए अपमानजनक है, की कड़े शब्दों में निन्दा करता है। बापू पर निन्दनीय टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है। साथ ही नेता सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेता जिनकी पहचान थी– 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा', का अपमान भी राष्ट्र का अपमान माना जायेगा। बीमार मानसिकता की सुविधाएं भोगने के आकांक्षी यदि आसमान पर थूकने की कोशिश करेंगे तो आसमान तो मैला नहीं होगा, महत्वाकांक्षियों का चेहरा अवश्य पहचाना जायेगा। सदन सर्वसम्मति से ऐसे व्यक्ति की निन्दा करता है और शर्मिंदा है कि असल पहचान काफी देर बाद हुई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, इसे सर्वसम्मति से पास करायें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने अभी रखा है, उससे यह सदन सर्वसम्मति से सहमत है ?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भी भेज दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

यह आपका प्रस्ताव है, बैठिए।

ख11.22 बजे, प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

जेलों में बन्दियों से काम कराये जाने की मजदूरी सामान्य मजदूरों की मजदूरी से कम होने से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने सम्बन्धित प्रकरण

'03–श्री दलवीर सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में बन्दियों से काम कराये जाने की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बन्दियों को काम के बदले दी जाने वाली मजदूरी प्रदेश के सामान्य मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्दियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां।

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बन्दियों को वर्तमान में कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल को श्रम के बदले क्रमशः रु0 40/–, 30/– एवं 25/– प्रति बन्दी प्रतिदिन दिये जाते हैं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य मजदूर के लिये निर्धारित मजदूरी की व्यवस्था जेलों में लागू नहीं की गयी है।

श्री दलवीर सिंह–

अध्यक्ष जी, यह बहुत पुराना कानून बना हुआ है। जेल में जो कैदी निरुद्ध हैं, उनका वेतन बहुत पुराने समय में कभी तय हुआ होगा। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुशल, अर्धकुशल और सामान्य, इनको क्रमशः मात्र 40/–, 30/– और 25/– रुपये के रेसियो से उन्हें वेतन मिलता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि इतने कम वेतन पर वह काम करते हैं। जब पूरे प्रदेश में सामान्य मजदूर के वेतन के लिए एक नीति लागू है तो वह नीति जेल में भी लागू होनी चाहिए। इतना कम वेतन देना मजदूरों का उपहास जैसा है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस वेतन की वृद्धि करने पर विचार कर रही है और अगर कर रही है तो कब तक वेतन वृद्धि में कोई नियम और वृद्धि बनायेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि जितना भी

वेतन मिलता है मजदूरों और सजायाफ्ता लोगों को उसमें से 85 प्रतिशत उन पर और उनके परिवार पर प्रयोग होता है 15 प्रतिशत पीड़ित पक्ष के लिए होता है जो कत्ल के मुल्जिम हैं या अन्य अपराधों के मुल्जिम हैं जो पीड़ित पक्ष होता है उनके खाते में 15 प्रतिशत देने की कोई व्यवस्था क्या सरकार ने की है और इन मजदूरों के शोषण से बचने के लिए क्या बैंक आदि में खाते खुलवाने की व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर कोई बंदी चाहे वह विचाराधीन बंदी हो या सिद्धदोष बंदी हो इनको वेतन नहीं दिया जाता। जब इनसे श्रम कराया जाता है तो प्रतिदिन के श्रम के बदले उनको यह धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। जो बाहर के मजदूर मजदूरी करते हैं इनको अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। इनकी सुविधाओं में इन्हें प्रतिदिन का नाश्ता दिया जाता है दो समय भोजन की व्यवस्था है एक चाय तथा अन्य सुविधाओं में उनको वस्त्र भी दिए जाते हैं। इन सब सुविधाओं के बाद उनको श्रम के रूप में जितनी धनराशि मिलती है वर्ष 2011 में इसका संशोधन करके इस धनराशि को बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब खन्ना जी को पूछ लेने दें।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर मेरा प्रश्न है मैं पूछ रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर इसी से सम्बन्धित एक सवाल मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष–

चलिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर मा0 दलवीर सिंह जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया इसके सम्बन्ध में केवल एक सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। जेल में दो तरह के कैदी होते हैं एक तो विचाराधीन बंदी और एक सजायाफ्ता। जो विचाराधीन बंदी हैं उनसे काम नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन उनको भी भण्डारे जैसी जगह पर लगाया जाता है। जहां शेष मजदूर तो बारह घण्टे में छूट जाते हैं लेकिन यह मजदूर जो भण्डारे में लगाए जाते हैं वह सुबह चार बजे से लेकर रात आठ बजे तक काम करते हैं। इसलिए कि भण्डारे में चाय से लेकर खाना बनता है जब सुबह छः बजे बंदियों को चाय दी जाती है तो उसके पहले इनको उठना पड़ता है और छः बजे के बाद तक यह वहां रहते हैं। तो मेरा प्रश्न मान्यवर विचाराधीन बंदियों के लिए है खासतौर से कि इनसे काम न लिया जाए और दूसरा इनसे अगर काम लिया जाए तो जो मजदूरी तय हुई है क्योंकि वह लोग जो मुजरिम नहीं होते हैं जो सजायाफ्ता नहीं होते हैं उन लोगों से काम लेना एक तरह से अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है। मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो विचाराधीन बंदी है उनसे भण्डारे में या जेल की खेती में जहां सब्जी आदि उगाई जाती है या किसी प्रकार से जो शारीरिक श्रम का काम लिया जाता है तो

क्या मा0 मंत्री उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ? और अगर कहीं जरूरी हो काम लेना तो उसके बदले में क्या पारिश्रमिक निर्धारित करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मा0 अध्यक्ष जी जो विचाराधीन बंदी हैं अगर स्वेच्छा से अपना श्रम देते हैं तब उनको श्रमिक के रूप में प्रयोग किया जाता है और जो सिद्धदोष बंदी हैं श्रम की जहां–जहां जरूरत होती है वहां उनको लगाया जाता है और उनके बदले में जो सुविधाएं बताई गई हैं चाहे पैसे के रूप में या अन्य रूप में वह उन्हें दी जाती हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में एक तरह के श्रम के कानून नीति है। जब एक नीति बनाई गई है तो वह दूसरी तरह से कैसे लागू हो सकती है जेल में अलग तरह से और बाहर सामान्य लोगों के लिए अलग तरह से मेरा यह प्रश्न है। दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रोविज़न यह है कि जो वेतन कैदी को हवालाती को उसमें से 15 प्रतिशत अंश पीड़ित पक्ष को जाता है जिसके ऊपर उसकी सजा होती है। क्या अब तक सरकार ने इस तरह के पीड़ित पक्षों के लोगों को यह श्रमांश दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो प्रदेश में अब तक कितने लोगों को दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, क्या आपके पास इस प्रकार की कोई सूचना है ?

श्री दलवीर सिंह–

जिसका कत्ल होता है उसके परिवार के लोगों को इसमें से 15 प्रतिशत श्रम हिस्सा जाता है। अब तक सरकार ने ऐसा किया है कि नहीं किया है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इसके लिए जानकारी करनी पड़ेगी और मैंने तो अब तक यह अनुभव किया है कि मतलब कि जो अब तक मेरे सामने विभाग के प्रकरण आये हैं, ऐसा नहीं है कि श्रमिकों को जो श्रम के रूप में धनराशि मिलती है उसमें कोई कटौती करके सिद्ध दोष बंदी हो या विचाराधीन बंदी हो, उससे कोई कटौती करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, नहीं करते हैं।

'04–श्री सुरेश राणा–

ख्2सरे शुक्रवार के लिये स्थगित,

प्रदेश में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए नये ग्राम पंचायतों के गठन की सरकार की नीति

'05–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नये ग्राम पंचायतों के गठन की सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि

हां, तो ऐसी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1992/33–3–2014–03रा0नि0आ0/14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं।

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/परिसीमन करने की अन्तिम कार्यवाही माह मार्च, 2015 तक पूर्ण हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें कहा गया है कि माह मार्च, 2015 तक यह पुनर्गठन हो जाएगा। तो मा0 अध्यक्ष जी, माह का आधा मार्च आ गया, अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ है। तो यह किस तिथि तक हो पाएगा ? और दूसरा, जो जिला पंचायत के चुनाव हैं क्या सरकार उनको भी जिस प्रकार से विधान सभा और लोक सभा के चुनाव होते हैं तो क्या उसी तर्ज पर वह जनरल चुनाव कराने पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री कैलाश यादव–

पहला सवाल जो है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसी मार्च तक पुनगर्ठन/परिसीमन पूरा कर लिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 69 जिलों का हो चुका है। 4–6 जिले ऐसे हैं जहां कुछ विवाद है इसकी वजह से वह रुके हुए हैं। इसी माह मार्च के अन्त तक हम इसको करा लेंगे। आपने दूसरा सवाल किया कि जिला पंचायतों का चुनाव और क्षेत्र पंचायतों का चुनाव, तो यह एक्ट में है। उसमें जिस तरह का प्राविधान है। सदस्य चुनकर आते हैं उन्हीं में से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आते हैं उन्हीं में से ब्लाक प्रमुख चुने जाते हैं। और यह सतत् प्रक्रिया है और यह भारत सरकार के गाइडलाइन के निर्देशानुसार ही होता है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जैसा बताया कि 16 अगस्त, 2014 द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि एक हजार की आबादी वाले सभी गांवों का पुनर्गठन किया जाएगा उन्हें नई ग्राम पंचायतें घोषित की जाएंगी। लेकिन इसमें बड़ा विरोधाभास है। मेरी निश्चित जानकारी के हिसाब से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि यह जो 16 अगस्त, 2014 को शासनादेश जारी किया गया है। इसमें क्या स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 1000 की आबादी वाले सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करके उन्हें ग्राम पंचायतें घोषित की जायेंगी। यदि

हां तो क्या सभी 1000 आबादी वाले ग्राम पंचायतों को जो छूट गये हैं, मान्यवर क्या उन्हें भी नई ग्राम पंचायतें बनाने की कार्यवाही करेंगे ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री कैलाश यादव–

शासनादेश में बिल्कुल स्पष्ट है, जो ग्राम पंचायतें हैं, जो राजस्व गांव हैं और उनकी आबादी 1000 या 1000 से ऊपर होगी उनको हम गांव पुनर्गठन में गांव सभा गांव पंचायत घोषित करेंगे और यही हुआ है और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उसमें है आप पढ़ लीजियेगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उसमें दिया हुआ है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जैसे बाढ़ का क्षेत्र है, बीच में नदी है, नाला है और कोई दिक्कतें हैं, तो उसको भी देखते हुए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है और उसी के हिसाब से हुआ है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, इसमें यह कहा गया था कि इनके अधिकारियों द्वारा यह कहा गया था कि 50 गांव सभा के व्यक्ति जब तक डी0पी0आर0ओ0 को यह लिखित नहीं देंगे कि हमारी ग्राम पंचायत अलग कर दिया जाये तब तक हम गांव सभा नहीं बनायेंगे। यहां माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 1000 आबादी वाले राजस्व गांव को सभी को हम बना देंगे तो यह तो विरोधाभास है। मान्यवर, मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीर हो जाये सरकार यह कर दे कि एक ऐसा शासनादेश जारी कर दे, अधिकारियों को निर्देश दे दें कि राजस्व गांव जो 1000 आबादी पूरा करते हैं उन्हें नई ग्राम सभा घोषित कर दिया जाये।

श्री कैलाश यादव–

यह आप पढ़ लीजिये इसमें यह भी है कि अगर वह राजस्व गांव है और उस गांव के लोग अगर नहीं चाहते हैं, और नहीं दरख्वास्त देते हैं 50 लोग से ज्यादा लोग जाकर नहीं मांग करते हैं तो हम उसका पुनर्गठन नहीं करेंगे। यह भी शासनादेश में है आप पढ़ लीजिये यह विरोधाभास नहीं है। एक बार पूरा पढ़ लीजिये और इसी के हिसाब से और इसकी पारदर्शिता के लिए दो–दो बार मैंने समय बढ़ाया और दो–दो बार समय बढ़ाकर ब्लाक स्तर पर, पंचायत स्तर पर उसको कस्बा कराने का काम किया और उसके बाद फिर समय बढ़ाकर पुनरीक्षित कराने का काम किया है। अगर इस तरह की कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको दीजिये मैं पंचायत भी तोड़ लेता हूं क्योकि शासनादेश है कि कोई भी पंचायत नहीं टूटेगी। शासनादेश बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने शासनादेश भी देख लिया और जवाब भी सुन लिया। इस जवाब से एक सवाल पैदा यह होता है कि उसमें कम्पैक्ट एरिया होना चाहिए। मान्यवर, हमारे पास शहबाज नगर ग्राम पंचायत है उसके बीच में नदी पड़ती है, गर्रा। वहां कोई रास्ता नहीं है, केवल पटरी से रास्ता है और यह कहते है कि हम तो शासनादेश से बंधे हैं इसलिए इसको तोड़ नहीं सकते। निजामपुर गोखला में 1100 वोटर है, 1600 की आबादी है और मान्यवर वह ग्राम सभा पंचायत ग्राम पंचायत शहबाज नगर है और वह उसमें शामिल है और शामिल इसलिए है कि क्योंकि वह राजस्व गांव नहीं है

मान्यवर। मेरा कहना यह है कि इसमें एक शब्द अगर यह जाये कि कम्पैक्ट एरिया हो। यह शब्द अगर आ जाये मान्यवर तो यह सारी मुसीबत हल हो जायेगी। बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं बीच में नदी पड़ती है, बीच में ट्रेन की पटरी पड़ती है, बहुत बड़े नाले है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन नहीं है और उसमें हम जा नहीं सकते और ग्राम पंचायत ढ़ो रहे है पिछले बीसों साल से। इसलिए अगर प्राथमिकता के आधार पर कम्पैक्ट एरिया शब्द नहीं आयेगा मान्यवर तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

आपका यह सवाल है, राजस्व गांव होते हैं, कई टोलों में बंटे होते हैं। बीच में नदी होती है, मेरे यहां भी है लेकिन जब राजस्व एक ही है तो उसको अलग–अगल कैसे बनायें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, गांव को अलग कर दें।

श्री अध्यक्ष–

राजस्व गांव, बनाने के लिए भारत सरकार के परमीशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यह नहीं हो पायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अगर कम्पैक्ट एरिया कर देंगे मान्यवर तो यह निजामपुर गोखला दूसरी ग्राम पंचायत में शामिल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

गांव पंचायत की जिस पीड़ा से आप पीड़ित हैं, उसी से हम भी हैं, हमारे क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या है, लेकिन यह नहीं हो पायेगा, इसलिए कि नक्शें में एक ही राजस्व विलेज है, बीच में नदी जाती है, आधा इधर बसा है, आधा उधर बसा है, अगर हम चाहें कि उसको अलग ग्राम पंचायत बनायेंगे तो राजस्व ग्राम ही तो बनाया जायेगा, उसको कहां जोड़ा जा सकता है। यह नहीं हो सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारे यहां एक गांव में 11 सौ वोट हैं, उसका स्कूल अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन जो मुख्य गांव पंचायत है उससे उसकी दूरी 20 किमी0 है।

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं, उससे हम सहमत हैं, हम लोगों के क्षेत्र में आपके यहां से ज्यादा नदियां हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा सवाल सुन लें, क्या मा0 मंत्री जी उस शासनादेश में कम्पैक्ट एरिया जोड़ेंगे ? यानी एक गांव की सीमा दूसरी गांव से लगी हो। अगर कम्पैक्ट एरिया जोड़ देंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

हां यह हो सकता है। मा0 मंत्री जी, यह कह रहे हैं कि कम्पैक्ट गांव, तो मैं समझता हूं कि जैसे दो राजस्व गांव हैं, एक गांव की आबादी कम है और दूसरे की ज्यादा है, तो दोनों को जोड़ करके तो बन रहे हैं। आपका कहना है कि कम्पैक्ट एरिया को जोड़ने के लिए आप शासनादेश जारी करेंगे।

श्री कैलाश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सम्भव नहीं है, जब तक वह राजस्व गांव नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, मा0 मंत्री जी चूंकि जो आपका शासनादेश है कि एक हजार या एक हजार से ऊपर के राजस्व गांव को लोगों की मांग पर हम ग्राम पंचायत बनायेंगे और उसमें यह है कि 50 या 50 से अधिक लोग गांव के मांगें, इस शासनादेश का प्रचार–प्रसार आम जनता में नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जिन राजस्व गांवों में ग्राम पंचायत की मांग को ले करके जिनके प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं, क्या उस पर आप विचार करके उसे ग्राम पंचायत बनायेंगे।

श्री कैलाश यादव–

मान्यवर, इसकी एक समय–सीमा निर्धारित है और जितनी भी आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया, प्रदेश स्तर पर भी आपत्तियां आईं तो उसको जिले में भेज करके उसका निस्तारण किया गया।

श्री अध्यक्ष–

लोकेन्द्र सिंह आपका सवाल है, आप अन्तिम प्रश्न पूछ लें।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या सरकार जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुखी के सीधे चुनाव करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर तो दे दिया मा0 मंत्री जी ने कि यह नहीं हो सकता है, भारत सरकार की गाइडलाइन और ऐक्ट के अनुसार ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नियमों में परिवर्तन करा करके क्या सरकार ऐसा करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया, इसका पहला सवाल जो था, वह इसी से सम्बन्धित था जो आप पूछ रहे हैं, यह था दलजीत सिंह का तो मा0 मंत्री जी ने

आपको जवाब दे दिया कि यह सम्भव नहीं है, भारत सरकार की गाइडलाइन और ऐक्ट के अनुसार। अब आप बैठिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष–

अब कोई सवाल नहीं, इसमें सारे सवालों का जवाब मा0 मंत्री जी ने दे दिया, अब आगे चलो। इसमें सारी बातें आ गईं, मा0 नेता विरोधी दल ने भी पूछ लिया, सबने पूछ लिया, अब आप क्या पूछेंगे। अलग–अलग गांवों का कोई मामला हो, तो आप लोग मा0 मंत्री जी को लिख कर दे दीजिए।

हां अनीसुर्ररहमान जी आप बतायें।

श्री अनीसुर्ररहमान–

मान्यवर, जिला सम्भल में दो ब्लाक हैं, एक बनियाखेड़ा और एक बिलारी।

श्री अध्यक्ष–

इसको यहां क्यों उठा रहे हैं, यह यहां नहीं होगा, इसके लिए आप मा0 मंत्री जी को लिख कर दें, अब आप बैठ जायं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

प्रदेश में डीजल, पेट्रोल कीमत में कमी होने के कारण बसों व ट्रकों के बढ़े किराये को कम करने की सरकारी नीति की जानकारी

'06–श्री धर्मपाल सिंह तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कीमत में कमी होने के कारण बसों व ट्रकों के बढ़े हुए किराये मूल्य को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

डीजल की दरों में हुई कमी के दृष्टिगत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना संख्या–2594/एस0टी0ए0/2014–06 एस0टी0ए0/2013, दिनांक 28–11–2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मंजिली बसों का निर्धारित किराया रु0 0.81 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर में रु0 0.01 की कमी करते हुए किराया रु0 0.80 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

निजी क्षेत्र की बसों का किराया उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1002/ तीस–4–2012–346/95, दिनांक 21–11–2012 द्वारा डीजल दर रु0 39.41 के आधार पर निर्धारित किया गया था। तदोपरान्त निजी क्षेत्र की बसों के किराये में वृद्धि नहीं की गयी है।

सार्वजनिक भार वाहनों (माल वाहनों) के भाड़े की दरें वर्ष 1999 में शासन की अधिसूचना संख्या–4269/तीस–4–99–271/98, दिनांक 29–12–1999 द्वारा निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात् सार्वजनिक भार वाहनों के भाड़े की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है। एक तो हम मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानकारी चाहते हैं कि उन्होंने मंजिली बसों के बारे में वर्णन किया है। मंजिली बसें माने दोमंजिला बसें, तिमंजिला बसें या फिर क्या है ? इसका अन्तर समझ में नहीं आया कि मंजिली बसें क्या हैं ? फिर उन्होंने एक किलोमीटर पर 81 पैसे में 01 पैसा कम किया है। मान्यवर, 01 पैसा चलता ही नहीं है। अब 01 किलोमीटर पर 01 पैसा कम करना तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानकारी चाहते हैं कि ये 01 किलोमीटर पर 81 पैसा प्रति किलोमीटर लेते थे। अब इस पर 01 पैसा कम कर दिया और 80 पैसा प्रति किलोमीटर लेंगे। साथ ही मंजिली बसों से इनका क्या तात्पर्य है जरा इसको भी स्पष्ट कर दें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, मंजिली बसों का तात्पर्य यह है कि जो रुक–रुक कर सवारी को उतारती हैं और बैठाती हैं उसको मंजिली कहा जाता है। साथ ही किराये में 01 पैसे की कमी, 81 पैसे से हमने 01 पैसा घटा करके 80 पैसा किया है। पिछले वर्ष में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में 09 पैसे यात्री किराया बढ़ाया गया था और राजस्थान परिवहन निगम में 03 पैसा यात्री कर बढ़ाया गया जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक ऐसे बड़े प्रदेश का है जो हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसमें जनहित को ध्यान में रखते हुये परिवहन निगम द्वारा डीजल की दरों में कमी के कारण 28 नवम्बर, 2014 को यात्री किराये में 01 पैसे की कमी की गयी है। यह कार्य सिर्फ हमने ही किया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम पिछले तीन वर्षों में काफी बढ़े हैं और इन दामों के बढ़ने से डीजल और पेट्रोल के दाम भी हमारे भारत वर्ष में भी और प्रदेश में भी बढ़ गये। इसी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी अपनी बसों के किराये में वृद्धि की थी। मान्यवर, इधर किसी के नसीब से या पूरी दुनिया के नसीब से क्रूड ऑयल के दाम कम हुये, यहां पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुये। इसी सम्बन्ध में हम लोगों का प्रश्न था कि जब डीजल के दाम बढ़े थे तो किराया बढ़ाया गया था तो क्या उसी अनुपात में जब डीजल के दाम कम हुये हैं तो क्या किराया कम किया जायेगा ? मा0 मंत्री जी ने इस पर दो कैटेगरी बताई हैं। एक तो जो राज्य सड़क परिवहन निगम की सरकारी बसें हैं, इसमें इन्होंने 01 पैसा कम किया है, चलिये कुछ तो कम किया है लेकिन दूसरी बात यह है कि जो निजी क्षेत्र की बसें हैं उसके सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी ने कहा है कि 21–11–2012 को एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें 39 रुपये 41 पैसे डीजल के दाम के आधार पर दाम तय किये गये थे। सार्वजनिक भार वाहन, माल वाहन के लिए भी इसी तरह बताया गया है कि 29–12–1999 के द्वारा दाम तय किये गए थे लेकिन मान्यवर वास्तविकता यह है कि वर्ष 1999–2012 के बाद माल भाड़े में भी और निजी बसों के किराये में भी बेतहाशा वृद्धि

हुई। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किराये के नियंत्रण के लिए इन शासनादेशों में क्या प्राविधान हैं और क्या माननीय मंत्री जी को कोई भी इस प्रकार की शिकायत मिली कि चाहे आपके भार वाहन हो या आपकी निजी बस के किराये में वृद्धि हो रही है। इसके लिए कभी क्या इन्होंने कोई जांच कराई है ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अनुग्रह नारायण जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सार्वजनिक भार वाहनों, माल वाहनों के भाड़े की दरें 1999 शासन की अधिसूचना द्वारा 4269/30–04–99/271/98, दिनांक 29–12–99 द्वारा निर्धारित की गई थी, तत्पश्चात् उस समय दरें 39.81 पैसे था, तब से जनहित को देखते हुए हमने इसको बढ़ाने का काम नहीं किया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इन्होंने तो शासनादेश के अनुसार नहीं बढ़ाया लेकिन वास्तविकता यह है कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम ज्यादा हुए हैं तो माल भाड़े में और जो निजी बस चालक हैं, उन्होंने किराये में दुगुनी–तिगुनी वृद्धि कर दी और अब जब दाम कम हुए हैं तो जो निजी ट्रान्सपोर्टर्स हैं या जो और भी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हैं, उन लोगों ने दाम नहीं कम किये हैं, तो क्या इसको पता लगाने के लिए कोई माननीय मंत्री जी जांच कराएंगे और जांच कराकर इसको कम कराएंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

इस पर जांच कराकर सूचना आपको दे देंगे।

(श्री दलवीर सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए। इनका सवाल है ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपका सवाल आगे है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा नाम आपने ले लिया है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हम एक जानकारी चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के रेट में कमी आई। 15 वर्षों से मान्यवर, सच यह है कि जो बसें पहले 4000 रुपये किराया लेती थीं, वह आज 16 हजार ले रही हैं। जो ट्रक माल भाड़े का किराया 1999 में 2000/– लेते थे वह 18 हजार ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह जानकारी चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के भाड़े पर नियंत्रण हो ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी की है क्या ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कोई व्यवस्था ऐसी है जो माल भाड़े, ढुलाई इत्यादि पर कोई नियंत्रण करें। कोई नीति है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी कह चुका हूं। मान्यवर, जो निजी वाहन हैं, उन निजी वाहनों में हमने किराया 39.41 पैसे के आधार पर निर्धारित किया था। निजी क्षेत्र की बसों के किराये में वृद्धि नहीं की गयी है और जनहित को देखते हुए हमने प्राइवेट बसों या ट्रकों का किराया बढ़ोत्तरी नहीं किया है। रेट बढ़ा है लेकिन हमने बढ़ोत्तरी नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय धर्मपाल सिंह जी, और सवाल है ले लेने दीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है। माननीय मंत्री जी से हमने पूछा था कि प्राइवेट सेक्टर में जो मनमानी लोग करते हैं, क्या इस पर नियंत्रण करने की कोई योजना है। हमारा उत्तर आया नहीं है मान्यवर, कृपापूर्ण उत्तर दिलवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कोई योजना है नियंत्रण की।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

देखिए अगर ट्रैक्टर मनमानी करता है, गलत तरीके से माल ढोता है, तो उसकी जांच कराकर उसका चालान किया जाता है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न तारांकित होना चाहिए था, अतारांकित कर दिया गया है, यह अतारांकित 5 नम्बर पर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसमें सुधार करके इसे तारांकित कराया जाये।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो प्रश्न चल रहा है, अभी जब प्रश्न खत्म हो जाता तब आप कहते। चाहे जब आप लोग उठकर बोलना शुरू हो जाते हैं। अभी जब इस प्रश्न का समय खत्म हो जायेगा, तब बोलिएगा। दूसरे प्रश्न में व्यवधान क्यों डालते हैं।

मेरठ सहित प्रदेश में बांट–माप विभाग द्वारा छापेमारी, नियमित जांच न होने से पेट्रोल पम्पों एवं पेट्रोलियम गैस सिलेण्डरों में घटतौली का बढ़ावा रोके जाने का प्रकरण

'07–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांट–माप विभाग द्वारा आकस्मिक छापेमारी/नियमित जांच के अभाव में मेरठ सहित प्रदेश में पेट्रोल पम्पों एवं पेट्रोलियम गैस सिलेन्डरों में घटतौली को बढ़ावा मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार

घटतौली को रोकने हेतु बांट–माप विभाग के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

जी नहीं। बांट–माप विभाग द्वारा घटतौली पर अंकुश लगाने के लिये नियमित जांच के साथ–साथ आकस्मिक छापेमारी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविन्द्र भडाना–

माननीय अध्यक्ष जी जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है शायद सरकार उसको उतनी संजीदगी से नहीं ले रही है। मान्यवर, सबको विदित है कि किस तरह से चाहे वह तेल की घटतौली हो चाहे दूध देने वाला दूध का लीटर हो चाहे बांट–माप विभाग का जो नमूना है उसकी जांच का कोई प्रबंध नहीं है उसकी जांच का कोई पैमाना नहीं है। उस विभाग का कोई अधिकारी जांच करने के लिये तैयार नहीं। दूध देने वाले का लीटर अलग। अगर उस दुकान वाले से कहें कि भाई आप पूरा लीटर दीजिये, पूरा लीटर दूध का नमूना दीजिये तो वह अलग लीटर देगा। दूध देने वाले के पास जो नमूना होगा वह अलग होगा। मान्यवर, इसी प्रकार पेट्रोल पम्पों के अंदर में हम स्वयंसेवी सारे मा0 विधायक जगह–जगह पेट्रोल पम्पों पर जाकर अपनी गाड़ियों में तेल भरवाते हैं। मान्यवर, आजकल आटोमैटिक गाड़ियां हैं उसकी सुई बता देती है कि अगर दो हजार रुपये का डीजल भरवाया है तो यहां तक आना है। मान्यवर, उसका मीटर जीरो से शुरू होता है और उसमें भी घटतौली की बात आ जाती है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में इसको लेकर हालत खराब है खासकर मेरठ में इतनी बुरी हालत है। मान्यवर, मेरठ में जिस पम्प में जायें और कहें कि इतना तेल डाल दें तो मान्यवर एक लीटर तेल में 600–600, 700–700 मिमी0 उसमें तेल डाला जा रहा है। कोई बांट–माप विभाग का अधिकारी जाकर जांच करता हो छापेमारी करता हो तो आप उसके बारे में बतायें। मान्यवर, इसकी संजीदगी सवाल की आप देखें माननीय मंत्री जी स्वयं उपस्थित नहीं हैं। इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस प्रकरण को लेकर कितनी संवेदनशील है। खैर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उन्हीं से सवाल कर लेता हूं कि जबसे यह सदन शुरू हुआ है पिछले तीन सालों में बांट–माप विभाग द्वारा कितनी छापेमारी की कार्यवाही की गयी उसमें कितने लोगों के ऊपर कार्यवाहियां हुईं उसमें कितने लोगों पर दण्डात्मक कार्यवाही की गयी कितने लोग जेल गये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, गंभीर प्रश्न है इसमें कोई शक नहीं । मंत्री जी लम्बी छुट्टी पर हैं तकरीबन 15 रोज की। केवल आपके प्रश्न की वजह से नहीं गये हैं अपने व्यक्तिगत कारणों से गये हैं। मान्यवर, प्रश्न के लिये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है हम आपके हर सवाल साल का जवाब देंगे। मान्यवर, छापेमारी ही एक तरीका है। छापेमारी में जो लोग दोषी पाये जाते हैं उनके चालान हो जाते हैं और वह न्यायालय में मामला

चला जाता है। अगर आप हमसे जिलावार पूछें तो मेरठ के बारे में बताऊंगा कि 2013–2014 में नियमित आकस्मिक निरीक्षणों की संख्या 217 है और घटतौली के केसेज 18 हैं। शमन द्वारा निस्तारित मामले 15 हैं प्राप्त शमनशुल्क एक लाख चालीस हजार है तीन केस न्यायालय भेजे गये हैं। मान्यवर, 2014–2015 में 31–1–15 तक निरीक्षणों की संख्या 271 है निरीक्षण बढ़े हैं घटतौली के मामले 11 हैं कम हुए हैं शमन द्वारा निस्तारित मामले 8 हैं और प्राप्त शमन शुल्क क्योंकि मामले घटे हैं इसलिए 80 हजार रुपये है। तीन मामले कार्यालय में लम्बित हैं। इसी प्रकार यह गैस एजेंसी का था। पेट्रोल डीजल का है 2013–2014 में मामले 143, 11 अभियोजित किये गये शमन द्वारा निस्तारित मामले 11 प्राप्त शमन शुल्क एक लाख बीस हजार है न्यायालय में कोई मामला नहीं भेजा गया है क्योंकि उनसे वसूली कर ली गयी है। अब पूरे प्रदेश का है कहिये तो मैं 12 बजकर 20 मिनट तक इसकी सारी सूचना बता दें।

श्री अध्यक्ष–

छोड़िये अभी और भी सवाल हैं।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप मेरठ के हैं आप जांच–वांच करते नहीं हैं क्या, विधान सभा में तो सब नियमों की जांच करते हैं, इन लोगों की भी जांच करिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने छापे और घटतौली के इस प्रकार के आंकड़े बतायें हैं और उनसे शमन के रूप में वसूले जाने वाले शुल्क को बताया है, केवल आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं और चाहता हूं कि उस पर कुछ और शमन शुल्क बढ़ाया जाय। जिनके यहां घटतौली पकड़ी गयी उस घटतौली से प्रभावित उपभोक्ता तो उस घटतौली की मार खाकर घर पर बैठ गया उसे तो पता नहीं लगा सरकार ने अगर उसे पकड़ लिया तो उस घटतौली करने वाले व्यक्ति या फर्म से शमन शुल्क को बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी कम से कम सरकार के खजाने में तो पैसा आये और घटतौली करने के नाते उसे लगे कि एक भारी दण्ड लगा है या उसके संस्थान को बन्द करने की अनुशंसा उसके पैरेन्ट विभाग को करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारे मित्र लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी इसे अदरवाइस न लें मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जितने अच्छे ताल्लुकात इनके गैस और पेट्रोल पम्प वालों से हैं उतने अच्छे किसी से नहीं हैं मान्यवर, सब इनका इलेक्शन लड़ाते हैं यह सबके घर जाकर दावतें खाते हैं और यह उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर मेरा जवाब तो आने दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजेपयी–

मान्यवर, मैने जो प्रश्न पूछा है मैं उनसे शमन शुल्क बढ़ाने की बात कर रहा हूं उनके पैरेन्ट आर्गनाइजेशन को लिख कर उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात कर रहा हूं। मान्यवर, जितनी गलत जानकारियां हैं माननीय मंत्री जी को सब हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हर प्रश्न के जवाब को इतनी संजीदगी से नहीं लेते थोड़ा सा हल्का भी करो माहौल। तो मान्यवर, बिलकुल सही आपकी जिज्ञासा है परेशानी है बहुत मिलावट करते रहे हैं कोशिश की जाती है कि पकड़ भी की जाय और कोई इससे अव्यवस्था भी न फैले जो आपका सुझाव है बढ़ाने के बारे में उससे सरकार का तो यकीनन फायदा होगा किन्तु जिस आदमी को तेल कम मिला उसका क्या होगा नुकसान तो उसका है तो इस पर मान्यवर, विचार होना चाहिए आपका सुझाव अच्छा है।

श्री रविन्द्र भडाना–

मान्यवर, एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हालात यह है विभाग के कि अगर इनके विभाग के अधिकारी, यह केवल कागजों में होता है कि छापेमारी वहां हुई इतनी हुई मौके पर कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग की यह हालत है और केवल यही विभाग नहीं है कई हैं कि उनको अगर आप यह कहें कि बिना तनख्वाह के आप काम करेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं हम वापस भी कुछ दे देंगे सरकार को और बिना तनख्वाह के काम करेंगे। इतना मामला है। माननीय अध्यक्ष जी हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें नपैने को जो नपना होता है उसकी कोई विधिक और जनता को कोई ऐसी जो पारदर्शी व्यवस्था हो और दोषी उसमें दण्डित हो ऐसा नपैना नपैने को जो पेट्रोल पम्प होते हैं उनमें भी छोटे वाले नपैने उसमें तली काटकर नपैने बना दिये जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, जनता पीड़ित है, उत्पीड़ित है यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सरकार से चाहता हूं कि क्या इस पर पारदर्शी कोई ऐसी योजना बना करके जो दोषी हों उन पर कठोर कार्यवाहियां हो और जनता यह जान सके कि इसका नाप कितना है और कहां–कहां गड़बड़ियां हो रही हैं और जो पीड़ित हैं उसके लिए सरकार कोई प्रबन्ध करायेगी कि उसको न्याय मिल सके।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, गैस सिलेण्डर का निश्चित वजन होता है, उसे तौला जा सकता है, उसकी पकड़ हर वक्त संभव है। पेट्रोल पम्प और डीजल में इलेक्ट्रानिक मीटर्स हैं, वह भारत सरकार के हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। वह भारत सरकार ही देती है महानुभावों का। हमारे नाम तो कोई है नहीं, हम सन् 1980 से विधायक हैं हमारी न कोई गैस एजेन्सी है, न कोई पेट्रोप पम्प है। मांगा तो भी नहीं मिला, मांगा भी नहीं। यह छोटे–मोटे आदमी का तो होता नहीं है। अब कौन झगड़ा करे इनसे ?

मेडिकल कालेजेज में चिकित्सा छात्रों के ज्ञान हेतु एन0आई0टी0 विभाग में कैडेवर (शव) उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर पर समिति के गठन सम्बन्धी जानकारी

'08–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजेज में चिकित्सा छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान हेतु एन0आई0टी0 विभाग में कैडेवर (शव) प्राप्त न हो पाने से चिकित्सा शिक्षा का स्तर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एन0आई0टी0 ऐक्ट, 1956 में स्पष्ट प्राविधान है कि लावारिस शवों को

उपरोक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है परन्तु इसके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश/जिला स्तर पर कोई समिति अथवा संगठन न होने से स्थानीय स्तर पर शव उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल कालेजेज में चिकित्सा छात्रों के ज्ञान हेतु एन0आई0टी0 विभाग में कैडेवर (शव) उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष शव–विच्छेदन हेतु पर्याप्त शव उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उ0 प्र0 एनॉटमी ऐक्ट–1956 की धारा–3 के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा एक या एक से अधिक अधिकारियों को अधिसूचित कराये जाने का प्राविधान है, जिनका कर्तव्य यह होता है कि अस्पतालों/कारागार/सार्वजनिक स्थलों से प्राप्त लावारिश शवों को ग्रहण करते हुए किसी शैक्षणिक संस्थान को उपलब्ध करायें।

उ0 प्र0 एनॉटमी ऐक्ट–1956 में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शवों को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा समय–समय पर शव चिकित्सा शिक्षा विभाग को विच्छेदन हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या–8 डा0 धर्मपाल सिंह जी नहीं हैं। अगला प्रश्न संख्या–9 श्री अखिलेश प्रताप सिंह का है।

प्रदेश में एम्स (आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस) खोलने के लिए केन्द्र सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार से भूमि की मांग

'09–श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान केन्द्र सरकार ने प्रदेश में एम्स (आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस) खोलने के लिए प्रदेश सरकार से भूमि की मांग की है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार ने कितने एम्स खोलने का निर्णय लेकर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रेषित अर्द्ध0शा0प0सं0–1611/71–2–2012, दिनांक 17 मई, 2012, अर्द्ध0शा0प0सं0–1636/71–2–2012, दिनांक 19 जून, 2012 एवं अर्द्ध0शा0प0सं0–63/ 71–2–2012, दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि जनपद रायबरेली में एम्स की स्थापना के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य तीन भू–भाग यथा पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं रूहेलखण्ड में भी एम्स के स्तर का एक–एक

उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान अथवा जनपद रायबरेली में स्थापित होने वाले एम्स के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु समुचित विचार कर इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराया जाये।

वर्तमान में सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अर्द्ध0शा0प0सं0–जेड–28016/158/2014–एस0एस0एच0, दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा पूर्वान्चल में एम्स स्थापित करने के सम्बन्ध में लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। इस सम्बन्ध में पूर्वान्चल परिक्षेत्र के जनपद गोरखपुर में एम्स स्थापित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सदन चल रहा है, तब से हमने और हमारे कुछ और साथियों ने देवरिया, गोरखपुर पूर्वान्चल में एक एम्स बनाने की हमेशा पुरजोर मांग की है। उसका कारण भी था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घनत्व का अगर कोई इलाका है तो वह देवरिया, गोरखपुर से लगा हुआ पूर्वान्चल का इलाका है, बस्ती, गोरखपुर आदि और यहां सबसे ज्यादा बीमारियां भी हैं। यहां जनजनित बीमारियां भी हैं और तरह की भी बीमारियां हैं। सबको पता है कि इन्सेफ्लाइटिस का सबसे बड़ा प्रकोप पूर्वान्चल के गोरखपुर मण्डल के तराई क्षेत्रों में है। सबसे पहले तो सरकार ने इसमें जो निर्णय लिया है कि हम पूर्वान्चल गोरखपुर में एक एम्स खोलेंगे, जो हम लोगों की भावनाओं का आदर किया है सरकार ने, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हुए यह जानना चाहते हैं कि क्या जो 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की बात प्रदेश सरकार ने की है, वह जमीन क्या उपलब्ध हो गई है या कब तक उपलब्ध होगी और केन्द्र सरकार ने जो पत्र भेजा है यह जमीन उन्हें कब तक उपलब्ध कराकर दे दी जायेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ती वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर में निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और जैसे ही भारत सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी, उन्हें तत्काल जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रश्न का जवाब नहीं आया है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। माननीय मंत्री जी खुद इसमें बता रहे हैं कि स्वीकृति मिली है मंत्रालय से, यह रिटेन में है। बता रहे हैं कि मंत्रालय से स्वीकृति दी है और हम गोरखपुर में खोल देंगे तो यह जमीन जो आप निःशुल्क ढूंढ रहे हैं वह अभी मिली कि नहीं मिली है और केन्द्र सरकार ने आपसे समय–सीमा तय की है कि कब तक उन्हें जमीन उपलब्ध करा देनी है। यह स्पष्ट सवाल मैंने पूछा था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है।

श्री राममूर्ती वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से पूर्वान्चल में गोरखपुर में एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। भारत सरकार ने पूर्वान्चल में कहीं एम्स की स्थापना करने का प्रस्ताव मांगा था, चूंकि गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है और बिहार की सीमा, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को अवगत करा दिया है कि गोरखपुर में हम जमीन भी देने के लिये तैयार हैं और जो वहां आवश्यक आवश्यकतायें हैं, जैसे सड़क, परिवहन, बिजली इन सारी जरूरतों को गोरखपुर पूरा करने में भी सक्षम है और जमीन देने में भी कोई परेशानी राज्य सरकार को नहीं है। अभी कोई अग्रिम निर्देश भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मैंने स्पष्ट पूछा है और माननीय मंत्री जी ने स्वंय बताया है कि वर्तमान में सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र फलां–फलां दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा पूर्वान्चल में एम्स स्थापित करने के संबंध में लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गयी है। तो यह तो केन्द्र सरकार खुद ही कह रहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र की सूचना तो खुद ही माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है। हम यह पूछ रहे हैं कि वह 200 एकड़ जमीन, जो आपने वायदा किया है कि हम गोरखपुर में देंगे, वह जमीन आपको मिल गई कि नहीं। अगर मिल गई है तो वह कब तक केन्द्र सरकार को आप दे रहे हैं, क्योंकि केन्द्र सरकार तो माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र के अनुसार राजी हो गया है, गोरखपुर में एम्स बनाने के लिये। हमारा सीधा सा सवाल है कि यह जमीन मिली कि नहीं और यदि नहीं मिली है तो कब तक आप इसे केन्द्र सरकार को दे देंगे ताकि केन्द्र सरकार वहां एम्स का निर्माण शुरू करे।

श्री राममूर्ती वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भारत सरकार को पत्र लिखा है, उसके क्रम में भारत सरकार से जो इनकी टीम आती है, स्थल निरीक्षण करने के लिये, उसके लिये भी हमने मांग की है कि केन्द्रीय दल को अविलम्ब गोरखपुर भेजा जाय और उनकी सुविधानुसार जहां भी एम्स अस्पताल बन सकता है, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने के लिये आश्वस्त कर चुकी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर हम लोग पिछले तीन सालों से सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। यह गोरखपुर का अधिकार था जो पिछली सरकार छीनकर रायबरेली ले गयी और मैं सदन में खड़ा होकर इस बात को कहता हूं बावजूद इसके, कि केन्द्र सरकार का यह पत्र खुले रूप से पूर्वांचल के बारे में था जिसमें गोरखपुर का अभिलेख नहीं है। लेकिन लगातार सदन में हम लोगों ने जो बात की है, मैं सदन में इस पर संकल्प भी लेकर आ चुका हूं और मैं इस सदन में सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि पूर्वान्चल के सिर्फ गोरखपुर में ही एम्स बनना चाहिये और सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार को अब इस बात पर

अडिग रहना चाहिये। यह बात हो चुकी है और जब रायबरेली एम्स जा रहा था, तब हम लोगों ने इस बात को कहा था और तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में आकर कहा कि भारत सरकार जहां मांगेगी, हम वहां जमीन दे देंगे। आज अगर सरकार ने इस बात को कहा है कि वह गोरखपुर में एम्स बनवाने के लिये कृतसंकल्प है तो सरकार को अपनी इस बात पर अडिग रहना चाहिये। दूसरी बात, जिस जमीन की चर्चा हुयी है, माननीय मंत्री जी अनुपूरक नहीं पढ़ पाये हैं, गोरखपुर के जिलाधिकारी ने कल शाम को एक पत्र विभाग को भेजा है और गोरखपुर की 5 तहसीलों में 200–200 एकड़ जमीन की सूचना सरकार को और इस सचिवालय में आ चुकी है। मा0 मंत्री जी तक यह जानकारी नहीं पहुंची होगी, मैं आग्रह करता हूं कि इसमें गोरखपुर की सदर तहसील भी एक है, मेडिकल कॉलेज या एम्स वहां बनना चाहिए जहां संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हों, जहां चारों ओर से मरीज आ सकें। यदि आप किसी गांव देहात में इसे बना देंगे, जहां जाने या पहुंचने के संसाधन नहीं होंगे, जहां अगर हम बाहर से चिकित्सक मंगाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट नहीं होंगे, जहां मरीज आसानी से आस–पास से नहीं आ सकेंगे तो परेशानी होगी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि जो सूचना आपके पास कल जिलाधिकारी के द्वारा भेजी गई है, आप उसका अध्ययन करके यह संस्तुति देंगे कि यह एम्स गोरखपुर में किसी ऐसे स्थान पर बनना चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। चूंकि इसमें सदर तहसील भी एक मुख्य स्थान है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बारे में सरकार अपना मत जाहिर करे।

श्री राम मूर्ति वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने पहले ही कह दिया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र को यह आश्वस्त कर दिया है कि केन्द्रीय दल निरीक्षण करके जहां भी एम्स बनाने के लिए सुविधाजनक स्थान गोरखपुर में बतायेगा, राज्य सरकार उसे उपलब्ध कराने का काम करेगी। इस अस्पताल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाता है। हमें यह लगता है कि भारत सरकार की मंशा स्वयं ठीक नहीं है और वह गोरखपुर के बजाय इसको कहीं अन्यत्र स्थापित करना चाहते हैं जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार गोरखपुर में ही एम्स अस्पताल बनाना चाहती है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष महोदय, हम यहां अपने क्षेत्र के नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, भारत सरकार की मंशा क्या है हम इससे सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि हम इससे सम्बन्धित हैं कि अगर यह सरकार महसूस करती है कि गोरखपुर में एम्स बने तो भारत सरकार की मंशा चाहे जो हो, सरकार को कम से कम इस बात पर अडिग रहना चाहिए कि हमने अपनी ओर से पत्र भेजा है, भारत सरकार की मंशा कहीं भी हो लेकिन बने तो सिर्फ गोरखपुर में ही बने।

(मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह पूर्वांचल का मामला है इसमें आपका क्या है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, भाजपा के हमारे साथी अपनी ही केन्द्र सरकार से भयभीत हैं और प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि गोरखपुर में ही एम्स बने। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो गोरखपुर में बनाने का निर्णय लिया है वह बदलेगा नहीं बल्कि गोरखपुर में ही बनेगा। हम यह जानना चाहते हैं कि जो जमीन इन्होंने चिन्हित की है या इनके विभाग ने चिन्हित की है उसे यथाशीघ्र भारत सरकार को भेज करके उसका स्थलीय निरीक्षण करा करके उसमें जो भी अग्रिम कार्यवाही गोरखपुर में एम्स स्थापित करने के सम्बन्ध में है उसे कब तक कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया अखिलेश जी।

श्री राममूर्ति वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, हम पहले भी जवाब दे चुके हैं कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से केन्द्रीय दल को भेजने के लिए कहा है कि उसका निरीक्षण कर लें और गोरखपुर में जहां भी सुविधाजनक स्थल बतायेंगे वहां पर उनको जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल, रूहेलखण्ड और बुन्देलखण्ड की बात की है कि प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एम्स की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब छोड़िये, यह सवाल नहीं है।

प्रदेश में बेरोजगारी के स्थाई हल की सरकारी नीति

'10–श्री वीरपाल राठी–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी के स्थाई हल की सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश के 75 जनपदों में सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 01 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं।

रोजगार बाजार में रोजगार के अवसर तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग का कार्य किया जाता

है। साथ ही साथ रोजगार के अवसरों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता उपलब्ध करायी जाती है। रोजगार मेलों के माध्यम से वर्ष 2012 में 8,201, वर्ष 2013 में 24,579 एवं वर्ष 2014 में दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक 27,777 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्ग–दर्शन के केन्द्र स्थापित हैं, जहां उन्हें कार्यालय प्रबन्धन का एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा टंकण, आशुलिपि, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, भाषा सचिवीय पद्धति आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही उन्हें लिपिक वर्ग की सेवाओं की तैयारी के लिए भी मार्ग–दर्शन दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या–10–श्री वीरपाल राठी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार की सड़क सुरक्षा सम्बन्धी योजना की जानकारी

'11–डा0 अरुण कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 01 अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने गम्भीर रूप से घायल हुए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने जो समिति बनाई है, ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा शेष कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

उत्तर प्रदेश में यातायात निदेशालय से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर 01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें मृत एवं गम्भीर रूप से घायल हुए लोगों की स्थिति निम्नवत् है :––

दुर्घटनायें	मृत	घायल
24,003	12,500	17,235

सड़क सुरक्षा का कार्य प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिये मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्** का गठन किया गया है।

मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित **''उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्''** द्वारा लिये गये निर्णयों एवं संस्तुतियों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक **उच्चस्तरीय समिति** का गठन किया गया है।

सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा लिय गये निर्णयों/संस्तुतियों के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय समिति द्वारा विचार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु राज्य **सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ** का गठन परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय), लखनऊ में किया गया है।

सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरुकता पैदा करने के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :––

(1) सभी विद्यालयों एवं प्रबन्धकों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

(2) सभी 75 जनपदों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है।

(3) जनपदीय सड़क सुरक्षा समितियों को जनपद में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के संचालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

(4) सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की स्मृति में दिनांक 16–11–2014 को वर्ल्ड–डे ऑफ रिमेम्ब्रेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स प्रत्येक जनपद में आयोजित किया गया।

(5) सभी व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगाये जाने हेतु विशेष अभियान आयोजित किये गये हैं।

(6) पूरे प्रदेश में स्कूल वाहनों के फिटनेस की निरन्तर चेकिंग करायी गयी, जिसमें दिनांक 01–04–2014 से 31–10–2014 की अवधि में 918 वाहन मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उनका चालान किया गया एवं 43 वाहनों की फिटनेस निरस्त की गयी।

(7) दिनांक 20/21 दिसम्बर, 2014 को प्रत्येक जनपदीय मुख्यालय पर स्कूली वाहन चालकों एवं नोडल टीचर्स के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन कराया गया।

(8) दिनांक 11 से 17 जनवरी, 2015 के मध्य आयोजित होने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में साइकिल रैली व अन्य कार्यक्रमों के द्वारा जनजागरुकता पैदा करने की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अरुण कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो उत्तर माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अनुपूरक पूछने में आप संरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर अपना लिखित उत्तर पढ़ रहे है तो मैं रोक नहीं सकता।

(माननीय परिवहन मंत्री जी, अपना लिखित उत्तर पढ़ते रहे)

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के अन्तर्गत ग्राम नगला वीर सहाय में क्षतिग्रस्त नाली, खड़न्जा आदि का निर्माण कराया जाना

01—श्री रामवीर उपाध्याय—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के अन्तर्गत ग्राम नगला वीर सहाय में नाली व मार्ग के खड़न्जा क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम में खड़न्जा, नाली एवं परिक्रमा मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

जी हां।

क्षतिग्रस्त पक्के मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। इसकी मरम्मत का कार्य धनावंटन प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा। क्षतिग्रस्त नाली/खड़न्जे की मरम्मत ग्राम पंचायत द्वारा बजट की उपलब्धता/ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव के अनुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

02—श्री सन्तराम कुशवाहा—

खदिनांक 23—02—2015 को अता0प्र0सं0—16 द्वारा उत्तरित,

03—श्री अली यूसूफ अली—

खदिनांक 25—02—2015 को अता0प्र0सं0—187 द्वारा उत्तरित,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पांच गृहस्थियों के चयन विषयक शासनादेश के अनुसार इलाहाबाद मण्डल में चयनित पात्र अभ्यर्थियों के चयन की जानकारी

04—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पांच गृहस्थियों के चयन विषयक शासनादेश संख्या—2364/29—6—2014—104 सा/09 टी0 सी010, दिनांकित—7 अक्टूबर 2014, खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, इसके अनुसार चयन के मानक क्या हैं और अभी तक इसके अनुसार इलाहाबाद मंडल में कितने पात्र अभ्यर्थियों (गृहस्थियों) का चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह—

जी हां।

शासनादेश दिनांक 07—10—2014 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र गृहस्थियों के चिन्हांकन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों अर्थात् एक्सक्लूजन/इन्फ्लूजन क्राइटेरिया का

निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश विभागीय वेब साइट पर उपलब्ध है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर इलाहाबाद मण्डल में पात्र गृहस्थियों के चिन्हांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डीजल की कीमतें कम होने से प्रदेश में परिवहन निगम की बसों के यात्री किराये में कमी किये जाने पर सरकार का विचार

05—श्री दलवीर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल की कीमतें कम हुई हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में परिवहन निगम की बसों के यात्री किराये में कमी किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

जी हां।

प्रदेश में डीजल की कीमतों में हुयी कमी के दृष्टिगत राज्य परिवहन प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या—2594एस0टी0ए0/14—06 एस0टी0ए0/13, दिनांक 28—11—2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण मंजिली बसों के किराये में रु0 0.01 की प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की कमी करते हुये किराया रु0 0.81 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर के स्थान पर रु0 0.80 प्रति यात्री प्रति किलो मीटर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद—उन्नाव के ग्राम—इन्देमऊ, ब्लाक बीघापुर में नकली दूध मिलावटी खोये के व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक संलग्न सहित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

06—श्री अगयश राम सरन वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 जो ग्राम—इन्देमऊ, ब्लाक—बीघापुर, जनपद—उन्नाव में नकली दूध, मिलावटी खोये के व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक था, संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्राप्त शिकायतों के क्रम में जनपद प्रशासन व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के दल द्वारा श्री नीशू सिंह पुत्र स्व0 धनऊ सिंह, ग्राम—निहाली खेड़ा, इन्देमऊ ब्लाक—बीघापुर, जनपद—उन्नाव के कारोबार स्थल पर औचक छापेमारी की गयी। मौके पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ दूध के कुल 02 नमूने एवं पनीर निर्माण हेतु उबाले गये दूध का 01 नमूना, कुल 03 नमूने संग्रहीत कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। जांच दल को मौके पर कोई भी केमिकल पदार्थ एवं निर्मित खोया/पनीर भण्डारित नहीं मिले।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमाधारियों का पंजीकरण स्टेट डेंटल काउंसिल में कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

07–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 09–12–2014 जो उ0प्र0 में डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमाधारियों का पंजीकरण स्टेट डेंटल काउंसिल में कराने संबंधी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य, विभाग सभा के उक्त पत्र दिनांक 09–12–2014 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आख्या प्राप्त कर शासन के अर्द्ध शा0 प0 संख्या–443/71–2–15– ए0क्यू0–1/15, दिनांक 12 फरवरी, 2015 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत डिप्लोमा इन डेन्टल टेक्नीशियनों को स्टेट डेन्टल कौंसिल में पंजीकृत किये जाने की भारत सरकार के 'डेन्टिस्ट एक्ट–1948' में कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर शौचालय निर्माण की योजना की जानकारी

08–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय शौच के लिये बाहर जाने वाली महिलाएं ज्यादातर छेड़खानी और दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं ? यदि हां, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार गांवों में घर–घर शौचालय निर्माण की योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी नहीं।

जी हां।

प्रदेश में बी0पी0एल0 के समस्त एवं ए0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 प्रकार के लाभार्थियों को शौचालय सुविधा से आच्छादित करने की व्यवस्था की गयी है–

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति

(2) लघु व सीमांत किसान

(3) भूमिहीन खेतिहर मजदूर

(4) विकलांग व्यक्ति

(5) वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो।

घर–घर में शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना का क्रियान्वयन दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 से पूर्व में संचालित योजना निर्मल भारत अभियान के स्थान पर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश की धान खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष धान न खरीदे जाने के कारणों की जानकारी

09–श्री सुरेश राणा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश की धान खरीद का लक्ष्य क्या था और लक्ष्य के सापेक्ष कितनी खरीद हुई ? यदि लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई तो इसके कारण क्या है ? क्या सरकार लक्ष्य पूर्ति न होने के कारणों को विधान सभा के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में धान खरीद का लक्ष्य 25 लाख मी0 टन था, जिसके सापेक्ष 906886.79 मी0 टन की खरीद हुई, जो लक्ष्य का 36.28 प्रतिशत है।

वर्ष 2013–14 में धान एवं उससे उत्पादित चावल (सी0एम0आर0) में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक डैमेज आ रहा था। इस कारण भारत सरकार से गुणवत्ता का मानक शिथिल करने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा विलम्ब से दिनांक 16–12–2013 को धान में डैमेज 4 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत तक तथा चावल में 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया था। भारत सरकार द्वारा उक्त शिथिलीकरण ''फुल वैल्यू कट'' के आधार पर दिया गया, जिससे निर्धारित समर्थन मूल्य में रु0 39.30 प्रति कुन्तल की कटौती होने लगी और तब तक धान का बाजार भाव समर्थन मूल्य के बराबर हो गया। इस कारण लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद नहीं हो सकी।

लक्षित खरीद की पूर्ति प्राकृतिक कारणों एवं भारत सरकार द्वारा खरीद मानक में देरी से छूट दिये जाने के कारण नहीं हो सकी। प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं बरती गयी। अतः इस प्रकरण को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों की धान एवं गेहूं की फसल पर बोनस देने की सरकार की मंशा

10–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के किसानों की धान एवं गेहूं की फसल पर बोनस देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

धान एवं गेहूं की फसल (खरीद) पर बोनस दिये जाने की राज्य सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

धान एवं गेहूं की खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो भुगतान किया जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। धान एवं गेहूं की खरीद राज्य सरकार के बजट से नहीं की जाती है।

जनपद बिजनौर में पेट्रोल पम्पों गैस एजेन्सियों मिट्टी का तेल में अपमिश्रण, घटतौली एवं काला बाजारी को रोका जाना

11—श्री लोकेन्द्र सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू एल0पी0जी0 का व्यवसायिक एवं वाहनों में उपयोग, कालाबाजारी, घटतौली एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु जनपद बिजनौर में नूरपुर विधान सभा सहित प्रदेश हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह—

जी हां।

जनपद बिजनौर में पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं एवं उचित दर विक्रेताओं पर अपमिश्रण, घटतौली एवं कालाबाजारी की जांच हेतु विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों का संयुक्त जांच दल/टास्क फोर्स का गठन आदेश दिनांक 01—02—2013 एवं दिनांक 23—09—2014 द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत के समस्त ग्रामों में शौचालय निर्माण कराये जाने विषयक

12—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 135 शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, भावलखेड़ा शाहगंज तथा ददरौल विकास खण्ड की न्याय पंचायत घुसगवां के समस्त ग्रामों जहां शौचालय नहीं है वहां सरकार 150—150 शौचालय बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छता जागरूकता मिशन के अनुसार प्रदेश में चल रही हैं योजना के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर को मिला धन का सदुपयोग किन कार्यों में हुआ उसका परिणाम क्या है की जानकारी

13—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छता जागरूकता मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में क्या—क्या योजनायें चल रही हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष

2012–13 एवं 2013–14 में इस मिशन के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर को कितना धन मिला तथा इनका सदुपयोग किन–किन कार्यों में हुआ तथा उसका परिणाम क्या है ?

श्री कैलाश यादव–

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता जागरूकता मिशन का नाम दिनांक 02–10–2014 से परिवर्तित करते हुये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नाम से लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट), जागरुकता हेतु प्रचार–प्रसार एवं प्रशासनिक गतिविधियां हैं।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में जनपद फतेहपुर को रु0 30012000.00 केन्द्रांश एवं रु0 7211000.00 राज्यांश प्राप्त हुआ है जिसको व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, प्रचार–प्रसार गतिविधियां एवं प्रशासनिक मद में व्यय किया गया है।

वर्ष 2013–14 में जनपद फतेहपुर को रु0 57104200.00 केन्द्रांश तथा रु0 14426000.00 राज्यांश प्राप्त हुआ है, जिसको व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) प्रचार–प्रसार गतिविधियां एवं प्रशासनिक मद में व्यय किया गया है।

कराये गये कार्यक्रमों से जनपद में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक लगने सम्बन्धी जन जागरूकता उत्पन्न हुई है तथा स्वच्छ शौचालयों की मांग में वृद्धि हुई है।

जनपद इलाहाबाद में सरकारी मेडिकल कालेज स्वरूपरानी अस्पताल में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराने की मांग

14–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में मात्र एक सरकारी मेडिकल कालेज स्वरूपरानी अस्पताल संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस अस्पताल में अभी तक कैट स्क्रैन तथा एम0आर0आई0 की मशीन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में कैट स्क्रैन एवं एम0आर0आई0 की मशीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद इलाहाबाद में मोती लाल नेहरु मेडिकल कालेज स्थापित है तथा स्वरूपरानी अस्पताल उससे सम्बद्ध है।

सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट प्राविधान उपलब्ध है। वर्तमान में इन दोनों मशीनों का क्रय प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश के अनुसार प्राप्त बस यात्रा सुविधा में नियम–3 (क) को संशोधित जोड़े जाने से प्रदेश या बाहर यात्रा की सुविधा में कटौती किया जाने सम्बन्धी

15–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगजनों के लिये उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली, 1998 के नियम–3 (क) को संशोधित करते हुए निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निगम की सभी श्रेणियों की बसों में तथा प्रदेश के बाहर उ0 प्र0 परिवहन की बसों में जाने पर निःशुल्क सुविधा अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश सं0–227/65–2–2008–185/97, दिनांक 22–04–2008 द्वारा ''विकलांगजनों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा नियमावली–1998'' के नियम–3(क) को संशोधित करते हुये परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर विकलांगजनों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा अनुमन्य की गयी थी किन्तु शासनादेश संख्या–2033/65–2–2012–185/97, दिनांक 10–01–2013 द्वारा उक्त नियम–3(क) का पुनः संशोधित करते हुये यह सुविधा वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों के लिये एवं प्रदेश के बाहर के लिये समाप्त कर दी गयी है।

वर्तमान में विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की बसों में प्रदेश के अन्दर ही निःशुल्क बस यात्रा सुविधा अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद भाऊ नगला स्थित औद्योगिक आस्थान की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं ड्रेनेज सिस्टम खराब होने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद भाऊ नगला स्थित औद्योगिक आस्थान की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं एवं ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या–ख–5 560385 दिनांक 29–10–14 उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर जनवरी, 2015 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) (श्री भगवत सरन गंगवार)–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों के द्वारा प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने हेतु सरकार की प्रभावी योजना की जानकारी

17—श्री सुरेश राणा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओवरलोडेड वाहनों के द्वारा प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार इन पर नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

प्रदेश के मार्गों पर भारी वाहनों के ओवरलोडिंग के प्रभावी विनियमन हेतु परिवहन विभाग द्वारा नियमित चेकिंग अभियान एवं समय—समय पर विशेष चेकिंग अभियान चला कर स्वीकृत क्षमता से अधिक माल लेकर चलने वाले माल वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी है।

प्रदेश में ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही में दिनांक 01—04—2014 से 31—12—2014 तक कुल 76242 वाहनों का चालान किया गया, 63459 ओवरलोड वाहनों के 726432 टन ओवरलोड माल उतरवाया गया तथा ओवरलोड वाहनों से कुल 8502.95 लाख रुपये का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त ओवरलोड माल वाहनों के वाहन स्वामी/वाहन चालक के विरुद्ध प्रिवेन्शन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट—1984 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में कुल 1501 एफ0आई0आर0 प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

18—श्री दीपक पटेल—

ख03रे बुधवार के अता0प्र0सं0—188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जिला पंचायत इलाहाबाद में राज्य वित्त योजना द्वारा निर्मित की जा रही 5 (पांच) सड़कों में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19—श्री बृजेश कुमार—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत इलाहाबाद में राज्य वित्त योजना द्वारा निर्मित की जा रही 5 (पांच) सड़कों में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 31—12—2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

जी हां।

किन्तु पत्र में उल्लिखित पांच सड़कें राज्य वित्त योजनान्तर्गत चयनित नहीं हैं, बल्कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि से चयनित है।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 21–11–2014 द्वारा पांच सम्पर्क मार्गों हेतु अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद एवं सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद की तकनीकी जांच हेतु कमेटी का गठन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय मार्गों पर प्रतिदिन 70 से 75 व्यक्ति सड़क हादसों के शिकार हो जाते हैं के कारण हादसों को रोका जाना

20–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय मार्गों पर प्रतिदिन 70 से 75 व्यक्ति सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं ? क्या सरकार वर्ष 2012, 2013 व 2014 में उक्त मार्गों पर हुए हादसों का विवरण उपलब्ध कराते हुए उसको रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

उत्तर प्रदेश में यातायात निदेशालय से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर वर्षवार स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0–सं0	वर्ष	दुर्घटना	मृत	घायल
1	2012	29,972	16,149	22,155
2	2013	30,615	16,004	23,024
3	2014 (जून, 2014 तक)	15,334	8,249	11,186

सड़क सुरक्षा एक मल्टीसेक्टोरियल कार्यवाही है, जिसमें परिवहन विभाग के अतिरिक्त लोक निर्माण, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा उक्त सभी विभागों को सम्मिलित करते हुये राज्य सड़क सुरक्षा नीति अंगीकृत की गयी है। सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। परिषद् के निर्देशानुसार कार्ययोजना बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के होम्योपैथिक अस्पतालों में दवा और शीशी का अभाव होने के कारण मानक के अनुरूप दवा/शीशी उपलब्ध कराने विषयक

21–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर गोरखपुर मण्डल के होम्योपैथिक अस्पतालों में दवा और शीशी का अभाव है ? यदि हां,

तो क्या सरकार होम्योपैथिक हास्पिटल पर मानक के अनुरूप दवा/शीशी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ए0के0वी0 मार्का ईंट के निर्माता मेसर्स अंश ब्रिक फील्ड से माइनिंग रायल्टी के रूप से विगत वित्तीय वर्षों में कुल कितनी धनराशि की वसूली की गई तथा दण्ड स्वरूप राजकीय वित्तीय क्षति की वसूली किये जाने की मांग

22–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0के0वी0 मार्का ईंट के निर्माता मेसर्स अंश ब्रिक फील्ड, ग्राम पलई कल्यानपुर, थाना–सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में विगत पांच वर्षों से स्थापित फर्म द्वारा विभाग से अनुमति लेकर मिट्टी की खुदायी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त फर्म से माइनिंग रायल्टी के रूप में विगत वित्तीय वर्षों में कुल कितनी–कितनी धनराशि की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त फर्म से दण्ड स्वरूप राजकीय वित्तीय क्षति की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)–

जी हां।

रायल्टी वर्ष 01–10–2010 से 30–09–2011 में रु0 28,465.00, रायल्टी वर्ष 01–10–2011 से 30–9–2012 में रु0 35,670.00, रायल्टी वर्ष 01–10–2012 से 30–9–2013 में रु0 35,375.00 रायल्टी वर्ष 01–10–2013 से 30–9–2014 में 54,320.00 तथा रायल्टी वर्ष 01–10–2014 से 30–9–2015 में रु0 44,855.00 जमा कोष कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में 14 वर्ष से कम आयु में मुक्त किये गये बाल श्रमिकों की जानकारी तथा उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि की जानकारी

23–श्री दलवीर सिंह–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 में 14 वर्ष से कम आयु के कितने बाल श्रमिक चिन्हित/मुक्त कराये गये ? बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं से कितने प्रकरणों में कितनी धनराशि दण्ड स्वरूप वसूल की गयी ? क्या सरकार बतायेगी

कि इन बच्चों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये तथा इन्हें कितनी धनराशि पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजर–

जनपद अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2011–12 में 17, 2012–13 में 12 तथा वर्ष 2013–14 में 31 बाल श्रमिक चिन्हित/मुक्त कराये गये।

बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले दोषी सेवायोजकों से वित्तीय वर्ष 2011–12 में 06 प्रकरणों में रुपये 1,15,805/– 2012–13 में एक प्रकरण में रुपये 9,950/– एवं 2013–14 में 10 प्रकरणों में रुपये 1,83,715/– वसूल किये गये।

उपरोक्त चिन्हित/मुक्त कराये गये बच्चों का शैक्षिक पुनवार्सन कराते हुये उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवेशित कराया गया है तथा समस्त चिन्हित/मुक्त बाल श्रमिकों के परिवार के एक सक्षम वयस्क बेरोजगार सदस्य को शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक पुनर्वासन कराया गया है।

धनराशि वसूली की तिथि के समय चिन्हित/मुक्त बाल श्रमिक की आयु 14 वर्ष अधिक होने के कारण सम्बन्धित बाल श्रमिक के सापेक्ष उसके नियोक्ता से वसूल की गयी धनराशि जो कि बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति के खाते में जमा की गयी है, पर अर्जित ब्याज की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर स्थाई तैनाती का मामला

24–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि प्रदेश के मात्र 01 जनपद में ही जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय पर स्थायी चिकित्साधिकारी तैनात हैं व अन्य सभी पर कार्यवाहक जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष सभी जिलों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर स्थायी तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के विकास खण्ड भोजपुर के अनेकों कच्चे मार्ग का निर्माण कराया जाना

25–सुदेश शर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम बेगमाबाद में मोहल्ला डिफेन्स

कालोनी में साबुन फैक्टरी के सामने नाले के पुल सुभाष दीवान के मकान से देवेन्द्र चौधरी के मकान तक मार्ग कच्चा है एवं उक्त मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे बरसात के दिनों में मोहल्लेवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के 57.50 मी0 लम्बाई में ईंटों का खड़न्जा लगा है, शेष 352.50 मी0 लम्बाई का मार्ग कच्चा है। मार्ग के दोनों और निर्मित मकानों के कुर्सी तल की औसतन ऊंचाई 1.20 मीटर है। मार्ग गहरा होने के कारण 0.90 मी0 ऊंचाई में मिट्टी भराव करने पर सैटेलमेन्ट को देखते हुये तकनीकी दृष्टि से सी0सी0 निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के परम्परागत कांच चूड़ी उद्योग में चूड़ी जुड़ाई के कार्य में मिट्टी के तेल (केरोसिन आयल) का प्रयोग होने के कारण श्रमिकों को आजीविका के लिये उचित

बाजार दरों पर केरोसिन आयल उपलब्ध कराया जाना

26–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के परम्परागत कांच चूड़ी उद्योग में चूड़ी जुड़ाई के कार्य में मिट्टी के तेल (केरोसिन आयल) का प्रयोग होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका के लिये उचित बाजार दरों पर केरोसिन आयल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का प्रयोग प्रकाश/घरेलू प्रयोग के लिये दिया जाता है। उद्योग के लिये मिट्टी तेल की कोई व्यवस्था नहीं है। श्रमिकों को मिट्टी का तेल उनके राशन कार्ड पर उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

के0जी0एम0सी0 तथा पी0जी0आई0 में स्टाफ नर्स की भारी कमी से मरीजों की असुविधा हेतु स्टाफ नर्सों की तैनाती किया जाना

27–श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0सी0 तथा पी0जी0आई0 में स्टाफ नर्स की भारी कमी से मरीजों को इलाज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना

करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए स्टाफ नर्सों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कुल 649 पद स्टाफ नर्स के स्वीकृत हैं, जिसमें 289 पद भरे हुये हैं। स्टाफ नर्स के अवशेष पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में विज्ञापन दिनांक 10–02–2015 के के0जी0एम0यू0 की वेबसाइट पर तथा दिनांक 11–02–2015 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है।

मरीजों के समुचित उपचार हेतु उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से स्टेट मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा धारकों को आउट सोर्सिंग के आधार पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभिन्न विभागों में तैनात कर कार्य लिया जा रहा है।

एस0जी0पी0जी0आई0 में सिस्टर ग्रेड–2 (स्टाफ नर्स) के कुल 719 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 669 पद भरे हुये हैं। अवशेष रिक्त पदों में से 22 पद विकलांग जन हेतु आरक्षित हैं, जिन पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में हृदय रोगियों एवं बाल रोग विभाग में आने वाले मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए मेडिकल कालेज (एडवान्स पेट्रिएटिक सेंटर) एवं कैथलैब की स्थापना पर सरकार का विचार

28–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में हृदय रोगियों एवं बाल रोग विभाग में आने वाले मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए मेडिकल कालेज (एडवान्स पेट्रिएटिक सेंटर) एवं कैथलैब की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य विशिष्टियों में उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तृतीय चरण में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है। वर्तमान में इसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के पुराने भवनों का पुर्ननिर्माण/उच्चीकरण की कार्य योजना की जानकारी

29–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा का भवन जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मेडिकल कालेज की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को सुरक्षित करते हुए इसके आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण कालेज एवं हास्टल के जर्जर भवनों की पुनः मरम्मत नवीन निर्माण एवं उच्चीकरण के लिये कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के पुराने भवनों का पुर्ननिर्माण/उच्चीकरण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में न्यूरो सर्जरी ट्रामा सेन्टर यूरोलाजी बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी तथा पीडियाट्रिक सर्जरी के लिये सुपर स्पेशलिस्टी यूनिट की स्थापना विषयक प्रकरण

30–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में न्यूरो सर्जरी ट्रामा सेन्टर यूरोलाजी बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी तथा पीडियाट्रिक सर्जरी के लिये सुपर स्पेशलिस्टी यूनिट की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य विशिष्टियों में उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तृतीय चरण में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है। वर्तमान में इसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में 1994 बैच के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के शेष 200 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को ही द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ देने की मांग

31–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में 1994 बैच के लगभग 370 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों में से लगभग 170 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को ही द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष 200 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को भी द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05–11–2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शेष चिकित्साधिकारियों की सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति/निदेशक, होम्योपैथिक के प्रस्ताव के आधार पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के पुनर्गठन किये जाने विषयक मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या को पूर्णतया लागू कराने से सम्बन्धित

32–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के पुनर्गठन किये जाने विषयक मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1128/71/आयुष–2/2014–952/97, दिनांक 5 सितम्बर, 2014 का अनुपालन पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस शासनादेश को पूर्ण रूप से लागू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रक्रियात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराकर यथाशीघ्र प्रभावी किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जय प्रकाश चतुर्वेदी, निवासी ग्राम–पल्हहवापुर (परताजीपुर), जनपद–गोरखपुर के पत्र के साथ श्री बंशी सिंह पहाड़िया का पत्र पर जिलाधिकारी गोरखपुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश

33–श्री प्रदीप माथुर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय प्रकाश चतुर्वेदी, निवासी ग्राम–पल्हहवापुर (परताजीपुर), जनपद–गोरखपुर के पत्र के साथ श्री बंशी सिंह पहाड़िया, सदस्य, विधान सभा, बुलन्दशहर का पत्रांक दिनांक 26 जून, 2014 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10476959, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/ पीजी–10695914 दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0 प्र0 शासन को निर्देशित किया गया था तथा उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी, गोरखपुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की आख्या सहित 15 दिन के भीतर अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती–पत्र में उल्लिखित तथ्यों की आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की आख्या जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र दिनांक 18 फरवरी, 2015 के माध्यम से प्राप्त हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक जनपद सोनभद्र के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाना

34–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक जनपद सोनभद्र में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल कितनी संख्या है ? क्या सरकार द्वारा सभी पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजर–

मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक जनपद सोनभद्र के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों की कुल संख्या–9632 है।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली–2012 में निहित शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र ऐसे बेरोजगारों को, जो प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक पंजीकृत रहे हों तथा 31 मार्च, 2013 तक सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने वाले बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

35–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के कस्बा तातपुर का बस स्टैण्ड जीर्ण–शीर्ण अवस्था को देखते हुये बस स्टैण्ड की मरम्मत कराने विषयक

36–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के कस्बा तातपुर का बस स्टैण्ड जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण संचालित नहीं हो पा रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता एवं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

तातपुर बस स्टेशन वर्तमान में संचालित है तथा यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत तातपुर पर 04 बसे दिन में संचालित हो रही हैं तथा 03 बसें रात्रि में रुकती हैं।

परिवहन निगम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बस स्टेशनों की मरम्मत यथा समय करवाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

37—श्री मुकुट बिहारी वर्मा—

खदिनांक 19—02—2015 को अता0प्र0सं0—51 द्वारा उत्तरित,

38—श्री रविन्द्र भड़ाना—

खदिनांक 25—2—2015 को अता0प्र0सं0—181 द्वारा उत्तरित,

मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम फफून्डा से शुरू होकर पूर्व की ओर 69 सरकारी ट्यूबवेल से होकर ग्राम पीपलीखेड़ा में लाला सुभाष के क्रेशर तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का पक्का निर्माण कराया जाना

39—श्री रविन्द्र भड़ाना—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम फफून्डा से शुरू होकर पूर्व की ओर 69 सरकारी ट्यूबवेल से होकर ग्राम पीपलीखेड़ा में लाला सुभाष के क्रेशर तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का पक्का निर्माण जनहित को देखते हुए सरकार कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

प्रश्नगत मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कराने हेतु जिला पंचायत द्वारा भौतिक निरीक्षण कराया गया जिसकी अनुमानित लागत रु0 36.00 लाख है। कार्य को जिला पंचायत की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जिसके उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की सरकार की व्यवस्था की जानकारी

40—श्री लोकेन्द्र सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

जी नहीं।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है, जिनके व्ययभार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 की पंचायती राज की बैठक में निगोही रोड से दौलतपुर जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर नाली का निर्माण कराया जाना

41—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 की पंचायती राज की बैठक में निगोही रोड से दौलतपुर जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर नाली बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में कैंसर के रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुए रोगियों की सुविधा के लिये लीनीयर एक्सलेटर की स्थापना की मांग

42—श्री मनीष असीजा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में कैंसर के रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुये इनके इलाज हेतु आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों की सुविधा हेतु वहां एक लीनीयर एक्सलेटर की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में इस मेडिकल कालेज में लीनियर एक्सलेटर तथा विकिरण सुरक्षा सम्बन्धी नियामक प्राविधान पूर्ण नहीं है।

गोरखपुर से इलाहाबाद वाराणसी जाने वाली रोडवेज बसों की गोला तहसील मुख्यालय से होकर चलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

43—श्री राजेश त्रिपाठी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से इलाहाबाद—वाराणसी जाने वाली रोडवेज बसों को गोला तहसील मुख्यालय से होकर चलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26—6—2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

प्रश्नगत विषय पर पत्र दिनांक 01—07—2014 प्राप्त हुआ है।

पत्र दिनांक 01—07—2014 के संदर्भ में कार्यवाही करते हुए राप्तीनगर डिपो, गोरखपुर क्षेत्र द्वारा गोरखपुर—कौडीराम—गोलाबाजार होते हुए वाराणसी तक प्रायोगिक तौर पर एक सेवा माह अगस्त, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। उक्त सेवा का प्राप्त

संचालन प्रतिफल अत्यन्त न्यून है, जिसके कारण उक्त सेवा का संचालन लाभप्रद नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया आदि अधिकारियों द्वारा कूटरचित प्रपत्र तैयार कर की गई अनियमितताओं के विरुद्ध नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

44—श्री भगवान सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या—1115/ने0वि0द0/ 2014, दिनांक 28—10—2014, जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया आदि अधिकारियों द्वारा कूटरचित प्रपत्र तैयार कर अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रकरण में निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं से जांच रिपोर्ट दिनांक 06—01—2015 को प्राप्त हुई है। तद्क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में माह मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये बिना ही भुगतान किये जाने की शिकायत तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

45—श्री सुनील कुमार सिंह यादव—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में माह मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये बिना ही भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराते हुये खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

जी नहीं, शासन के निर्देशानुसार जनपद सोनभद्र में माह मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक जनपद की 501 ग्राम पंचायतों में कुल 7923 हैण्डपम्प की लघु मरम्मत का कार्य कराने के उपरान्त ही ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

माह मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 तक मिलावटी दूध के पकड़े गये प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

46—श्री सुनील कुमार सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 तक मिलावटी दूध के कितने मामले पकड़े गये तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उसका ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 तक मिलावटी दूध के परिप्रेक्ष्य में की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही में कुल 10366 निरीक्षण तथा 2552 छापों के माध्यम से 3160 नमूने संग्रहीत किये गये। उक्त अवधि में विश्लेषित 2164 नमूनों में से 1081 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। उपरोक्त अवधि में 661 वाद न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी में व 34 वाद न्यायिक न्यायालय में, कुल 695 वाद दायर किये गये। उपरोक्त अवधि में निर्णीत वादों में 250 वाद न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी में व 68 वाद न्यायिक न्यायालय में निर्णीत हुए। निर्णीत वादों में न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी में रु0 67,33,000/– (रु0 सरसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया व न्यायिक न्यायालय में 50 वादों में कारावास का दण्ड व रु0 1,69,000/– (रु0 एक लाख उनहत्तर हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में ग्राम राजगढ़ी से ग्राम त्यौरी तक मार्ग को पक्का कराने की मांग

47–श्री दलवीर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में ग्राम राजगढ़ी से ग्राम त्यौरी तक मार्ग (लम्बाई लगभग 600 मीटर) कच्चा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर खड़न्जा लगवाकर पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां।

जी हां।

ग्राम राजगढ़ी से ग्राम त्यौरी तक मार्ग की लम्बाई 600 मी0 है। राजगढ़ी जनपद अलीगढ़ की सीमा में है तथा ग्राम त्यौरी, जनपद बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत है। जनपद अलीगढ़ के अंश 300 मी0 की लम्बाई की अनुमानित लागत रु0 3.80 लाख है, जिसे दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक खड़न्जा लगवाकर पक्का करा लिया जायेगा।

ग्राम त्यौरी, जनपद बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत 300 मी0 मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम छेरत में निर्माणाधीन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

48–दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम छेरत में निर्माणाधीन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलीगढ़ का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिरौली मोड़ से अराधना गैस एजेन्सी से आगे तक शेष भाग के बीच में अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक

49–श्री कालीचरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिरौली मोड़ से अराधना गैस एजेन्सी से आगे तक शेष भाग का निर्माण बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है जिस पर जगह–जगह गड्ढे हैं जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत निर्माण कार्य को कराने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, आगरा की बैठक दिनांक 18–6–2014 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर किसी भी सदस्य द्वारा कार्य कराने हेतु सहमति न देने के कारण निरस्त कर दिया गया।

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम–2008 को प्रदेश में लागू करके समाचार–पत्र विक्रेताओं को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अधिसूचना जारी करने सम्बन्धी

50–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (द आन आर्गनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्यूरिटी एक्ट), 2008 के अन्तर्गत समाचार पत्र विक्रेताओं को सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं तो क्या उनकी कार्यप्रणाली एवं श्रम को दृष्टिगत करते हुये इन्हें भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

जी हां।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को प्रदेश में लागू किये जाने के उद्देश्य से अधिनियम की राज्य नियमावली प्रख्यापन/अधिसूचित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है। इस नियमावली के प्रख्यापन/अधिसूचित होने के उपरान्त सम्बन्धित योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कालेजों में सुविधा उपलब्ध कराई गई, की जानकारी

51–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों की स्थापना एवं विकास हेतु शासकीय पत्र सं0–3348/71–1–2014, दिनांकित 2 दिसम्बर, 2014 जारी किया है ? यदि हां, तो किन–किन राजकीय मेडिकल कालेजों ने किन–किन विभागों में सुपर स्पेशियलिटी एवं विकास हेतु विवरण अभी तक उपलब्ध कराये हैं और शासन ने उस पर क्या कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है ? यदि इसके लिये क्या कोई बजट आवंटन भी किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य द्वारा मेडिसिन विभाग में सुपर स्पेशियलिटी पल्मोनरी मेडिसन यूनिट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव महानिदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। बजट आवंटन एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य नारायण लाल पुत्र श्री सरजू लाल परिचालक गोरखपुर डिपो से 31 दिसम्बर, 1991 के अवकाश ग्रहण के उपरान्त समस्त देयकों के भुगतान का प्रकरण

52–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य नारायण लाल पुत्र श्री सरजू लाल परिचालक गोरखपुर डिपो से 31 दिसम्बर, 1991 को अवकाश ग्रहण कर लिया है ? यदि हां,तो क्या उन्हें पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त संबंधी देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इतने लम्बे विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

श्री सत्य नारायण लाल पेंशन के पात्र नहीं हैं।

श्री सत्य नारायण लाल को नान पेंशनेबलपद के सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ग्रेच्युटी रु0 47390.75, सामूहिक बीमा रु0 3758.00 तथा अवकाश नकदीकरण रु0 10350.90 का भुगतान क्रमशः दिनांक 26–05–1992, 12–08–1992 एवं 16–01–1992 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

53–श्री दीपक पटेल–

ख्मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया गंगा नदी के किनारे स्थित पचरोखिया व शिवपुर घाट पर इलेक्ट्रानिक शव गृह बनाये जाने की मांग

54–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया गंगा नदी के किनारे स्थित पचरोखिया व शिवपुर घाट पर इलेक्ट्रानिक शवदाहगृह बनाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत कर निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश यादव–

पंचायती राज विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक शवदाहगृह बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है और न ही कोई बजट व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

55–श्री दीपक पटेल–

ख्मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति में अर्हता सम्बन्धी दोहरा मापदण्ड अपनाने का औचित्य

56–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड डेरी, बायो ऑयल टेक्नोलॉजी कृषि, वेटेनरी विज्ञान, बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलाजी, में बैचलर डिग्री किन्तु रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री निर्धारित की गयी है ? क्या यह भी सही है कि लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पद हेतु लिखित परीक्षा (प्री एवं मेन्स) में रसायन विज्ञान के स्नातक को शामिल किया गया था किन्तु परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से वंचित कर दिया गया है यदि हां, तो शैक्षिक योग्यता के इस दोहरे मानदण्ड का औचित्य क्या हैं ? क्या सरकार रसायन विज्ञान के डिग्रीधारकों को इन्टरब्यू से वंचित अभ्यर्थियों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयन हेतु किये गये आन लाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता के कॉलम में ''यस'' का दावा करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सम्मिलित किया गया था। साक्षात्कार के पूर्व लिखित परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावों का परीक्षण/सत्यापन करने पर जो अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते थे, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नियमावली से भिन्न कोई दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की शैक्षिक अर्हता में रसायन विज्ञान में परास्नातक निर्धारित है, अतः उक्त पद हेतु रसायन विज्ञान में स्नातक अर्ह नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद, मिर्जापुर व कलान में खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की मरम्मत कराये जाने विषयक

57—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद, मिर्जापुर व कलान में खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव—

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद, मिर्जापुर व कलान की ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का—2 हैण्डपम्पों की लघु मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत स्तर से करा दिया गया है तथा समय—समय पर लघु मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की खराबी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर तीन दिवस के अन्दर ठीक करा दिये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2014—2015 में सरकार द्वारा धान न खरीदने के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग

58—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2014—15 में सरकार द्वारा धान न खरीदने के कारण किसानों की फसल का बाजार मूल्य बहुत कम हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह—

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2014—15 में सरकार द्वारा 18.18 लाख मी0 टन धान की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत की गयी है, जो गत वर्ष हुई खरीद 9.06 लाख मी0 टन से दो गुना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में अत्याधिक निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने की मांग

59—श्री सतीश महाना—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में अत्यधिक निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड कब तक उपलब्ध करा देगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सभी पात्र निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं झुग्गी—झोपड़ियों में रहने वालों के बी0पी0एल0 कार्ड बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह—

कानपुर महानगर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के निमित्त बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत कुल 60549 राशन कार्डों के लक्ष्य के सापेक्ष शत—प्रतिशत राशन कार्ड प्रचलन में हैं।

बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या बढ़ाने हेतु भारत सरकार से प्रथमतः पत्र दिनांक 30—03—2007 द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 18—05—2007 के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया था। इस बारे में पत्र दिनांक 18—11—2014 द्वारा पुनः भारत सरकार से अनुरोध किया गया, परन्तु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 22—12—2014 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश के लिए 79.56 प्रतिशत तक ग्रामीण और 64.43 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या की कवरेज निर्धारित की गयी है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित किए जाने हेतु आवश्यक तैयारियां प्रक्रिया में हैं, जिसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थितियो के चिन्हांकन का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में चौराहे तथा प्रमुख स्थानों पर बिजली की खपत को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय लाइटों को सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाकर समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराने विषयक

60—श्री सतीश महाना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानपुर महानगर के चौरहों तथा प्रमुख स्थानों पर बिजली की खपत के दृष्टिगत स्ट्रीट लाइटों को सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाकर समुचित व नियमित प्रकाश की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

कानपुर नगर में मा0 सांसद एवं मा0 विधायक गणों की क्षेत्र विकास निधि एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर की क्रिटिकल गैप योजना एवं अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

करायी गयी धनराशि से अब तक 503 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना यूपीनेडा द्वारा कानपुर महानगर में चौराहों तथा प्रमुख स्थानों पर की गयी हैं।

यद्यपि कानपुर महानगर सहित नगरीय क्षेत्रों के चौराहों तथा प्रमुख स्थानों पर बिजली की खपत के दृष्टिगत स्ट्रीट लाइटों को सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाकर समुचित व नियमित प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने के लिये यूपीनेडा की कोई योजना संचालित नहीं है। तथापि नियमित प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम/विकास प्राधिकरण एवं अन्य निधियों द्वारा संयंत्र की पूर्ण धनराशि रु0 23.350/–उपलब्ध कराने के उपरान्त संयंत्रों की स्थापना यूपीनेडा द्वारा करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष–मरणासन्न कैदियों की रिहाई हेतु मैनुअल के अन्तर्गत जिला जेल बलिया में निरुद्ध कैदियों की शेष सजा को माफ करने सम्बन्धी

61–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष–मरणासन्न कैदियों की रिहाई हेतु जेल मैनुअल में कोई प्राविधान है ? क्या यह सत्य है कि जिला जेल, बलिया में कई कैदी ऐसे हैं जो विभिन्न गम्भीर रोगों से ग्रसित होकर मरणासन्न हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी शेष सजा को माफ करके रिहा करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां। प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों जो वृद्ध, अंग शैथिल्य अथवा घातक बीमारी से ग्रस्त अथवा मरणासन्न हैं, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–195, 196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफरमिटीरोल पर समयपूर्व रिहाई का प्राविधान है। संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर भी ऐसे बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का प्राविधान है।

वर्तमान में क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09–07–2014 द्वारा आजीवन कारावासी बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगा दी गयी है, जो अभी भी प्रभावी है।

जिला कारागार बलिया से प्राप्त आख्या दिनांक 10–02–2015 के अनुसार वर्तमान में कोई सिद्धदोष बन्दी गम्भीर बीमारी के कारण मरणासन्न स्थिति में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा फरवरी, 2009 में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट (भेषजिक) के पद पर नियुक्ति/चयन किया जाना

62—श्री दीपक पटेल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा फरवरी, 2009 में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट (भेषजिक) के पद पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञापन किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा फीस के रूप में मांगे गये पोस्टल आर्डर भी भुना लिये गये हैं किन्तु आवेदन पत्रों का निस्तारण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन—पत्रों का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

वेतन समिति 2008 के संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग की सहमति से विभागीय कार्यकारी आदेश दिनांक 23—11—2012 निर्गत किया गया जिसके अनुसार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की शैक्षिक अर्हता परिवर्तित हो गयी है। उक्त के आधार पर उ0प्र0 होम्योपैथिक भेषजिक सेवा नियमावली, 1991 में प्रथम संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है।

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आर0 के0 पैरा मेडिकल कालेज सठियांव, आजमगढ़ में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को वर्ष 2013 की छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना

63—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0के0 पैरा मेडिकल कालेज सठियांव, आजमगढ़ में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को वर्ष 2013 की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव—

वित्तीय वर्ष 2013—14 में जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त आर0के0 पैरा मेडिकल कालेज सठियांव, आजमगढ़ की 19 अनुसूचित जाति एवं 01 सामान्य वर्ग कुल 20 छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धित छात्राओं के बैंक खातों में ई—पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 एवं यथासंशोधित नियमावली, 2013 में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार केवल 2 छात्रों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा सका है। प्राइवेट पेड सीट के अन्तर्गत किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान धानाभाव के कारण नहीं किया गया है। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र

की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रेनीत नहीं होंगी।

जी नहीं। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रेनीत नहीं होंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कपिलेश्वर शुक्ल समाज सेवी द्वारा बस्ती जनपद के रामनगर विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत करौली में निर्मल भारत अभियान राज्य वित्त व मनरेगा अधिनियम के तहत कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों में अनियमितता व शासकीय धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

64–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कपिलेश्वर शुक्ल समाज सेवी द्वारा बस्ती जनपद के रामनगर विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत करैली में निर्मल भारत अभियान, राज्य वित्त व मनरेगा अधिनियम के तहत कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों में अनियमितता व शासकीय धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11–11–2014 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों के सामान्य कोटि के पदों के अन्तर्गत दी गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिला पंचायतों में विभिन्न पदों पर संशोधित ग्रेड वेतनमान लागू किया जाना

65–श्री दलवीर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0–वे0आ0–2–306वी/ दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 31 मई, 2013 विषय वेतन समिति (2008) के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय निकायों के सामान्य कोटि के पदों के अन्तर्गत दी गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिला पंचायतों में विभिन्न पदों पर संशोधित ग्रेड वेतनमान लागू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जिला पंचायतों के कर्मियों को उक्त संशोधित ग्रेड वेतन लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां।

वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में अलग–अलग संवर्गों के लिए अलग–अलग पत्रावली के माध्यम से प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0ख0–सिधौली के अन्तर्गत पिपरिया प्रहलाद में नाला पर पुलिया न होने से पुलिया के निर्माण की मांग

66–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0ख0 सिधौली के अन्तर्गत पिपरिया प्रहलाद में नाला पर पुलिया न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की वर्ष 2014–15 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत सेमराघाट से बरबर तक सड़क का निर्माण कराया जाना

67–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत सेमराघाट से बरबर तक सड़क लेपन स्तर तक नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत की वर्ष 2014–15 की कार्य योजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलित न होने के कारण कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार कराकर केन्द्र को भेजना

68–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, फिरोजाबाद को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार करवा ली गयी है ? यदि नहीं, तो डी0पी0आर0 कब तक तैयार कराकर केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। शासन के पत्र संख्या–भा0स0–10/71–1–15–जी–59/2014, दिनांक 10–02–2015 द्वारा भारत सरकार को प्रारम्भिक आगणन प्रेषित किया गया है।

मेडिकल कालेज हेतु भूमि का चिन्हांकन होने पर विस्तृत आगणन केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ममतेश शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम 301 की सूचनायें हो जाने दीजिये, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे।

ख12.20, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से निम्न 16 सूचनायें स्वीकार की गई :–

पहली सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी स्थित हिनौता मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना, श्री शारदा प्रताप शुक्ला की जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर में नई तहसील के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत प्रमुख जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना पं0 सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना, श्रीमती अराधना मिश्रा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुरजा की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है, श्री खन्ना जी अभी मुझसे कहकर गये हैं कि वह यहीं कही हैं, उनकी सूचना है जनपद शाहजहांपुर में 10 वर्षों से

प्रस्तावित सीवर लाइन के बिछाये जाने के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के विधान सभा अन्तर्गत कप्तानगंज से तमकोही तक प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मौजा ताल रामगढ़ स्थित नाले के अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, (दसवीं सूचना पर अंकित श्री रामहेत भारती का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर) ग्यारहवीं सूचना श्री बहादुर उर्फ शेरू भइया की विधान सभा क्षेत्र धौरहरा खीरी अन्तर्गत गोड़पुरवा–सिंगावर तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, (श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया ने अपनी सूचना को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया) बारहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में गन्ना समिति के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, (श्री अनीसुर्रहमान ने अपनी सूचना को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया) तेरहवीं सूचना सुश्री रजनी तिवारी की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भदार–श्रीमिक मार्ग पर गम्भीर नदी में बने पुल की एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में बन्धे निर्माण हेतु कतिपय ग्रामों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा के तहत तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की सेवा विस्तार कर मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्ढा के पिच मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। चूंकि श्री रामहेत भारती उपस्थित नहीं हैं, इसलिये उनके स्थान पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की सूचना को लिया जाता है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद कौशाम्बी स्थित हिनौता मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज–

ख्महोदय, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत कौशाम्बी–हिनौता मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सड़क निधि से रु0 311.67 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें टोकनमनी थी अवमुक्त कर दी गई थी। अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु सरकार बदलने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। शेष धनराशि आवंटित न होने के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण मार्ग का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मार्ग के निर्माण हेतु सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर में नई तहसील के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

ख्महोदय, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ की सदर तहसील जिसका भवन काफी पुराना हो गया है और टूटता भी है। वहां पर सकरा रास्ता एवं वाहनों का काफी दबाव रहता है जिससे हर समय तहसील के आस–पास जाम की समस्या बनी रहती है। वर्तमान समय में सदर तहसील लखनऊ को देवा रोड पर स्थित लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानान्तरित किया गया है एवं मेरी जानकारी में आया कि नई तहसील का भवन ग्राम भरवारा में बनाया जाना प्रस्तावित है। जो कि सदर तहसील के कानूनगो सर्किल बिजनौर, बंथरा, खुशहालगंज व काकोरी आदि को काफी दूर पड़ जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि जिस तरह मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में मोहनलालगंज तहसील, बी0के0टी0 विधान सभा क्षेत्र में बी0के0टी0 एवं मलिहाबाद विधान सभा में मलिहाबाद तहसील स्थित है उसी प्रकार लखनऊ तहसील को दो भागों में विभाजित कर सरोजनीनगर लखनऊ की तरफ एक नई तहसील का सृजन कर दिया जाए, जिससे तहसील के कार्यों का विभाजन भी हो जायेगा और जनता की समस्याओं का समाधान भी हो जायेगा।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये लखनऊ जिले में एक नई तहसील का सृजन कानपुर रोड की तरफ सरोजनीनगर में कराने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत प्रमुख जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

ख्महोदय, जनपद गोरखपुर के खजनी विधान सभा पूर्वांचल की सबसे पिछड़ी एवं तीन नदियों–आमी, कुवॉनों, घाघरा से खिरा क्षेत्र है। प्रति वर्ष बाढ़ आती है। इस क्षेत्र में कई वर्षों से न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के प्रमुख मार्ग–(1) सोनबरसा–रनियाड़ी मार्ग, (2) बिहारी–मदरिया गंगटही मार्ग, (3) मुड़देवा– गोपियापुर मार्ग, (4) गोपीपुर–दुधरा मार्ग (5) ढेबरा–हाटा मार्ग, (6) राईपुरा–दिलवानपुर–मकरहा मार्ग, (7) माल्हनपार बांसगांव मार्ग, (8) खजनी–माल्हनपार–उरूवा मार्ग, (9) उसरैन–वारी गांव–वनकटा मार्ग

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(10) मकरहा–भमया रातपुर मार्ग अत्यन्त खराब है जनहित में मरम्मत/निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मार्गों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है इन मार्गों पर भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है जिससे क्षेत्रवासियों एवं किसानों को भारी कइिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा चूंकि अब गन्ने का पेराई सत्र भी चालू होने जा रहा है ऐसे में किसानों को बुग्गी व ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा गन्ने को मिल तक पहुंचाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण कई बार किसानों के साथ दुर्घटनायें हो चुकी हैं। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। यह मामला जनहित से सम्बन्धित है। मार्गों की सूची निम्नवत् है :–

1–ब्लाक मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम डबाना में सरकारी स्कूल से चौपाल एवं तेजवीर नेताजी के मकान होते हुये उजैडा वाले मुख्य मार्ग का निर्माण।

2–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम बेगमाबाद के मौहल्ला जगतपुरी में निवाडी रोड से फायर स्टेशन होते हुये मार्ग का निर्माण।

3–मोदी हापुड़ मार्ग स्थित मोदीनगर शमशानघाट के निकट बम्बे की पटरी का मोदीनगर हापुड़ रोड से मोदीनगर कलछीना मार्ग तक निर्माण।

4–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईशाकनगर से ग्राम नाहली तक सड़क निर्माण।

5–एन0एच0–58 काजमपुर गेट से ग्राम दौसा बंजारपुर तक सड़क निर्माण।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने एवं उक्त मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'–

ख्मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर के अन्तर्गत प्रतिवर्ष भीषण अग्निकाण्ड की घटनायें होती रहती हैं, जिसमें जहां व्यापक पैमाने पर चल–अचल सम्पत्ति जलकर नष्ट हो जाती है वहीं बचाव कार्य के अभाव में बहुत से मवेशियों की मौत आग में झुलस कर हो जाती है तथा कभी–कभी लोगों की भी मौत अग्निकाण्ड के दौरान झुलसने से हो जाती है–चूंकि समीप में कोई अग्निशमन केन्द्र स्थित नहीं है अतः जब तक अग्निशमन दल यहां पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण करे,

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तब तक बड़े पैमाने पर धन–जन की हानि हो जाती है, चूंकि थाना उदयपुर जनपद रायबरेली की सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है अतः थाना उदयपुर में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना जनहित में शीघ्र किया जाना अति आवश्यक है जिससे अग्निकाण्ड की घटनायें होने पर समय रहते अग्निशमन दल मौके पर पहुंच जाय और आग पर नियंत्रण कर सके, और पड़े पैमाने पर लोगों की होने वाली क्षति को बचाया जा सके। शासन की नीति के अनुसार वर्ष 2012 में तत्कालीन स्थानीय विधायक श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा 'विधान सभा क्षेत्र विकास निधि' से रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये) की धनराशि जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर में अग्निशमन केन्द्र चलाने के लिये नये वाहन/उपकरणों के लिये जारी की थी, उक्त धनराशि पुलिस विभाग को अवमुक्त भी हो गयी थी थाना उदयपुर में अग्निशमन केन्द्र अभी तक स्थापित न होने से जहां प्रतिवर्ष अग्निकाण्ड में लोगों की बड़े पैमाने पर क्षति हो जाती है वहीं उनके सामने भरण–पोषण की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है–अग्निशमन केन्द्र यहां पर न होने के कारण लोगों में चिन्ता तथा क्षोभ व्याप्त है। जनहित में इस क्षेत्र के लोगों की अग्निकाण्ड में होने वाली क्षति को बचाने के लिये अतिशीघ्र एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ में किया जाना परम आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुरजा की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्मान्यवर,

मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित कराते हुये क्षेत्र के निम्नलिखित अति जर्जर विभागीय सड़कों के शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1–खुरजा–सिकन्द्राबाद मार्ग से नगला मोहीद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग।

2–खुरजा–जेवर मार्ग से सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग वाया ई0जू0 मौजपुर मार्ग।

3–खुरजा–जेवर मार्ग से सिरयाल सम्पर्क मार्ग।

4–बीछट से ककोड सम्पर्क मार्ग।

5–बिचौला मार्ग से धरारी सम्पर्क मार्ग।

6–जहांगीरपुर–माचंड मार्ग से कलाखुरी सम्पर्क मार्ग।

7–खुरजा–जेवर से अरनियां सम्पर्क मार्ग।

8–एन0एच0–91 से ढकपुरा सम्पर्क मार्ग।

9–खुरजा–झाझर सम्पर्क मार्ग से सिकन्द्रपुर मार्ग।

10–खुरजा–पहासू मार्ग से रायपुर मौज्जमपुर मार्ग।

अतः मान्यवर उपरोक्त मार्गों के सम्बन्ध में कार्य कराने का कष्ट करें जिससे इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर में 10 वर्षों से प्रस्तावित सीवर लाइन के बिछाये जाने के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय,

शाहजहांपुर नगर में 10 साल से अधूरी सीवर लाइन बनी पड़ी है, जो रुपया इसमें लगाया गया उसका न तो इस्तेमाल हो पा रहा है और न तो जनता को उसका कोई लाभ मिला। अब वह रुपया भी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। जनहित में शाहजहांपुर नगर में सीवर लाइन का निर्माण पूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि शीघ्र ही इसका निर्माण पूर्ण न कराया गया तो जो कई करोड़ रुपया इसमें खर्च हो चुका है वह भी बर्बाद हो जायेगा। सीवर लाइन न होने से पूरे शहर में गन्दगी का साम्राज्य है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कप्तानगंज से तमकोही तक प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना है जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत बस्ती सदर में बस्ती मेहदावल कप्तानगंज तमकोही मार्ग कि0मी0 7 से कि0मी0 14 तक जनपद बस्ती में आता है कि0मी0 14 से कि0मी0 60 जनपद–सन्तकबीर नगर में आता है जो वर्ष 2014 में स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण चल रहा है लेकिन बस्ती जनपद की 7 कि0मी0 अवशेष मार्ग बहुत ही जर्जर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हैं जिससे आवागमन पूर्णतया बाधित रहता है। बरसात के समय सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार विधान सभा सत्र में प्रश्न के माध्यम से एवं पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उक्त छूटा बस्ती मेहदावल कप्तानगंज तमकोही मार्ग कि0मी0 7 से

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि0मी0 14 तक अवशेष सड़क निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मौजा ताल, रामगढ़ में स्थित नाले के अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला गोरखपुर के शहर के अन्तर्गत मौजा ताल रामगढ़ के अन्तर्गत गाटा संख्या–1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185 के किसान की भूमि सिंचाई हेतु चक नाला रहा है। जिससे उक्त गाटा के किसानों की खेती की सिंचाई होती रही है। वर्तमान समय में चक नाला अवरुद्ध हो गया है। जिससे वहीं के किसानों का आना–जाना भी होता रहा है। वहां प्राइवेट बिल्डर्स ने भूमि खरीद कर किसानों की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर बाउन्ड्री करा लिया है, जिससे किसानों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को भी है, परन्तु किसानों के समस्या का निदान हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी और दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में किसानों के आवागमन हेतु सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।,

विधान सभा क्षेत्र धौरहरा खीरी अन्तर्गत गोड़पुरवा–सिंगावर तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना है मेरी विधान सभा क्षेत्र धौरहरा खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम गोड़पुरवा–राजापुर से सिगांवर तक कच्ची रोड बहुत ही क्षतिग्रस्त है, सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे है, उक्त सड़क पर हजारों लोगों का आवागमन रहता है जो पूर्णता बाधित रहता है एवं क्षेत्रीय किसानों को आने–जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं वर्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उक्त कच्ची सड़क को खड़न्जा/पक्की सड़क के निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में गन्ना समिति के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा 25 कांठ (मुरादाबाद) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर मेरे क्षेत्र की गन्ना समिति कांठ का गन्ना कमीशन लगभग 3.65 करोड़ गन्ना मिल स्योहारा, त्रिवेनी गन्ना मिल, राई नांगल एवं दिवान शुगर मिल, अगवानपुर पर विगत लगभग तीन वर्षों से बकाया है। गन्ना समिति कांठ को गन्ना मिलों से उपरोक्त गन्ना क्रय कमीशन न मिल पाने के कारण क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। गन्ना किसानों द्वारा सुझाये गये एवं मेरे द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य अभी तक नहीं हो सके। जिस कारण क्षेत्रीय जनता एवं गन्ना किसानों में रोष है।

अतः मैं लोक महत्व के उपरोक्त अविलम्बनीय विषय पर गन्ना मिलों द्वारा गन्ना समिति कांठ को गन्ना क्रय कमीशन दिलाये जाने हेतु सदन के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भदार–श्रीमिक मार्ग पर गम्भीर नदी में बने पुल की एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी–

ख्मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भदार से श्रीमिक मार्ग पर गम्भीर नदी पर बने पुल श्रीमऊ की ओर का एप्रोच मुख्य मार्ग से न जोड़कर अधूरा छोड़ दिया गया है। जिससे लगभग 700 मी0 कच्चा मार्ग गड्ढों में कीचड़ भरा रहता है यह इस क्षेत्र का मुख्य मार्ग है। उक्त मार्ग का अतिशीघ्र बनना अत्यन्त आवश्यक है तथा चौसार से श्रीमऊ मार्ग पर करनपुर ग्राम के पास विगत दो वर्षों से 100 मी0 मुख्य मार्ग बाढ़ के कारण लगभग 100 मीटर मार्ग में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे खायीं में बदल गया इस मुख्य मार्ग के कट जाने से क्षेत्रीय जनता/किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्गों से हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहनों का संचालन होता है। उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कई बार शासन/प्रशासन के उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में यथाशीघ्र सड़क मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करती हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में बन्धे निर्माण हेतु ग्रामों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लाल मुन्नी सिंह–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लम्हुइया, बरैनिया, बैदोली, महथा, लेदवा, आदि गांव जो बन्धे के किनारे बसे हुये हैं। इन लोगों का खेत बन्धे में चले जाने के कारण इनको सरकार द्वारा मुआवाजा आज तक नहीं दिया गया है। जिससे यह लोग असन्तुष्ट हैं। इन लोगों द्वारा बार–बार मुआवाजा की मांग की जा रही है। मुआवाजा न मिलने के कारण इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। ऐसी ही स्थिति में एन0एच0 एवं एफ0एन0 के तहत नौगढ़–बढ़ी मार्ग का आज तक रिपेयरिंग/मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे उक्त सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे स्थिति उक्त मार्गों पर आवागमन बाधित है। लोगों का भी सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है अति लोक महत्व का है। क्षेत्रीय जनता में इस बारे में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त प्रकरण पर/उक्त सड़क/बन्धे के मुआवाजा दिलाये जाने की मांग सरकार से करती हूं।,

प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा के तहत तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की सेवा विस्तार कर मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों/ब्लाकों में मनरेगा के तहत तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की तैनाती शासनादेश सं0–3124/38–7–2009–200/ एन0आर0ई0 जी0ए0/09, दिनांक 14–10–2009 के तहत की गई है। नियुक्त सभी कर्मी नियुक्ति की तिथि से लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं परन्तु अभी तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है। शासनादेश दिनांक 14–10–2009 में बार–बार नियमों को अवक्रमित करके शासनादेश को संशोधित करके नियुक्त कर्मियों को बार–बार सेवा विस्तार के नाम पर अथवा आउटसोर्सिंग के नाम पर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परेशान किया जा रहा है। जिससे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों/ब्लाकों में मनरेगा के तहत तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट का मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों/ब्लाकों में मनरेगा के तहत तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की सेवा विस्तार दिनांक 31–3–2015 के बाद योजना के चलते रहने तक सेवा स्थायी करने तथा मानदेय बढ़ाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के पिच मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे–

ख्महोदय,

जनपद कुशीनगर के 329, खड्ढा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भूमिहारी पट्टी से कुर्मी पट्टी, कुर्मी पट्टी से रामबाग तक का मुख्य पिच मार्ग वर्षों से मरम्मतीय कार्य न होने से जर्जर अवस्था में आ चुका है जिससे ग्रामीणों, स्कूली बच्चों के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना नित्य करना पड़ रहा है। उक्त सड़क का मरम्मतीय कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र शिवशंकरपुरी वार्ड में मोहल्ला–बागार्डियान में खाली भू–खण्ड पर पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

ख्महोदय,

मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्र में शिवशंकरपुरी वार्ड में मोहल्ला–बागड़ियान में एक बड़ा भू–खण्ड जो नगर निगम का है और सार्वजनिक है। खाली है, कूड़ा घर बना हुआ है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के आबादी के बीच में स्थित है।

डूडा के द्वारा वहां पर सड़क, मार्ग प्रकाश आदि अन्य सुविधाओं की व्यवस्था तो हो गयी। गरीब लोगों की आबादी है।

उचित होगा कि इस भू–खण्ड पर पार्क विकसित किया जाय। पर्यावरण एवं अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से इस कार्य का होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये नगर विकास विभाग से अच्छा सुविधायुक्त पार्क विकसित करने की मांग करता हूं।,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख12.25 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 मार्च, 2015 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–311 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं को सदन में न सुने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा संसद की कार्यवाही से सम्बंधित विषयों को सदन में उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना श्री पंकज मलिक की उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ श्रीराम ग्रुप के पितारी शुगर मिल, मवाना शुगर मिल तथा नगला शुगर मिल के अचानक बन्द किये जाने की घोषणा से गन्ने की फसल का नुकसान होने तथा किसानों को फसल का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री महाना जी की सूचना पर बहस हो चुकी है इसमें कुछ नहीं बचा है। श्री पंकज मलिक की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–311 की सूचनाओं को सदन में न सुने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली में 311 की व्यवस्था अद्यतन है। किसी भी सार्वभौमिक और आपातिक परिस्थिति में 311 माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से नियमों को शिथिल करते हुये लिये जाने का प्राविधान है यह सदन सामान्यतः नियमों और परम्पराओं से चलता है और इस सदन की स्थापित परम्परा है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी माननीय सदस्य के द्वारा नियम–311 की सूचना दी गई है तो माननीय अध्यक्ष जी उसको सुनने के बाद यदि नियमों के निलम्बन की सहमति नहीं तो नियम–56 में परिवर्तित कर देते हैं। वर्तमान में यहां से मेरा विषय शुरू होता है 311 को बिल्कुल नहीं सुनने की परम्परा स्थापित हो रही है। मेरा यह मत है कि नियम–311 में नियमावली में प्रस्ताव शब्द लिखा है इसका प्रारूप डिफाइन नहीं है कि किस भाषा में किस फार्मेट में वह प्रस्ताव आएगा यदि नियमावली में नियम–311 रहना है तो मेरा आग्रह यह है कि 311 अप्रासंगिक न हो नियमावली का भाग रहे और अनुप्रयोग न हो इसके लिये मैं कुछ उदाहरण देते हुये पिछले जो पूर्व पीठ के निर्देश है।

नियम–311 की किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर पर अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं। सबको सुनना अनिवार्य अध्यक्ष जी के लिये नहीं है लेकिन नियमों को शिथिल करके अध्यक्ष 311 की सूचनाओं पर सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। 22 फरवरी, 1999 को नियम–311 की सूचनाओं को उठाने का प्रयास करते हुए आज के नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने जब कहा कि आज पूरा प्रदेश

मंहगाई से त्रस्त है, इस पर नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा करा लें तो श्री अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी बजट पर सामान्य चर्चा होगी उस समय आप इस बात का उल्लेख कर सकते हैं। मैं तो नियम शिथिल करके अक्सर आपकी बात को सुनने का अवसर देता हूं अतएव वर्तमान में जो नियम–311 है उसी रीति में हमें लेने दें। माननीय अध्यक्ष जी, 86 में ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि नियम–311 में सबको सुन लिया जाय, मैं इससे सहमत हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पीठ का एक और निर्णय है। परम्परा यह है नियम 311 का नोटिस पढ़कर स्वीकार या निरस्त कर दी जाय। दिनांक 13 फरवरी 1992 को प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना की ग्राह्यता के दौरान श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा यह टिप्पणी करने पर कि मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप रोकेंगें तो नियमों के विपरीत रोकेंगें और आज परम्परा तोड़ी जायेंगीं। श्री अध्यक्ष ने यह कहा कि परम्परा यह है कि 311 की नोटिस पढ़कर स्वीकार या निरस्त कर दी जाय ग्राह्यता पर परम्परा जल्दी समाप्त करने की है। माननीय अध्यक्ष जी, 22 फरवरी, 1999 को पुनः स्वामी प्रसाद मौर्या जी वाला प्रकरण है। सदन को चलाने में कोई बिन्दु विचार के लिये उपस्थित हो, उससे संबंधित नियम–311 में यह सूचना आ सकती है। यह भी स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने जब यह प्रयास किया था नोएडा में भवनों के गिराये जाने के सम्बन्ध में उस समय श्री बी0आर0 वर्मा जी ने यह विषय उठाया था और उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि नियम–311 में दो शर्तें हैं, एक तो माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति, और दूसरा जब चर्चा हो रही हो तो प्रस्ताव उसके विचाराधीन हो तो उसे निलम्बित किया जा सकता है। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इन सब दष्टान्तों को देखते हुए जब नियम–311 आपकी नियमावली में है तो मैं और कुछ नहीं, मैं इस पर एकेडमिक बहस चाहता हूं, इसी विधान सभा के माननीय सदस्यों की चाहता हूं । यह भरोसा नहीं है कि कब कौन इधर चला जायेगा, कब कौन उधर चला जायेगा। 311 सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको यह उदाहरण भी दिये हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस पर अनावश्यक रूप से प्रदेश के सर्वोच्च सदन का समय बर्बाद होता है। इसलिये बेहतर है कि इसके सम्बन्ध में कोई स्थायी व्यवस्था बना ली जाय। आपकी अध्यक्षता में एक नियम समिति बनी हुई है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस प्रकरण को, 311 से संबंधित है अपनी नियम समिति को संदर्भित कर दें और इस पर सभी माननीय सदस्य रहते हैं इस पर विचार करके इसके सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया बन जाये जिससे कि अनावश्यक रोज–रोज सदन का समय भी बर्बाद हो और आपको भी असुविधा हो इसलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से 311 को यदि नियमावली में रखा जाय तो इसके लिये नियम समिति में ले जाकर उचित व्यवस्था की जाय अन्यथा 311 को इस नियमावली से हटाया जाय। इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, आपने जितना उद्धरण दिया उसमें 311 तो कहीं मान्य नहीं हुआ केवल यह कहा गया, केवल माननीय वर्मा जी ने यह कहा कि इसके दो

सन्दर्भ हैं, एक तो या तो इसे माना जाय या तो इस पर चर्चा कराई जाय। लेकिन इस नियमावली में 311 में सीधे लिखा है कि अध्यक्ष की सम्मति से। तो जब किसी ने सम्मति दी हो तो बताइये। आपने जितना उद्धरण दिया इसमें तो सम्मति किसी ने दी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो इस नियम को परिवर्तित कराने की बात कह रहे है। जब सारी बातें कहने का अधिकार इस नियमावली में है। नियम–311 इसलिये दिया जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इसे रोक कर हमारी बात सुन ली जाय, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय लेकिन जब नियमों में प्राविधान है तो उसके अन्तर्गत आप अपनी बात रख सकते हैं तो शिथिल करने की क्या आवश्यकता है। शिथिल तब किया जाता जब नियमों में कोई प्राविधान नहीं होता। इसलिये यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है, इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

मैंने आपके सारे तर्क सुने भी और जो आप कह रहे हैं उसको मैंने पढ़ा भी।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 13 फरवरी, 1992 को प्रमोद तिवारी जी द्वारा जो साम्प्रदायिक दंगो के बारे में कहा गया था उसमें पीठ ने निर्देश दिया था कि 311 के नोटिस को पढ़कर..

श्री अध्यक्ष–

पढ़कर निरस्त कर दिया जाए।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

सुनने की भी सहमति नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, यह वह पीठ है जहां से परम्परायें बनती हैं परम्परायें बढ़ती हैं परम्परायें खत्म भी होती हैं इसलिए इसमें जो लिखा है उसी को चलाइए। अलग से कोई बात न करिए।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

हमारा यह कहना है जब परम्परा सुनने की भी है तो आप कृपया एक बार अपनी नियम समिति में विचार कर लें और स्थायी व्यवस्था बन जाए तो इसमें रोज–रोज वहम और बहस का मुद्दा खत्म हो जाएं। एकेडमिक प्रश्न उपस्थित करके, नियम समिति के समक्ष रखकर विचार करके स्थायी व्यवस्था बनाने की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया। आपका कहना यह है कि नियम समिति में ले जाकर इसमें परिवर्तन कर दिया जाए कि जो कोई दे उसे ले लिया जाए।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

बिल्कुल नहीं नियम समिति का जो निर्णय होगा। वह मान्य होगा वह सदन की समिति है।

श्री अध्यक्ष–

जब उसमें ऑलरेडी लिखा है कि अध्यक्ष अगर सम्मति दे तो उसे लिया जा सकता है। फिर नियम समिति में ले जाने का क्या औचित्य है। यह अध्यक्ष के विवेक पर है कि उसकी इम्पोरटेंस कैसी है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पूर्व में मा0 अध्यक्षों द्वारा सम्मति दिए जाने का दृष्टान्त मौजूद है। वर्तमान में धीरे–धीरे यह परिस्थिति निर्माण हो रही है कि उसकी अनुमति नहीं मिलती है सम्मति नहीं मिलती है। तो मेरा यह कहना है आपका निर्णय सर माथे पर है समिति सदन की है इसका जो निर्णय होगा सर माथे पर होगा। एक बार आप कृपा करके अगर इस पर विचार कर लेंगे और कोई एक कार्य पद्धति विकसित कर देंगे तो भविष्य में रोज–रोज का विवाद समाप्त हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं बढ़ा रहा हूं, बना रहा हूं, इसे सम्मति नहीं दे करके, कि इसे अस्वीकार कर दिया जाए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

इसका औचित्य इसलिए है मान्यवर, कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य– संचालन नियमावली में पूर्व से ही नियम–311 के अन्तर्गत सूचना देने का प्राविधान है माननीय अध्यक्ष जी की सम्मति से, तो यह प्राविधान होना ही औचित्य को उचित ठहराता है और अगर इसका औचित्य नहीं होता तो नियमावली में इसका प्राविधान भी नहीं होता तो मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी की जो व्यथा है वह पूरे सदन की व्यथा है। चूंकि प्रायः कभी–कभी, वैसे तो ज्यादातर सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत ही आती है जो भी मामले लोकमहत्व के अविलम्बनीय होते हैं लेकिन कभी–कभी कुछ ऐसी घटनायें होती हैं जो एकाएक हो जाती हैं। यह भी हो सकता है कि उस पर तत्काल चर्चा कराने की आवश्यकता भी होती है तो मान्यवर, पीठ को भी कभी–कभी इसमें सदाशयता इसलिए दिखानी चाहिए कि यह नियम और निर्देश तो पीठ के हैं कानून भी आप ही के निर्देश पर बनते हैं चाहे नियम समिति हो या कोई भी समिति हो, सब आपके अधीन होती है। कोई भी नियम यदि उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्य–संचालन नियमावली में आया है तो कहीं न कहीं उसमें पीठ की सहभागिता है। बिना पीठ के निर्देश के कुछ भी संभव नहीं है और मान्यवर, जब आपकी बनाई हुई ही वह व्यवस्था है तो उसको व्यवहारिक रूप में कभी न कभी, कहीं न कहीं उसको अमली जामा भी देना इसलिए उचित है ताकि पीठ के दिए गए निर्देशों का अपमान न हो। इसलिए मान्यवर, औचित्य है कि विशेष परिस्थितियों में 311 के अन्तर्गत अगर हमारा कोई मा0 सदस्य अपनी कोई सूचना देता है तो उस पर उदारमना से कभी–कभी मा0 अध्यक्ष की सहमति बन जानी चाहिए। सम्मति तो आपके विवेक पर है ही, उसमें हम जबर्दस्ती नहीं ले सकते हैं विवेक तो आपका ही काम करेगा लेकिन वह सम्मति तभी मिलेगी जब आपकी कहीं न कहीं उदारता होगी, सहानुभूति होगी, संरक्षण की भावना होगी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कार्य–संचालन नियमावली में नियम स्थापित किए गए हैं उनके प्रति कहीं न कहीं सम्मान

होगा। यह औचित्य का प्रश्न है यह हम सबकी वेदना है। इस पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि यह आपकी बनाई हुई व्यवस्था है तो उसको व्यवहारिक रूप में कभी–कभी अमलीजामा दिया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, योगेन्द्र उपाध्याय जी, इसमें आपका औचित्य नहीं है आप क्यों उठा रहे हैं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 बाजपेयी जी और मा0 नेता विरोधी दल ने भी इस बात को उठाया है। नियम समिति को ट्रांसफर करने के लिये यह ठीक नहीं है। नियम–311 का प्रावधान नियमावली में इसलिये किया गया था कि कभी प्रदेश में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाये कि सब काम रोक कर इसको सुनना ही जरूरी हो तो प्रश्न आवर के पहले ही नियम–311 में देने का प्रावधान बनाया गया है। इसको हटाने या इसको नियम समिति को सन्दर्भित करने का औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति कभी प्रदेश में पैदा हो जाये जिसमें नियम–311 के अन्तर्गत सुनना जरूरी हो तो आज तक संभवतः प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुयी है। इसलिये नियम–311 में कभी सुनवाई नहीं हुयी है। ऐसी परिस्थिति जब कभी पैदा होगी कि पूरा प्रदेश उस बात से उद्वेलित हो तो नियम–311 में सुना जा सकता हैं इसलिये नियमों में प्रावधान किया गया है। इसलिये मा0 बाजपेयी जी और मा0 नेता विरोधी दल की दोनों बातें जायज नहीं हैं। जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो आप नियम–311 में सुन सकते हैं बशर्ते कभी नहीं सुन सकते हैं। जैसा मा0 नेता विरोधी दल ने कहा कि कोई ऐसी घटना घट जाये। घटना निश्चित हो, अविलम्बनीय हो और महत्वपूर्ण हो, इसके लिये नियम–56 है। बिना सूचना के भी प्रस्ताव इस सदन में लाने का प्रावधान है कि ऐसी कोई विकट परिस्थिति प्रदेश में पैदा हो तो बिना सूचना के भी हम उसको सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिये नियमावली में जब इतना प्रावधान है तो नियम–311 को छूने की कोई जरूरत नहीं है यही मेरा आपसे कहना है।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे बढ़ें, आज बड़ा बजट है। बजट भी है, संकल्प है और नियम–56 बहुत है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, चौधरी साहब ने तो मेरी बात की बिल्कुल पुष्टि कर दी है और यही मेरा भी निवेदन है। वह आपकी व्यवस्था है और आपकी सम्मति कभी–कभी कृपापूर्वक मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आपका यह कहना है कि कभी–कभी सम्मति दे दीजिये। मैंने बाजपेयी जी को सुना और आपको सुना। यह चूंकि इस नियमावली में परिपूर्ण व्यवस्था है। कोई महत्वपूर्ण

घटना है तो उसी सत्र में उसको उठाने का विधान नियमों में है इसलिये इसका कोई औचित्य नहीं है (मेजों की थपथपाहट) जब कोई महत्वपूर्ण सवाल हो और अध्यक्ष को लगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है तो उस पर उन्हें यह अधिकार नियम–311 के माध्यम से दिया गया है कि नियमों को शिथिल करके सुन ले। वैसे सारा प्रावधान है। मौर्य जी, अच्छी बात है कि नियम–56 में ही देते हैं मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने बाजपेयी जी को सुना और मौर्य जी को सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

'श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, इस विधान सभा में इस प्रदेश से संबंधित और विधान सभा के द्वारा जो कानून बनाये जाते हैं जो सीधे सरकार से संबंधित हैं उन विषयों को उठाया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब इसको सुनने के लिये तो कहा नहीं था इस पर तो बड़ी बहस हो चुकी है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। कभी–कभी सुन लिया कीजिये। जैसे कभी–कभी नियम–311 की बात है। मान्यवर, पिछले कुछ दिनों से हमारे पड़ोस में जो कांग्रेस के मा0 सदस्य बैठे हैं उनके पास कोई विषय है नहीं। इनके एक नेता पिछले महीने की 23 तारीख से गुम हैं उनका कोई पता नहीं कि कहां है । वह कब आयेंगे और कब नहीं आयेंगे यह भी नहीं मालूम है।

(कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैंने न तो किसी पार्टी का नाम लिया और न ही किसी नेता का नाम लिया। मान्यवर, ख्ग ग ग,

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात करिये न, किसी नेता के विषय में क्यों कह रहे हैं ? अब मद संख्या–6 लेते हैं।

ख्12.40 बजे, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा विधेयक, 2015[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख12.41 बजे, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब कार्य–स्थगन के प्रस्ताव। माननीय मौर्या जी, आपने जो पहले दिया था और स्थगित करा दिया, कल भी उसे स्थगित कर दिया था।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में आपने कहा था कि मुझे सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बताइये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपापूर्वक हमारे प्रश्न स्वीकार करते हैं। कभी हम प्रश्न पूछते हैं, वह नहीं आते हैं, पहले भी मैंने आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था और आपने कहा था कि देख लेंगे। आज भी मुझे दो ऐसे पत्र, प्रश्न अनुभाग से प्राप्त हुए हैं कि यह प्रश्न उत्तरित कर दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यदि कोई प्रश्न पहले उत्तरित हो गया है तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए क्योंकि काफी पहले से हम देते हैं, उसमें हमारा नाम नहीं होता है, उसमें अन्य माननीय सदस्यों का नाम होता है। अगर उत्तरित माना जायेगा तो हमारा नाम भी कम से कम उसमें जुड़ जाना चाहिए जिससे हम यह मान लें कि हमारा प्रश्न उत्तरित हो गया। हमें आप अवसर दें या न दें, यह आपका अधिकार है, मान्यवर, आज की कार्य–सूची का प्रश्न संख्या–2 जो फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ था। माननीय मनीष असीजा जी ने यह प्रश्न उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण था, उन्हें उठाना चाहिए लेकिन मेरे द्वारा मान्यवर, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के मजदूरों से सम्बन्धित कोई प्रश्न नहीं लगाया गया है। मान्यवर, जो प्रश्न हम लगाते हैं, उसमें तो हमारा नाम नहीं होता है और जो प्रश्न हमने दिया नहीं, उसमें हमारा नाम आ गया। मान्यवर, यह बहुत गंभीर बात है, इसका मतलब प्रश्न अनुभाग उसको गम्भीरता से नहीं ले रहा है। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो हमारे प्रश्न हैं, अगर वह उत्तरित हो गए हैं, तो उन पर हमारा नाम होना चाहिए, बिना नाम के हमारा कोई प्रश्न उत्तरित न माना जाए और पिछले साल के दूसरे सत्र के अन्तर्गत जो प्रश्न उत्तरित हुए हैं, उनको इस बार अस्वीकार कर दिया जाए, यह कहकर कि उत्तरित हो गया है, यह भी मान्यवर, अन्याय है। इस पर कृपापूर्वक आपका संरक्षण चाहिए और इसमें मान्यवर, कोई न कोई अपना निर्णय भी दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम दिखवा लेंगे। हम आपकी बात को समझ गए हैं, हम आपको बुलाकर बात कर लेंगे।

ख12.43 बजे, विधान सभा सत्र के दौरान आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मेट्रो चालन की मीटिंग बुलाये जाने सम्बन्धी प्रकरण

श्री अध्यक्ष–

श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी ने एक सूचना दी है कि आज आगरा विकास प्राधिकरण में आगरा मेट्रो चालन व्यवस्था की सम्भावना को देखते हुए एक आवश्यक बैठक बुलाई है। इसमें जनप्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। योगेन्द्र जी, क्या आपको बुलाने की नोटिस मिली है ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने कल वहां के सचिव, वी0सी0 से बात भी की कि विधान सभा चल रही है तो आप कैसे बैठक बुला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह परम्परा रही है कि जब विधान सभा चलती है तो उन समितियों की बैठकें जिसमें एम0एल0ए0 मेम्बर होते हैं, नहीं होती हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मीटिंग का समय क्या था ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, जब मैंने वहां के सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस सम्बन्ध में वी0सी0 से बात करेंगे। अभी मैंने जानकारी ली तो मालूम हुआ कि बैठक चल रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप कल भी सदन में थे, मुझे अलग से बता देते।

श्री अध्यक्ष–

यह बता रहे हैं कि बैठक चल रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, गलत तो है ही। आपकी तरफ से निर्देश चला जाए कि अगर मीटिंग चल रही है तो मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

आप कहला दें कि यह निर्देश है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ठीक है, मान्यवर।

ख12.45 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13–03–2015 को नियम–300 की एक सूचना नियम–56 में परिवर्तित करते हुए नियम–56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा :–

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री नीरज कुशवाहा मौर्य, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री कालीचरन सुमन, श्री बब्बन सिंह, श्री मो0 इकबाल, श्री अली यूसुफ अली, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री वहाब चौधरी, श्री सुल्तान बेग, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री त्रिभुवन राम, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री उदय लाल मौर्य, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री वेदराम भाटी, श्री जगपाल सिंह, श्री राजेन्द्र, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद पीलीभीत में दिनांक 07–03–2015 को कोतवाली देवरिया के अन्तर्गत नाबालिक किशोरी के साथ गैंगरेप कर मार डालने की घटना सहित प्रदेश के कतिपय जनपदों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की (नियम–300 से परिवर्तित) उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ श्रीराम ग्रुप के पितारी शुगर मिल, मवाना शुगर मिल तथा नगला मन शुगर मिल के अचानक बन्द किये जाने से गन्ना किसानों की फसल का नुकसान व भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री पं0 सुदेश शर्मा, श्री वीरपाल राठी, श्री भगवती प्रसाद की– प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 में अपवाद स्वरूप 20 प्रतिशत सिंचित एवं बहुफसलीय भूमि का अधिग्रहण किये जाने के प्रावधान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना मा0 सतीश महाना जी की प्रदेश के स्कूल एवं कालेजों के पास बिकने वाले मादक पदार्थों के कारण नवयुवकों एव नवयुवतियों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के सम्बन्ध में है (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)। पांचवी श्री बब्बन सिंह के जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा दुलहीपुर में दिनांक 15–02–2015 को भवन ध्वस्त होने की घटना में मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए। वह हो गया इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया। अब देखिए यही जिद करते हैं। मैंने आपका पढ़ दिया वह सदन में आ गया और आप जो कहना चाहते हैं वह बात आ गई। इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इसके बाद छठीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उ0प्र0 के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को चार हिस्सों में बांट कर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है वह दिनांक 16–03–2015 को सुनी जायेगी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :–

श्री जय प्रकाश निषाद, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री प्रदीप चौधरी, श्री दलजीत सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' तथा श्री अनीसुर्रहमान।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष आपने कहा था 10 तक ध्यान आकृष्ट करेंगे। हमारी एक सूचना यमुनापुर की थी।

श्री अध्यक्ष–

अब आज नहीं हो पाई फिर दे दीजिएगा। आप तो नेता हैं वैसे ही बोल लेते हैं सूचना रहे या न रहे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी नियम–56 के अंतर्गत महिलाओं पर लगातार बढ़ते जुल्म–ज्यादती–अत्याचार और उत्पीड़नात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में यह सूचना मैंने प्रस्तुत की है। मा0 अध्यक्ष जी जैसा कि सर्वविदित है और अनेकों बार सदन के अन्दर भी दोनों पक्षों ने मिलकर चिन्ता भी व्यक्त की है। लगातार जिस तरह से महिलाओं पर उत्पीड़नात्मक घटनाएं घट रही हैं वह चिन्तनीय है। अभी मान्यवर, एक ओर तो हम महिला दिवस मना कर महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं उन्हें सम्मान दिलाने की बात करते हैं और हमारी संस्कृति भी है कि 'यत्र नार्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं हम समझते हैं यह सभ्य समाज कभी भी उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता। मान्यवर, अभी जनपद पीलीभीत के देवरिया कोतवाली अन्तर्गत जमुनिया महुआ गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप कर उसे जहर देकर मार डालने की घटना प्रकाश में आई। इसी 7 मार्च, 2015 तारीख को हम लोग सदन में थे। इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेक लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार की भी इस पर तमाम चिन्ताएं आई हैं। 1090 की स्थापना करके इस पर पहल करने की बात थी लेकिन मान्यवर इस बढ़ते अपराध पर किसी भी प्रकार का अंकुश नियंत्रण अभी तक प्रभावी ढंग से नहीं लग पाया है। इसी तरह से जनपद गोरखपुर में बड़हलगंज कस्बे में ही दिन–दहाड़े सास और बहू दोनों को तेजाब डाल कर मारने की कोशिश की गई जिसमें सास की मौत हो गई। इसी प्रकार से एक महिला मुजफ्फरपुर ससुराल से बिजनौर मायके आ रही थी।

श्री अध्यक्ष–

यह बिजनौर वाला आपने भाषण में नहीं बोला है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इन घटनाओं को नहीं कहा है। उसके साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। इसी प्रकार से कानपुर देहात में ग्यारहवीं कक्षा की एक छात्रा का उसके गांव के ही एक दरिंदे ने अपने तीन–चार साथियों के साथ बलात्कार किया। उसके बाद वह पुलिस थाने में गई जहां पर थाने के लोगों ने उसकी एफ0आई0आर0 लिखने से मनाकर दिया तत्पश्चात् उसके अभिभावक एसपी के पास लेकर गए उन्होंने भी थाने के लिए डाइवर्ट

किया। थाने पर जाने के बाद जब उसे डांट कर भगाया गया तो आत्मग्लानि से उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। उसकी एफ0आई0आर0 तब तक नहीं लिखी गई जब तक उसकी अस्पताल में मौत नहीं हो गई। जिस दिन उसकी अस्पताल में मौत हुई गांव वालों ने अपना आक्रोष जाहिर किया तब जाकर उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और अभी भी चार अभियुक्त भागे हुए हैं। मान्यवर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण इसीलिए है कि लगातार हम अपराधियों पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने में कोताही कर जाते हैं या हमारा शासन–प्रशासन ऐसे अपराधियों पर यदि समय पर अंकुश लगा ले तो शायद दूसरे अपराधियों को इसका सबक मिले और इस प्रकार के अपराधों में कमी आए, उस पर रोक लगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप इसे खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी मान्यवर हम इसको इसलिए दृष्टान्त के रूप में देना चाहते हैं ये मात्र–मात्र हमारे इसी सदन में बैठे–बैठे दो दिन के अन्दर की घटना है। कौशाम्बी चरवा थाने में एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसको छत से नीचे फेंक दिया। इस तरह की घटनाओं की बाढ़ इसलिए आयी है क्योंकि कहीं न कहीं अपराधी कानून के शिंकजे से बच जाता है और जब वह कानून के शिंकजे से बच जाता है तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं दूसरी भी बहन बेटियों को उन अपराधियों का शिकार बनना पड़ता है। मान्यवर, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम पूरे देश और प्रदेश में महिला दिवस मना रहे हैं। उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष में किसी पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं है। हम सभी लोग चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। हम सभी उनको हमेशा मातृशक्ति के रूप में पूजते रहे हैं। वह कभी मां कभी बहन के रूप में सदैव वह समाज को आगे बढ़ाने में अपना महती योगदान देती रही हैं। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार गंभीर हो। अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए कोई ऐसी कार्ययोजना बनायी जाये जिससे ऐसे अपराधी कानून के चंगुल से न बच सकें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इसलिए मान्यवर, चूंकि यह लोक महत्व का भी है, अविलम्बनीय भी है और हमारी आधी आबादी से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, कानून में जो व्यवस्था है वह तो बदली नहीं जा सकती। जो हमारा सी0आर0पी0सी0 कहता है उसके तहत ही मुकदमें कायम होते हैं और जिस जुर्म के लिए जो धारायें हैं उन धाराओं को परिवर्तित नहीं किया गया है न किया जा सकता है। उसके लिए यह सदन सक्षम भी नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है कोई भी एक वाकया ऐसा नहीं है जिसमें सरकार ने ऐसे किसी संवेदनशील मामले में तत्परता न बरती हो और जहां तक महिला के सम्मान का सवाल है जाहिर है ऐसे लोग जो ऐसा जघन्य

अपराध करते हैं वह क्या मां को जानें, क्या बेटी को जानें, क्या बहन को जानें। तो उनसे तो यह उम्मीद करना ही बेकार है। उनके लिए तो कड़ा कानून है कड़ी सजायें हैं। आपको मालूम है कि कितनी सख्त सजायें हो गयी हैं और सख्त सजायें दी भी जा रही हैं। स्पेशल कोर्ट्स हैं उसके बावजूद भी इन चीजों में कमी नहीं आ रही है। कमी नहीं आने की बहुत सी वजह हैं। जाहिर है उन पर इस वक्त बहस नहीं हो सकती। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उक्त घटनाओं के बारे में ध्यान दिलाया उसमें किसी तरह की कोताही बरतने का सरकार की तरफ से सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो बार–बार कहता हूं कि इस तरह के मामले किसी राजनीतिक दल किसी सरकार से संबंधित इसलिए नही होते क्योंकि कोई भी सत्ता में हो, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसकी सरकार में ऐसी बातें हों। और ऐसे नापाक लोगों के साथ किसी तरह की रियायत करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोगों के साथ पूरी सख्ती बरती जाएगी और पूरी ईमानदारी से और तत्परता से कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैंने श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है। अतः मैं इसे अग्राहय करता हूं।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में अविलम्बनीय, लोक महत्व का मामला लेकर आया हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज लाखों किसान भूखे मरने के कगार पर हैं। वहां गन्ना किसानों का एक शुगर मिल का एक बड़ा ग्रुप था सिद्धार्थ श्रीराम शुगर मिल। लाखों किसान उससे जुड़ा हुआ था। नगला मन शुगर मिल, तितावी शुगर मिल और मवाना शुगर मिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाखों किसानों के हितों का मामला है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कल उन्होंने कोई निर्णय लिया आज सारे शुगर मिलों के क्षेत्र में एक सूचना दे दी गयी कि मिल आज सुबह छः बजे से बन्द कर दिये जायेंगे। ऐसी दादागीरी। मान्यवर, सरकार कहती है कि किसान वर्ष मना रहे हैं और जब वहां धरना चल रहा था तो सरकार ने रुचि लेकर इसमें गन्ना किसान की मदद करने का काम किया था। लेकिन बड़ी खराब बात है कि सरकार चाहती है, सरकार की मंशा सरकार ने सदन में दिखायी लेकिन उसके बावजूद शुगर मिल मालिकों के ग्रुप पर कोई नियंत्रण न हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जितने लोग यहां बैठे हैं सब कहीं न कहीं किसान परिवार से चुनकर आते हैं। किसान परिवार से इन लोगों के सम्बन्ध हैं। पुराने सम्बन्ध है, मान्यवर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लाखों किसानों की पीड़ा को सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ कार्यवाही करने का काम करें। मान्यवर, किसान को दोहरी मार पड़ी है। पिछले वर्ष टिताबी शुगर मिल पर 90 करोड़ बकाया है इस वर्ष का 150 करोड़। मान्यवर मवाना मिल पर पिछले वर्ष का 120 करोड़ इस वर्ष का 180 करोड़। मान्यवर, नंगला में 9 करोड़ पिछले वर्ष का है और 180 करोड़ इस वर्ष का। दोहरी मार पड़ी है किसान को। मैं आपके माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को कहना चाहूंगा माननीय मुलायाम सिंह यादव जी की ओर देखकर के, निर्णय लें हमेशा जो समाजवाद की व किसान की बात करते हैं। बहुत बड़ी पीड़ा है, आखों में आसूं हैं। लाखों लोग कैसे शादी करेंगे ? मान्यवर, आप खुद किसान हैं आप दर्द जानते है, पीड़ा जानते हैं, कैसे शादी होगी ? कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी ? मान्यवर पैसा नहीं दिया गया और ऊपर से मिल बन्द कर रहे हैं यह तो सरकार के कोई मायने ही नहीं रहे। जो मिल मालिक चाहेंगे, पैसे वाले लोग चाहेंगे उनकी दादागिरी चलेगी। किसान आत्महत्या करेगा, सड़कों पर प्रदर्शन करेगा, भूखों मरेगा, उनकी बच्चियां कवारी बैठेंगी, शिक्षा उनके बच्चों को नहीं मिलेगी। मान्यवर, दलीय राजनीति से ऊपर हट कर मैं हर एक व्यक्ति हर एक माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि सरकार इसे गम्भीरता से लेकर अभी ऐसा कोई कड़ा निर्णय लें कि मिल मालिकों को मिल चलाना पड़े और इससे किसानों के भविष्य के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। उनके अधिकारों को छीना न जा सके। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि तुरन्त कोई निर्णय लिया जाये जिससे लोगों का भविष्य बच सके, गन्ना किसान लुटने से बचे, मरने से बचें। इतना सा अनुरोध आपके माध्यम से करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह आपही के जिले के बगल का मामला है।

संसदीय कार्य, नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)–

सभी को अवगत है कि हमारी सरकार इसके प्रति सचेत है और किसानों का बाकी रुपया भी दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने तिताबी शुगर मिल की बात कही तो मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है कि इनके गोडाउन को सीज कर दिया गया और जहां तक मिले चलाने का प्रश्न है, मिलें बन्द नहीं की जा सकतीं। यह किसानों के और हम सभी के भविष्य का मामला है और इसका हम संज्ञान लेंगे और मिल को चलाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पंकज जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना। मैं इसे अग्राहय करता हूं। श्री सुदेश शर्मा जी एक मिनट में अपनी बात कहें।

'श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस लोक महत्व के प्रश्न पर और किसानों के हितो से जुड़े इस भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून 2013 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। केन्द्र सरकार ने 2013 भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया पूरे सदन में उसकी चर्चा करने का प्रयास किया गया और इसमें कभी कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गयी जो इसमें संशोधन किया गया और जो किसान विरोधी काम किया गया, जिसकी पूरे देश के किसानों ने निन्दा की जहां तमाम दलों ने निन्दा की लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो किसानों की हितैषी बनती है, कमी उसने भी किसानों के प्रति नहीं छोड़ी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसी संशोधन में जो प्रदेश की सरकारों के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था कि अपवाद स्वरूप कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 दिसम्बर, 2014 को अपनी कैबिनट बैठक में यह फैसला लिया है कि 20 प्रतिशत सिंचित भूमि और बहुफसल भूमि जिनको अधिग्रहण कानून बनाया गया था कि उनका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता लेकिन इस सरकार ने अपवाद स्वरूप वह 20 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया।

श्री अध्यक्ष–

भाषण करने का अवसर नहीं है यह।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सिंचित भूमि है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भूमि सिंचित की जाती है, उसका एरिया मात्र 20.5 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश के अन्दर और 20 प्रतिशत आप उसमें से एक्वायर कर लेंगे। यदि किसी जिले में 05 लाख एकड़ जमीन है तो उसमें से एक लाख एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर लेगी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी मांग क्या है ? आप क्या चाहते हैं ? आप सिर्फ यह बतायें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस कानून में संशोधन किया जाय, इस प्रस्ताव पर दोबारा पुनर्विचार किया जाय और इस पर सरकार अपनी ओर से कोई टिप्पणी दे। यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है, बहुत गम्भीर विषय है, इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप जानते हैं कि जो इसमें मांगा गया था, उसके बदले में नया विधेयक वहां आ गया है, अब इसका कोई महत्व नहीं रह जायेगा, इसलिए इसमें अब कोई प्रश्न ही नहीं है, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री बब्बन सिंह चौहान के खड़े होने पर)

चौहान जी, जब मैंने इसको पढ़ कर सुना दिया, तो आप क्या पढ़ेगे ? यह गलत बात है, मौर्या जी आप इनको समझाइये, इनकी सूचना मैंने पढ़ दी, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया। फिर बार–बार उसको कहने की क्या जरूरत है। यह तो आप जबरदस्ती करते हो। आपकी सूचना है कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय विकास खण्ड नियमताबाद के ग्रामसभा दुलहीपुर में दिनांक 15–02–2015 को भवन ध्वस्त होने की घटना में मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इसमें आप यही तो कहेंगे कि इनको आर्थिक सहायता दिलाई जाय। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। सरकार इसमें क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वह इसका उत्तर लिख कर आपको देगी।

ख1.02 बजे, जनपद देवरिया के गोरखपुर–कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार–रुद्रपुर– कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2–कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया–रुद्रपुर– करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक

तथा 3–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भागलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने सम्बन्धी श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष–

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका संकल्प है चर्चा जारी थी, आज इसे खत्म करा दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपके आदेश का पालन होगा। मा0 अध्यक्ष जी आपने हमे हमारे संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, यह संकल्प पहले से ही चला आ रहा है और यह संकल्प हमने जब कुछ वर्षों पहले लगाया था, तो मेरा मकसद यह था कि देवरिया जनपद ही सम्भवतः उत्तर प्रदेश का एक मात्र ऐसा जनपद है जहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और जिन तीन सड़कों का जिक्र किया है, गौरीबाजार–रूद्रपुर–कपरवार घाट, बड़हलगंज तक, कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया–रूद्रपुर–करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग होते हुए सलेमपुर–भागलपुर तथा बलिया तक। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस सरकार को इस बात के लिए अवश्य धन्यवाद देंगे कि इसमें से दो सड़कें सरकार ने डबललेन बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन जो गोरखपुर–देवरिया–सलेमपुर से बलिया तक का मार्ग है, वह जिला मार्ग है और पिछली बार जब यह प्रस्ताव पढ़ा गया था तो मा0 मंत्री जी ने भी इस पक्ष में अपनी बात रखी थी, पुरजोर इसकी पैरोकारी भी की थी। हमारा अनुरोध इस सरकार से यह है कि जो गोरखपुर, देवरिया तक मुख्य जिला मार्गों को जोड़ने का जो निर्णय सरकार का चारलेन बनाने का है, उसमें रिंगरोड देवरिया और सलेमपुर से बलिया तक को चारलेन बनाया जाय, क्योंकि यह भी मुख्य मार्ग है और ये जो आपकी नीति है, उस नीति से कवर होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हो जायेगा। भागलपुर में सरयू पर पुल बन जाने के बाद इससे जो हैवी यातायात है, जो बिहार से आता है, जो बनारस की तरफ डायवर्ट होता है, बहुत दूर से घूम कर आजमगढ़ से दोहरीघाट, गोरखपुर से होते हुए इस इलाके में आता है, 250 किमी0 की दूरी बच जायेगी, यदि यह चारलेन बन जायेगा। तो हम चाहते हैं कि गोरखपुर से देवरिया होते हुए देवरिया शहर के अन्दर से सड़क जाती है, वह बहुत कन्जस्टेड है, तो देवरिया शहर के किनारे–किनारे रिंग रोड बनाते हुए भागलपुर पुल होते हुए बलिया तक के इस मार्ग को चारलेन बनाया जाय, इसका आश्वासन हम सरकार से चाहते हैं। दो सड़कें हो गई हैं, इस संकल्प को आगे हमें कन्टीन्यू रखना नहीं है, लेकिन यह जो इस सरकार की योजना है चारलेन बनाने की वह यथाशीघ्र गोरखपुर से देवरिया होते हुए बलिया तक बनाई जाय और चूंकि देवरिया में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, केन्द्र सरकार की भी नीति है, प्रदेश सरकार की भी नीति है कि हर जनपदों को एक–एक, दो–दो राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाय। भविष्य में यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग टेकअप किया जाय तो सबसे प्रथम प्राथमिकता पर देवरिया जनपद को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का हमारा सुझाव इस सरकार को है। हम सरकार से सिर्फ इतना आश्वासन

चाहते हैं कि मेरी तीन सड़कों में से दो सड़कें देविरिया की बनी हैं। एक गोरखपुर से देवरिया होते हुये बलिया तक फोर लेन हो जाये और जब भी भविष्य में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में टेकअप किया जाये तो देवरिया को अवश्य किया जाये। इस पर हम आपके संरक्षण में सरकार से आश्वासन की अपेक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी इस पर कुछ बोलेंगे। कोई हैं, कौन इस संकल्प को देख रहा है ?

श्री चितरंजन स्वरूप–

मान्यवर, गोरखपुर से सलेमपुर देवरिया का जो मार्ग है, इसको चार लेन का करने का प्रस्ताव हो चुका है। मा0 विधायक जी की यह मांग है कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये। जब भी इस योजना का प्रारूप बनेगा कि किन–किन को करना है तो हम उसको उसके पक्ष में रखेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, जब एक फोर लेन बन रहा है तो देवरिया में रिंग रोड क्योंकि रोड नहीं है। मा0 मंत्री जी रोज जाते हैं बाई रोड, आप पूछ सकते हैं, बहुत कन्जस्टेड है तो हम उस पर कुछ आपका ध्यान आकर्षण चाहते हैं।

श्री चितरंजन स्वरूप–

मान्यवर, देवरिया की रिंगरोड के विषय में मैं मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग जी से आग्रह करूंगा कि उसको भी वह करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपना संकल्प वापस लेंगे न ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, सरकार के इतने आश्वासन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। इनकी नीति है, हमारी रिंग रोड बनाने का आश्वासन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बतायें कि आप वापस ले रहे हैं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, जी, ये काम पूरा हो जाये, हमें आश्वासन मिल रहा है। हम सरकार पर यकीन करते हैं, आपके वक्तव्य पर यकीन करते हैं। इसे पूर्ण माना जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप वापस ले रहे हैं न ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

अब ले लेते हैं, क्या करें, जब आश्वासन दे रहे हैं। जब तीन साल से चल रहा है और इसमें मेरे दो काम हो गये। आप आश्वासन दे रहे हैं इसलिये हम वापस ले ले रहे हैं।

(सदन की सहमति से सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया)

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, अब दसवां पढ़िये।

जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें हमारे संकल्प पर बोलने का और रखने का अवसर दिया। इसके लिये हम आपके आभारी हैं। यह प्रकरण भी कुछ इसी तरह का है। मैं पिछले तीन वर्षों से यह संकल्प लगा रहा हूं कि देवरिया सदर अस्पताल में एक ट्रामा सेण्टर खोला जाये क्योंकि देवरिया जैसा अभी प्रश्न के उत्तर में भी बातचीत हुई है कि इतने ज्यादा घनत्व का इलाका है और कोई भी दुर्घटना होने पर कहीं भी, कोई भी सुविधा नहीं है। देवरिया से लेकर के लखनऊ आना पड़ता है या फिर बनारस जाना पड़ता है। गोरखपुर मेडिकल कालेज में भी अगर इतने एक्सीडेण्ट हो जायें, अचानक कोई अगर दुर्घटना हो तो उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह संकल्प मेरा तीन वर्षों से चला आ रहा है। सरकार ने बहुत प्रयास किया। सरकार ने हमें ट्रामा सेण्टर तो नहीं दिया है लेकिन अभी पिछले दो महीने पहले हमारे इसी संकल्प के आधार पर ट्रामा विंग दे दी है और हमें सूचित भी किया है कि हम यहां ट्रामा विंग खोल रहे हैं। खैर, हम ट्रामा विंग से ही संतोष करते हैं। सरकार ने हमें यह बताया है कि ट्रामा सेण्टर खोलने के लिये जितनी जमीन की आवश्यकता थी उतनी जमीन नहीं मिली। हालांकि उस कैम्पस में उतनी जमीन थी लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उतनी तत्परता या उतनी सतक्रता नहीं दिखाई, लापरवाही दिखाई जिस कारण से हमारा ट्रामा सेण्टर नहीं खुल पाया और वह ट्रामा विंग में कन्वर्ट हो गया। मान्यवर, हम चाहेंगे कि इसमें भी मेरा कुछ काम हो गया है। यह तीन साल से चला आ रहा है और कुछ काम कर दिया है तो वापस ले रहे हैं इस अपेक्षा से कि भविष्य में वहां पर एक ट्रामा सेण्टर जब कहीं जगह मिले इनको तो उसको जरूर बना दें इसलिये हम सरकार का आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, आपने वापस ले लिया बैठिये, बात हो गई। चर्चा जारी रहेगी। आगे 11 भी आप ही का है।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह मैंने पिछले सत्र में लगाया था। आपने हमें अपना संकल्प रखने का अवसर दिया उसके लिये हम आभारी हैं। सबसे कम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में हैं। जब यह सदन शुरु हुआ था तब मैंने एक आंकड़े के साथ एक बात रखी थी जिस पर मा0 शिवपाल यादव जी ने इस बात को रखते हुये सराहा भी था कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, एक गाजियाबाद में है और पूरब में कोई नहीं है। मुश्किल से, कुछ गिनती के, इकाई में इंजीनियरिंग या हमारे टेक्निकल संस्थान पूर्वांचल में हैं। गोरखपुर में उन्होंने एक इंजीनियरिंग संस्था बनाने की बात कही थी जिसे बाद में बनाया। हमारे देवरिया में, कुशीनगर में, बलिया में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में कोई भी ऐसे तकनीकी संस्थान नहीं हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चे वहां पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त पा सकें और बहुत मेधा है पूर्वांचल के बच्चों में। आप देखते होंगे कि हर जगह पूर्वांचल के बच्चे अपनी मेधा से दूसरों को किसी भी क्षेत्र में कठिन से कठिन, तगड़ी से तगड़ी टक्कर देते हैं लेकिन ये बेचारे दूर जाकर पढ़ते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं। उनकी तकनीकी शिक्षा के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में न कोई ऐसा संस्थान है न ऐसा कोई इंजीनियरिंग कालेज है, जिसमें अधिक–से–अधिक वह शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना जो उनका हुनर है, जो उनका मेधा है वह विकसित कर सकें, अपने घर पर रहकर। दूर जाने में, हर परिवार इतना सक्षम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज बजट पर चर्चा होनी है, अगर इस पर चर्चा करनी है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं या आज ही इसको खत्म करा दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिह–

मैं माननीय अध्यक्ष जी, यही चाहता हूं कि यदि सरकार यह आश्वासन दे कि हम पूर्वान्चल में देवरिया में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खुलवा देंगे तो हम इसे समाप्त करने को तैयार हैं, अन्यथा इसे आगे बढ़ाने को तैयार हैं। दो ही स्थितियां हैं या तो सरकार यह कहे कि हम देवरिया में एक इंजीनियरिंग कालेज खोल देंगे या मान्यवर, इसे आगे बढ़ा दें। दो में से एक ही चीज हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

मतदान कराके खत्म करा दे कितने दिन से चल रहा है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मतदान में क्या सरकार इसके विरोध में वोट देगी कि हम वहां विद्यालय नहीं खोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा आगे जारी रहेगी। अब निम्नलिखित संकल्पों को प्रस्तुत किया जाना है जिसमें पहला श्री मनीष असीजा जी का है, दूसरा श्री दलवीर सिंह का है, तीसरा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, चौथा श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत जी का है, तथा पांचवा श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी का है। इसमें श्री दलवीर सिहं और डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी, जल्दी में हैं, उन्हें बहुत जल्दी जाना है। इसलिए मैं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी से

कहता हूं कि वह पहले अपना संकल्प रख दें। आज आप प्रस्ताव रख दें, चर्चा बाद में होगी।

प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।'' मान्यवर, इसमें चर्चा जारी रखें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसमें चर्चा जारी रहेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना की जाय।''

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, चर्चा आगे जारी रहेगी।

नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवायें एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद–फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय।''

महोदय, इस पर 10 मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब आज नहीं, अगली बार जब आएगा तब चर्चा कीजिएगा। आपने प्रस्ताव रख दिया, बहुत है। अभी आपको आगे मौका मिलेगा।

प्रदेश के जनपद उन्नाव की ग्राम सभा ओरहर, पड़रीकला, निबईगैर एहतमाली, कोरारीकला, तारगांव एवं कुलहाबगहा में चकबन्दी अधिनियम की धारा–6 (1) के अन्तर्गत

अनियमित रूप से स्थगित की गई चकबन्दी प्रक्रिया को किसानों के हित में यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के जनपद उन्नाव की ग्राम सभा ओरहर, पड़रीकला, निबईगैर एहतमाली, कोरारीकला, तारगांव एवं कुलहाबगहा में चकबन्दी अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत अनियमित रूप से स्थगित की गयी चकबन्दी प्रक्रिया को किसानों के हित में यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस पर चर्चा आगे होगी।

जनपद देवरिया में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना यथाशीघ्र कराये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–देवरिया में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना यथाशीघ्र करायी जाय।'' माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें संकल्प का प्रस्ताव रखने का इजाजत दी उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। मान्यवर, प्रदेश और केन्द्र सरकार की यह एक व्यवस्था बनी है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज का दर्जा दिया जाए। हमारा आपसे अनुरोध है कि देवरिया के जनपद जिला अस्पताल को मेडिकल कालेज का दर्जा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

ख1.15 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 में वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान है। नेता विरोधी दल बतायें कि इसमें अलग–अलग कटौती का प्रस्ताव रखे जायेंगे कि एक ही साथ कोई रखेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, चूंकि अलग–अलग विभाग है, अलग–अलग अनुदान है, अलग–अलग कटौती का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अलग–अलग रख कर प्रस्ताव करायें। पहले पंचायत रख दें, फिर उद्योग रख दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जैसे उद्योग का एक साथ कर दें, पंचायती राज का अलग कर दें।

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 76,74,34,25,000 रुपये (रुपया छिहत्तर अरब चौहत्तर करोड़ चौतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, महात्मा गांधी जी का सपना था कि हर एक गांव में पंचायत का राज हो और उसके पास पूरी सत्ता और ताकत हो। निःसन्देह देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के समुचित आर्थिक एवं सामाजिक विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि जन आकाक्षांओं के अनुरुप ग्रामों का सर्वांगीण विकास पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही संभव है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्ग दर्शन में पंचायती राज विभाग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 73वें संविधान संशोधन के परिपेक्ष्य में वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये कटिबद्ध है।

पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विभागों से 16 कार्य पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये हैं। विभिन्न विभागों की दस गतिविधियों/योजनाओं हेतु ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनायें तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण एवं परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु धनराशि संक्रमित किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही ग्राम्य विकास के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की धनराशि सीधे पंचायतों को परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

पंचायत स्तर पर सभी कार्यो में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में 6 समितियां गठित कर समितियों की संस्तुतियों के आधार पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में सम्पन्न कराये गये थे। संविधान एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर

सामान्य निर्वाचन कराये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत अब अगले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में नियत हैं। इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के परिसीमन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। तत्पश्चात् पंचायती राज विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था हेतु उनकी जनसंख्या ज्ञात करने हेतु रैपिड सर्वे किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यवाही के बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित सहित प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिये आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन में वर्ष 2015–2016 में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 के लिये चयनित होने वाले ग्रामों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सीसीरोड एवं केसी ड्रेन इन्टरलॉकिंग और टाइल्स की व्यवस्था हेतु 400.00 करोड़ रुपये (रुपया चार अरब मात्र) का आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार वर्ष 2015–2016 में लगभग चार लाख अट्ठारह हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। शेष अन्य चयनित ग्रामों में भी कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2015–2016 में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015–2016 में (राज्यांश व केन्द्रांश) रु0 640.46 करोड़ (रुपया छः अरब चालीस करोड़ छियालीस लाख मात्र) का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत रुपये 209.24 करोड़ रुपया दो अरब नौ करोड़ चौबीस लाख आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अन्त्येष्टि स्थल जो बार–बार आया करता था, अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु रुपया 99. 93 करोड़ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बजट में प्राविधानित किया गया है।

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत प्रदेश के बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को साड़ी एवं वृद्धजनों को कम्बल हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2.00 करोड़ रुपये का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

सफाई कर्मियों के कुल स्वीकृत पद 108848 पदों के सापेक्ष कार्यरत सफाई कर्मियों के वेतन भत्तों आदि के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये 1273.68 करोड़ रुपये (रुपया बारह अरब तिहत्तर करोड़ अड़सठ लाख मात्र) का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र वित्त पोषित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में विकासात्मक कार्यों के लिए क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में रु0 773.38 करोड़ रुपये (रुपया सात अरब तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख) का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2015–16 में राज्य निर्वाचन गांव पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों का निर्वाचन होना है। आयोग के माध्यम से होने वाले पंचायती राज चुनाव व्यवस्था हेतु 425. 00 करोड़ रुपये तथा अधिष्ठान में रु0 13.63 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल रु0 438.63 करोड़ रुपये (रुपया चार अरब अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र) का प्राविधान किया गया है।

पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चौदहवां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये रुपया तैंतीस अरब बत्तीस करोड़ दो लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है यह नया काम हम लोग लेकर के सरकार ले करके आई है।

जनपद अम्बेडकरनगर के लोहिया भवन के अवशेष निर्माण हेतु रु0 6.8882 करोड़ रुपये (रुपया छः करोड़ अट्ठासी लाख बयासी हजार मात्र) का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्प्रमों व अन्य ग्रामों में स्नानागार का निर्माण जो हम पहले बनाते हैं उसके साथ स्नानगृह की भी व्यवस्था हम 5–6 जनपदों में करने की व्यवस्था कर रहे हैं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 10.72 करोड़ रुपये (रुपया दस करोड़ बहत्तर लाख मात्र) का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

क्लीन एण्ड ग्रीन यू0पी0 मिशन यह बिलकुल नई योजना है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है, जिसके लिए रू0 2.00 करोड़ रुपये (रुपया दो करोड़) मात्र टोकेन मनी के रूप में प्राविधानित किया गया है इसको आगे देख कर और बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी।

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को जिनकों हम पंचायत सेक्रेट्री कहते हैं उनके पास लेखा जोखा करने के लिए कोई उपकरण नहीं था तो हमारी सरकार ने इस बार व्यवस्था किया है इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में उनको टैबलेट दे करके हम इनको सुसज्जित करेंगे ताकि वह ग्राम पंचायतों के हिसाब और व्यवस्था को सही और दुरुस्त रख सके और उसको समय पर उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार कुल 8135 टैबलेट्स हेतु रु0 5.30 करोड़ रुपये (रुपया पांच करोड़ तीस लाख मात्र का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार आयोजनागत मद के राजस्व मद में रु0 2877.5004 करोड़ तथा पूंजीगत मद में रु0 561.7720 करोड़ रुपये एवं आयोजनेत्तर मद में रु0 4089.6219

करोड़ रुपये इस प्रकार कुल रु0 7528.8943 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 7528.8943 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

मान्यवर, वर्तमान सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मूर्तरूप देने के लिये कटिबद्ध है तथा उन्हें अधिकाधिक अधिकार देने तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट प्रस्तुत करता हूं मैं माननीय सदन से माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, जनता का सीधे–सीधे इसमें इनवाल्व है और जनता की भलाई के लिए इस बजट को सहयोग के साथ सर्वसम्मति से पास करने का कष्ट करें।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में युवा कल्याण भी है आपका आदेश हो तो।

श्री अध्यक्ष–

आप भी रख दीजिए।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग में युवा कल्याण विभाग का बजट भी सम्बद्ध है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर अपने विभाग की अपनी बात रख लूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के परिप्रेक्ष्य में खड़ा हुआ, चूंकि हमारा युवा कल्याण विभाग इसका एक पार्ट है और इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, प्लान और नान प्लान दोनों मिलाकर रुपये 169.9948 करोड़ का युवा कल्याण पर हमारा बजट है। युवा कल्याण और प्रान्तीय रक्षक दल विभाग दोनों गांव से संबंधित हैं और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव की प्रतिभायें आगे नहीं बढ़ेगी और जब तक गांव नही आगे बढ़ेगा, तो केवल शहरों से तरक्की नहीं हो सकती। मान्यवर, हमारा जो गांव है खेत, खलिहान है इसकी जब तक तरक्की नहीं होगी, तब तक दुनिया में हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। शहरों में केवल 20 प्रतिशत नौजवान रहते हैं 80 प्रतिशत नौजवान हमारे गांव में रहते हैं। जब तक हम इनको खेल–कूद, शारीरिक क्षमता और विभिन्न तरीके का प्रशिक्षण नहीं देगें तब तक हमारा देश दुनिया में न तो पदक ला पायेगा और न ही देश की सीमायें सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जिस देश की शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, सेहत अच्छी रहती है, उस देश की सरहद भी सुरक्षित रहती है और हमेशा वह देश भी सुरक्षित रहता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत हमारे यहां युवक मंगल दल भी गठित होता है, और महिला मंगल दल भी गठित होता है। प्रदेश में 35395 हमारे युवक मंगल दल हैं और 14633 महिला मंगल दल है। मान्यवर, इस तरीके से हम अपने इन्हीं संगठनों के द्वारा युवा महोत्सव मनाते हैं। हमारी जो तमाम सांस्कृतिक धरोहरे हैं, जो हमारी गायन कला हैं, वह भी हम अपने गावों में ही विकसित करते हैं। आज गांव की हमारी संस्कृति में एक तरीके से शहरीकरण होता जा रहा है और शहर गांव की संस्कृति को एकदम समाप्त करते जा रहे हैं, जब तक हमारे गांव की लोक कलायें, संस्कृति, खेलकूद विकसित नहीं होंगे तब तक हमारे गांव का स्वरूप अच्छा नहीं बनेगा। इसी के तहत प्रदेश में हमारे तमाम स्टेडियम हैं जहां हमारे नौजवान खेलते हैं। इस समय वर्तमान में हमारे 63 स्टेडियम हैं और 07 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं, जो जनपद बलिया, बाराबंकी, जौनपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, अम्बेडकरनगर और आजमगढ़ में बन रहे हैं। हमारे यहां नौजवानों का गांव से लेकर ब्लाक स्तर तक चयन होता है, इनकी प्रतियोगितायें होती हैं, इसके बाद जिले स्तर पर प्रतियोगितायें होती हैं, जिले से फिर प्रदेश स्तर पर होती हैं और राष्ट्रीय स्तर से हमारे खिलाड़ी ऊपर जाते हैं। खेलकूद में हमारे प्रदेश के नौजवानों ने नाम रोशन किया है। हमारे यहां दस विधाओं में खेलकूद होता है जिनमें हॉकी, फुटबाल, बालीवाल, एथलीट, जूडो, कबड्डी, टेबुल टेनिस, कुस्ती, तीरंदाजी और भारोत्तोलन है। यह खेल की विधायें ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के गांवों से लड़के खेल करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाते हैं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। हमारे यहां नौजवानों को राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें पुरस्कार दिये जाते हैं, हमारा जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर आता है उसे एक लाख और जो रजत पदक लेकर आता है उसे पचास हजार का पुरस्कार दिया जाता है। हमारे खिलाड़ी अभी राष्ट्रीय खेलों में 13 पदक लेकर आये हैं, जिसमें पांच स्वर्ण पदक हैं और अभी जो खेल हो रहा है उसमें फिर जाने वाले हैं। इसी तरह से हमारा जो युवा कल्याण और प्रान्तीय रक्षक दल है, इसके जो पी0आर0डी0 के नौजवान हैं वह समय–समय पर देश के लिये काम आते हैं और आपातकाल के उसके लिये हमेशा तैयार रहते हैं। सामाजिक संस्थाओं में इनको जहां भी उपयोग किया जाता है एक फोर्स की तरह हमारे प्रान्तीय विकास दल जो पी0आर0डी0 के नौजवान होते हैं । इस तरीके से हमारा युवक मंगल दल और पी0आर0डी0 के नौजवान हमारे प्रदेश के विकास के लिये काम आते हैं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिये उत्तम काम किया है। 161 करोड़ रुपया दिया है, उससे हमारा प्रान्तीय विकास दल और युवा कल्याण विभाग तरक्की करेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, यह पंचायती राज का बजट है, इस पर थोड़ा ज्यादा समय दिया जायेगा लेकिन आज बहुत बजट है। इसलिये इसको बहुत लम्बा नहीं खींचा जायेगा, इसमें लगभग दो घंटे का समय रहेगा, इसलिये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वह 5–5 मिनट में अपनी बात रख लेंगे। अब माननीय दीपक पटेल जी कटौती का प्रस्ताव रखें।

'श्री दीपक पटेल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में पंचायती राज विभाग पर मुझे कटौती प्रस्ताव रखने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह जनता से जुड़ा विभाग है, इससे हमारी सहमति है। मान्यवर, आज लोकतंत्र के इस माहौल में, जम्हूरियत के इस माहौल में हम लोग इस मंडप के नीचे बैठे हैं। उसके पीछे हम इतिहास में जायें तो हमारे हजारों वर्षो की गुलामी इसके पीछे छिपी है। मान्यवर, मैं आपके निर्देश के क्रम में बहुत कम समय में अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, बड़े लम्बे संघर्षो के बाद, बड़े त्याग और तपस्या के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, हम लोग आजाद देश की आबोहवा में सांस लेने के लिये उपस्थित हुये तो हम सबकी सामूहिक चिन्ता थी कि देश की प्राथमिकता क्या रखी जाय। उसी क्रम में मान्यवर, हम सभी लोगों ने यह तय किया कि आजादी से पहले समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, समाज का दबा कुचला मजलूम जो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में इंसान होकर भी इंसान से भी बदतर जिन्दगी जीने को मजबूर था, उसको समाज की मुख्य.....

(इस समय 1 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 धर्मसिंह सैनी पीठासीन हुए)

धारा में जोड़ने का, उसको मान स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करने की हमारे संविधान में प्राथमिकता तय की गयी । इसीलिये हमारे संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस लोकतंत्र को इस जम्हूरियत को संघीय ढांचे की प्रणाली से मुक्त किया और पंचायती राज व्यवस्था का समावेश करते हुये पूरे देश के अन्दर इस व्यवस्था को उद्धरित करने का काम किया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह पंचायती राज की व्यवस्था केवल व्यवस्था ही नहीं थी, यह केवल अधिनियम और कानून ही नहीं था बल्कि यह आम आदमी का शासन में, प्रशासन में और सरकार में दखल का एक प्रयास था। मान्यवर, इस व्यवस्था के माध्यम से हमने एक ऐसा वातावरण बनाया कि गांव से लेकर जिले तक माननीय जनप्रतिनिधियों की एक बहुत बड़ी फौज सामने रखी जो हमारी समस्याओं को जान सके और उसका सकारात्मक निराकरण कर सके। लेकिन जिस उद्देश्य से यह व्यवस्था हमारे देश के अन्दर बनायी गयी, संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस उद्देश्य से यह व्यवस्था दी, पिछले कुछ वर्षो में यह देखा जा रहा है कि धनबल, बाहुबल और निरंकुश गैर–जवाबदेह नौकरशाही की वजह से इस व्यवस्था के सारे स्तम्भ और आम आदमी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गयीं। आज बड़ा दुःख है कि जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को हमारे संविधान ने अंगीकार किया था आज वह नकारात्मक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रही है। मान्यवर, यह पुस्तिका हमें बजट के साथ मिली है यह विभाग से सम्बन्धित है, यह पुस्तिका तो बड़े कम शब्दों में है लेकिन इसमें प्रदेश के बजट का बहुत भारी हिस्सा है। मान्यवर, पृष्ठ एक पर हम जाते हैं जिसमें समुचित प्राक्कथन है इस पुस्तिका में, इसमें विभिन्न विभागों की 10 गतिविधियों योजनाओं का विवरण है। इसके प्रथम पेज पर मान्यवर ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। दूसरे पृष्ठ से मान्यवर मैं शुरुआत करता हूं इन्होंने लिखा है दूसरे पैरा में कि जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का अध्यक्ष नामित किया गया है साथ ही जिला पंचायत अधिनियम में की गई व्यवस्थानुसार ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जिला पंचायत के पदेन अधिकारी के रूप में रखे गये हैं। जिला पंचायत के अध्यक्षों को जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का अध्यक्ष तो बना दिया गया लेकिन मान्यवर, वित्तीय और प्रशासनिक किसी तरह के कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब तक डी0आर0डी0ए0 जिसे जिला ग्राम्य विकास अधिकरण कहते हैं, उसके अध्यक्ष जब जिलाधिकारी हुआ करते थे तब सारे वित्तीय अधिकार उनके पास रहा करते थे। नाममात्र के लिए मान्यवर, जब जिला पंचायत अध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया ग्राम्य विकास अधिकरण के अध्यक्ष बनने का तो मान्यवर, सारे वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार ले लिये गये। उनका अधिकार सिर्फ शासकीय निकाय की बैठक में जाना और एक औपचारिकता करके 6 महीने में एक बार चला आना रह गया है। डी0आर0डी0ए0 से जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई लेना–देना नहीं है। यह संस्था जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, इसके माध्यम से हम सभी के काम होते हैं, विधायक निधि के काम होते हैं, सांसद निधि के काम होते हैं, इसकी स्थिति बहुत खराब है, यह भी जवाबदेह नहीं है। इसके दूसरे पैरा में मान्यवर पंचायत स्तर पर कार्यों के लिए इन्होंने 6 समितियों की बात की है। समितियां तो हैं मान्यवर, मैं पंचायत राज मंत्री को बताना चाहता हूं कि जिला पंचायतों के लगभग चार साढ़े चार साल के कार्यकाल पूरे हो गये हैं, आप पता कर लें कि इन समितियों की कितनी बैठकें आज तक जिला पंचायतों में सम्पादित हुई हैं और इन समितियों में चाहे स्वास्थ्य समिति हो, चाहे शिक्षा समिति हो, इसमें जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं उनकी कितनी उपस्थित सुनिश्चित हुई है, इसका आप संज्ञान ले लें और पता कर लें। आपने लिखा है कि 5 प्रतिशत अंश राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की कुल करों की शुद्ध आय का 5 प्रतिशत अंश पंचायतों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, यह ठीक है कि पंचायतों की करों में हिस्सेदारी दी जा रही है लेकिन मैं मा0 पंचायती राज मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 74 वें संविधान संशोधन में प्रदेश में रेवेन्यू स्टैम्प से जो आय होती है उसका दो फीसदी भाग नगर निकायों को, नगर पंचायतों को, नगर महापालिकाओं को और नगर निगमों को जाता है। मान्यवर, जो संस्तुतियां थीं जिसका आपने जिक्र किया है ग्रामीण क्षेत्र में जो रजिस्ट्री होती है जो स्टैम्प ड्यूटी से हमें आय होती है उसका दो फीसदी भी पंचायतों को दिये जाने की संस्तुति वित्त आयोग ने मान्यवर की है, यह अभी तक प्रभावी नहीं हो पाई है। मान्यवर, अब तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत धन का विवरण दिया गया है। मान्यवर, इसमें बहुत बड़ी विषमता है मैं बताना चाहूंगा कि तेरहवें वित्त आयोग का धन जिला पंचायतों को उपलब्ध

कराया जाता है उसी क्रम में एक अनुपात में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को भी धन दिया जाता है। मान्यवर, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में कहीं कोई बॉट नहीं है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वह अपने मन से इस धन को खर्च करते हैं लेकिन मान्यवर, जब जिला पंचायतों की बारी आती है तो तेरहवें, बारहवें या फिर जो अब चौदहवां आने वाला है इसके प्रस्ताव वहीं से आते हैं, योजना वहीं से बनती है लेकिन स्वीकृति देने का काम शासन स्तर पर होता है इससे अनावश्यक विलम्ब होता है और योजनाएं देर से शुरू होती हैं। मान्यवर, इसी के चौथे पैरा में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का जिक्र आया है इसमें जनपद स्तर पर जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन जिला स्वच्छता समिति की बात कही गई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह समिति सिर्फ कागजों पर है, इसलिए आप इसका भी संज्ञान ले लें, इसकी भी जानकारी ले लें कि जिला स्वच्छता समिति के कितने वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार हैं, इनकी मीटिंग कब होती है, इसमें कौन से अधिकारी सम्मिलित होते हैं और कितने जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर इस स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्य कराये जाते हैं। मान्यवर, आखिरी पेज पर यह काम आपने अच्छा किया है, यह जो व्यक्तिगत शौचालय बना रहे थे इसकी राशि बढ़ानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये, माननीय अध्यक्ष जी ने 05 मिनट का समय दिया था, उससे ज्यादा हो गया है।

श्री दीपक पटेल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं, यह अन्य सदस्यों के लिए था, इसलिए कृपा बरतें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अधिष्ठाता जी, यह कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मा0 सदस्य हैं, इनका समय 05 मिनट नहीं है इसलिए इस पर विचार कर लें।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, इसकी लागत तो आपने बढ़ाई है लेकिन आप शौचालयों पर नजर डालेंगे तो बड़े पैमाने पर इस योजना का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिए अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मांग करूंगा कि एक कमेटी बना कर इसका स्थलीय भौतिक सत्यापन कराने जायेंगे तो बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता सामने आयेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद पृष्ठ–संख्या–4 पर हम आते हैं, 'निर्मल भारत योजना' का इसमें जिक्र है इसमें बहुत भारी–भरकम धनराशि 65,774 लाख तकरीबन 650 करोड़ के आसपास धनराशि इसमें गयी है और जनवरी माह तक सिर्फ 24,521 लाख ही इस योजना पर खर्च हो पाये हैं, जो दी गयी धनराशि का मात्र 40 प्रतिशत है। मार्च का महीना है अगर इसमें त्वरित रूप से धनराशि खर्च नहीं किया जायेगा तो काफी पैसा इसमें अवशेष पड़ा रह जायेगा और लाखों लाभार्थी इससे वंचित रह जायेंगे। डा0 राम मनोहर लोहिया, समग्र ग्राम्य विकास योजना की बात आयी है यह बहुत अच्छी योजना है इसकी शुरुआत हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी ने की थी।

आपने नाम बदलकर इसको अनवरत जारी रखा है और वह एक आईना भी है केन्द्र सरकार का जिन्होंने एक आदर्श ग्राम नाम की योजना बनायी है और एक रुपये का भी प्राविधान सरकार के स्तर से उन्होंने करने का काम नहीं किया है। इस योजना से हमें शिकायत है माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण कई बार लोहिया ग्राम की बात सदन के अन्दर कह चुके हैं कि इसमें विधायकों की संस्तुति ली जायेगी, उनका भी विचार लिया जायेगा लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है पिछले 03 साल में मेरी संस्तुति पर एक भी गांव का चयन नहीं किया गया है इसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। मान्यवर, अब नीचे सफाई कर्मचारियों का जिक्र है इसके लिए मैं बधाई दूंगा अपने नेता को उन्होंने अपने कार्यकाल में एक लाख सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम किया लेकिन प्रदेश की आबादी के परिपेक्ष्य में सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, इसको बढ़ाये जाने की जरूरत है। पृष्ठ संख्या–05 के दूसरे पैराग्राफ में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में बातें कही गयी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014–15 में इसके लिए 2,622 लाख का बजटीय प्राविधान किया गया है और 87 पंचायत भवनों के निर्माण की बात कही गयी है। मान्यवर, हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, देश की सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है और 87 ग्राम पंचायत बहुत कम हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसे हैं जहां या तो पंचायत भवन नहीं हैं और हैं भी तो बड़ी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। आपने इसको बढ़ाया तो है लेकिन इसको और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अब आते हैं 'बी0आर0जी0एफ0' पर। पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु 35 जिलों में यह योजना चल रही है उत्तर प्रदेश के अन्दर। पिछले साल बहुत भारी–भरकम धनराशि इस योजना के अन्तर्गत दी गयी, 85,717 लाख तकरीबन 850 करोड़ रुपये के आस पास बनता है लेकिन दुर्भाग्य है कि धनराशि दिये जाने का तो विवरण है लेकिन खर्च का कोई विवरण इस पुस्तिका के अन्दर उपलब्ध नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है इस पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और यह पैसा वापस चला गया केन्द्र सरकार के पास। यह बहुत ही दुःखद स्थिति है पूरे प्रदेश के लिये इतनी भारी भरकम धनराशि जो आम आदमी के लिये, जो प्रदेश के विकास के लिये आई थी वह किन्हीं कारणों से पुनः केन्द्र के पास वापस चली गई। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में इसके लिये फिर से करीब 800 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। हम अपेक्षा करते हैं कि माननीय मंत्री जी इसमें व्यक्तिगत रूचि दिखायेंगे, तत्परता दिखायेंगे और इस धनराशि को जरूर खर्च कराने का काम करेंगें। मान्यवर, पांचवें पैराग्राफ में वर्ष 2015–2016 के लिये राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान का जिक्र मान्यवर किया गया है। जिसमें वर्ष 2014–2015 में बहुत बड़ी रकम मान्यवर, 26,556 लाख मतलब 265 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है बड़ा भारी प्राविधान है इस योजना के अन्दर, लेकिन यह योजना है क्या ? इस योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है नहीं तो यह भी दिखावे की रह जायेगी कहीं इसका सदुपयोग नहीं हो पायेगा मान्यवर। हम स्वंय भी इससे नावाकिफ हैं कि यह योजना है क्या ? और हम समझते हैं कि इस सदन में बैठे हुए बहुत सारे सदस्य इस योजना से वाकिफ नहीं होंगे। मान्यवर, आठवें पैराग्राफ में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास की बात कही गई है। बड़े जोर शोर से पिछले बार

बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी मान्यवर, और वर्ष 2014–2015 में तकरीबन 100 करोड़ रुपये का ही प्राविधान भी किया गया था। लेकिन यह पुस्तिका कहती है कि मान्यवर, कि एक भी रुपया इस योजना के अन्तर्गत खर्च नहीं हुआ है और दोबारा फिर इसके लिये इस योजना में 90 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पुराना पैसा ऐसे ही बचा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस योजना में मान्यवर, हम सबको भी सम्मिलित करें, हम लोगों के प्रस्ताव भी ले लें क्योंकि वास्तविकता यह है कि सही जानकारी जनप्रतिनिधि ही दे सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि इस योजना में माननीय सदस्यगण विधान सभा की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम करें। मान्यवर, भाग–1 के पृष्ठ तीन पर आते हैं जिसमें भूमिका का जिक्र किया गया है। एक बहुत बड़ी बात, बहुत सारी चीजें तो हैं ही सामने, एक बहुत बड़ी बात जो क्रम संख्या–3 पर कही गई है। चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर स्थानीय निकाय को अनुदान दिया जायेगा। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं मैंने चौदहवें वित्त आयोग की रिकमेन्डेशन्स अभी कल ही पढ़ी है। इसमें 14वें वित्त आयोग में यह प्राविधान किया है कि जो भी धनराशि आप शासन स्तर से देंगे उसमें जिला पंचायतों को मुक्त रखा जायेगा, उनको यह धनराशि नहीं दी जायेगी, ऐसा अखबारों में भी आया है मान्यवर। मैं बताना चाहूंगा मान्यवर, कि खर्च करने के लिहाज से जिला पंचायत बहुत ही विश्वसनीय एजेन्सी है क्योंकि उनके पास जे0ई0 हैं, इंजीनियर्स हैं, एक ढांचा है, टेन्डर्स होते हैं और चौदहवें वित्त आयोग में यह सिफारिश की है, संस्तुति की है, निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है तो मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि इसको जिला पंचायत से विमुक्त मत करियेगा। जिला पंचायत में इसको जरूर सम्मिलित रखियेगा। मान्यवर, इसके बाद पेज–4 में पुनः सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की धनराशि का जिक्र है मान्यवर। इसमें भी सिर्फ 40 फीसदी ही खर्च हो पाया है जनवरी माह तक। यह भी बहुत दुःखदायी है मान्यवर। मान्यवर, एक बात और आपने अपने बजट भाषण के दौरान कही और किताब में भी जिक्र है कि हम पंचायत भवनों में जो ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी हैं उनके रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। मान्यवर, व्यावहारिकता यह है इसके पीछे कि आज वर्तमान में जितनी भी ग्राम सभायें हैं उनके अनुरूप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नहीं हैं। एक–एक सेकेट्री के पास 10–10 ग्राम सभायें हैं तो पहली प्राथमिकता हमें प्रत्येक गांव में सचिव की नियुक्ति की होनी चाहिए तब ही इस आवास का उपयोग हो पायेगा मान्यवर नहीं तो एक सचिव कितने आवास में रहने का काम करेगा। मान्यवर, बहुत सारी बातें हैं मान्यवर, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं कुछ आवश्यक तथ्यों पर आपका ध्यान, जो पंचायतों से संबंधित है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

मान्यवर, पंचायत उसकी स्थितियां, उसके उद्देश्य के बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा कि पंचायती राज अधिनियम की धारा–29 में जिला पंचायतों के अध्यक्षों को हटाये जाने का प्राविधान है मान्यवर, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जनता से चुनकर आते हैं लोकतंत्र का वह भी एक हिस्सा है और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा मान्यवर, कि राजनीतिक विद्वेषवश या किन्हीं कारणोंवश अध्यक्षों को तो हटा दिया जाता है लेकिन उनके साथ जो

सम्मिलित लोग हैं चाहे वह अपर मुख्य अधिकारी हों चाहे इंजीनियर हों, चाहे अभियन्ता हों, आप रिकार्ड उठाकर देख लें कभी किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं तो चाहूंगा मान्यवर, कि आवश्यकता इस नियम को ही खत्म कर देने की है जो जनता से सीधा जुड़कर आए उसका फैसला जनता करने का काम करे। हमारे शासन को यह हक नहीं है उनके बारे में कोई निर्णय लेने का। मान्यवर, एक चीज और जिलों के मुख्य विकास अधिकारी जो होते है जिनको हम सी0डी0ओ0 कहते हैं वह जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं उनकी चरित्र पंजिका में अपना मत लिखने का अधिकार और कई शासनादेश शासन स्तर से भी जारी किए गए हैं जो जिला पंचायत अध्यक्षों के हैं। आप पता करा लें पिछले पांच साल में किसी भी मुख्य विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका में किसी भी जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर कोई प्रविष्टि हो तो मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूं मान्यवर, प्रोटोकाल के सम्बन्ध में बहुत सारे शासनादेश आपके द्वारा निगर्त किए गए हैं जनपदों में, लेकिन कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है खासकर जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मान को लेकर, एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मान्यवर, पिछली बार बजट में हमारे पुराने आदरणीय मंत्री जी ने तहबाजारी को खत्म करने की घोषण की थी मान्यवर, स्वागत योग्य कदम था लेकिन तहबाजारी क्या है जिला पंचायत की प्रमुख आय में से एक है, जब से तहबाजारी खत्म हुई है जिला पंचायतों में हाहाकार की स्थिति है न तो तनख्वाह मिल पा रही है, जिनके आर्थिक संसाधन मजबूत नहीं हैं उनको न तो तनख्वाह मिल पा रही है न ही पेंशन मिल पा रही है तो हम चाहेंगे अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कि मा0 मंत्री जी इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करें। उन कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन के लिए अलग फंड की व्यवस्था करें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देते हुए, बहुत से सुझाव हमने दिए हैं अभी बल दे रहे हैं अगर आप हमारे सुझावों पर सहमति और सम्मति जता देंगे तो वापस भी ले लेंगे। बहुत–बहुत आभार आपका।

'श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पंचायत विभाग की कटौती पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश की 70 परसेन्ट आबादी गांव में निवास करती है। गांधी जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि गांधी जी का हृदय गांव में निवास करता था। चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा में यह कहा था कि तब तक भारत देश का विकास नहीं हो सकता जब तक हम गांव की गलियों से गुजर कर न चलें, गांव की गलियों का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसी गांधी जी की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जब संविधान का गठन किया गया उसमें नीति निदेशक तत्वों के चालीसवें अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई। धीरे–धीरे जैसे–जैसे समय बदला उसके हिसाब से आपने इस पंचायत व्यवस्था में बदलाव भी किए। सबसे मजबूत व्यवस्था आपने 73वें 74वें संशोधन के बाद, आपने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो लागू की। उसे आपने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में पूरी तरीके से ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने की कोशिश की है और यह कोशिश की है कि पंचायतों को उनके अधिकार दिये जायें। ग्राम सभा अपने स्तर पर अपने संसाधनों के द्वारा ग्राम का विकास कर सके, ग्राम सभा का विकास कर सके और क्षेत्र पंचायत को अधिकार दिये कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में विकास किया जा सके, चाहे रोड का काम हो, चाहे शौचालय का काम हो, चाहे सफाई व्यवस्था का काम हो। जिला पंचायत को आपने पूरे जिले के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध करवाया। इसके लिये हम अपनी सरकार के बहुत–बहुत आभारी भी हैं, लेकिन जैसे–जैसे यह व्यवस्था आपने मजबूत की, जैसे–जैसे आपने इसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया, वैसे–वैसे इसमें कुछ कमियां भी आईं, चाहे वह ग्राम स्तर पर हो, चाहे वह क्षेत्र स्तर पर हो, चाहे वह जिला पंचायत स्तर पर हो। आज आलम यह है चाहे हम एक छोटे से गांव के प्रधान का भी हम उदाहरण लें तो ग्राम पंचायत में भी कई लाख रुपये खर्च करने के बाद प्रधान चुना जाता है और मैं समझती हूं कि क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में तो पूरी तरीके से बाहुबलियों और धनबलियों का कब्जा है। आज बिल्डर और प्रापर्टी डीलर जिला पंचायतों में कब्जा जमाये हुये हैं और उनका एक मात्र लक्ष्य है कि किस तरीके से हम लोग इन पर कब्जा करें और जिला पंचायत की जो बेशकीमती जमीनें हैं उन पर किस तरीके से, क्योंकि वह लोग व्यापारी हैं, कब्जा करके उस पर व्यापार किया जाये। आपकी इतनी बेशकीमती जमीनें हैं इतनी पुरानी परिसम्पत्तियां हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं कि बुलन्दशहर की जो एक इतनी पुरानी परिसम्पत्ति जिला पंचायत का गेस्ट हाउस बहुत ही सुन्दर बना हुआ था उस परिसम्पत्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया और वहां पर मॉल बनाया गया। आपकी एक जमीन जहां पर आपकी जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी निवास करते थे, 800 गज जमीन का जो झगड़ा था उसे 8 बीघे जमीन मुफ्त में दी गई। मेरा आपसे निवेदन है इसमें आप जांच करवाइये, क्योंकि यहां पर प्रदीप कुमार जो अब सी0बी0आई0 के द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं अपर मुख्य अधिकारी रहे हैं। जब मैंने शिकायत की, नियम–51 के द्वारा आपसे अधिसूचना मांगी तो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि आपके जो अधिकारी हैं बड़े अधिकारी हैं प्रमुख सचिव तक, उन्होंने सिर्फ उसी से जवाब लेकर हम लोगों को और इस सरकार को गुमराह करने का काम किया। मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये। मान्यवर, गांधी जी का सपना था कि गांव में बैठ करके पंचायतों के द्वारा सारे समाधान किये जाने चाहियें, लेकिन अब पंचायतें बहुत स्मार्ट पंचायतें हो गयी हैं। अब वह पंचायत जैसी हम लोग पहले सोचते थे वैसी नहीं रह गयी हैं। आज हर पंचायत यह चाहती हैं कि मेरे गांव में सी0सी0 रोड हो, मेरे गांव में नालियां हों, मेरे गांव में लाइट हो, 24 घंटे मुझे लाइट मिलनी चाहिये और रोड पूरी तरीके से अच्छी हो। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करती हूं कि आपने इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा प्रयास किया है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं। सरकार ने 75 अरब से ज्यादा का जो बजट हमें अभी पढ़कर सुनाया है जिसमें लिखित रूप से दिया गया है। आपने गांवों के लिये खर्च करने का जो मन बनाया है उसके लिये बधाई, क्योंकि आपकी जो योजना है चाहे वह लोहिया समग्र ग्राम योजना हो और दूसरी आपकी मण्डी के द्वारा जो जनेश्वर योजना है उसके तहत मैं समझती हूं कि गांव में ज्यादा से ज्यादा

काम होंगे, मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूं, एक तो आपने उसमें एक लिमिट सीमा बांध दी है कि 29 लाख तक ही सी0सी0 रोड बन सकती है। मैं आपसे निवेदन करती हूं, चाहे जनेश्वर मिश्र योजना में, चाहे समग्र विकास योजना में जो भी गांव लें, उसे पूरी तरीके से डेवलप कराकर दें, पूरी तरह से विकसित करायें। होता क्या है, जनेश्वर मिश्र योजना में आप आधा काम करवा देते हैं, गलियां बाकी रह जाती हैं, क्योंकि गांवों में जरा–जरा सी बात में झगड़े शुरू हो जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि जितना काम आपने करवाया है, उसमें तो श्रेय देंगे नहीं, अपनी गलियों का रोना, रोना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जो अनुरोध मैंने किया है, इस पर विचार करें। मान्यवर, आपने शौचालयों के लिए जो पैसा बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। यह भी कहना चाहूंगी कि गांव में ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनने चाहिए क्योंकि जो भी क्राइम होते हैं, वह रात के अंधेरे में जब बच्चियां घर से निकलती हैं, उसी समय ज्यादा होते हैं। मैं इसमें आपसे निवेदन करती हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो सके। अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूं कि मा0 मंत्री जी मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। मान्यवर, आपने सचिवों को जो टैबलेट देने का निर्णय किया है, उसके लिए भी बधाई है लेकिन मैं साथ–साथ यह कहना चाहती हूं कि उनके प्रशिक्षण के लिए भी बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, हम लोग उसमें कुछ सुधार कर सकें, जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में तो अच्छा होगा या तो आप जनरल चुनाव करवा सकें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम पार्टी के सिम्बल से चुनाव करवाये जाने चाहिए। जिस तरीके से लोक सभा और विधान सभा में चुनाव करवाये जाते हैं। पार्टी के सिम्बल से अगर चुनाव करवाया जायेगा तो उसमें जो यह पैसे का बल है, वह कम हो जायेगा। जो लोग चुनकर जायेंगे, वह पार्टी के आधार पर चुनाव करेंगे, तो कम से कम सिम्बल के आधार पर चुनाव करवाये जाने चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री राम पाल यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 पंचायती राज मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, जैसा कि हमारे मा0 मंत्री जी ने शुरू में ही कहा है कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है और गांवों के लिए हमारे नेता सतत् प्रयासशील रहते हैं। इस बार हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी किसान वर्ष मना रहे हैं। उसी तरह से हमारे मा0 मंत्री जी ने भी अपने शुरुआती सम्बोधन में कहा है कि 78 प्रतिशत जनसंख्या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जब तक उसका विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा और जब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा और हमारे ही माननीय नेता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था सबसे पहले निष्पक्षतापूर्वक लागू करने का काम किया था। उसी को बढ़ाने का काम आज हमारे मुखिया मा0 मुख्य मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी कर रहे हैं। पंचायतों के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खुला हुआ है, कहीं भी किसी भी योजना के अन्तर्गत हो, कोई भी योजना पंचायतों में अधूरी नहीं पड़ी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने और हमारे मुखिया मा0 अखिलेश यादव जी ने जो सोच ग्रामीणों के प्रति रखी है, क्षेत्र में पंचायत की व्यवस्था की है, यह एक अद्वितीय पहल है इसका हम स्वागत करते हैं समर्थन करते हैं और मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं मा0 मंत्री जी आपके विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है आप उदार भी बहुत हैं लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि गांव के प्रधान के पास एक सेक्रेटरी हैं दस प्रधान उसके पास जाते हैं वो ऐसे बस्ता लगाकर बैठते हैं जैसे पढ़ने गए हों और सेक्रेटरी साहब कहते हैं प्रधान जी अपना बस्ता ले आइए हम आपका पहले चेक कर लेते हैं। मैं आपसे यह विनम्र अनुरोध करूंगा कि चाहे आप उसी की कंटिजेंसी से ही या किसी अन्य व्यवस्था से अधिकारियों की कमी को पूरा कर देंगे तो हमारे गांधी जी का लोहिया जी का सपना बिल्कुल साकार हो जायेगा। आपकी नीतियां बहुत अच्छी हैं आपकी नीयत बहुत अच्छी है सरकार बहुत अच्छी है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कर्मचारियों की है पूरे विभाग को देख लीजिए चाहे वह डी0डी0ओ0 हों चाहे वह ए0डी0ओ0 हों चाहे वह जिला पंचायत के अधिकारी हों चाहे ग्राम विकास अधिकारी हों इनकी बहुत कमी है। इनकी कमी को आप पूरा कर देंगे तो आपकी योजनाएं पूरी तरह से सक्षम होंगी सफल होंगी और उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तम प्रदेश की सरकार बनेगी। इन सभी प्रयासों से हम लोग दोबारा आपके सहयोग से वापस आएंगे और यह सभी लोग जो विधवा विलाप करते हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। जय हिन्द जय भारत।

'श्री बब्बन सिंह चौहान–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं पंचायती राज विभाग का आज प्रस्ताव रखा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह गरीबों की किसानों की नौजवानों की सारी समस्याएं ग्राम सभा से जुड़ी हैं। इन ग्राम सभाओं के विकास के लिए सरकार ने अपनी जो नीति और जो बजट बनाया है यह बहुत अच्छा है जो बजट बना लेकिन यह बजट का पैसा सही जगह पहुंचे इसके लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किए हैं क्योंकि पिछले वर्ष मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को सबको अवगत कराया था कि जिला पंचायत जो ग्राम सभाओं का पैसा जिला पंचायत और ब्लाकों के द्वारा ले लिया जाता है जैसे बी0आर0जी0एफ0 का पैसा ग्राम सभाओं का पैसा तीन साल से जिला पंचायत ले रही है और यह छोटा–छोटा पैसा ले कर बड़े पैमाने पर केवल घोटाला कर रही है। इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। ग्राम सभाओं में विकास को रोकने का काम कर रही है। इसके लिए मैंने पत्र लिखा और आज तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ। जिला योजना में मैंने मा0 मंत्री जी को कई बार अपने विचारों से अवगत कराया लेकिन उस पर भी मा0 मंत्री जी का कोई विचार नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ। इस तरह की बड़ी–बड़ी घटनाएं जिला पंचायत में हुई हैं ब्लॉक में भी हुई हैं जिसे मैंने नियमों में भी लिया है और इसे लिखित रूप में भी मा0 मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी को दिया लेकिन ग्रामसभाओं की समस्याओं को इस लूट–घसोट से रोकने के लिए भी हमारी सरकार के पास कोई तरीका नहीं है इस पर कोई विचार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। यह किसानों मजदूरों गरीबों से जुड़ी हुई समस्या है। इस पर विचार करने की बात होनी चाहिए। मैं अपनी विधान सभा की कुछ ज्वलंत समस्याओं को कहना चाहता हूं। जल निकासी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर ग्राम सभा में हो रही है। जल निकासी की समस्या बनने के कारण सतपोखरी में जो घटना हुई जिसमें एक नवनिर्मित मकान गिर जाने से तेरह लोगों की जानें गई थीं उसी ग्रामसभाओं में पांच सौ ऐसे मकान हैं जो जल निकासी के कारण चारों तरफ से डूबे हुए हैं।

माननीय मंत्री जी, उसका संज्ञान ले लें और उसकी जांच करा लें और उसमें तत्काल कार्रवाई कराने की मैं मांग करता हूं। जिले से जिलाधिकारी का प्रस्ताव भी आया है उसका पैसा निर्गत कराकर इन ग्रामसभाओं का काम करा दें। जिससे उन ग्रामसभाओं को बचाया जा सके, कोई घटना–दुर्घटना को होने से रोका जा सके। मान्यवर, मैंने इसको लिखकर भी दिया है आपको भी लिखकर दे देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामसभाओं में समग्र लोहिया ग्राम का कार्यक्रम जो चल रहा है और सरकार इसके लिए अपना बहुत प्रचार–प्रसार भी कर रही है। मान्यवर, वहां आज 25–50 हजार रुपया लेकर अपात्र लोगों को आवास देने का काम हो रहा है। जिसकी मैंने लिखित शिकायत दी है। पिछले साल उन चयनित हुयी ग्रामसभाओं को आप दिखवा लें। इससे बहुत बड़े पैमाने पर जनता में रोष व्याप्त है। अगर आप इसको रोकने के लिए कार्यवाही नहीं करेंगे तो आप विकास के नाम पर जो ढिंढोरा पीट रहे हैं यह आगे आपके लिए ही सरदर्दी बनेगा। यह समग्र लोहिया ग्राम और समाजवादी पेंशन योजना, यह दोनों योजना आपकी बहुत अच्छी योजना है लेकिन यह योजना आज लूट–खसोट की भेंट चढ़ रही है। इस पर आप अंकुश लगायें और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिला पंचायतों के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर लूट–खसोट हो रही है। मा0 मंत्री जी बैठे हैं, आप चन्दौली जनपद में किसी भी बिन्दु के एक प्रकरण पर जांच करा दें तो अगर हमारी कोई बात असत्य निकलेगी तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जनता के बीच में जाये उसका जनता को लाभ मिले। मान्यवर, ब्लाक और जिला पंचायत में हमारे जनपद में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और हो रहा है। अगर इसको रोकने का काम सरकार नहीं करेगी तो अगर आगे कोई बड़ी बात होती है तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल निकासी और रोड की जो समस्या ग्रामसभाओं में है उस पर विचार होना चाहिए। उन ग्रामसभाओं में हमारे 80 प्रतिशत नौजवान किसान, गरीब, मजदूर सभी लोग रहते हैं। उनके विकास के लिए ग्रामसभाओं का विकास होना बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ग्राम पंचायत मेम्बर, बी0डी0सी0, प्रधान, ब्लाक प्रमुख बनने का मौका मिला। मैं कोई चीज खामी के तौर पर नहीं कह रहा। मा0 मंत्री जी बड़े समझदार और ज्ञानवान हैं। लेकिन अभी हमारे एक साथी सदस्य ने जो बात कही। जैसे सरकार ने प्राइमरी स्कूलों की तरफ गंभीरता से काम किया है लगभग दो लाख शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया। केवल पंचायत में सचिव के पद भर दिये जायें तो श्री राम गोविन्द चौधरी जी से आप आगे निकल जायेंगे नहीं तो अभी आगे यह चल रहे हैं। इन्होंने स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के मामले में लाजवाब काम किया है। दूसरी बात, पंचायतों में उप प्रधान की वाइस चेयरमैन की जिला परिषद् में उप प्रमुख की व्यवस्था थी लेकिन सरकार के बहशीलेपन के कारण वह भेंट चढ़ गयी और उसका रिजल्ट यह आया मा0 मंत्री जी कि एक साल में अविश्वास की व्यवस्था और कर दी गयी। क्योंकि मैं उस समय रहा हूं जिस समय इन प्रकोपों से बचा जा सकता था। आज इतना बुरा हाल है कि एक साल बाद बी0डी0सी0 के मेम्बर और जिला परिषद् के मेम्बर इस तरह जिला परिषद् चेयरमैन को विकास को बाधित कर देते हैं अविश्वास की बात करते हैं यदि उसका कार्यकाल दो साल का कर दिया जाये और वाइस चेयरमैन और प्रधान की व्यवस्था कर दी जाये तो इस तरह के गलत इरादे रखने वाले लोगों की नियत पर ब्रेक लगेगा और रही ग्राम विकास की बात दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे खाद्य और रसद मंत्री बैठे हैं इनके डिपार्टमेन्ट में भी कमी है, तो उसकी पूर्ति कर ली जाये। सेक्रेटरियों पर बोझ है, मतदाता सूचियों का राशन कार्ड का। 08–07 गांवों में एक–एक सेक्रेटरी है, प्रधान बचता नहीं है उसके घर जाते हैं। उसने वेतन पर प्राइवेट वेतन पर 04–04 लड़के रख रखे हैं और वह इस तरह पैसा मांगते हैं, प्रधान का काम नहीं करते, मैं भी प्रधान रहा हूं और मैंने प्रधान होकर, अपने को सेक्रेटरी को सेक्रेटरी समझा और मैंने पटवारी को पटवारी समझा और मैंने अपने को एल0एम0पी0 का चेयरमैन लेकिन आज सेक्रेटरी चेयरमैन हो गये हैं, प्रधान सेक्रेटरी हो गये हैं। बड़ी दुर्दशा है, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जिस तरह के0डी0ए0 जिस तरह प्राधिकरणों में 02 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क का पैसा प्राधिकरण वसूलते हैं रजिस्ट्री आफिस से जाता है उनके लिए इस तरह ग्राम पंचायतों को भी उसकी होने वाली रजिस्ट्री शुल्क का पैसा दिया जाये ताकि ग्रामों का विकास हो सके। साथ में भट्ठा मेरे गांव में है, दुकान मेरे गांव में है, जिला परिषद् का क्या योगदान है सारी उसकी वसूली जिला परिषद् करता है उसमें पंचायत का भी कुछ अंश होना चाहिए और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी पकड़ है लेकिन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ा प्रोत्साहन किया जबकि हमारे नेता राजीव गांधी ने इस देश में नहीं दुनिया में महिलाओं को, पिछड़ों को पंचायत राज के माध्यम से जितना बड़ा सम्मान दिया वह बात भी मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है आपके माध्यम से पंचायत मंत्री पर कि सेक्रेटरी, बी0एल0डब्लू, ए0डी0ओ0 की भर्ती के बारे में पंचायतों को मिलने वाले, उसके अंश के बारे में निश्चित ही सरकार गौर करेगी। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं पंचायत राज मंत्री जी से मिला और एक बड़ी चूक, या कोई बेबसी सरकार के सामने रही होगी। हमारे बसपा के लोग बैठे हैं, तत्कालीन सरकार ने सफाई कर्मचारी के नाम पर जिस तरह भर्ती की और जिस तरह लेन–देन हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। उसमें एक गल्ती और हुई यह जाति विशेष का मुद्दा नहीं है लेकिन हमारे बाल्मीकि समाज जो सबसे पिछड़ा माना जाता है उसके अधिकारों का कुठाराघात किया और मेरा भाई बी0ए0 पास, झाड़ू में भर्ती कर दिया। कुछ लेकर किया या नहीं लेकर किया, भर्ती कर दिया लेकिन मेरा भाई झाड़ू लगाने नहीं जाता है। मैं पंचायत मंत्री जी से मिला मैंने कहा कि इनके ट्रांसफर की हलांकि मैं गया तो था अपने एक मित्र के ट्रान्सफर के लिए लेकिन मंत्री जी ने बड़ी बेबसी जाहिर की कि इसकी अभी ऐसी कोई पालिसी नहीं बनी कि जिले से गैर जिले में सफाई कर्मचारियों को ट्रान्सफर किया जा सके। अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जितने ग्रेजुएट, इण्टर या पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, उन्हें सेक्रेटरी में समायोजित कर दें और सफाई कर्मचारी के लिए उन लोगों को रखे जो इमानदारी में सफाई करने योग्य हैं। आज मैं देखता हूं दारुलशफा ए और बी ब्लाक में और दूसरे जिलों में जो बाल्मीकि समाज से लोग आते हैं वह सफाई के प्रति यू0पी0 बाहुल्य में देखता हूं अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील हैं और वह मेरा और तेरा भाई बी0ए0 करके और 10 हजार की जीन्स और 2 हजार की शर्ट पहन कर जिस तरह अपना प्रर्दशन करता है उससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मैं कहना चाहता हूं उन्हें सफाई कर्मचारी मान लिया है, उन्हें आप 15 हजार रुपये दे रहे हैं, उनका आप ट्रान्सफर नहीं कर पा रहे हैं, सेक्रेटरी बना दे, बी0एल0डब्लू0 बना दे और उस कर्मचारी की जगह ऐसा आदमी रख लें। आज मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं, सरकार क्या कर रही है? मैं एक बात और कहना चाहूंगा अधिष्ठाता जी हम चुने हुए लोग भी बेइमान हो गये हैं, उसकी हाजरी, उसकी एटेन्डेन्स, उसकी तनख्वाह का भुगतान भी प्रधान लोग कुछ परसेंटेज पर कर रहे हैं। यह भी बड़े शर्म का विषय है। सफाई के बारे में, पंचायतों के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह पंचायत बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्ट है। आज कभी अमेरिका का राष्ट्रपति भी जाये और देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी जाये तो सबसे पहले क्या पूछते हैं इस गांव में प्रधान कौन है ? मेरा मतलब इतना महत्वपूर्ण विभाग है और बापू जी की कल्पना पंचायती राज तभी साकार होगी जब आदरणीय पंचायतीराज मंत्री जी जिस तरह का उनका स्वभाव है, उदारता, काम करने का तरीका है, उस तरह से काम करेंगे, मेरा यह सरकार से आग्रह है।

'श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वास्तव में हमारे नेता डा0 राम मनोहर लोहिया जी का एक सपना था कि चौखम्भा राज में पंचायतों का बड़ा महत्व है और जब तक गांव की पंचायतें और जिले की पंचायतें मजबूत नहीं होंगी, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। सीधे जनता से जुड़ा हुआ मामला होता है और पहले अदालती पंचायतें भी थीं बीच में खत्म हो गईं, वह भी चालू हो जातीं तो जनता का बहुत कल्याण होता। मैं कैलाश भाई जो हमारे पंचायती मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जब से इन्होंने पंचायत विभाग का काम संभाला है, काफी परिवर्तन नजर आया है, अमूल–चूल परिवर्तन करने की दिशा में मा0 पंचायती राज मंत्री कैलाश नाथ यादव जी ने काम किया है और मैंने देखा है जो कमियां थीं, जिले स्तर पर, डी0पी0आर0ओ0 स्तर पर उसको दूर करने का पूरा–पूरा प्रयास आप रातों–दिन बैठकर करते हैं, नई योजनाओं के बारे में भी जो सदस्यों की जिज्ञासा ज्यादातर गांव में पिछली सरकार ने जो सफाईकर्मी बनाया, जिस उद्देश्य से बनाया वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सफाई कर्मी में यदि वही लोग रखे जाते, जिनका काम यह है, जो सफाई करते हैं, तो उनको रोजी–रोटी भी मिलती, उनके बच्चों का पालन–पोषण भी होता और वह समृद्ध होते, लेकिन ऐसे लोग उसमें चले गये जिनका सफाई से कोई मतलब नहीं है, झाड़ू उठा ही नहीं सकते। यह उस तरीके का हो गया जैसे भारतीय जनता पार्टी का झाड़ू अभियान शो साबित हुआ, केवल टी0वी0 पर आ गया और उसके बाद सब खत्म हो गया और उसी झाड़ू से केजरीवाल ने झड़वा दिया पूरी सरकार को। वही हाल गांव सभाओं का है, झाड़ू कहीं लगा नहीं रहे हैं, सफाई कहीं हो नहीं रही है, तन्ख्वाहें उठ रही हैं, इससे बहुत बड़ा बोझ आज पंचायत विभाग पर है। हमारा सुझाव इसमें है कि इसका मूल्यांकन किया जाय कि आखिर हमारी सरकार ने जो सफाईकर्मी नियुक्त हुए थे, उनको स्थाईकर्मी भी बना दिया, वेतन भी बढ़ा दिया और जब–जब हमारी सरकार हुई है समाजवादियों की तब पंचायतों पर विशेष ध्यान देकर के उनके सदस्य से लेकर चेयरमैन तक और यहां तक कि ब्लाक प्रमुख से लेकर बी0डी0सी0 के सदस्य तक और प्रधान तक, उनका वेतन वृद्धि भी किया गया, उनको सुविधायें भी दी गईं, उनको नल भी दिया गया, उनको अतिरिक्त संसाधन भी मुहैया कराये गये इसीलिए कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान गांव के विकास में, क्षेत्र के विकास में और ब्लाक के विकास में रहता है, वह बेचारे मारे–मारे फिरते हैं। आज दिक्कतें हैं, आज हमारा प्रधान, हमारा बीडीसी ब्लाक का चक्कर लगाता है कार्ड के सवाल पर, पेन्शन के सवाल पर, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। यह कहा जाता है कि बी0पी0एल0 में नहीं है, आज अधिकांश लोगों का नाम बी0पी0एल0 कार्ड में नहीं है। हम लोग गांवों में जाते हैं, बूढ़ी–बूढ़ी बुजुर्ग औरतें हम लोगों की गाड़ियों को घेरती हैं, उनकी कोई दूसरी समस्या नहीं रहती है, केवल एक मात्र समस्या रहती है बुजुर्गों की कि हमारी पेन्शन करा दो, यही वह बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग कहते हैं और जब हम लोग पता करते हैं, तो यह जवाब आ जाता है ब्लाक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से पंचायत से कि इसका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और जब इस पर हम बात करते हैं तो मालूम होता है कि यह मामला भारत सरकार का है जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी तब तक बी0पी0एल0 सूची का पुरार्पण नहीं हो सकता और इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। श्रीमान जी, 25 साल पहले यह बी0पी0एल0 सूची बनी है और गांवों में 60 लोगों को पता भी नहीं था कि कब बी0पी0एल0 बन गयी, चली गयी, पास भी हो गयी और हर जगह चाहे वह पेंशन में, चाहे वह कार्ड में, चाहे आवास में या अन्य किसी चीज में हर जगह बी0पी0एल0 का नाम लिया जाता है। मैं अपने नेता, अपने मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को समझा जब यहां मामला पिछले सदन में उठा था। उन्होंने लोहिया आवास या लोहिया गांव में जो चयनित हुये उन्होंने उसमें से इस प्रतिबन्ध को हटाया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया कि जिनका नाम बी0पी0एल0 में नहीं है उसको भी हम आवास देंगे, तीन लाख से ऊपर देंगे और उसको गांव में सोलर लैम्प के साथ, सोलर पंखे के साथ आवास मुहैया कराया जा रहा है। आज यह बहुत बड़ा कदम है। मैं कैलाश नाथ जी को और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मगर जो समस्या असली है बी0पी0एल0 की है, चाहे इन्दिरा आवास बनने हों, चाहे राशन कार्ड बनने हों उसकी समस्या का समाधान भारत सरकार कराये। हमारे मित्र हैं धर्मपाल जी, मैं कहूंगा कि आपकी सरकार बनी है और केवल वादों पर आपने वोट ले लिया। कुछ काम तो कराइये, एक भी योजना आपके बजट में ऐसी नहीं दिखाई दी कि जो गांव, गरीब और पंचायत से जुड़ी हो। आज गांव में तालाब सूख रहे हैं। तालाबों का सौन्दर्यीकरण नहीं हो पा रहा है, हम उनका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। मा0 मंत्री जी, जो पहले तालाब थे वे भर दिये गये। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो तालाब गांव में पहले थे वे फिर से कायम हों, उनकी खुदाई हो। कुयें पाट दिये गये और आज जमाना बदल रहा है, पानी आर्सेनिक से कितना प्रदूषित हो रहा है। पानी के लिये हमारा बलिया का इलाका दोआबा से लेकर हमारे राम गोविन्द चौधरी जी बैठे हुये हैं, इनका इलाका जो पूरा घाघरा का इलाका है गंगा का किनारा है वह आर्सेनिक से पीड़ित है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस दिशा में कुयें बड़े कारगर होते थे, मगर अब कुयें भी पाट दिये गये कि उसकी उपयोगिता नहीं है लेकिन उसका एक विशेष अभियान चला करके कुओं की खुदाई, तालाबों का रखरखाव आज गांव में किया जाना नितान्त आवश्यक है। मैं इस दिशा में पंचायती राज मंत्री से चाहूंगा कि आज जहां इतना बड़ा परिवर्तन आपने किया, जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने का आपने प्रयास किया तो इसको भी दुरुस्त कराइये ताकि तालाब और कुयें ठीक ढंग से काम करें। जो बन्द कर दिये गये हैं, उनकी पुनः खुदाई करके कायम किया जाये ताकि मवेशी और आदमी की जान बच सके। यह एक बड़ा कदम होगा। आज जिला पंचायतों से पेड़ों की अवैध कटाई होती है। एक की कोई परमीशन नहीं लेता है। मगर एक परमिट के नाम पर मैंने देखा है कि सैकड़ों पेड़ काट दिये जाते हैं गांव की सड़क के किनारे। उससे एक तो पर्यावरण भी खराब हो रहा है और दूसरा इससे सरकार की बदनामी भी होती है कि कहीं से एक परमिट ले लिया गया और एक परमिट लेकर के ठेकेदार या दूसरे लोग या कोई भी स्वार्थी आदमी द्वारा पुराने–पुराने कई पेड़ों की कटाई हो जाती है तो इस पर भी अंकुश लगना चाहिये।

किसी को विशेष परिस्थिति में अगर उसका कोई काम है, अगर उसकी जमीन में पेड़ है, उसकी लड़की की शादी है, कोई बात है या वह फर्नीचर बनवाना चाहता है, बेटी की शादी करना चाहता है, घर बनवाना चाहता है तो अगर उसने वह पेड़ लगाया है तो बस उन्हीं को परमिट दिया जाये। साथ ही यह देखा जाये कि जितने पेड़ का परमिट है वह उतने ही पेड़ काटे अन्यथा दूसरा पेड़ न काटे। यह मेरा आपसे एक सुझाव है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं। इसलिये मैं स्वागत करना चाहता हूं मा0 मंत्री जी आपके बजट का। मैं कहूंगा और सुझाव मेरा यही है कि बी0पी0एल0 सूची और गांव में जो आपके सफाई कर्मी हैं। इसको देखा जाये, इस पर मॉनीटरिंग की जाये क्योंकि 70 सफाई कर्मी गांव में नहीं जाते हैं। मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन हमको जो सुनने में आता है कि वह अपनी जगह किसी दूसरे को रख करके, उसको कुछ वेतन देकर के काम कराना चाहते हैं और वह भी नहीं होता है। इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाये, एक टीम बनाई जाये जिले स्तर पर और वह मूल्यांकन करके ऐसे लोग जो गलत तरीके से आ गये, पैसा रुपया देकर के आ गये पिछली सरकार में जिनकी भर्ती हो गयी है, उनको निकाल करके उन्हीं सफाई कर्मियों को रखा जाये जिनका उस पर वास्तविक हक बनता है, जो सफाई कर सकते हैं, जो वास्तव में सफाई कर्मी हैं। इससे उनका परिवार भी सम्पन्न होगा, वे भी सम्पन्न होंगे। वे दुआयें देंगे हमारी सरकार, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमें पंचायती राज विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आदरणीय दीपक पटेल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जितने भी विपक्षी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी शालीनता से पंचायती राज विभाग का बजट रखा। मुझे हालांकि बोलने का मन नहीं था, लेकिन मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं तो उचित लगा कि सरकार को कुछ सुझाव दिया जाए। माननीय अधिष्ठाता जी, प्रजातंत्र में पंचायती राज विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और सच कहा जाए तो पंचायतीराज विभाग प्रजातंत्र की नर्सरी है। इस नर्सरी को मजबूत करना, सरकार का काम होना चाहिए। जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, मैं उस समय पंचायती राज मंत्री था, तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया था। सभी विभाग लेकर उनका अधिकार पंचायतों में सौंपा गया था। माननीय मंत्री जी, अब आपका विभाग अधिकारियों के मकड़जाल में फंस चुका है, फिर सत्ता उन्हीं अधिकारियों को सौंप दी जा रही है जिनसे हमने–आपने लेकर के पंचायतों के अधीन किया था। अब हो क्या रहा है, मैं बताना चाहता हूं, माननीय अधिष्ठाता जी, पंचायत के तीन स्तर होते हैं। पहले नंबर पर ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत और तीसरे नंबर पर जिला पंचायत है। ये महत्वपूर्ण स्तर होते हैं, सीधा धन पंचायतों को जाए, कहीं उसमें रूकावट न आये। पंचायतें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने गांव की योजना बनाकर उसमें काम करें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब धन नहीं जा रहा है। प्रधान लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी, आप इस बात को देख लीजिए। माननीय अधिष्ठाता जी अब क्षेत्र पंचायत पर आते हैं। मैं नटसेल में सुझाव दूंगा अब तो ग्राम पंचायत में प्रधान के खिलाफ कोई भी एक एप्लीकेशन दे दें और जांच शुरू हो जाती है। जांच में फिर वह पैसे का दोहन करते हैं कोई निर्णय नहीं लेते हैं और बहुत कठिनाई पैदा करते हैं। क्षेत्र पंचायत को अधिकार नहीं है, पहले हमने अधिकार दिया था। ब्लाक प्रमुख को वी0डी0ओ0 की चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार था, वह भी वापस ले लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में पहाड़िया जी ने बता ही दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिला पंचायत। जिला पंचायत के अध्यक्ष को डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष नियुक्त किया था। सारी जितनी भी जिला विकास अभिकरण की जो योजनाएं होंगी विकास की, जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें बैठेंगे, अध्यक्षता करेंगे और विकास से सम्बन्धित जितने भी काम होंगे, वह करना चाहेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं और सच में एक सिस्टम है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सिस्टम को डाईल्यूट नहीं करना चाहिए। बसपा की, हालांकि नाम कोड करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी सरकार में यह आर्डर हुआ था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक आर्डर कर दिया कि गांवों में उप प्रधान, ब्लॉक में उप प्रमुख और जिला पंचायत में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ये तीनों स्तर ही खत्म कर दिये। अब उप प्रधान नहीं हो, उप ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा। माननीय अधिष्ठाता जी, इसका क्या मतलब है, कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, एक सिस्टम था कि अगर कहीं कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो पद उसको सौंप दिया जाता था। मान्यवर, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा। इस सिस्टम को अगर आप जागृत कर देंगे तो ठीक स्थिति आ जायेगी।

(बसपा की तरफ से आवाज आई कि विधान सभा में भी इसे लागू करवा दें)

करवा देंगे, अवसर आ रहा है, देखेंगे। मान्यवर, यह बात सच में क्योंकि पंचायतों को अधिकार देना कोई आसान काम नहीं है। इस सदन का मन बहुत बड़ा होना चाहिए। माननीय विधायक जी ही सारे काम करेंगे, पंचायत कोई काम नहीं करेगी, यह ठीक नहीं है। पंचायतें अपना–अपना काम करें, हम लोग यहां कानून बनाने का काम करें। घर बैठे न्याय कैसे मिल जाए, इसका काम अपनी जिम्मेदारी पर है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि नाली कौन बनाएगा खड़ंजा कौन बनायेगा यह जिम्मेदारी पंचायतों की हुआ करती है। इसलिए पंचायतों का सशक्तीकरण होना चाहिये। मा0 मंत्री जी एक सिस्टम आया था न्याय पंचायत का आज वह आज भी है। न्याय पंचायतों में, पंचायत के सरपंच चुने जाते थे, जो गांव के छोटे मोटे झगड़े तहसील कोर्ट कचहरी में न जाने पायें और उनके वह निर्णय ग्राम पंचायत न्याय पंचायत स्तर पर ही लागू हो जायें वह उसमें बात थी। एक स्वतंत्र रुप से एक जज अपने बीच से होता था सरकार को उसको नियुक्त करने का अधिकार हुआ करता था। न्याय पंचायत प्रणाली को मजबूत करते हुए प्रमुखता देते हुए सरपंच की प्रणाली आप लागू कर देंगे तो घर बैठे गांव के लोगों को सस्ता न्याय मिल जायेगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी इसमें खत्म हो जायेगा क्योंकि

इसमें वकील एलाऊ नहीं है। गांव का व्यक्ति अपनी बात स्वयं उसमें जाकर कह देता है यह सिस्टम लागू है और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है और न्यायिक प्रणाली, प्रक्रिया स्वतंत्र रुप से जागृत हो जायेगी। सरकार को इसको महत्व देते हुए सरकार को इसे लागू कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मान्यवर पहाड़िया जी अपनी बात कहकर चले गये मैं उनसे अपनी बात को सम्बद्ध करता हूं सफाई कर्मचारियों की बात उन्होंने कही। मान्यवर एक जी0ओ0 है कि गांवों में नालियों का ढलान तालाबों की ओर होना चाहिये। माननीय रिजवी साहब कह रहे थे कि गांवों में अब तालाब हैं ही नहीं। नालियों का ढालान तालाबों की ओर है ही नहीं इसलिए गांवों में गंदगी हो रही है। गांव में झगड़े इसलिए भी होते हैं कि साहब इन्होंने हमारी नाली बन्द कर दी थाने तहसील तक लोग चक्कर लगाते रहते हैं। झगड़े विवाद भी रहते हैं। मान्यवर इसलिए जो नालियों का ढालान तालाबों की ओर करने की राजाज्ञा जारी है उसको लागू कराने की आवश्यकता है इससे तालाब भी संरक्षित हो जायेंगे तालाब पटेंगे नहीं और समस्याओं का समाधान भी हो जायेगा। मान्यवर सफाई कर्मचारियों की बात आयी मान्यवर सच में बीए पास लड़का मोटर साइकिल पर बैठकर अच्छे कपड़े पहनकर एक दूसरे सफाई करने वाले दूसरे व्यक्ति को बिठाकर गांव में ले जाता है। मोटर साइकिल खड़ी करता है और काम कराता है। उसको पैसा कम मिलता है और वह पूरा वेतन लेता है। वास्तव में जिसको वह काम करने का अधिकार मिलना चाहिये था उसको वह न मिलकर दूसरे व्यक्ति को वह दे दिया गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो कम वेतन पर काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी उनको वह काम दे दिया जाय ताकि .....

(इस समय 2 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सिस्टम भी ठीक रहे और गांवों में सफाई की व्यवस्था भी अच्छी तरह से चलती रहे। मान्यवर, हम लोग अपने वेतन बढ़ाने की बात करते हैं दूसरी सुविधायें बढ़ाने की बात करते हैं। मान्यवर हम चाहते हैं कि प्रधान का भी वेतन बढ़े, ब्लाक प्रमुख का भी वेतन बढ़े, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी वेतन बढ़े ताकि वह सिस्टम में रहते हुए इमानदारी से अपना काम कर लें। अभी रिजवी साहब ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की बात कही। हम तीन साल से देख रहे हैं आप प्रचंड बहुमत के माध्यम से जनता के बीच से चुनकर आये हैं कि यह काम भारत सरकार का है। मेरा कहना है कि जो काम केन्द्र सरकार का है वह केन्द्र सरकार करे और जो काम राज्य सरकार का है वह राज्य सरकार करें यह व्यवस्था हो। पहले केन्द्र में किसी की सरकार थी आपका उत्तर यही था और आज केन्द्र में किसी की सरकार है आज भी यही उत्तर आपका है। आप लोग अपने काम करेंगे तो निश्चित रुप से प्रदेश का विकास होगा । मान्यवर हम ग्राम सचिवालय की परिकल्पना करते हैं घर बैठे जनता को न्याय मिल जाये इसकी बात करते हैं। सच में चाहे पं0 दीन दयाल उपाध्याय हों, डा0 भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे डा0 राम मनोहर लोहिया हों उन सभी की यह परिकल्पना थी कि गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो पीड़ित है जो शोषित है जो वंचित है जो उपेक्षित है जिसको न्याय न मिला हो उसको घर बैठे न्याय मिल जाये यह कार्य ग्राम पंचायत कर सकती

हैं। इसलिए ग्राम सचिवालय की परिकल्पना पर अपना बल देता हूं। मान्यवर, इसके साथ ही दीपक पटेल जी की भावनाओं से सम्बद्ध करते हुए विधान सभा थाना भवन शामली में ब्लाक थानाभवन में जो व्यक्ति न ब्लाक प्रमुख है न जिला पंचायत का सदस्य है विकास खण्ड एवं जिला पंचायत द्वारा किये गये काम का लोकार्पण उद्घाटन करते हुए घूम रहा है और विभाग उसका बोर्ड भी नाम सहित लगा रहा है माननीय मंत्री जी इसका भी संज्ञान लीजिए इसके साथ ही आपको धन्यवाद।

'श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, पंचायती राज मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट अत्यन्त लोकलुभावन है, लोकोपकारी है, किसानोन्मुखी है और विकासोन्मुखी है इसमें कोई संशय नहीं है। जिस ढ़ंग की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था सपनों का भारत कि जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और गांव के विकास के लिए हमारी सरकार जब–जब समाजवादी सरकार आई तब तब गांव के विकास के लिए ज्यादा काम किया है। चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे आवासों की व्यवस्था हो इन लोगों के माध्यम से हमारे गांव का विकास हुआ है। हमारे पंचायतीराज मंत्री जी ने जो विपुल वैभव का एक बजट प्रस्तुत किया है वाकई में वह बड़ा ही प्रशंसनीय है और गांव के लिए हितकारी है। मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं पंचायती राज मंत्री जी का और पंचायती से हमारे रिजवी साहब ने कहा था इसलिए भी उन्होंने कुछ परिवर्तन किये हैं। मान्यवर, यह यकायक अचानक औचक दौरा भी कर रहे हैं और अपने अधिकारियों कर्मचारियों को नसीहत भी देते रहते हैं बताते रहते हैं कि आपने यहां गलत काम किया है और सजा भी देने का वायदा करते हैं। जहां भी आप देखें, जिला परिषद् का बहुत महत्व है। डीआरजीएफ से लेकर के, आवास से लेकर के, विद्यालय से लेकर के इन सबों के अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें भी आशातीत सफलता प्राप्त करने की चेष्टा किया है इसके लिए मैं अपने पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जिस ढंग का विकास गांवों में हो रहा है अगर हम गांवों में जायें देखें तो पता लगेगा कि जरूर काफी गांव विकसित हुए हैं। जो भी हम लोगों के माध्यम से हो रहे हैं उसमें ज्यादा लोगों का विकास हुआ है नालियों से ले करके, सड़कों से लेकरके, आवासों से लेकर के, विद्युतीकरण से लेकरके यह सब चीजें मुहैया कराई गयी है और गांव स्वच्छ लगता है आपने दस हजार रुपये में शौचालय बनने थे 12 हजार कर दिया यह भी बड़ा क्रान्तिकारी कदम है इसके लिए आपको धन्यवाद। काफी सड़कें भी आप बनवाने का कार्य कर रहे हैं सड़के समुचित और व्यवस्थित के साथ साथ गुणवत्तापरक भी है। जरूर मैं यह चाहूंगा कि कुछ चीजे सुझाव के तौर पर..

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 धर्मसिंह सैनी पुनः पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे जो अभ्यर्थी बी0टेक0 और एम0बी0ए0 किये हुये हैं और वह भी सफाई कर्मी के रूप में आ गया है, तो वह काम कभी नहीं करेगा। रिजवी साहब ने जैसा कहा कि निश्चित रूप से उसके स्थान पर अगर दूसरे लोगों को रख दिया जाये, तो कम से कम गांव की स्वच्छता के बारे में एक क्रान्तिकारी कदम होगा। जितनी भी चीजें मुहैया हुई हैं, वह सब गांव से सीधा सम्बन्ध रखती हैं और पंचायती राज की भावना के अनुकूल हमारी सरकार ने कार्य किया है। अब पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं, सारा कार्य पूरा हो चुका है, पंचायतों के गठन से लेकर जितना भी कार्य है वह सब कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। यहां यह कहा गया कि फला गांव बना और फलां नहीं, तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जो राजस्व गांव हैं, वही ग्राम पंचायत बन पाये हैं और इसमें जो तमाम मजरें हैं तमाम छोटे गांव हैं और राजस्व गांव नहीं हैं वह ग्राम पंचायत का रूप नहीं ले पाये हैं और यह बहुत स्पष्ट है। मैं पुनः अपने माननीय पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री दीपक पटेल जी द्वारा पंचायती राज विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये मौका दिया, इसलिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आज माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने जो बजट रखा, अपना प्रस्ताव रखा, उस पर हम तो कटौती नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि मंत्री जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका बहुत नाम है, हम बड़े आदर से उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ कमियों के नाते आलोचना करना और सुझाव देना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिये मैंने सोचा की अपने सम्मानित मंत्री जी को जरूर कुछ सुझाव दिये जाये। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश और मैं कहूंगा कि पूरा प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्दर के एक–एक गांव–गांव तक, गली–गली तक हर दरवाजे तक सबकी आस लगी हुई है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी महान विभूतियों को जरूर इस बात की कहीं न कहीं पीड़ा रही है कि गांव के लोगों को अधिकार मिलना चाहिये और उन्हें भी वह सारे अधिकार मिले और वह अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें। अभी यहां पर तमाम बातें आई हैं। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात चल रही है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत की बात मैं रखना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्र पंचायत में जैसे ब्लाक प्रमुख का चुनाव होता है, वहां पर क्षेत्र पंचायत पूरे ब्लाक से पूरे क्षेत्र पंचायत से चुनकर आते हैं, कहीं–कहीं संख्या बड़ी होती है 100 के पार भी कर जाती है, कहीं संख्या 100 से कम भी होती है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि उसमें जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है वह कभी अपने आपको को महसूस नहीं करता

कि मेरी भी कहीं महत्ता है। उसको बुलाया तो जाता है, उसकी मीटिंग क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बुलाते हैं जो ब्लाक प्रमुख होते हैं, वह बुलाते हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं बुला करके, 10 मिनट में पूरा काम कराकर, कोरम पूरा करके और दस्तखत कराकर वापस भेज दिया जाता है। और उनको जहां गांव के भी लोग चुनकर भेजते हैं तो वह भी महसूस करता है कि मैनें इनको चुनकर क्षेत्र पंचायत से भेजा है, लेकिन कहीं इनकी उपयोगिता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि कहीं न कहीं इनको भी जिस तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम निधि है, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत की निधि जो जाती है, उसमें एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिये कि इनकी भी उसमें सहभागिता हो और इनका भी कोटा फिक्स किया जाय ताकि जितने भी विकास खंड में जो निधि जाय, उसमें इनका भी हिस्सा इनके कहने पर जो काम हो, उतना हिस्सा इनका सुरक्षित किया जाय । इतना धन उनको भी आवंटित किया जाय । इसी प्रकार से जिला पंचायत के अन्दर भी है जिला पंचायत सदस्य चुनकर जाता है लेकिन जिला योजना में जब हम लोग बैठते हैं, हम लोग भी पदेन सदस्य होते हैं, जब वहां जाते हैं तो अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं, उनको भी जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे तो उनके क्षेत्र में काम दे और न चाहे वो न दें अगर उनसे नहीं पटती है तो उनको काम देने से वंचित कर देते हैं। वह परेशान रहते हैं और क्षेत्र की जनता को आश्वस्त नहीं कर पाते हैं और उनकी जो भावनायें होती हैं, वह मन के अन्दर ही रह जाती हैं और वह अपनी बात को अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में कह नहीं सकते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य जी कह रहे थे सफाई के बारे में, वह कह रहे थे कि सफाई जिसको करना चाहिये, उस ओर वह इंगित कर रहे थे तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि सफाई तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी की थी, उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिये जोर नहीं दिया था लेकिन अभी हमारे माननीय सदस्य किसी एक वर्ग विशेष की तरफ जोर दे रहे थे। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि इस देश के प्रधानमंत्री ने भी झाडू उठाकर सफाई करने के साथ पूरे देश में यह संदेश देने का काम किया, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि सफाई सबका अधिकार है, सफाई किसी एक की जरूरत नहीं है। सफाई तो हर व्यक्ति को करना चाहिये, इस बात का संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया है। हमारी माननीय नेता जब इस सदन की नेता थीं, माननीया बहन कुमारी मायावती जी, उनकी इतनी बड़ी सोच थी कि उन्होंने पूरे प्रदेश के गली मुहल्ले में मंदिर मस्जिद को साफ सुथरा करने के लिये सफाईकर्मी नियुक्त किये थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और पूरे प्रदेश में सफाई कराने के लिये काम किया और उसका दुरुपयोग अगर कोई करता है तो हमारे नेता ने जो सोच रखा था तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो उच्चकोटि की सोच रखते हुये यह महान काम किया था। ऐसा बहुत ही ऊंचे ख्यालात के लोग काम करते हैं। हम माननीय मंत्री जी से यह भी कहेंगे कि सफाई कर्मी जो आज सफाई करते हैं और आपने जो लोहिया ग्राम चयनित कराये हैं, उन गांवों में जो कार्य हो रहे हैं, जो सड़क बनाई जा रही है वह आधी अधूरी बनाई जा रही है, उसके निर्माण के लिये जो धनराशि जा रही है, वह धनराशि बहुत कम हो रही है, इसलिये वहां गांव की सड़कें पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो पा रही है, उन सड़कों को संतृप्त कराने के लिये आप कुछ इस तरह की सोच बनाइये ताकि जिस सड़क को भी लिया जाय, उस सड़क को हर हाल में

पूरा कराया जाय और गांव में जो निर्मल योजना चल रही है, जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, जो शौचालय बनाने का काम चल रहा है, इसके लिये जो भी नियम कानून पास किये जा रहे हैं, इसकी गांव में जिनको जरूरत होती है, हम लोग भी गांव में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि हमारे गांव के भाई बहन और गांव में जिनके भी पास व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर जाकर शौच के लिये बैठते हैं, हमारी आपकी गाड़ियां जाती हैं तो लोग शर्म से तार–तार होते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर बहुत जोर दे करके कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो शौचालय गांव में निर्मल योजना के अन्तर्गत जा रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से स्थापित किया जाए और जिन ग्राम पंचायतों में यदि ग्राम प्रधान नहीं बनवाता है तो उसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए ताकि निश्चित तौर पर इसका पूरा–पूरा सही उपयोग हो पाये। मैं यह भी कहूंगा कि जो लोहिया गांव है उसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं और अधिकारी वहां पर जॉच करने के लिए जाते हैं, मैं मा0 मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि यह आपकी योजना खराब नहीं है, योजना बहुत अच्छी है लेकिन हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अम्बेडकर ग्राम बनाये थे और जब वह वहां का दौरा करती थी, हमारे मंत्री जाते थे, कोई बड़ा अधिकारी जाता था तो उस गांव में अधिकारियों के कान खड़े हो जाते थे और उस गांव में रातोंरात काम किया जाता था, लेकिन आज किसी तरह की कोई हनक नहीं है और इसलिए इन योजनओं का बन्दरबांट हो रहा है। हमारे मा0 मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं हम चाहेंगे कि इस बन्दरबांट को रोकने के लिए मैं अपनी ओर से सुझाव देने लायक नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी जोर देकर कहूंगा कि आप अपने अधिकारियों के द्वारा इस पर अंकुश लगवाने का काम करें ताकि जो योजनाएं आपकी तरफ से गांव स्तर पर जा रही हैं उनका ठीक तरह से पालन हो सके अन्यथा यह योजनाएं केवल कागजों में रह जायेंगी और उनका लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल पायेगा। मा0 मंत्री जी, तमाम तरह की एक बात और आती है, यह बहुत गम्भीर बात है, गांव में देखने को मिलता है कि जो ग्राम प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जो माताएं–बहनें प्रधान होती हैं उन गांवों का सेक्रेटरी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह उनको बेवकूफ बना करके, चेक पर दस्तखत करा करके, पैसा निकाल कर गबन कर लेता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी दर्जनों बातें हमारे क्षेत्र में सामने आई हैं लेकिन गोरखपुर के डी0पी0आर0ओ0 महोदय, डी0पी0ओ0 महोदय और वहां के विकास अधिकारी महोदय ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर पाये और आरोप सीधे–सीधे ग्राम प्रधान के ऊपर चला जाता है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, यह सारी बातें बहुत जरूरी हैं क्योंकि यह संविधान, यह कानून–व्यवस्था, यह त्रिस्तरीय पंचायत इसलिए बनाई गई थी कि इससे गरीबों का भी मान–सम्मान बढ़ेगा और उन कम पढ़े लिखे लोगों के साथ पढ़ा लिखा सेक्रेटरी लगाया गया जो कि होशियार रहेगा और काम कराने में सहयोग करेगा लेकिन वह इस काम को बाधित करते हैं और उनका शोषण करते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

अभी मान्यवर, 6 बजट और आने हैं, तीन बज रहा है और कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण बजट अभी आने वाले हैं इसलिए हमारा निवेदन है कि समय अनुसार ही बोलने का अवसर दिया जाए, फिर जैसी आपकी व्यवस्था हो।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तीन नाम बचे हैं इसमें दो–दो मिनट बुलवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप जैसी व्यवस्था देंगे वह मान्य है मैंने तो केवल ध्यान दिलाया है कि 6 बजट अभी और आने हैं।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, दो मिनट और लेंगे, मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो गांव में नरेगा के मजदूर हैं उन मजदूरों की मजदूरी जो काम करते हैं उनके नाम पर मस्टर रोल भर कर ले लेते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाए। सही मजदूरों को मजदूरी मिले इसका ध्यान रखा जाए। इसी के साथ मैं मा0 दीपक पटेल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं पंचायती राज विभाग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश के अन्दर बनीं और बहुत सी सरकारों ने अपने हिसाब से पंचायत विभाग में काम करने का काम किया। बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब–तब ग्राम पंचायतों को, ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना महात्मा गांधी, डा0 लोहिया जी ने किया था समाजवादी सरकार ने जब पहली बार 1989 में माननीय नेताजी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उसको पूरा करने का काम किया गया। मान्यवर, माननीय नेताजी पहली बार गांवों में शौचालयों की व्यवस्था करने का काम किया था। जो सपना महात्मा गांधी, डा0 लोहिया का था कि गांवों में विकास की रोशनी बहे, गांवों में निवास करने वाली 80 फीसदी जनता का विकास हो, हित हो, उनके सपनों का भारत बने, उसी मंशा को ले करके जब सरकार बनी थी, ग्राम शौचालयों की व्यवस्था करने का काम किया गया था।

(इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, गरीब आदमी, कमजोर किसान आदमी जब अपनी उपज का सामान ले करके बाजारों में जाता था तो उसको चुंगी देनी पड़ती थी उस चुंगी को समाप्त करने का काम माननीय नेताजी ने किया था। तहबाजारी लगती थी उसको भी समाप्त करने का काम माननीय नेताजी के नेतृत्व में किया गया था। आज जो बजट पेश हुआ है, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सम्पूर्ण बजट आया है उसमें पंचायती राज का आज बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेश हो रहा है उसमें वास्तव में जो किसान, मजदूर गांव में निवास करते हैं महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार एक जमाने में इन्दिरा आवास दिये जाते थे, उन इन्दिरा आवासों में उनको दूर से ही, उन झुग्गी–झोपडियों को देख करके एक कमरे के मकान बनाये जाते थे वह दलितों के ज्यादा बनाये जाते थे। पिछड़ी जाति के लोगों को इन्दिरा आवास के नाम पर जो आवास दिये जाते थे उसमें पीली ईंटों का प्रयोग होता था वह दूर से ही दिखायी पड़ता था कि इसमें दलित जाति के या पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने ग्राम स्वराज, दूसरी आजादी की लड़ाई की बात कही थी, विकास की रोशनी गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचे, आज लोहिया समग्र गांवों में जिन विधवाओं, विकलांगों को जिनके ऊपर छत नहीं थी उनके छप्परों की जगह पर दो कमरों का मकान बना करके, उनको सौर ऊर्जा से, शौचालय और स्नान गृह से आच्छादित करके उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का, उनको समाज में बराबरी लाने का जो काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हो रहा है वास्तव में वह काबिलेतारीफ है..

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें होती हैं अम्बेडकर गांवों का चयन करने का काम भी माननीय नेता जी के ही नेतृत्व में किया गया था। हनक की बात आती है तो प्रजातंत्र में हनक का कोई मतलब नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करो और बहुत सारे बजट लेने हैं।

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। आजादी के बाद जो सपना देखा था महात्मा गांधी, डा0 लोहिया जी ने, उनकी परिकल्पना के अनुसार इसे समाजवादी सरकार आगे बढ़ रही है। गांव के गरीब, मजदूर, सबको साथ ले करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आपने इस पंचायती राज के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और मा0 अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

दीपक पटेल जी, आपने कटमोशन रखा है अब वाइन्डअप कर दीजिए, मा0 मंत्री जी बाद में जवाब देंगे। जितने लोग आपके समर्थन में बोले हैं उनको धन्यवाद दे दीजिए।

(प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, अब इस पर नहीं, आप लोग दूसरे बजट पर बोलियेगा।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मेरे द्वारा पंचायती राज विभाग का कटौती प्रस्ताव रखा गया था जिसके समर्थन में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी जी, श्री रामपाल यादव जी, श्री बब्बन चौहान जी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री जय प्रकाश निषाद जी और इस कटौती प्रस्ताव के विरोध में श्री जियाउद्दीन रिज़वी जी, श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय नागेन्द्र यादव जी, इन लोगों ने अपने विचार रखें हैं। मान्यवर, इस सदन की बड़ी विशाल परम्परा रही है और हम लोग उस परम्परा के वाहक हैं तो कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। आप भी उसका निर्वहन कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए मान्यवर। हमको विश्वास है कि आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी बड़े सीनियर लीडर हैं और हम सभी लोगों ने पंचायतों के हित में बहुत ही व्यावहारिक और जन उपयोगी सुझाव दिये हैं और आप उसको बहुत ही उदारतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेंगे यही कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

सभी लोगों ने इस बजट का समर्थन किया है, आप भी समर्थन करें। (मेजें थपथपाई गईं) माननीय अध्यक्ष जी, दीपक पटेल माननीय विधायक द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर आप लोगों ने जो सुझाव दिया है, जो आपने शौचालयों की बात कही है। शौचालयों को पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट दे देती थी ग्राम सभाओं को और जो मनरेगा का पैसा था वह पैसा मार्च में आता था और मार्च के बाद अप्रैल तक खर्च नहीं होता था वापस कर दिया जाता था। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार की मीटिंग में गया था वहां पूरे देश के सभी प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री आये थे, उसमें इसको रखा। हर दल के लोग इसमें अपना मत देते हैं कि अगर ग्राम सभाओं में अगर शौचालये नहीं बनते हैं तो इस वजह से वहां पर तमाम घटनाएं होती हैं और इस बात को स्वीकार किया। इसका पैसा बढ़ाने का भी मैंने प्रस्ताव रखा और अब इसको बढ़ाकर इसमें मनरेगा वापस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। उसको मैंने 12 हजार कर दिया है और त्वरित गति से गांवों में शौचालय बनाने की व्यवस्था चल रही है और मैं पूरा विश्वास इस सदन को देता हूं कि पूरी त्वरित गति से हमारी सरकार काम कर रही है और उसमें पूरी सफलता मिलेगी। दूसरी बात आपने जिला पंचायत अध्यक्षों की बात कही। यह जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको जनता के द्वारा नहीं करा सकती है। यह भारत सरकार का मामला है जब तक भारत सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, एक्ट में संशोधन नहीं करेगी, तब तक हम इसको नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार हमेशा पारदर्शिता चाहती है। हमारी सरकार हमेशा चाहती है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि हर मामले में पारदर्शिता हो, चुनाव की भी पारदर्शिता हो। तो कम से कम जब तक भारत सरकार के एक्ट में परिर्वतन नहीं होता है तब तक इसको करना बहुत असम्भव है। दूसरी बात आपने कहा अपर मुख्य अधिकारी और इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। यह सही बात है

कि जिला पंचायत के अध्यक्षों का जो चुनाव होता है वह जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से होता है और इसमें जो भी अध्यक्ष बनता है, वह कहीं न कहीं अपनी मनमानी करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हैं जितने हमारे अपर मुख्य अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर गलत काम किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, बहुत से लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 की गई है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्षों ने जो ठेका ले लिया है और दे दिया है जो बैरियर का, उनके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 करवाया है, यह आपको जानकारी है। तो इस तरीके से सरकार हमेशा पंचायत क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो काम किया है, और जो काम करना चाहते हैं और जो प्रस्ताव ले आये हैं हमारी सरकार उस पर कृतसंकल्पित है करने के लिये और हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें मजबूत हों। महात्मा गांधी का सपना है, राम मनोहर लोहिया का सपना है। ऐसा नहीं है चौधरी चरण सिंह के बाद लोक सभा में माननीय नेता जी ने इस सवाल को भी रखा था कि जब तक ग्राम पंचायतें मजबूत नहीं होंगी गांव किसान मजबूत नहीं होगा, गरीब मजबूत नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान का विकास नहीं हो सकता है इसलिये बहुत जरूरी है कि हमारी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें पुरजोर जो एकदम गरीबों से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो हमारी सरकार ने हमेशा इस पर काम करने का काम किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, इसमें हमको सफलता मिलेगी और हम माननीय लोहिया जी के सपने को, माननीय नेता जी के सपने को, महात्मा गांधी जी के सपने को, साकार करने में सफल होंगे। दूसरी बात सोलंकी जी ने जो कहा है उसकी मैं जांच करा रहा हूं उनको मैंने पहले भी बता दिया और कमेटी भी बना दी है कि जहां–जहां जिला पंचायतों की जमीनों पर अतिक्रमण हुआ या उसको अवैध रूप से कब्जा किए हैं उसकी जांच कराकर हम उसमें कार्यवाही पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं चन्दौली की बात कही गई, चंदौली का मैं प्रभारी मंत्री भी हूं आप भी उस मीटिंग में बैठते है। जब–जब मैं गया हूं वहां के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिला पंचायत के अधिकारियों को मैंने हमेशा दबाव बनाकर कहा है कि कोई भी गलत काम होगा तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और आज मैं इस सदन में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जहां भी कोई इस तरह की दिक्कत है आप हमें लिख कर दीजिए मैं उनके खिलाफ जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करूंगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

मैं चाहता हूं हमारे नेता का भी सिद्धान्त है, समाजवादी पार्टी का सिद्धान्त है, माननीय नेता जी चाहते हैं हमारी समाजवादी सरकार चाहती है। समाजवादी सरकार जब–जब आती है, गांव को बढ़ाने का काम करती है, जिला पंचायत को बढ़ाने का काम करती है, क्षेत्र पंचायत को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि हमारा सिद्धान्त है कि हम जब तक गांव के अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इस पर हम त्वरित गति से कार्य करेंगे इस पर मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता

हूं। माननीय पटेल जी से आग्रह करता हूं कि आप इसको वापस ले लीजिए। सर्वसम्मति से इसको हो जाने दीजिए आपने जो–जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा और जो करने लायक है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो उसको हम करने के लिए तैयार हैं। आप कटौती के प्रस्ताव को निवेदन है कि वापस ले लीजिए।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, एक प्रकरण रह गया था एक लाइन में बता दूं मऊ जनपद का मामला है सफाई कर्मियों के खाता संख्या क्रमांक 83 के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारियों के मान्यवर, दो खाते हैं, एक है सामान्य जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोगों के लिए खाता क्रमांक 14, दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का खाता क्रमांक 83, यह मऊ जनपद का मामला है और इन सफाई कर्मचारियों के वेतन आहरण के लिए जिला पंचायत लिपिक के द्वारा डिमाण्ड लेटर 60 लाख रुपये का उत्तर प्रदेश निदेशालय जवाहर भवन को भेजा गया था मान्यवर, निदेशालय से मऊ जनपद के खाता– 83 में 75 लाख भेजा गया था सफाई कर्मचारियों का दो साल से एरियर बोनस किसी कारणवश कई माह से रुका है दो साल का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का सभी कर्मियों का बकाया भुगतान एक करोड़ 66 लाख के भुगतान की शासन स्तर से आवश्यकता है सबकी तनख्वाह रुकी हुई है मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं मान्यवर, मऊ जनपद के 831 अनुसूचित जाति जनजाति के सफाई कर्मचारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए खाता संख्या–83 में बजट का प्राविजन करा दें।

श्री कैलाश यादव–

हम करा देंगे आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लीजिए। इनके सुझाव पर विचार किया जाएगा।

श्री दीपक पटेल–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे सुझाव पर विचार किया जाएगा। अभी वापस नहीं ले रहे हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

यह वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,74,34,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख3.17 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

श्री अध्यक्ष–

13(2) में भारी उद्योग है उसके बाद मुद्रण लेखन भी है तो सब एक साथ रखवा दें।

श्री प्रदीप माथुर–

दो और तीन एक साथ ले लीजिए।

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,28,89,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,59,46,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कुछ बोलेंगे इस पर।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसमें मद संख्या–13 का 8 भी रखवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या–8 रखवा तो दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं अनुदान संख्या–3 की बात कर रहा हूं।

श्री कैलाश–

अनुदान संख्या–3 तो लघु उद्योग वाला है इसको दूसरे मंत्री जी रखेंगे। दो का ले लेते हैं इसके बाद लघु उद्योग का है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले मद संख्या–13(2) और 13(3) हो जाने दीजिये।

श्री कैलाश–

मा0 अध्यक्ष जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग प्रदेश में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये समय–समय पर औद्योगिक निवेश नीति जारी की जाती रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निवेश नीति 2003 निर्गत की गयी थी। इस नीति के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों को उनके द्वारा भुगतान किये गये वैट एवं बिक्री कर के बराबर अथवा इकाई द्वारा वार्षिक विक्रय की धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत रु0 215 करोड़ के आय–व्ययक का प्रस्ताव किया गया है। उक्त के अतिरिक्त सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 प्रभावी है। इस योजना के अन्तर्गत रुपये 119.60 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली इकाइयां सम्मिलित हैं। ऐसी इकाइयों को इस योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ दिया जाता है– औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना–प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्षों तक इकाई द्वारा भुगतान किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के बराबर अथवा कुल वार्षिक बिक्री के 10 प्रतिशत की धनराशि ऋण के रूप में दी जाती है जिसकी वापसी सात वर्ष बाद प्रारम्भ होती है। पूंजीगत ब्याज उपादान योजना– इकाइयों द्वारा प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर पांच प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस मद में किसी भी इकाई को प्रति वर्ष अधिकतम 50 लाख की धनराशि दी जा सकती है। तीसरा, अवस्थापना ब्याज उपादान योजना–औद्योगिक इकाईयों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं, सड़क, सीवर, जल निकासी, पावर लाइन, ट्रांसफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना– औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुधार के लिये टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब आदि हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की पांच प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच वर्ष तक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनके द्वारा सौ या उससे अधिक कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष में जमा किए गए ईपीएफ की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई की स्थापना के तीन वर्ष बाद अगले तीन वर्षों तक प्रतिपूर्ति किए जाने का प्राविधान है। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आगरा से लखनऊ जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रदेश नियन्त्रित एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में इस परियोजना हेतु इक्कीस सौ करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत 301.30 कि0मी0 छः लेन की रोड बनायी जा रही है। यह देश की इस सेक्टर में सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरान्त 301.30 कि0मी0 की दूरी करीब 4.0 घण्टे में हम पूरा कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 500 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है। इस कोष का उपयोग विकास कार्यों यथा– बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़े जाने वाली सड़कों, पुलों के निर्माण एवं उसके रख–रखाव, बिजली एवं जल आपूर्ति के लिए अवस्थापना का सृजन, प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन आदि के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नए विभाग के रूप में एन0आर0आई0 विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का कार्य प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं का निराकरण कराया जाना है। उक्त के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे अप्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत करने की योजना भी बनायी गयी है। इस हेतु दिनांक 20 जनवरी, 2015 को औद्योगिक विकास अनुभाग–6 द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 02 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत चलायी जाने वाली योजनाओं के कन्सल्टेंसी पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु औद्योगिक विकास विभाग नोडल विभाग है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत रु0 6.55 करोड़ के आय–व्ययक का प्रावधान प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत नोयडा, ग्रेटर नोयडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर औद्योगिक विकास (गीडा), सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) जौनपुर, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) कार्यरत हैं। इन औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूखण्ड का आवंटन एवं आवासीय योजनाएं चलायी जाती हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है जिसमें औद्योगिक भू–खण्डों के साथ–साथ– आवासीय योजनाएं भी चलायी जाती हैं। औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत चल रही अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का जो विवरण है, जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है कि किस प्रकार से हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जायें और उद्योगपति तथा उद्योग लगाने वाले यहां कैसे आयें, इसके लिए है–कालिन्दी कुंज से बाटेनिकल गार्डेन तक दिल्ली मैट्रो रेल का विस्तार, बाटेनिकल गार्डेन की स्थापना एवं संयुक्त प्रबंधन, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के मध्य मैट्रो रेल परियोजना का विकास, प्लास्टिक सिटी परियोजना जनपद औरैया, मेगा लेदर कलस्टर परियोजना हरदोई एवं कानपुर, ट्रान्स गंगा परियोजना (कानपुर/उन्नाव)। अमूल डेरी परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (ईडीएफसी) उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से उद्योग बंधु की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक वातावरण के सृजन हेतु उद्यमियों को प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओं तथा राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराना है। इसके साथ ही इस संस्था द्वारा औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न विवादों एवं समस्याओं के निराकरण कर त्रिपक्षीय सुनवाई के माध्यम से किया जाता है। इसी तरह से मा0 मुख्य मंत्री जी ने जितना प्रयास उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को लाने के लिए किया है अब तक की किसी भी सरकार ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस पर विशेष रूप से बल देकर इस पर काम करने का काम किया है

ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो उत्तर प्रदेश में इकाइयां लगें उत्तर प्रदेश में गरीबों को रोजगार मिले और इस पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने गंभीरता से काम करने का काम किया है। मैं चाहूंगा माननीय विपक्ष के लोगों से कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करें क्योंकि आप लोगों ने तो कभी भी इस तरह का प्रयास किया नहीं और न करने की संभावना है। अगर इसमें प्रयास किया जा रहा है सफलता भी मिल रही है इकाइयां भी आ रही हैं उस पर काम भी तीव्र गति से हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से आप लोग पास करें।

'श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, उसको भी हाथों–हाथ करा देते।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुद्रण पर भी कर दीजिए उन्होंने रख दिया है। मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय, अध्यक्ष जी उद्योग विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मैं समझता था कि मंत्री जी करेंट के साथ देंगे। मुझे तो यह लगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने सम्माननीय एक बुजुर्ग को डिप्यूट कर दिया। इस तरह के भारी उद्योग और मध्यम उद्योग को लाने के लिए मैं इनका सम्मान करता हूं। पंचायती राज तो ठीक था इनके लिए पर उद्योग लाने के लिए करेंट वाले मा0 शिवपाल सिंह यादव जी मा0 अम्बिका चौधरी जी मा0 मुख्य मंत्री जी।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा कुछ कहने पर सदन में हंसी)

श्री प्रदीप माथुर–

मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप उनके बगल में बैठे हैं तो प्रस्ताव हो गया।

श्री प्रदीप माथुर–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी संक्रमण रोग मेरे बगल में बैठा रखे हैं इन्हें यहां से हटाइये। ये स्वाइन फ्लू और जापानी इंसेफेलाइटिस के कैरियर हैं। इन्हें हटाइए। मान्यवर, यह मुझे बहुत तंग करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माथुर साहब यह हमारे नैचुरल ब्लैक कलर वाले मंत्री जी बैठे हैं और इनकी नजर आप पर रहती है।

श्री प्रदीप माथुर–

नहीं मैं तो सम्मान कर रहा हूं। मान्यवर उद्योग विभाग भारी एवं मध्यम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए 31,28,89,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि की व्यवस्था है। अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के लिये होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,59,46,23,000 की धनराशि की व्यवस्था है। मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को समाजवादी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इन गत तीन सालों में इन्होंने जो प्रयास किए वह प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। हम स्वयं देखते हैं और हमारा भी किसी न किसी मामले में योगदान रहता है कि किस तरह से प्रदेश का क्योंकि प्रदेश सिर्फ आपका ही नहीं है जो इधर बैठे हैं प्रदेश उनका भी है कि हमारा प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने। यहां पूंजी निवेश हो और बड़े–बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट और इंटरप्रिटर्स आएं। वोटों की राजनीति में बिल्कुल कबाड़ा हो जाता है। न उद्योग लगते हैं न उद्यमी आगे बढ़ते हैं न प्रदेश आगे बढ़ता तो उद्योगों के मामले में प्रदेश की प्रगति के मामले में जब प्रदेश का मामला हो तब पूरी विधान सभा को एक होना चाहिए इसी तरह से जब देश का मामला हो उस समय देशवासियों को उस मुद्दे पर एक होना चाहिए। तो मैं इस मामले में आपको बधाई कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल साहब, इनको बोलने दें। डिस्टर्ब न करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अग्रवाल साहब से इतना ही डरते हैं तो ताबीज क्यों बांधते हैं। ताबीज हटा दें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल साहब बोलने दो।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ, आगरा एक्प्रेस वे तीन हजार करोड़ का आवंटन बजट में किया जाना एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि मैं इनकी भी तारीफ इसलिए करूंगा कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेस–वे बनाया उसके बाद हमें आभास हुआ कि एक्सप्रेस–वे बनने के बाद कितनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस–वे बन जाएगा तो उससे कितना विकास होगा। उन्होंने जो–जो जिले इसमें लिये हैं वह बैकवर्ड जिले हैं और यह बन जाने के

बाद उन जिलों का सम्पूर्ण विकास और प्रगति होनी चाहिए। जिस तरह से हमने लिटरेचर में पढ़ा कि मण्डी समितियां, दूध की डेरियां और तमाम विकास इस पूरे कारीडोर में होगा। वास्तव में मैं समझ सकता हूं कि होगा। इसी तरह से जनपद मुख्यालयों को चार लेन से जोड़ने की जो स्कीम है। यह अभी हमारी तरफ तो पहुंची नहीं है। अभी मा0 शिवपाल जी हां कह देंगे तो मैं मान जाऊगा। क्योंकि यह मर्द आदमी हैं यह जो कहते हैं वह करते हैं और इनकी कथनी और करनी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और यह हां कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हो जाएगा। क्योंकि हमारे जिले को अभी चार लेन से जोड़ने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुयी है। हमारे साथियों में जो इधर अनप्रिविलेज लोग बैठे हुए हैं, अनप्रिविलेज मैं इसलिए कहता हूं कि जब लोग सत्ता में होते हैं क्योंकि हम तो वर्षों से कभी हम आपके साथ बैठते हैं और कभी इनके साथ बैठते हैं। तो हम दोनों के उत्पीड़न के शिकार होते हैं। जब यह इधर होते हैं तब यह हमारा काम नहीं करते। जब आप इधर होते हैं तब हमारा काम नहीं करते। अब हम उम्मीद करते हैं कि शिवपाल जी ने कहा है तो फोर लेन हो जाएगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माथुर साहब हमेशा काम क्रोध में क्यों चिंतित रहते हैं हमारा काम नहीं करते, काम नहीं करते। काम के अलावा भी कुछ बात किया कीजिए।

(हंसी)

श्री प्रदीप माथुर–

हम यहां काम करने के लिए ही बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में अब मेट्रो बननी शुरू हो गयी है। इसलिए इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगरा, कानपुर, बनारस, मेरठ के प्रस्ताव रखे हैं। वह स्वागत योग्य हैं। आगरा समिट और दिल्ली समिट के भी असर दिख रहे हैं और अवस्थापना में सुधार, औद्योगिक माहौल, पूंजी निवेश निजी क्षेत्र की बड़ी–बड़ी कम्पनियां जैसे सैमसंग, इन्फोसिस में तो मेरा भी योगदान है। इन्फोसिस, एच0सी0एल0, टाइम्स ग्रुप, रिलायंस तमाम बड़ी कम्पनियों ने निवेश करने का वायदा किया है। एम0ओ0यू0 साइन किये हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ एम0ओ0यू0 साइन करने से या भूमि का एलाटमेंट करने से नहीं होगा। इनको एक टाइमबाउंड प्रोग्राम दे दीजिए। मुझे पता है कि इन्फोसिस में मैनेजमेंट बदल चुका है। जब नारायणमूर्ति होते थे तो मैं इन्स्टूमेंटल था उस प्लाट को दिलाने के लिए और अब मैनेजमेंट बदल जाने के बाद मुझे उनका इन्टरेस्ट अब ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिनसे भी आप एम0ओ0यू0 साइन करें तो टाइमबाउंड करें और आपके आफिसर उनको मानीटर करें कि उस पार्टिकुलर मामले में क्या प्रोग्रेस है और क्यों डिले हो रहा है। क्योंकि सरकारें पांच साल की होती हैं और प्लाट आवंटित करने के बाद और सारी व्यवस्थायें करने के बाद वह इण्डस्ट्रिलिस्ट क्या काम करते हैं, लोन्स ले लेंगे लेकिन हमारे प्रदेश के जो युवा लोग हैं जिस आशा से रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं कि यह इन्डस्ट्रियल हाउस यहां आकर अपनी यूनिट्स लगायेंगे तभी हमारे उन युवाओं को रोजगार मिल पायेगा। वरना मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे। जैसे आपको पिछली सरकार में पता है कि रिलायंस पावर आने को

था। तमाम उसमें प्राब्लम्स क्रियेट हो गयी और रिलायन्स पावर नहीं आ पाया। अध्यक्ष महोदय, अब आगे आयेगा कि नहीं। जो आप लोगों ने जमीन दी थी, मैं पाजिटिव बात कर रहा हूं उसमें कोई आरगुमेन्ट की बात नहीं है। मैं मानीटरिंग करने की बात कर रहा हूं, उसे आबसर्व करने की बात कर रहा हूं। कोई भी एम0ओ0यू0 साइन हो तो उस पर निगाह रखी जाये कि वह टाइम बाउण्ड समय में पूरा हो जिससे इण्डस्ट्री वहां लगे और लगने के बाद युवाओं को रोजगार मिले। इसी तरह से आप चाहे उसे देखें कि पूरे प्रदेश के मामले में एक नई योजना के बारे में बता रहे हैं पुरानी योजनाएं बाद में पलटूंगा। आपने चीनी मिल उद्योग, ठीक है चीनी मिल अगल से डिपार्टमेन्ट है, उत्तर प्रदेश में तमाम सिक यूनिट्स पड़ी हुई हैं चीनी उद्योग की। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मथुरा जनपद स्थित आगरा मण्डल और अलीगढ़ मण्डल में दो शुगर फैक्टरी हैं, शारदा शुगर फैक्टरी और छाता शुगर फैक्टरी और दोनों शुगर फैक्टरी 1975 में और 1980 में लगाई गयी थी, वह बन्द पड़ी हैं। वहां किसानों ने काफी समय गन्ना बोया अब गन्ना बोना भी बन्द कर दिया है। मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था उस वायदे को पूरा कराइये। छाता शुगर फैक्टरी को चालू कराइये जिससे वहां के किसान व्यवस्थित हो सकें। उनके यहां लोग हरियाणा गन्ना बेचने जाते हैं जब हम पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, जब हम उद्योगों को चलाने की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था भी हम ही चालू करेंगे। मान्यवर, आई0टी0 पास की बात कही गयी, लखनऊ में आई0टी0 सिटी बना रहे हैं आप, मेरठ में बनाने की बात कर रहे हैं, आगरा, कानपुर में बनाने की बात कर रहे हैं पर उन शहरों में भी आई0टी0 सिटी बनाने की बात करिये जो ताज सैम्पोजियम जोंन के अन्तर्गत केवल आगरा ही नहीं है ताज सैम्पोजियम जोन मथुरा रिफाइनरी के आने के बाद जो प्रतिबन्धित कर दिये गये थे वहां पर और शहर भी हैं, मथुरा भी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी हैं वहां पर आप आई0टी0 सिटी डेवलप कर सकते हैं। वेल कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, पूरे हिन्दुस्तान के इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर से कनेक्टेड है, आपके रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड है ताजमहल की वजह से वहां बहुत लोग आते हैं। क्यों नहीं आई0टी0 सिटी आप मथुरा में बनाते हैं ? क्यों नहीं आई0टी0 सिटी आप मैनपुरी में लगाइये जिससे और लोग आयें ? तो आप शहर वह चुनिये जो डेवलप नहीं है, थोड़ा फैसिलिटेट करके वहां वातावरण बनाईये, औद्योगिक माहौल बनाइये, इस तरह के आई0टी0 सिटीज दीजिये। आपने राज्य मार्गों के लिए मैंने कहा उनकी कनेक्टिविटी के लिए 625 करोड़ माननीय शिवपाल जी के ही डिपार्टमेन्ट के हैं, जब राज्य मार्ग ठीक होंगे प्रदेश की सड़कें ठीक होंगी तों उद्यमियों के लिए एक माहौल बनेगा और तभी बड़े–बड़े और एक मध्यम वर्ग उद्योग आयेंगें। माननीय इसी तरह क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में 360 करोड़ रुपये दिलाने की बात कही, इन सब चीजों से औद्योगिक माहौल बनता है। वहां इतना बड़ा स्टेडियम है, वहां इतनी बढ़िया–बढ़िया सड़कें हैं, आई0टी0 सिटी है, बड़े–बड़े इन्वेस्टमेन्ट आ रहे हैं यह माहौल इस तरह का पैदा किया जाता है जिससे पूरे देश–प्रदेश के लोग यहां पर आ सकें। इसी तरह साइकल ट्रैक जो बना है 168 करोड़ मुख्य मंत्री जी ने दिये वह भी स्वागत योग्य कदम है। जो उद्यपि आयेंगे, जो इन्वेस्टमेन्ट करेंगे वह चाहेंगे कि उनके इम्पलाइज को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिले, कैन्सर इन्स्टीट्यूट के लिए भी 854 करोड़ रुपये

आपने प्रदान किया तो इस तरह के कई सारे मामले आपने किये हैं। मैं समझता हूं कि 03 साल की मेहनत और जो सपने आपने देखे थे वह मैदानी तौर पर आने लगे इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं पन्ने पलटूंगा और पुरानी बात पर आऊंगा जो हमारे जमाने के, कांग्रेस के बने हुए जो कारपोरेशन्स हैं और जिसमें आपकी भी सत्ता रही, इनकी भी सत्ता रही, हमें तो सत्ता से गये हुए काफी अर्सा हो गया। आपही के हवाले यह सत्ता दे रखी है, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, पिकप, यू0पी0एफ0सी0, नोएडा, ग्रेटर नाएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे, गीडा, यूपिका, यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स और एस0 ई0 जेड0 आपने बड़ी मुहब्बत से दिये थे मान्यवर, आपने कभी गौर किया। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने बड़े–बड़े इण्डस्ट्रियल हाउसेस को एस0ई0 जेड0 बनाने के लिए 1500–1500 एकड़ 2000–2000 एकड़ जमीन एक्वायर करा दी थी और औने–पौने दामों में, उस समय लैण्ड एक्यूजीशन बिल नहीं हुआ करता था। 1500 एकड़ 2000 एकड के क्लस्टर्स उन बड़े–बड़े हाउसेस के पास हैं उसमें अभी तक कोई इण्डस्ट्रीज नहीं लगी हैं, कोई क्लस्टर्स नहीं बने हैं, उन जमीनों की कीमत जो 10–10, 20–20 रुपये प्रतिगज की दर पर खरीदी गई थीं, उन जमीनों की कीमत अब जाकर हो रही है दो–दो हजार रुपये प्रतिगज। इन इण्डस्ट्रियल हाउसेज के पास इतना बड़ा लैण्ड बैंक बन चुका है कि यदि वह कुछ भी न करें, इसे बेंचे तो उनकी सात पुस्तें खायेंगी। जब उनमें इण्डस्ट्री बनी नहीं हैं तो सरकार उन जमीनों को वापस ले, यदि सरकार वापस नहीं लेती है तो किसानों को वापस दिलाये, दो–दो हजार एकड़ जमीन लिये बैठे हैं, यह गम्भीर बात है मा0 मंत्री जी, इसे आप गम्भीरता से लीजिए, इन इण्डस्ट्रियल हाउसेज के बैठे–बैठे पौ बारह हो रहे हैं, इनकी जमीन जब तक आप वापस नहीं लेंगे या तो उनको आप फोर्स करिये, उनको प्रलोभन दीजिए कि वह अपनी बड़ी–बड़ी इण्डस्ट्रीज लगायें पर वह लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि छोटी सी पूंजी में वह वैसे ही अरबपति, खरबपति बने जा रहे हैं। तो इस पर मैं सरकार की साफ–साफ मंशा चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर जवाब दें कि जो एस0ई0जेड0 आपकी पिछली सरकार में आपने आमंत्रित किये थे, उन एस0ई0जेड0 की जमीन का सरकार क्या रही है या वह इण्डस्ट्रियल हाउसेज जिन्होंने एस0ई0जेड0 के लिए जमीन ली थी, उसके लिए सरकार क्या पॉलिसी बना रही है। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के इण्डस्ट्रियल एरिया की बात करें अभी आपने बहुत कहा, अधिकतर इण्डस्ट्रियल एरिया यू0पी0 के सिक पड़े हैं मैं हर इण्डस्ट्रीज के बजट पर, हर मुख्य मंत्री के भाषण पर बोलता हूं कि ''आधी छोड़ के पूरी धावै, आधी मिले न पूरी पावै''। आपके उत्तर प्रदेश के यूपीएसआईडीसी के इण्डस्ट्रियल एरिया में मा0 शिवपाल जी जिस दिन विजिट करेंगे, उस दिन वह इण्डस्ट्रियल एरिया ठीक हो जायेंगे। मान्यवर, आपने पॉलिसी कर दी कि हम फ्री–होल्ड कर देंगे, उनके और मजे हो जायेंगे, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां तो वैसे भी नहीं चल रही हैं, वह तो चाहते हैं कि फ्री–होल्ड हो जायं और जो पान की दुकान वालों ने प्लाट ले लिये थे, कबाड़ी वालों ने प्लाट ले लिये थे, हलवाइयों ने प्लाट ले लिये थे, हम लोगों के जमाने में पैसा था नहीं, कोई को–आर्डिनेशन इण्डस्ट्री डिपार्टमेण्ट में है नहीं । आप जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, फिर प्लाट लीजिए, फिर बिजली का कनेक्शन लीजिए, फिर बैंक से लिमिट की बात कीजिए, फिर लोन की बात कीजिए,

कोई को–आर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। इण्डस्ट्रियल इण्टरप्रेन्योर मारा जाता है, जिस तरह से आपके औद्योगिक विभाग के अधिकारी चकरगिन्नी बनाते हैं इन उद्यमियों को और आज भी वही हाल है, उन यूपीएसआईडीसी के इण्डस्ट्रियल एरिया में पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, तमाम उद्यमियों ने या तो उसे रिसेल कर दिया है या तो उन्होंनें उसे बिल्कुल छोड़ दिया है, यह यथार्थ है मा0 मंत्री जी। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहूंगा, मा0 मुख्य मंत्री, मा0 शिवपाल सिंह यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाइये वह यूी0एस0आई0डी0सी0 के इण्डस्ट्रियल एरियाज को जाकर देखें कि उनका क्या हाल है। लोगों ने माफियाओं ने अनाथराइज्ड कब्जा कर रखा है, इण्टरप्रेन्योर चिल्लाते रहते हैं, उद्योगबन्धु के नाम पर जिलाधिकारी मीटिंग लेते रहते हैं, कोई अधिकारी उनकी सुनता नहीं है उन इण्टरप्रेन्योर्स की, मिनट्स बना कर रख जाते हैं, ऐक्शन टेकन रिपोर्ट आती नहीं कि मिनट्स पर क्या हुआ, उनका क्या इम्प्लीमेन्टेसन हुआ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, सरकार के सपने अच्छे होते हैं, लेकिन सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अब इसके अलावा मैं मथुरा में अपने विधान सभा क्षेत्र की भी बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप संक्षेप करें और लोग भी बोलेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है, आपके उद्योग विभाग का बजट कोई छोटा–मोटा नहीं है, इसी तरह पिकप पर जाइये, पिकप में वन टाइम सेटेलमेण्ट के लिए अधिकारी बैठे रहते हैं, आओ सेटेल कराओ हमें क्या दे रहे हो, तुम क्या ले रहे हो, व्यवस्था करो, खत्म करो। उपादान में सेटिंग होती है, सब्सिडी कितना दे रहे हो, इण्डस्ट्रियल एरिया में यदि किसी का औद्योगिक प्लाट है, उस पर इण्डस्ट्री नहीं चल रही है किसी कारण से, उसे मैरिज हाल बता दिया तो आपका ए0ई0, जे0ई0 अधिकारी जायेगा, 50–50 परसेण्ट में सौदा कर लो वरना तेरा प्लाट कैन्सिल। यह सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं कि उद्यमी क्या करे, उसके ऊपर इतना बड़ा लोन चढ़ गया है, ब्याज दर ब्याज, कम्पाउण्डिंग, प्रिंसिपिल, मुख्य इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट के ऊपर इन्ट्रेस्ट, वह बरबाद हो गये हैं । मैं समझता हूं कि फ्री–होल्ड की पॉलिसी ठीक है, उसे बेचेंगे तो कम से कम इण्टरप्रेन्योर के बच्चों की जान तो बचेगी । इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कीजिए, मा0 अध्यक्ष जी, मैं कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं, मैंने करीब से देखा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, बाहर से देखने में बहुत अच्छे हैं, वह इण्डस्ट्रियल हब न रह कर, रेजीडेन्सियल हब बन गये हैं। आप जाइये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, बड़ी–बड़ी अट्टालिकायें नजर आयेंगी, आपको ऐसा लगेगा, न्यूयार्क में आ गये हैं, मुम्बई में आ गये हैं, दिल्ली में आ गये हैं, ठीक है कुछ बड़े ग्रुप्स आये हुए हैं, पर तमाम ग्रुप्स बन्द भी पड़े हैं। आज अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को करीब से देखेंगे तो आज तक वहां कोई रूल्स ऐण्ड रेग्युलेशन्स नहीं बने हैं, बिना रूल्स एण्ड रेग्युलेशन्स के नोएडा अथॉर्टी, ग्रेटर नोएडा अथॉर्टी, यमुना एक्सप्रेस–वे, गीडा, डीडा और जितने भी आपके बड़े–बड़े एथॉर्टीज हैं बिना रूल्स ऐण्ड रेग्युलेशन्स के चल रही हैं। आपके बड़े–बड़े खर्चे कैसे पास होते हैं,

आपकी बड़ी–बड़ी प्लैनिंग्स कैसे पास होती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है और बोर्ड में सब पास हो जाता है। यदि आप ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स को देखें, यदि आप एकाउण्टिंग प्रिंसिपल्स को देखें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ है उनके द्वारा पारित किये फायनेन्सियल प्रस्ताव बिल्कुल इल्लीगल हैं। आप कैग से रिपोर्ट मांग लीजिये। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस–वे के बारे में, ये गीडा, सीडा जो भी आपके बड़े–बड़े इण्डस्ट्रियल यूनिट्स हैं, आपके सामने बड़े–बड़े घपले उजागर हो जायेंगे। मैंने खुद तमाम आब्जेक्शन्स लगा रखे हैं, रोक के लिये लगाये थे लेकिन उनकी क्लैरिटी नहीं होती, वे दब जाते हैं। इसलिये मा0 मंत्री जी, कुछ रूल्स ऐण्ड रेग्युलेशन्स बनवा दीजिये। नोएडा अथॉरिटीज़, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ की उनकी चाबुक तो अपने हाथ में रखकर देखिये। कुछ नहीं, नक्कारखाने में तूती की आवाज, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं पर कोई रूल्स ऐण्ड रेग्युलेशन्स नहीं बनते। कितनी बार कहा गया, कितनी बार बताया गया, कितनी बार चेतावनी दी गयी, कमेटीज़ के माध्यम से दी गयी, मंत्रियों के माध्यम से दी गयी लेकिन कोई असर नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, जो मैं बोल रहा हूं वह मा0 मंत्री जी को बोलना चाहिये। इसी तरह आज आप यू0पी0 एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के पास जाइये और जो आपके यू0पी0 काज़ हैं, यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स हैं। यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स की तमाम कम्पनियां बी0आई0एफ0आर0 में गई हुई हैं। अब मुझे मंत्री जी को बताना पड़ेगा कि बी0आई0एफ0आर0 क्या होता है। बी0आई0एफ0आर0 में गई हुई हैं, सिक पड़ी हुई हैं, बन्द पड़ी हुई हैं। वे कैसे रिवाइव हों, मैंने कहा था न कि दूसरा सेकेण्ड साइड ऑफ ए क्वाइन, पहला तो बहुत अच्छा था लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को भी तो देखिये जिसे उठायेंगे तो दीमक ही दीमक निकलेगी इसलिये कोई उठाना ही नहीं चाहता कि दबा रहने दो। ये गड़बड़ हो रही है, प्रदेश के हित में नहीं हो रहा। चाहे किसी भी पक्ष की सरकार आये, कोई पुराने पापों को कुरेदना नहीं चाहता, कोई पुराने जख्मों को देखना नहीं चाहता। मा0 अध्यक्ष जी, इस उम्मीद के साथ कि इस सरकार में मुख्य मंत्री जी और जो उनके चार–पांच कैपेबिल मिनिस्टर्स हैं जो बैक बोन ऑफ द सरकार कहलाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके सहयोग से सरकार और आगे बढ़ेगी। कल्पना तो आपने की है और मैं चाहता हूं कि जो दो साल बचे हैं, उसमें वह सब पूरी हो जाये क्योंकि पता नहीं अगली सरकार की क्या सोच हो फिर वैसी की वैसी गड़बड़ हो। सरकारों का रिपीट होना, न होना तो वक्त और समय बताता है। कैसे कर्म होंगे, क्या होगा वक्त बतायेगा किन्तु मैं चाहूंगा कि इन दो सालों में जो आपने वायदे किये हैं उनको पूरा करिये और जो मैंने आपको सुझाव दिये हैं मा0 मंत्री जी, उसके साथ दो–तीन एक्सटेण्ट्स और लगाइये। मैं मुख्य मंत्री जी और मा0 शिवपाल जी से कहूंगा कि आप अपने मंत्रियों से कहिये कि वे जा करके इण्डस्ट्रियल एरियाज़ के दौरे करें और इन सब व्यवस्थाओं को देखें। पुरानी व्यवस्थाओं को भी कुरेद कर देखिये जिससे जो एण्टरप्रेन्योर मरा पड़ा है, लाल फीता शाही, रेड ट्रेपिज्म के चलते हुये वह कहने को उद्यमी कहलाता है या सेठ कहलाता है या वह इण्डस्ट्रियलिस्ट कहलाता है, उसका पुरसाहाल भी देखिये, उसके गिरेबान में भी झांक के देखिये। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्रीमती विमला बाथम–

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे औद्योगिक विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे काबिल भाई ने बहुत अच्छी–अच्छी बातें यहां सदन में रखीं। आपकी कई बातों से मैं भी सहमत हूं। बजट में बहुत कुछ अच्छा कहा गया है और राशियां भी अच्छी आवंटित की गयी हैं परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन जो नीतियां हैं, वह सही नहीं अपनाती हैं इसलिये ये कितना भी कोशिश करते हैं उनको बल नहीं मिल पाता है। हम नोएडा को ही देख लें कि जब वहां जमीन ही नहीं है तो भारी उद्योग लगेंगे कैसे। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि नोएडा एक बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ औद्योगिक शहर था। आज से 15 साल पहले, मैं नोएडा में 1977 से हूं जब वहां एक पेड़ नहीं था और उद्योग लग रहे थे मैं उस समय की बात कर रही हूं। 17 अप्रैल, 1976 को नोएडा बना और नोएडा की नींव पड़ी और यह कहा था कि नोएडा सिर्फ एक औद्योगिक शहर होकर रहेगा लेकिन कालान्तर में जो सरकारें आईं, मैं किसी सरकार का जिक्र नहीं कर रही हूं, उनकी नीयत में ऐसा कुछ आया कि पहले तो उन्होंने रेजीडेन्सियल सेक्टर डेवलप किये। लेकिन हमारे उसमें रेजीडेन्सियल सेक्टर का प्रावधान सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो उद्योग लोग लगाते हैं, उनको रहने के लिए मकान मिले और दिल्ली तथा अन्य जगहों से उनको आना न पड़े और वे अच्छी तरह से, सुविधापूर्वक अपनी इण्डस्ट्री चला सकें। इसलिए उनको रहने की जगह देने की बात कही गई थी, परन्तु हुआ यह कि उनको तो जगह नहीं मिल पाई, वर्ष 2000 के बाद से। कोई प्लॉट नहीं आवंटित हुआ, उद्योग लगाने वालों को, लेकिन नोएडा एक रेजीडेन्सियल हब बन गया। माननीय नेता जी की सरकार में, जब माननीय अमर सिंह जी आपके साथ में थे, उस समय के इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो बहुत काला इतिहास है। उस समय नोयडा में बिल्डरों को सेक्टर के सेक्टर दे दिये गए, रेजीडेन्सियल के नाम पर और उद्योगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, जिसके लिए नोयडा बना था। क्योंकि मैं उद्योग चलाती हूं, हम सब ऐसे कितने लोग हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उद्योग चलाया उनके ऊपर क्या बीती होगी, जब उद्योग चौपट हो रहे हैं और वह रेजिडेन्सियल एरिया डेवलप हो रहा है, वह भी बिल्डरों को दिया जा रहा है। जिनका अधिकार था, जिन्होंने खून–पसीना बहाया, शुरू में, 1976–77 में जिन्होंने उद्योग चलाने की हिम्मत की उस जंगल में, उसको तो कुछ नहीं मिला लेकिन जो बाहर से आए वह मलाई लेकर, खाकर मुंह पोंछकर चले गए। यह हुआ है वहां पर। बहुत–सी बातें हैं, अभी उद्योग बन्धु की बात आपने की। मैं उद्योग बन्धु में जाती हूं। विधायक बनने के बाद मैं नहीं गई हूं लेकिन मैं हमेशा जाती थी। वहां मान्यवर, कुछ नहीं होता है। इन्होंने ठीक ही कहा कि अधिकारी आते ही नहीं हैं। हर बार डी0एम0 साहब लिखते हैं, जो पहले एजेन्डा होता है उस एजेन्डे के हिसाब से अधिकारी बुलाये जाते हैं, मैं आज सरकार को डायरेक्ट बताना चाहती हूं कि अधिकारी इतने ज्यादा मगरूर हो गए हैं कि नहीं आते हैं। डी0एम0 साहब की नहीं मानते, जब अधिकारी आएंगे ही नहीं तो उनके डिपार्टमेंट की बात कैसे सुधरेगी ? वह सुधर नहीं सकती। जमीन इतनी महंगी है वहां पर कि भारी उद्योग क्या लघु उद्योग लगना भी मुश्किल है। इतनी तेजी से जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, अभी फिर जमीनों के दाम बढ़ गए हैं कुछ दिन

पहले। जब तक आप औद्योगिक वातावरण नहीं बनाएंगे वहां पर, तब तक वहां उद्योग नहीं लग सकते। कुछ तो नीतियां यह भी हैं कि जो ब्यूरोक्रेटस हैं वह इतना डिले कर देते हैं, कभी पर्यावरण की परमीशन नहीं देंगे, कभी जमीन के अलॉटमेण्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, कभी बिजली नहीं देते हैं। कभी सेलटैक्स वाले परेशान करते हैं। इतनी परेशानियां नोयडा में हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में, जो नोयडा में इण्डस्ट्री लगा के चला ले वह बहुत बहादुर कहलाता है। नोयडा में जो अफसर आते हैं, रिश्वत देकर आते हैं और रिश्वत खूब लेते हैं। वहां पैसा कमाने का जैसे पैसे के पेड़ लगा हो, पैसे की मशीनें वहां हैं, इस तरह से नोयडा को ट्रीट करते हैं तो उद्योग कैसे चलेंगे ? ये माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मन की व्यथा कह रही हूं, क्योंकि मैं भी उससे दो–चार होती हूं। एक भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विश्व प्रसिद्ध उद्योग कम्पनी डे लाईट टॉस्क द्वारा कराये गए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण समाप्त होता जा रहा है। यह सरकारी कम्पनी है जिसने आपको सर्वे करके दिया है। नोयडा के उद्यमी उत्तरांचल और हिमाचल में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां सब्सिडी है। वहां बिजली में कमी है, सेलटैक्स नहीं है वहां पर और भी बहुत सुविधायें हैं। इसलिए उद्योगपति को तो जहां उसको पैसा कमाने की जगह मिलेगी वहां वह चला जायेगा। नोयडा औद्योगिक नगरी के नाम पर चौपट है और यह मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं कि सरकार के लिए यह बहुत अशुभ बात है। बहुत निराशाजनक बात है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आयेगा, आपके प्रदेश में उद्योग नहीं लगेंगे आपकी सरकार कैसे फले–फूलेगी। लॉ एण्ड ऑर्डर के कारण भी उद्योग नहीं लग रहे हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, नोयडा में लॉ एण्ड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जमीनों पर भू–माफिया कब्जे कर रहे हैं। मैंने एक दिन आपके सामने भी चर्चा की थी और माननीय मंत्री जी श्री अम्बिका चौधरी जी से भी मैंने चर्चा की थी कि वहां पर यह हो रहा है, और सरकार कैसे कान और आंख बन्द किये है। क्यों नहीं इस पर अंकुश लगवाती है, आपको 2017 में चुनाव भी लड़ना है। आपको आगे अपनी औद्योगिक नीतियां भी चलानी है, जब तक इस पर आप अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उद्योग नहीं चलेंगे, क्योंकि उद्यमियों को परेशानी है। जिस समय 1977 में हमने फैक्ट्री लगायी थी लोग सरेआम सरिया और सीमेंट ले जाते थे अब तो वहां सब कुछ है अब तो नोएडा में आने के लिये लोग उत्सुक रहते हैं कि नोएडा में हमारा आशियाना बन जाये। आज नोएडा वह हो गया है। एक मैंने नोएडा में नो–पावर कट जोन बनाने की बात पहले भी कही थी और आज भी कह रही हूं जब तक बिजली आप पूरी नहीं देंगे उद्योगों को तब तक उद्योग नहीं पनप सकते हैं। आप उद्योगों को चौबीसों घंटे बिजली दीजिये उद्योग अपने आप चलेंगे क्योंकि जनरेटर्स से उद्योग नहीं चल सकते हैं। एक यहां डिस्पले सेन्टर नहीं है यहां नोएडा में। जहां हम लोग अपने उत्पादों को डिस्पले कर सकें। चाहे आप किराया लीजिये इसमें चाहे आप हम लोगों को बेंच दीजिये लेकिन एक कामर्शियली डिस्पले सेन्टर की स्थापना जरूर कीजिये वहां। यह बात मैं बहुत अरसे से कहती आयी हूं लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है मैंने उद्योग बंधु में भी यह बात रखी है। चैयरमेन नोएडा के समक्ष बात रखी है जो वहां उद्योग सहायक समिति है उसमें बात रखी है। लेकिन हुआ कुछ नहीं है। एक तो जो उद्यमी वहां सफलता के साथ अपना

उद्यम चला ले उसको वहां रहने के लिये मकान मिलना चाहिये न कि बिल्डरों को अपना व्यवसाय करने के लिये। उद्यमी को मकान नहीं मिल पाया है। मान्यवर, नोएडा बेसिकली एक औद्योगिक नगरी है। एक उद्यमी जो अपना उद्योग सफलतापूर्वक चला ले उसको कामर्शियल भी जगह दीजिये ताकि वह अपना कम्पनी का जो माल है फैक्ट्री का माल है उसको वहां बेच सके। एक सबसे बड़ी कमी वहां नोएडा में यह है कि वहां कच्चे माल की मंडी नहीं है। हर बात के लिये हमे चावड़ी बजार जाना पड़ता है और चावड़ी बजार जाने का मतलब है टैक्स सभी उसमें इन्वाल्व होता है। उससे उद्यमी को प्राब्लम होती हैं तो यह सारी बातें बहुत दुखदायी हैं। जो हर तरह से इण्डस्ट्री की ग्रोथ को रोकती हैं। मान्यवर आर्थिक इतिहासकार नील फर्न्युसन जैसे विद्वानों ने भी यह दावा किया था पश्चिम के देश पूरी दुनियां में प्रतिस्पर्धा के बल पर आगे निकल गये हैं आज पश्चिम आगे जा रहा है और दूसरी ओर हमारा भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश क्योंकि स्पर्धा में नहीं आ पा रहा है। जब तक माहौल में गर्मी नहीं आयेगी स्पर्धा नहीं आयेगी तब तक उद्योग नहीं पनपेंगे। हमारी स्पर्धा अभी दिल्ली से है मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहती हूं कि कितना घाटा सरकार को होता है। मान्यवर, जो मशीनें हैं वह हम लोग दिल्ली से इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वहां 2 प्रतिशत सीएसटी है जबकि हम लोग उत्तर प्रदेश से मशीन लें तो यहां 14 प्रतिशत वैट लगता है। व्यापारी वहां से दिल्ली के एड्रेस से बिल बनवाते हैं और वहां से मशीन ले आते हैं। तो सरकार को घाटा होगा इस पर सोचने वाली बात है। मशीनें लाखों करोड़ों की, 50–60 लाख की मशीनों पर यदि आप 14 प्रतिशत वैट लेंगे तो कौन लेगा। तो इस पर भी पॉलिसी आप लोग बनाइये और वह क्लियर होनी चाहिये। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने डब्लू0टी0ओ0 पर हस्ताक्षर किये थे उससे देश के रोजगार को बहुत बड़ा धक्का लगा। नौजवान बेरोजगार हो गये क्योंकि हम बाध्य हो गये चायना और दूसरे देशों से सामान लेने के लिये। अब मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर इस बात को पीछे किया और हो सकता है कि आगे आने वाला समय मेक इन इंडिया का हो और जो युवाओं के लिये रोजगार का सृजन करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में आपने 12 मण्डलों में महिलाओं के प्रोत्साहन के लिये स्कीम निकाली है। लेकिन नोएडा में ऐसी कोई स्कीम नहीं है नोएडा क्यों छूटा है। आप महिला प्रोत्साहन स्कीम नोएडा में दीजिये। हमारी अपनी संस्था है। अभी आठ मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम किया वहां नोएडा में। तो सारी महिलायें लाभान्वित हों उससे उनका व्यापार बढ़ेगा और उससे आपका रेवन्यू बढ़ेगा। हमारे रेवन्यू मिनिस्टर जानते हैं उस चीज को। अभी जो बजट बना है उसमें इण्डस्ट्री को खास नहीं दिया गया है। आपने सबको बहुत दिया है लेकिन इण्डस्ट्री को कोई सौगात नहीं दी। इण्डस्ट्री को कोई सौगात जरूर दे दीजिये बजट के अलावा। प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की बात कही गयी थी लेकिन कोई बढ़ावा अभी नहीं मिल रहा है। जो आपने बजट में बातें कहीं हैं अगर वह पूरी तरह से लागू हो जायें तो मुझे लगता है कि बहुत भला हो जायेगा पूरे उत्तर प्रदेश का और नोएडा का। अभी बात आयी थी यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का बहुत बुरा हाल है एक बार आप वहां जाकर जरूर देखें। बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया।

'डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग पर बोलने का अवसर दिया । माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल जिसमें करीब इस प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी रहती है वहां विकास के नाम पर दो इण्डस्ट्रियल एरिया सीडा और गीडा, गोरखपुर में और एक जौनपुर में स्थापित हुआ जो नोयडा की तर्ज पर बनाने का प्रयास किया गया था मगर आज तक इन दोनो क्षत्रों में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। गीडा में तो कुछ इण्डस्ट्री गोरखपुर में शुरू भी हुई मगर सीडा जौनपुर की जो रही है वहां पर कोई इण्डस्ट्री अभी तक चालू नहीं हुई और हुई भी है तो नाममात्र की हुई है जिससे न तो रोजगार सृजन हुआ और न इस प्रदेश का जो पूर्वान्चल है जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास हुआ है। गीडा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है बिजली की सप्लाई और जो सबसे ज्यादा त्रस्त इलाका है अभी तक हमारी बहन माननीय सदस्य ने नोयडा की बात कही है तो नोयडा तो एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल हब है लेकिन यहां गीडा और सीडा में जितने अधिकारी है जिनका कंट्रोल हो चाहे वह इक्साइज से हो, चाहे वह सेल्सटैक्स से हो, चाहे वह बिजली से हो और चाहे वह भूमि प्रबन्धन के हो चाहे वह रजिस्ट्रेशन के हो तो जितनी छोटी इकाइयां हैं तो वह सारी कमाई इन छोटी इकाइयों से कर लेना चाहते हैं इससे वहां की इण्डस्ट्रीज प्रताड़ना की शिकार हैं और जो सबसे बड़ी दिक्कत है इंडस्ट्री शुरू करने में पूरे प्रदेश में कि यहां एकल विन्डो सिस्टम नहीं है, एकल खिड़की सिस्टम नहीं है और जिसकी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेन्ट हैं अगर इण्डस्ट्री शुरू करना हो किसी भी एक उद्यमी को तो कम से कम 6 साल से एक साल तक उन्हें डिफरेंन्ट गवर्नमेन्ट से परमीशन लेने में लग जाते हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि एकल विन्डो सिस्टम यहां पर लागू की जाय और उस एकल विन्डो सिस्टम में जो भी एप्रोवल या जो भी लीगल फार्मेलिटी हो उसको एक निश्चित समय में उसको अपने आपको पारित माना जाय या उसको अपने आपमें इक्सेप्टेंस माना जाय क्योंकि अधिकारी उसमें देर इसलिए करते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले घूस के रूप में इसलिए इण्डस्ट्री का विकास नहीं हो रहा है। मैं दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पार्टेन्ट चीज आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूं कि यहां पर पूर्वान्चल के बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं मगर उनके छोटे उद्योग जो कुटीर उद्योग कहलाते हैं उनको किसी तरह की कुटीर उद्योग की सुविधा उन्हें मुहैया नहीं है इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उन कुटीर उद्योगों को चाहे वह दस्तकार हो चाहे वह बुनकर हो, या और छोटे व्यापारी हो उनको कुटीर उद्योग की जो भी नीति है उसका फायदा उसका लाभ उन्हें पहुंचाया जाय और जो बड़े उद्योग हैं वह बहुत ज्यादा मुनाफा तो नहीं कमा सकते हैं जैसे कताई मिल हैं वह सभी कताई मिल बन्द पड़े हैं पूर्वान्चल के करीब–करीब सभी कताई मिल बन्द हो गये हैं बुनकरों को सूत नहीं मुहैया हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में एक बहुत पुराना कताई मिल है जो बन्द पड़ा है उस कताई मिल को पुनर्जीवित किया जाय उसको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलाया जाय ताकि वह पूरा इलाका जो बुनकरों का इलाका है उन्हें सूत सस्ते दाम पर मिल सके और किसी तरीके से जो भी कच्चे माल छोटे–छोटे उद्योगों के लिए होते हैं एक बड़ी इंडस्ट्री सरकार की तरफ से लगाई जाय ताकि छोटे उद्योगों को कुटीर उद्यागों को सामान मिल सके और वह अपना जीवनयापन कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, जैसा कि हमारी बहन विधायक ने घूसखोरी और लॉ–एण्ड–आर्डर के बारे में कहा। यहां जो भी अधिकारी आता है वह किसी भी उद्योग क्षेत्र में जाकर किसी भी उद्यमी के उद्योग में प्रविष्टि होकर जो मनमाना काम करना चाहता है, वह करता है और वह कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से उद्योग में कोई न कोई कमी दिखा करके उसको बन्द कर दिया जाये और उसका शोषण किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं कि सरकार इन सभी बिन्दुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करे और उद्योग की सही मायने में जो परेशानियां हैं, दिक्कते हैं उसे दूर करने का काम करे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो–तीन बातें मंत्री जी से और पूछना चाहूंगा कि आपने अपराह्न बुकलेट पर लिखा है कि गैस पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र आप डेवलप करेंगे और आप यदि देखें कि जब आपकी सरकार आई थी तब हमने यू0पी0ए0 की गवर्नमेण्ट में मथुरा में गैस का इण्डस्ट्रियल गैस लाकर दे दिया था, वहां पर हम कह कह के हार गये। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एम0डी0 साहब की इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हो गई, चीफ सेक्रेट्री साहब को लिखकर दे दिया, कई बार लिखकर दे दिया और मथुरा में ताज ट्रेपोजियम जोन के अंतर्गत होने के कारण भी औद्योगिक गैस आने के बावजूद भी एक अलग से गैस पर आधारित इण्डस्ट्रियल एरिया हम चाहते थे, पर सरकार की प्रायरटी में वह नहीं है, तो नक्कारखाने में तूती की आवाज, कितने ही कागज दे दीजिये, मुख्य मंत्री जी से कह दीजिये, चीफ सेक्रेट्री साहब से कह दीजिये, इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कमिश्नर से कह दीजिये, इनके प्रिन्सिपल सेक्रेट्री इण्डस्ट्री से कहा और माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे भी कह रहा हूं कि तो जब गैस उपलब्ध है, तो क्यों नहीं एक इण्डस्ट्रियल एरिया आप वहां डेवलप कर देते हैं, जब आपके वहां सारे के सारे उद्योग हैं। वहां पर साड़ी उद्योग, कांच उद्योग, मिसलेनियस उद्योग हैं, चांदी का सबसे बड़ा उद्योग देश का मथुरा में है, तो तमाम उद्योग वहां शिफ्ट कर जायेंगे। नई इण्डस्ट्री वहां मथुरा ही नहीं आस–पास से भी आ जायेंगी और वहां बिजली पूरी मिलती नहीं है, ताज ट्रे–पोजियम जोन की प्रयरटी पर यहां गैस मिलनी चाहिये थी। इसी तरह मैं आपसे चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार को लिखिये कि फिरोजाबाद और आगरा में उसके रेट कम हैं और मथुरा में इण्डस्ट्रियल गैस के रेट ज्यादा हैं। केन्द्र सरकार को लिखिये कि ताज ट्रेपोजियम जोन के अंतर्गत तीनों जगह रेट बराबर होने चाहिये। इसी तरह से जो मथुरा आयल रिफायनरी है उत्तर प्रदेश सरकार 1600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इण्ट्री टैक्स के लेती है। माननीय मंत्री जी, आपको पता है कि नहीं ? शायद नहीं पता। उत्तर प्रदेश सरकार 1600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इण्ट्री टैक्स के रूप में लेती है, उस 1600 करोड़ रुपये का एक परसेण्ट भी आप भगवान

श्री कृष्ण की नगरी पर नहीं खर्च करते हैं। यदि आप एम0ओ0यू0 देखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि ताज ट्रेपोजियम जोन के अंतर्गत वह 1600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, तो इसका मुझे स्पष्टीकरण दे दीजिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बीच में मत बोलिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माथुर साहब मैं अध्यक्ष जी की इजाजत से बोल रहा हूं। आप तो एक सेकुलर देश के रहने वाले हैं, उस आमदनी में से किसी धार्मिक काम के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। असल में मुसीबत यह हुई कि आपको अयोध्या भी ले डूबा, मथुरा भी ले डूबा और आपने सिवाय मथुरा, रायबरेली और अमेठी के सोचा ही नहीं, आप अमेठी जीत गये, रायबरेली जीत गये, आप मथुरा जीत गये।

श्री प्रदीप माथुर–

आप कन्नौज के बारे में सोचते हैं, आप सैफई के बारे में सोचते हैं, आप रामपुर के बारे में सोचते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब कृपया आप संक्षेप करें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मैं एक बात और कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपको उद्योगों की चिंता है उत्तर प्रदेश की। आपको पता है कि यहां के तमाम उद्योग इसलिये पलायन कर रहे हैं क्योंकि वह कहते–कहते हार गये कि हम चिट्ठियां लिख–लिखकर हार गये प्रमुख सचिव, उद्योग को, लघु उद्योग को और चीफ सेक्रेट्री को दे चुके हैं। 10 परसेण्ट प्राइज फ्रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश के उद्योगों को दिया जाता था, उनका माल बनाने के लिये। मथुरा में फायर ब्रिगेड की बड़ी–बड़ी गाड़ियां बनती हैं और उनको प्राइज फ्रेफरेंश न मिलने के कारण वह उत्तर प्रदेश में नहीं बिक पाती हैं हां हरियाणा के उद्यमी बेचते हैं, यहां गुजरात के उद्यमी बेचते हैं, यहां पंजाब के उद्यमी बेचते हैं। इस तरह की पता नहीं क्या–क्या व्यवस्था यू0पी0 में बनती है, पर आप उनको कोई प्रॉयरिटी नहीं देते। मेरा आपसे कहना है कि उनको आप वैट का फायदा दीजिये, उनको आप 10 परसेंट प्रिफरेंस दीजिये, आप लोगों से लिख–लिखकर हार जाइये, कोई लॉजिकल मामला ही नहीं है। हर चीज को राजनीति में ट्विस्ट कर दिया जाता है। एक इंटरप्रेन्योर को कैसे डेवलप करना है जाकर उत्तराखंड में देखिये, वहां चाहे काग्रेंस की सरकार रही हो, चाहे बी0जे0पी0 की सरकार रही हो, चाहे आप महाराष्ट्र में देखिये, चाहे आप गुजरात में जाकर देखिये, इन्टरप्रेन्योर्स के लिये वहां पलक पांवड़े बिछाये जाते हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस काम को कर रहे हैं, पलक–पांवड़े बिछा रहे हैं। परन्तु स्थिति यह है कि आज जो उद्योग लग रहे हैं और जो वह प्रोडक्ट बना रहे हैं जो पूरे देश और विदेश में जाकर बिकते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको क्यों नहीं खरीद रही है। दो साल हो गये मंत्री जी मुझे लिखते हुये, चीफ सेक्रेट्री को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर को, प्रमुख सचिव, लघु उद्योग को, प्रमुख सचिव, वित्त को, लेकिन

सब नक्कारखाने मे तूती की आवाज, मैं बार–बार कहता हूं कि अफसरशाही पर लेटर्स का कोई असर नहीं होता, माननीय आजम खां लिखें, शिवपाल जी लिखें, उनके आदेशों के अनुपालन हो जाते हैं ख्ग ग ग, आखिर क्यों, यह मैं बता रहा हूं आपको । उद्योग कैसे बचेंगे, उद्यमी इस तरह तो यहां से भाग लेंगे यदि उनका प्रोडक्ट यहां नहीं बिकेगा। तो अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और चाहे आगरा का इंडस्ट्रियल एरिया हो, सहारनपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो और चाहे रामपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो, मैं रामपुर की भी बात कर रहा हूं वहां तो चाकू बनते हैं, कानपुर की छूरियां, उनको चाहे इधर कर दीजिये चाहे उधर कर दीजिये। छूरियां तेज करा लीजिये, माननीय मंत्री जी को जरूरत नहीं है, इसके अलावा मुरादाबाद का पीतल, अलीगढ़ के ताले, मथुरा की टोटियां, आगरा का हैन्डीक्राफ्ट और भदोही के कारपेट तो यह सारी व्यवस्थाओं को आप ढंग से देखिये, बारीकी से देखिये। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारे यहां तो आपने एक नमूना दे रखा है।

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय माथुर साहब से इतना जरूर कहूंगा कि जो आपने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के लेटर इधर–उधर हो जाते हैं, यह आपकी गलतफहमी है। जो आपने कहा है वह टोटल सौ परसेंट गलत कहा है, आप इस सदन को गुमराह कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी का लेटर इधर हो जाय, उधर हो जाय, यह कम्परेजन करना आपको शोभा नहीं देता।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बीच में अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

इस बात को आपने कहा है, आप कार्यवाही में देख लीजिये । आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको तो माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये, इसलिये कि अब तक बहुत सारी सरकारें पीछे आई और गई, लेकिन जितना प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र में किया है और जिसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर–

आपने सिक्के का पहला पहलू नहीं देखा ।

श्री कैलाश–

अब आप सुन लीजिये। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आपको धैर्य भी रखना चाहिये। जब आप बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे तो जब हम बोल रहे हैं तो कम से कम सुनने की आदत तो डालिये। आप सुन नहीं रहे हैं यह परम्परा के विपरीत है। आप दूसरे को सिखायेंगे और खुद नहीं सीख रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि अब तक जितना प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र में किया है और जितना निवेश किया है, जितना उद्योगपतियों को बुलाया है,

---

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जितना उनको सम्मान दिया है, जितनी उनको फैसिलटी दी है और जितना उनको व्यवस्था दिया है और जितना लोगों ने निवेश किया है, अब तक ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ है और न कभी किसी ने किया है। तो आप लोगों को तो इसके लिये धन्यवाद देना चाहिये। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जो भी सुझाव हैं और हमारी माननीय सदस्या का जो भी सुझाव है, इस पर विचार किया जायेगा। अब इस प्रस्ताव को आप वापस लीजिये।

श्री जाहिद बेग–

प्रदीप माथुर जी, अपने शब्दों को वापस लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री कैलाश–

मा0 अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि अभी माथुर साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के पत्र इधर से उधर हो जाते हैं और इनके–इनके पत्र पर कार्यवाही हो जाती है, आपसे आग्रह है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन टोटल गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मा0 मंत्री जी आपने प्रस्ताव कर दिया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब माथुर साहब क्या आप इसे वापस ले रहे हैं।

(मा0 सदस्य श्री जाहिद बेग के टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बैठ जाइये, आप लोग शान्त रहें। माथुर साहब क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट, इन्होंने मा0 मुख्य मंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की है यह बहुत गलत है। इन्होंने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी का पत्र इधर से उधर हो जाता है, यह बहुत गम्भीर बात है, इसको निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी का प्रस्ताव आ गया है उसे निकाल दिया जायेगा, अब आप बैठ जाएं। मा0 माथुर साहब, क्या आप वापस ले रहे हैं।

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर की ओर से कोई जवाब न मिलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 31,28,89,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,59,46,23,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, ये जाने के चक्कर में हैं, अनुदान सं0–3 इनको आपने लिख दिया है कट–मोशन के लिए। यदि आप कहें तो पहले इनको बुला लें और चिकित्सा विभाग के बजट को उसके बाद ले लें, क्योंकि इनको जाना है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, रखवा लें।

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत शरण गंगवार)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में।

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

मान्यवर, यह चिकित्सा विभाग है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब ने रिक्वेस्ट किया और मा0 नेता विरोधी दल ने स्वीकृति दे दी है इसलिए अब चिकित्सा विभाग का बजट बाद में लिया जायेगा।

'श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,96,47,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मुझे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2015–2016 का बजट चौथी बार प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। महोदय, यह विभाग जैसाकि नाम है सूक्ष्म उद्यमों, जिन इकाईयों पर प्लाण्ट और मशीनरी का खर्च 10 लाख से 10 करोड़ तक में आता है, छोटे हैं लेकिन इन सबकी महत्ता प्रदेश के अन्दर बहुत है। इनसे रोजगार काफी मिलता है इसीलिए हमारी सरकार का इस विभाग पर बहुत बड़ा ध्यान भी है। आज का जो बजट प्रस्तुत किया है वह पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक बजट है। माननीय मुख्य मंत्री जी की भी सोच है कि उद्योग ही ऐसा रास्ता है जो रोजगार को सृजित करता है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का विकास होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। उसके बाद में निर्यात प्रोत्साहन का मामला है, निर्यात प्रोत्साहन पर तो सरकार इतना ध्यान देती है और उसी ध्यान के कारण अगर हमारी सरकार के आंकड़े 2012 से आज तक के देखे जांय और पिछली सरकारों के देखे जांय, तो कम से कम दो–ढ़ाई गुना निर्यात अधिक हुआ है। जब शुरू में आये थे तो 50 हजार करोड़ से नीचे थे और आज 85 हजार करोड़ के करीब हैं। हमारा मानना यह भी है कि इस सरकार के मा0 मुख्य मंत्री जी की जो सोच है और विभाग जिस तरीके से प्रयास करता रहता है पूरे प्रदेश के अन्दर, तो अगले आने वाले वर्षों में यह निर्यात ड्योढ़े से भी ज्यादा लगभग दो गुना हो जायेगा और 2017 के शुरूआत में पहुंचते–पहुंचते मेरा मानना है कि इसमें हम 3 लाख हजार करोड़ पर पहुंचाने का प्रयास करेंगें। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) इस उत्तर प्रदेश में अपार संभावनायें भी हैं, यह क्षेत्रफल में बहुत विस्तृत प्रदेश है। आबादी के हिसाब से विश्व में इसका छठा नम्बर आता है तो उसी तरीके से यहां युवाशक्ति बहुत है। यहां रॉ–मैटेरियल बहुत है और इसको देखते हुए सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो। तो मैं आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2009 से 2012 तक 5,49,494 रोजगार सृजित हुए लघु उद्योग के माध्यम से। 2012 से 2015 तक 10,75,412 रोजगार सृजन का काम हमारे विभाग ने किया। विभाग लगातार इस प्रयास में रहता है कि और कैसे करके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिक सम्भावनायें बढ़ें, निर्यात बढ़े और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाया जाये। इसी क्रम में अगर आप सब लोगों को ध्यान होगा कि औद्योगिक अवस्थापना की जो नीति बनी थी तो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार जो वर्ष 2004 में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनी थी उसमें औद्योगिक विकास नीति का निर्माण किया गया था और आज 8 साल के बाद जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 8 साल के बाद में उद्योग नीति को और आगे बढ़ाने का काम हमारी ही सरकार ने किया है, इससे यह भी परिलक्षित होता है कि इस सरकार की मंशा उद्योगों के प्रति बहुत गंभीर है और वैसे भी मा0 मुख्य मंत्री जी की चाहे आगरा सम्मिट की बात हो, चाहे दिल्ली सम्मिट की बात हो। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर स्वयं की भी मर्जी थी हमने 2013 और 2014 के अन्दर बड़े उद्यमी महासम्मेलन किए जिसमें कई हजार प्रदेश के उद्यमियों ने भाग लिया माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें साढ़े तीन घंटे लगातार मंच पर बैठे एक एक उद्यमी की बात सुनी और 2014 में भी माननीय मुख्य मंत्री जी का यही क्रम रहा मुख्य मंत्री जी का कि बहुत लम्बे समय तक मंच पर बैठे रहे और आज भी जितने हमारे उद्यमी साथियों ने जितनी भी बातें रखीं या आवश्यकताओं के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को बताया उस पर हमारा विभाग क्रमशः एक एक बात पर अमल कर रहा है। माननीय हमारे मथुरा के विधायक जी बहुत सम्मानित हैं बहुत वरिष्ठ हैं मैं भी वैसे 1991 से एम0एल0ए0 हूं लेकिन बोलने का क्रम जबरदस्ती का रहता नहीं है अध्यक्ष जी अगर अनुमति देते तो मैं भी बोल सकता था। जबरदस्ती बोलने की आदत नहीं है। हमारे माथुर साहब कहते हैं लेकिन सुनते नहीं है मैं कई मीटिंगों में माथुर साहब के साथ बैठा हूं। इन्होंने फटाफट अपनी बात कही और चले गए सुनते नहीं हैं केवल अपनी बात कहते हैं। आज भी यह यही करेंगे यह कहेंगे और उठकर चले जाएंगे। मेरा माथुर साहब से भी निवेदन है मैं मथुरा भी गया वहां मीटिंग भी की और प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों के साथ बैठा मैं उद्योग बन्धु का मामला मेरे में नहीं आता है लेकिन उद्योग से जुड़ा मामला है इसलिए मेरी जिम्मेदारी सरकार के नाते रहती है मैं कई मण्डलों की उद्योग बन्धुओं की मीटिंगों में गया इस सरकार ने उद्योग बन्धु को इतना मजबूत कर दिया है इतना पैसा दिया है आप देख लें पिछले 12 से लेकर आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने आंकड़ा तो नहीं देखा मुझसे सम्बंधित नहीं है लेकिन पिछली सरकारों के मुकाबले दो गुना तीन गुना बजट उद्योग बन्धुओं को दिया। हमने निर्देश भी दिए शासन में निर्देश दिए कि उद्योग बन्धओं द्वारा जो भी बात रखी जाए अधिकारी तत्काल उसका निस्तारण करें। मैंने स्वयं मुरादाबाद में देखा है मुरादाबाद के विधायक यहां बैठे होंगे मैंने वहां मीटिंग की मुरादाबाद मण्डल के सारे अधिकारी आए एक एक बात का निस्तारण हुआ मैं बांदा गया था बांदा में उद्योग बन्धु की एक–एक बात का निस्तारण हुआ। इसी तरह से मैं जिला उद्योग बन्धुओं की मीटिंग में बैठा अभी जो आरोप लगाए जा रहे थे कि जिला उद्योग बन्धु की बैठक में बात नहीं सुनी जाती है मेरी यह बात समझ में नहीं आती। आनने कहा कि मैंने प्रमुख सचिव से कहा अरे मैं आपको मिलता रहता हूं मुझसे कोई बात आप बताएं। मैं दावे के साथ इस सदन में कह सकता हूं कि इस सदन में मेरे किसी भी साथी ने कोई बात कही हो तो उस बात का क्रियान्वयन न

हुआ हो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो प्रेक्टिकली बात करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी महा–सम्मेलन के अन्दर तीन हजार उद्यमी बैठे हुए थे इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए थे मैंने एक बात बड़े ही चुनौतीपूर्वक उद्यमियों से पूछी मैंने कहा कि मेरी बात गलत हो तो हाथ उठा देना सही हो तो सारे लोग एक स्वर में कह देना मैंने कहा कि बताओ कि लघु उद्योग विभाग की कोई शिकायत आपने की हो और उसको सुना नहीं गया हो आपको अधिकारी लोग परेशान कर रहे हों कहीं लूट और खसोट करने का काम कर रहे हों तो उस पूरी तीन चार हजार लोगों की मीटिंग में एक भी उद्यमी का हाथ नहीं उठा और एक ही बात कही कि मंत्री जी आप सही कह रहे हैं इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उसमें इस प्रदेश के बहुत सारे अच्छे अच्छे उद्यमी थे अच्छे अच्छे निर्यातक थे हमने निर्यात के क्षेत्र में चाहे अवस्थापना की बात हो चाहे लोगों को सुविधाएं देने की बात हो हमारी सरकार में आप जमीन खरीदें तो रजिस्ट्री फीस माफ कर दी बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया है। वैसे एस0आई0 के क्षेत्र में आंकड़े अगर दूंगा तो अध्यक्ष जी बहुत समय लगेगा एक योजना एसाइट की है कई सौ करोड़ रुपए का काम लगभग 15–16 बड़े प्रोजक्ट लगभग 200 करोड़ के प्रोजक्ट लग चुके हैं। जिनमें कई हजार लोगों को रोजगार मिला है। 36 ऐसे प्रोजक्ट और हैं जिनकी शुरूआत हो गई है और इनके अन्दर कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी संभावनाएं निर्यात के विषय में भी हमसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि जापान में एक इंडिया टेबल मेला लगा था माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मंत्री जी आप जापान जरूर जाइएगा और पूरे इंतजाम के साथ जाइए। अपने विभाग के लोगों को लेकर जाइये, मैं गया था वहां और कई करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 साइन हुए। आगरा के चर्म उद्योग से संबंधित लोगों के, मुरादाबाद के शीशा और फिरोजाबाद के शीशे के सम्बन्ध में वहां। इसी तरीके से जर्मनी गया था, इसी तरीके से अभी साउथ अफ्रीका माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश करके भेजा था कि आप जायं जरूर और वहां के जो एसोसिएशन हैं, जो गर्वनमेंट की संस्थाएं हैं, जो निर्यातक हैं उन लोगों को बुलाकर वहां मीटिंग करिये और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को जानकारी दीजिये। यहां का हस्तशिल्प पूरे हिन्दुस्तान के हस्तशिल्प में मशहूर है। हिन्दुस्तान का हस्तशिल्प ऐसा हस्तशिल्प है परम्परागत हस्तशिल्प है और यह बात सही है कि उनकी उतनी वो नहीं है। हमने इस बार हमारे लघु उद्योग विभाग ने एक हस्तशिल्प नीति का निर्माण किया है। हमने बहुत सारे काम किये हैं नये जो पिछली सरकारों के समय में नहीं थे आदरणीय अध्यक्ष जी। एक मिनट सर..

श्री अध्यक्ष–

जो आपने किया वह कार्य–पूर्ति पुस्तिका में होगा। कोई नई बात हो तो बतायें। वह तो यह लोग पढ़ लेंगें।

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, नई बाते हैं। जहां तक प्रदेश के निर्यात के आंकड़ों की बात है, हमने ढाई गुना निर्यात बढ़ाया है इससे डी0टी0पी0 बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति से प्रदेश सुदढ़ होता है इस बार भी बजट हमारा डेढ़ गुना से ज्यादा है। और एसआईट के प्रोजेक्ट फैशन टेक्नोलोजी सेन्टर एक गाजियाबाद में लगां एक

अलीगढ़ में डाई मेकिंग का लगा, मऊ में एक डाई मेकिंग का लगा, मुरादाबाद में होम डेकोर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा, भदोही में माडल हाउस, सी0एफ0सी0 खाद लेदर और मीट का बरेली में एक लगा। एक काम और विभाग ने किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। हमने जो परम्परागत काम होते थे यहां हस्तशिल्प के, उनका डी0आई0 रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया जिससे उनके अधिकारों का कोई दूसरा हनन न कर पाये जिससे उनको उस चीज का लाभ मिले, उनकी पहचान इन्टरनेशनल मार्केट में हो। तो डी0आई0 रजिस्ट्रेशन कराने का काम भी शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने जो उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है उसका मेमोरेन्डम पार्ट–1 और मेमोरेन्डम पार्ट–2 उसका आन लाइन काम शुरू करा दिया जिससे किसी उद्यमी को परेशानी न हो। हस्तशिल्प विपणन योजना, किसान योजना नई बनाई। महिला उद्यमी योजना जो आज तक नहीं थी। मध्यांचल, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड जहां आज भी जब गरीबी की लोग बात करते हैं हमने उसमें महिलाओं के लिये ढाई लाख के यानि जितना वह लोन लें तो एक साल में अधिकतम 50 हजार के लोन की सब्सिडी और सर्वाधिक ढाई लाख की सब्सिडी देने का काम महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना में किया है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 का निर्माण कर दिया। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति बनाने का काम किया पिछली सरकार ने बन्द कर दी थी। उद्योग बन्धु की राज्य मंडल और जनपद की समितियों का सुदृढ़ीकरण किया। उद्यमियों की समस्याओं से रूबरू होने के लिये, उदय्मियों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 2013 और 2014 में बड़े उद्यमी महासम्मेलन हुए। प्रदेश में निर्यातकों को समस्त प्रकार की प्रकार की सुविधाएं, अनुदान, आन लाइन कराना सुनिश्चित कर दिया। जितनी भी सब्सिडी दी जाती है लघु उद्योग चाहे वह निर्यात की हो चाहे किसी भी तरीके की सब आन लाइन कर दिया कि बस बटन क्लिक किया और सीधे। चेक वेक कुछ नहीं आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से और सबसे बड़ा काम अध्यक्ष जी यह किया हमारी सरकार ने कि लोगों का मन जीता है, लोगों का विश्वास जीता है। जैसे ढाई हजार लोगों तीन हजार लोगों के बीच में बैठे थे एक ही बात कही थी कि अगर किसी को परेशानी हो बतायें एक उद्यमी ने इस बात को नहीं कहा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश निर्यात नीति बनाने की प्रक्रिया में है। निर्यात नीति बन जायेगी उससे जहां भी निर्यातक को कहीं कोई परेशानी है उन परेशानियों को दूर करना, और रोड मैप तैयार करना, और कैसे निर्यात और अधिक बढ़े सबसे ज्यादा गुजरात का निर्यात है चार लाख हजार करोड़ हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार रहेगी तो आखिरी समय तक हम चार लाख हजार करोड़ तक निर्यात पहुँचाने का काम करेंगे और इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं हस्त शिल्प विपणन योजना नई बनाने का काम हमारी सरकार ने किया महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना यह नई योजना हमारी सरकार ने बनाने का काम किया।इस तरीके से बहुत सारी योजनायें उद्योग विभाग की चालू हुई हैं और इन सबका एक ही मकसद है कि प्रदेश कैसे गति पकड़े। प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पर आए, किस तरह से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। किस तरीके से हमारे परम्परागत जो काम हैं। हमारे यहां जो हस्तशिल्प के काम हैं कैसे वह बरकरार रहें। इसी लिए उनको सुदृढ़ करना, उनकी डिजाइनिंग आदि सब कुछ उन्हें सिखाना

और कैसे वह परम्परागत काम न छूटे और उनके बेटे भी उसी काम को करें उनकी खुशहाली होगी तभी वह बेटे काम करेंगे। बजट भी चाहें तो मदवार देख लें तो हर मद में 13 से लेकर 96 परसेंट तक टोटल बजट जो था वह दुगुना हो गया। भदोही के अन्दर कालीन का उद्योग बन्द हो रहा था लोग काम नहीं करना चाहते थे उन्हें पैसा नहीं मिलता था। डेढ़ सौ करोड़ रुपये अभी–अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने और परसों उसका उद्घाटन भी है डेढ़ सौ करोड़ रुपये का एक्सपो–हब बनाने जा रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

अधिकांश जिलों में एक्सपो–हब स्वीकृत होने का काम शुरू हो गया है। बनने शुरू हो गए हैं लोग क्रय करने के लिए बाहर से आएं और सामान लेकर जाएं। हमारी एक और बहुत बड़ी योजना है वह क्रियान्वन होगी और होगी यह विश्वास है हमारा। हमारी योजना है कि हम कानपुर और लखनऊ एयरपोर्ट के पास एक एक्सपो–हब बनाने जा रहे हैं जो हम देखकर आए थे जर्मनी के अन्दर, वहां चार–पांच हजार स्टॉल लगने का एक ग्राउन्ड बना हुआ है उसी में वह सब मेले लगाते हैं। वह तो टेम्प्रेरी मेले लगाते हैं लेकिन हमारे विभाग का और हमारी सरकार की मर्जी है कि समय रहते अगर जमीन की व्यवस्था जल्दी होगी तो प्रदेश में दस हजार स्टालों का एक एक्सपो–हब बनेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

हम नई निर्यात सिटी बनवाने का काम करेंगे और पूरे साल वह वहीं रहेंगे। पूरे प्रदेश के लोग आएगें और वह वहां से क्रय करके ले जाएगे। एक–दो बात और रह गई हैं। मान्यवर, बातें तो बहुत हैं यह समय, जो दौर बीत रहा है यह तकनीकी सूचना का समय है। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी की सलाह से, पोर्टल बनाने का काम हम शुरू कर रहे हैं जिसमें सारे एम0एस0 एम0ई0 का जितना काम होगा जिस जगह काम होगा इसे हम इण्टरनेशनल स्तर पर फैलाने के लिए एक पोर्टेल बनाने का काम कर रहे हैं। हम हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी एक पोर्टल बनाने का काम कर रहे हैं कि हस्तशिल्पी लोगों को अपनी पहचान कराने में लोगों को परेशानी न हो इण्टरनेशनल स्तर पर उनकी विख्याती हो। ऐसे–ऐसे काम हैं मा0 अध्यक्ष जी, एक पतली सी सलाई से एक पत्थर के टुकड़े पर हाथी बनाया और उसके पेट में हाथी एक सुराख से बनाने का काम किया फिर उसके पेट में एक हाथी बैठाल दिया। ऐसे–ऐसे कलाकार हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। व्यवस्थायें नहीं हुईं थीं व्यवस्थायें आज की तारीख में हो रही हैं अब हस्तशिल्पी भी ऊपर को उठ रहा है।रोजगार भी लोगों को मिल रहा है । माथुर साहब मुस्कुरा रहे हैं यह तो अपनी बात कहकर चले जाएंगे। मेरा निवेदन है कि जवाब भी मेरा सुनकर जाना।मा0 अध्यक्ष जी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष जी, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए रु0 2,96,47,53,000 रुपये की व्यवस्था है। मान्यवर, मैं गंगवार साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और यह काफी मेहनत करते हैं। जितने आपके फ्रंट के जो मंत्री हैं जिनके बारे में अक्सर ही पूरा हाउस तारीफ करता है जिसमें मा0 आजम खां साहब भी हैं तो उस श्रेणी में मैं गंगवार साहब की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि इसमें कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है। उसमें कारण यह है कि यह बराबर इण्डस्ट्रियल एरियाज में घूमते हैं और खुद घुसकर काम करते हैं। इसलिये इनकी प्रशंसा की जानी आवश्यक है। मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक लघु उद्यमियों का मामला है और जहां तक जिला उद्योग केन्द्रों का मामला है, मा0 मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी बराबर प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाने के लिये, परन्तु मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि लालफीताशाही के चलते आप उन्हें जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था सामने नहीं आ पायेगी और सही आदमी को सही व्यवस्था नहीं मिल पायेगी। ठीक है, मा0 मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, इनके अधीनस्थ अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि मेन रिजल्ट क्या आ रहा है, उद्योगों को क्या मिल रहा है ? आप यह देखिये कि पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बने हुये हैं अधिकतर लघु उद्योग इकाईयां लगी हुयी हैं उसमें कितनी इकाइयां पुनर्जीवित की जा सकती हैं ? आप नये उद्योगों को लगाने की बात कर रहे हैं। नये हस्तशिल्पों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा है। फ्यूचर के लिये लोगों को आगे बढ़ाना भी अच्छा है, लेकिन जो रूग्ण पड़ी हुयी इकाईयां हैं जो बन्द पड़ी हुयी इकाइयां हैं उसके लिये उत्तर प्रदेश वित्त निगम, बैंक, पिकअप या जिला उद्योग केंद्र या आप लोगों को उसके रिवाईवल के लिये काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि दो सिक्कों की बात है। एक वन साईड ऑफ द क्वाईन बहुत ब्राईट फ्यूचर। सेकेन्ड साईड ऑफ द क्वाईन कि पास्ट में जो भी जो करके गया है उसको कैसे जिन्दा करें। इसलिये आपको दो तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक तो पुराना रिवाईवल और दूसरा करेंट वाला काम। करेंट वाला काम अच्छा कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 प्रदीप माथुर जी के बगल में बैठते हैं मा0 राधामोहनदास अग्रवाल जी। जब मा0 डा0 राधामोहनदास अग्रवाल जी कहीं चले जाते हैं तब तो वह बहुत ही अच्छा बोलते हैं, परन्तु जैसे ही मा0 डा0 राधामोहनदास अग्रवाल जी आते हैं और अपना लाल दुपट्टा दिखाते हैं इनकी अक्ल गायब हो जाती है। (हॅसी)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मा0 डा0 राधामोहनदास अग्रवाल जी के जो जापानी इंसेफलाईटिस और स्वाईन फ्लू के वायरस हैं वह इनकी पार्टी को नहीं लगते, और पार्टियों को लगते हैं। मान्यवर, पावर फीडर्स जो इण्डस्ट्रियल एरियाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह इन्डिपेन्डेंट पावर फीडर्स आपके इण्डस्ट्रियल एरियाज को चाहिये। जब पूरे जिले या शहर में कटौती होती है तो इण्डस्ट्रियल एरिया की भी कटौती हो जाती है और जो पक्का माल कच्चे में तब्दील होता है तो उसमें उस माल का बहुत बड़ा लॉस होता है।

मा0 मुख्य मंत्री जी सुचारू पावर सप्लाई की बात करते हैं और आप देखें कि तमाम इण्डस्ट्रियल एरियाज उत्तर प्रदेश में इसलिये मात खा रहे हैं कि उनको रेगुलर पावर सप्लाई नहीं मिल पाती। कमिटमेंट नहीं होता। आपके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या एस0ई0 से कहा जाता है कि इण्डस्ट्रियल एरिया की लाईट चली गई। उद्यमी चिल्लाता रहता है, क्योंकि विभिन्न विभागों में प्रॉपर को–आर्डिनेशन नहीं है। अब सोच बदल रही है कि इण्डस्ट्रियेलाईजेशन होना चाहिये, लेकिन इण्डस्ट्रियेलाईजेशन तो तब होगा जब आप प्रॉपर पावर फीड करेंगे। कहां तक जनरेटर्स के माध्यम से उद्यमी अपना उद्योग चलायेगा ? प्राफिट और लॉस की बात तो दूर रही, वह नो प्राफिट नो लॉस पर अपना माल नहीं बना पायेगा। उसका तमाम माल बेकार हो जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी से कहकर जितने भी उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं और जितने भी लघु उद्यमी हैं उनको इंडिपेन्डेंट पावर फीडर्स दिलवा दें जिससे उनको एक बड़ी राहत मिल सके। उनको सब्सिडी देने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। यह प्रेक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात मैं कर रहा हूं। इसी तरह यू0पी0एफ0सी0 में भी उनको फुटबाल की तरह नचाया जाता है। इसी तरह यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में भी वन टाईम सेटलमेंट, यू0पी0एफ0सी0 में वन टाईम सेटलमेंट में वह बड़े धक्के खाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। यदि इण्डस्ट्री नहीं लग रही है या वह और कोई चीज लगाना चाहता है तो उसमें बड़ी दिक्कते आती हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूं वह प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। उद्यमियों की बेसिक प्रॉब्लम्स के सन्दर्भ में जब आप भ्रमण करते हैं तो मैं भी मथुरा में आपके साथ मीटिंग में होता हूं और मैं भी उस पल्स को जानता हूं कि उद्यमियों के क्या दुख–दर्द हैं। तमाम एसोसिएशन्स की बैठकों में आप जाते हैं, हम भी पहुँचते हैं वहां पर हम उनसे सब बातों को जान सकते हैं। मान्यवर, एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात हो रही है, एक्सपोर्ट पॉलिसी नई लाइये, उत्तर प्रदेश में बहुत स्कोप है जो आपके हस्तशिल्प के उद्यमी हैं, उनको आप और ज्यादा एक्सपोज करिए जिससे आपका और ज्यादा फारेन एक्सपोर्ट बढ़े तथा और भी आपका बजट आगे बढ़े। इन्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2004 आपकी थी, सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, उसमें तब्दीलियां लानी हैं, उन्हें चेन्ज करिए। मैं जानता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी में एक विजन है, सोच है, वह करना चाहते हैं लेकिन जो भी प्राब्लम्स आती हैं, वह कम्युनिकेशन गैप की वजह से आती हैं। मान्यवर, मंत्री, अधिकारी और उद्यमी इनके बीच में प्रापर को–आर्डिनेशन बैठ जाये तो आपकी इन्डस्ट्री प्रापर चलने लगेंगी और उसमें लालफीताशाही न हो तो उद्योग ढंग से चलेंगे। अभी यहां इन्डस्ट्रीज कम आती हैं, मध्यम उद्योग इन्डस्ट्रीज कम आती हैं और जो लघु उद्योग हैं, यह रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी, गंगवार साहब और मेहनत के साथ इसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे, धन्यवाद।

'श्री जाहिद बेग–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि मैं भी भदोही से आता हूं, कारपेट का बेल्ट है, नोयडा के बाद विदेशी मुद्रा जहां तक हमारी जानकारी में भदोही से आता है। अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, उद्योग का माहौल बनाने के लिए सड़क, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी कड़ी में जब हमारी सरकार बनी, मुख्य मंत्री, मा0 अखिलेश जी बने, उसके पहले भदोही में हमारे नेता जी गए थे। मान्यवर, हमारी सरकार ने कई मार्ग बनाये है, भदोही से दुर्गागंज मार्ग और इसी तरह से कई मार्गों पर काम हुआ है, मुख्यालय से फोर लेन द्वारा जोड़ने का काम भी लग गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो उद्योग नीति बनायी गयी है, उससे उद्योगों को बहुत फायदा मिलेगा, कम से कम जहां का मैं रहने वाला हूं, बहुत फायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट दूना हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करिए। अभी बहुत बजट हैं।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी किया है लेकिन 200 करोड़ से ज्यादा खर्च आयेगा। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बार–बार नेता विरोधी दल पूर्वांचल की बात करते हैं, इसके पहले जो भी सरकारें थीं, यदि किसी ने पूर्वांचल के लिए काम किया हो तो बता दे, सुझाव देना तो अलग बात है, पूर्वांचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी ने काम किया हो तो बताये, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है तो मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बनने से उद्योग दूना हो जायेगा, यहां का रोजगार दूना हो जायेगा और जो लोग दिल्ली में आते थे, वहां के लोग कारपेट खरीद कर एक्सपोर्ट करते थे, उनको लाभ होता था लेकिन अब वह पैसा हमारे उत्तर प्रदेश में आयेगा, इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के लोगों को होगा। मान्यवर, हमारी एक बहन यहां कह रही थी, उनसे कहना चाहता हूं। नोएडा में जमीन के बारे में मा0 अमर सिंह जी ने मान लिया। हमारे यहां कारपेट इंदिरा ऊलेन मिल के नाम से एक बना था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थीं उससे बहुत पहले था। मा0 राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री थे एक पैसा उद्योग के लिए नहीं दिया लेकिन इंदिरा गांधी ने नेकी से काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया न अब बन्द कर दीजिए।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, मैं कोई बात जल्दबाजी में नहीं बोलता हूं। मैं कोई बात सदन में गलत नहीं बोलता हूं। आप दिखवा लीजिए। मैं सदन को गुमराह नहीं करना चाहता हूं। इसलिए पहले आपने जो किया है उसको बता दीजिए। अपने मंत्री जी के विभागीय बजट का समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे मा0 माथुर जी द्वारा जो कटौती पर रखा गया है उसी के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मा0 अध्यक्ष जी हमारे एक भाई अभी कालीन उद्योग की बात कर रहे थे। कालीन लेना बड़े लोगों का बड़े आदमियों का काम है लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक दरी का काम आता है। समाज के एक दो प्रतिशत लोग कालीन का उपयोग अपने ड्राइंगरूम और घर की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं लेकिन उन गरीबों के पास जिनके पास गद्दा बनाने का जिनके पास डबलबेड के गद्दे फॉम गद्दे खरीदने के लिए, मोटे गद्दे खरीदने के लिए ब्रांडेड गद्दे खरीदने के लिए बिस्तर नहीं हैं वह दरी उद्योग हमारे खैराबाद में, लहरपुर में, बिसवा में, महमूदाबाद में आज दम तोड़ रहा है। आज दरी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है। जो दरी बना कर तैयार करते हैं जो प्रदेश स्तर के गरीबों को सस्ते से सस्ते बिस्तर मुहैया कराने के लिए जो अपना खून–पसीना बहाकर तैयार करते हैं उनके लिए कोई मार्केट की व्यवस्था नहीं है। उनकी मार्केटिंग की उनके ट्रांसपोरटेशन की उनको बिजली की उन कारीगरों के बीमा का कोई प्रावधान नहीं है। मजदूर तबके के लोग हैं और ठेके पर लेकर उस दरी को बनाने का काम करते हैं जो गरीबों के यहां जा कर काफी कम पैसे में दरी बनाने का काम करते हैं। जिससे गरीबों को रोजगार मिलता है गरीबों का काम चलता है उनका घर चलता है। उन गरीबों के लिये इस बजट में और हमारे मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट में उन श्रमिकों के लिए उसमें कुछ नहीं है। दरी उद्योग के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। पूरा सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच गरीब तबके के लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनको बिजली मुहैया कराने के लिए उनको दरी के लिए सूत कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए उनका बीमा उनका परिवार चलाने के लिए अगर कुछ कहा जाए तो हम समझते हैं कि गरीब लोगों का और जिन जिलों में यह काम करते हैं उनके हाथ में जो हुनर है उसको बढ़ावा मिले। आपने मुझे अध्यक्ष जी बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं माथुर जी द्वारा रखी गई बात पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब माथुर जी बोलेंगे। मंत्री जी बोल दें। आप तो बोल चुके मंत्री जी बोल दें। मतदान करा दें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, बस एक कमिटमेण्ट करा दें। फिर आप कहेंगे मा0 अध्यक्ष जी मैं मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र की तरफ आऊंगा वहां के इण्डस्ट्रियल एरिया में पानी भरा हुआ है आपको पता है यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से सम्बन्धित मामला है। आप उन पर दबाव बनाएं और जिला प्रशासन मुख्य मंत्री जी के कहने के बाद भी उन इन्क्रोचमेण्ट्स को नहीं हटा पा रहा है। एक कमेटी कमिश्नर के लेवल पर बनी है और जो इनक्रोट्चमेण्टस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आए हुए हैं वह जिला प्रशासन नहीं हटा पा रहा है। जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र साइट ए बराबर डूबा रहता है और सारी की सारी इण्डस्ट्रियल यूनिट्स हर बरसात में वह डूबती है। जरा सी बारिश में ही डूब जाता है। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का भी संज्ञान चाहूंगा कि उनके माध्यम से मा0 लघु उद्योग मंत्री जी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें और वहां के इण्डस्ट्रियल एरिया को डूबने से बचाएं। इण्टरप्रिनियर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं और मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री भगवत शरण गंगवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो समस्यायें रखीं वह वाकई में सही हैं। जैसे आपने कहा कि जो उद्यमी का काम बन्द हो गया तो उस फैक्ट्री में न काम है न उसे चलाने की व्यवस्था है। यह विकट समस्या है और इसकी तरफ ध्यान गया कि हमने चार नई लगा ली और चार पुरानी बन्द हो गयीं। रिजल्ट तो जीरो हो गया। हम इसके लिए पूरी एक एग्जिट पालिसी बना रहे हैं और वह करीब–करीब पूरी हो गयी है। भारत सरकार को उसका हमने नोट भी भिजवा दिया है। बहुत जल्दी यह पालिसी बन जायेगी। बैंकों की देनदारी के लिए हाई पावर कमेटी शासन में उसके बाद मण्डल में उसके बाद जिले में यह तीन कमेटी हैं और इन तीन कमेटियों के बाद जो हाई पावर कमेटी जो होगी वह निर्णय लेगी। जिससे उस उद्यमी का नुकसान न हो। यह पालिसी बहुत जल्दी आ रही है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय मंत्री जी मैं एक जानकारी चाहूंगा। बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं। जिनको मसलन उनको यूनिट लगाने के लिए दो एकड़, पांच एकड़ जमीन चाहिए थी। उन लोगों ने तीन सौ, चार सौ, पांच सौ एकड़ जमीन ले ली। जहां तक नजर जाती है वहां तक उनकी जमीन है। दो ऐसी यूनिट्स हैं एक तो आपका अपना बरेली का जिसे रबर फैक्ट्री कहते थे और दूसरा नैनीताल रामपुर बरेली रोड पर मोदी जीराक्स का। मोदी जीराक्स बन्द हो गया। 18 बाई 12 के कमरे में मान्यवर एक फैक्ट्री थी जिसने साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन बहुत कम दामों में किसानों से ली। वह बन्द हो गया। उसके बाद मोदी ऑलीविटी चला, मोदी ऑलीविटी बन्द हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना स्पाइस मोबाईल बनाया जिस पर मोहर तो रामपुर की लगायी लेकिन वह बनता नोएडा में है। अब साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन लीज पर है। उनका लीज टाइम खत्म हो गया है और मोदी के जिस परिवार के नाम यह लीज है उनके परिवार में कोई नहीं है उनकी एक दोस्त हैं जो सिंगापुर में रहती हैं। वह उनके नाम उसकी लीज करना चाहती हैं। तो यह साढ़े तीन सौ एकड़ बेशकीमती जमीन है। इसके अलावा उन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया है। मसलन यह सारी जमीन उनको इण्डस्ट्रियल एरिया के तौर पर दी गयी थी। वहां इन्होंने मोदी होटल खोला है। जब तक लैण्ड यूज चेंज नहीं होगा आप होटल नहीं खोल सकते।

श्री सुल्तान बेग–

वह बहुत बड़ा होटल है, लखनऊ, सीतापुर से जितना आदमी उधर जाता है वह सारा का सारा वहीं रुकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं वही संज्ञान में ला रहा हूं। तकरीबन 50 एकड़ जमीन उन्होंने बगैर लैण्ड यूज चेंज किये उसमें बाकायदा होटल चला रहे हैं। उसी जमीन में उन्होंने एक स्कूल खोल रखा है मोदी स्कूल। ठीक है बहुत अच्छी बात है। मोदी स्कूल को बिलकुल न छुआ जाये लेकिन मोदी स्कूल की जमीन का वह लैण्ड यूज चेंज करायें और बाकी साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन जिसका लीज टाइम इसी महीने में खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार उसे अपने कब्जे में ले और उसमें कोई अच्छा काम करे।

श्री भगवत शरण गंगवार–

आदरणीय मंत्री जी के साथ मैं बैठ लूंगा, तरीका पूछ लूंगा। फिर उसमें जो कुछ भी नीतिगत निर्णय लेना होगा, हम, आप और यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अधिकारियों को भी बुला लेंगे।

श्री सुल्तान बेग–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें रबर फैक्ट्री का मामला भी है उसमें भी डिस्कस कर लें। क्योंकि रबर फैक्ट्री में भी अब तक मेरी जानकारी के अनुसार 75 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। लोग भीख मांग रहे हैं और जैसा मा0 मंत्री जी ने बताया सौ फीसदी आपकी बात सही है। वहां पर कई सौ एकड़ जमीन है।

श्री भगवत शरण गंगवार–

इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें इण्डस्ट्रियल सिटी बस सकती है। आई0टी0 सिटी बस सकती है और नेशनल हाई–वे और रेलवे दोनों के बीच में है। बहुत अच्छी जमीन है।

(इस बीच श्री सुल्तान बेग कुछ बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ था)

श्री अध्यक्ष–

हो गया, अब आप बैठिये।

श्री भगवत शरण गंगवार–

वह मेरे स्तर का मामला नहीं है। मेरे स्तर का होता तो मैंने अब तक निबटा दिया होता। माननीय मंत्री जी से बात कर लेंगे। माननीय माथुर साहब ने 3–4 बातें कहीं माननीय अध्यक्ष जी। एक जो रूग्ण इकाइयों पर, बैंकर्स या अलग–अलग लोगों के कब्जें हो जाते हैं और वह बेचारा दुखी रहता है न चला सकता है, न बेच सकता है तो इसमें मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि एक्जिट पालिसी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जायेगी और फिर इन लोगों का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाई पावर कमेटी उसे तय करेगी और उसी क्रम में कार्यवाही होगी। यह नहीं है कि लम्बे समय 04–04, 06–06 साल, अगर कोई दूसरा आता है तो वह काम करें, उसे उसका पैसा दे दिया जाये। दूसरी बात आप पावर फीडर की कही। वैसे आप बहुत वरिष्ठ हैं लेकिन मेरा प्रदेश में

काम करते–करते अनुभव हुआ है। लगभग सभी जगह पावर फीडर हैं और कहीं टेक्निकल फाल्ट की वजह से बत्ती जाती है, तो बात अलग है नहीं तो पूरे 24 घण्टे उद्योग फीडर पर बत्ती रहती है। वैसे भी कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में थोड़ा लम्बे समय तक इस बारे में बात की और उन्होंने यह भी कहा कि हम कई पावर हाउस और सौर्य ऊर्जा के संयंत्र लगवा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा बहुत समय तो लगेगा क्योकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तभी पावर के बारे में बात होती है। संयत्र लगाने की बात होती है जेनरेशन के लिए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें वाकई दिक्कत है और इस दिक्कत की वजह से प्रदेश बहुत पीछे भाग गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी का कल बहुत बड़ा स्टेटमेन्ट था इस विषय में इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वह बहुत चिन्तित भी है। एक निर्यात की बात थी तो समय कम था इसलिए बाते नहीं हुई निर्यात के मामले में निर्यात पालिसी बनाने जा रहे हैं पूरा रोड मैप से लेकर जितने होशियार से होशियार लोगों से पोर्टल बनने जा रहा है, निर्यात बहुत बढ़िया होगा, सरकार इसमें पीछे नहीं है। निर्यात बढ़ाने के लिए चाहे जितना भी खर्च करना पड़े, जितना अनुदान देना पड़े, लोगों को अनुदान दिया जा रहा है। अगर कोई निर्यात के लिए जर्मनी जाये तो उसका 60 प्रतिशत बाई एयर का भाड़ा दिया जा रहा है अगर सामान लेकर जा रहा है तो प्रत्येक टन 5000 रुपये उसका किराया देते हैं। उसकी सारी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए कि निर्यात बढ़े, निर्यात कम न हो उनके साथ में कोई कटौती नहीं है और जहां तक पालिसी की बात की आपने 2004 और 2012 की तो जब 2004 की पालिसी बनी थी तो उद्यमियों को, अधिकारियों को और सारे लोग बैठे थे सबकी सलाह से ही पालिसी बनाई गयी थी और यह भी कहा गया था कि समय परिवर्तनशील है जब कोई बात परिवर्तित की जायेगी तो इसमें एमेण्डमेन्ट कर लेंगे और 2012 की पालिसी में भी सब लोगों को आमंत्रित किया था और यह भी कहा था कि जब–जब इन चीजों की आवश्यकतायें गौणता से महसूस होगी तब–तब पालिसी में भी एमेण्डमेन्ट होंगे। मैं माथुर जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुझाव दे दीजिये। एमेण्डमेन्ट के लिए सरकार तैयार बैठी है। सरकार चाहती भी है माननीय मुख्य मंत्री जी का कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा मन है, उनका तो यह सीधा कहना है, मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहते सुना है कि जो भी ऐसा विषय है जो बेरोजगारी दूर कर सकता है, प्रदेश की मुद्रास्फीति बढ़ा सकता है, खुशहाली ला सकता है, जी0डी0पी0 बढ़ा सकता है यहां का विकास कर सकता है और दूसरा क्षेत्र है गांव के लोगों का कैसे विकास हो ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं अर्ज करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर मामला है। बहुत अहम विभाग है और इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी को कम करने में बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है लेकिन कौन सा उद्योग लगे ? बटन, चाइना से आ रहा है, कपडा, चाइना से आ रहा है, कलम, चाइना से आ रहा है, मोटर का, रिक्शा का हर सामान चाइना से आ रहा है, रोज मर्रा की जरूरत का सामान चाइना से आ रहा है। अगर कोई फैक्टरी आप लगायेंगे तो उसका बना हुआ सामान कहीं ज्यादा मंहगा होगा, लिहाजा वह खरीदेंगे या

चाइना का। हमारी जो नेशनल पालिसी है उसमें हमने क्योंकि हिन्दुतान पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मण्डी है, तो एक होड़ लगी हुई है हिन्दुस्तान को लूटने की। हमने तो मान्यवर अपने उद्योगों को खुद अपने हाथों से गला घोंट कर मार दिया। कैसे भदोही का कालीन कोई खरीदेगा ? भदोही का कालीन पांच बाई दस फिट का अगर खरीदेंगे तो मिलेगा डेढ़ लाख रुपये का वही कालीन चाइना से 20 हजार रुपये का मिल जायेगा, तो कौन खरीदेगा का आपका कालीन, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है। आज गन्ने की रेढ़ क्यों लग रही है, इसलिए कि हम शक्कर खरीद रहे हैं, हमारे यहां इतनी शक्कर पैदा होती है, इसके बावजूद हम शक्कर खरीद रहे हैं। मान्यवर, नेशनल पॉलिसी यह होनी चाहिए थी कि जो चीज हमारे देश में बन सकती है उसे हम अपने देश में बनायेंगे चाहे वह सस्ती हो या मंहगी हो, हम बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे, इसलिए ऐसे हालात में मैं आपकी पीड़ा को बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूं। मान्यवर, कल मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा, मैं जिला भूल रहा हूं शायद कन्नौज के लिए कहा था या लखनऊ के लिए, लखनऊ के लिए कहा था कि हम यहां दिल्ली हाट की तरह एक हाट बनायेंगे। मान्यवर, हमने पिछली समाजवादी सरकार में रामपुर दस्तकारी हाट बनाया था, अगर आप उसे चलकर देखें तो इमारती ऐतबार से दिल्ली हाट कुछ नहीं है उसके सामने, जितना शानदार हमने रामपुर दस्तकारी हाट बनाया था, लेकिन क्या करूं, किस दस्तकार को लाएं। मैं बिल्कुल किसी ऐतराज की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, हमारे यहां और बरेली में हर शहर में दस्तकारी के रास्ते हैं, दस्तकारी से वहां के बहुत से लोगों को रोजी मिलती है, मिसाल के तौर पर मुरादाबाद में पीतल का बर्तन बनता है, उससे सिर्फ मुरादाबाद को रोजी नहीं मिलती, देश को बहुत बड़ा पैसा मिलता है विदेशी मुद्रा मिलती है। पूरे हिन्दुस्तान में, पूरी दुनियां में वहां का बना हुआ सामान जाता है। सहारनपुर में लकड़ी का काम होता है, दस्तकार करते हैं, रामपुर में जरी और जरदोजी दोनों का काम होता था आज जो आप अपने ही कार्यालय में कारचोव के बने हुए उत्तर प्रदेश के सिम्बल लगे देखते हैं, वह सब रामपुर और बरेली के बने हुए हैं, किस कदर सुन्दर बनाते हैं। आप आगरा में देखिये, हवा में उड़ने वाली चिड़िया उतनी सुन्दर नहीं होगी, क्रोशिया से रेशम की चिड़िया जैसी वह बनाते हैं। आगरा में हाथ से बना हुआ ताजमहल, इसी तरह फिरोजाबाद की चूड़ी, लेकिन क्या हुआ हमारी दस्तकारी और इन दस्तकारों का, जब से सरकार आई है, मान्यवर रामपुर और बरेली का जरी और जरदोजी का कारोबार खत्म हो गया और लोग एक वक्त की रोटी के सूखे टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। क्यों साहब क्या यह बुरा नहीं हुआ, रामपुर और बरेली के हजारों खानदान भूखे मर गये हैं मान्यवर, इस 09 महीने के अन्दर, समझ में यह नहीं आता कि आखिर यह हुआ कैसे, एकदम 09 महीने के अन्दर यह सारा कारोबार खत्म कैसे हो गया। जो हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, जब वही इस बात की हो कि हमें सिर्फ प्रमोट करना है बाहर के लोगों को और अपने दस्तकारों का गला काट कर किसी तलइया में फेंक देना है तो मान्यवर, जाहिर है दस्तकारी भी खत्म होगी, दस्तकार भी खत्म होगा। सुनते थे मान्यवर, अफसाने कि लाहौर का बना हुआ मलमल अंगूठी के एक छल्ले में से निकाल दिया जाता था, अफसाने हैं मान्यवर कि अंग्रेजों ने उनके अंगूठे कटवा लिये, किसी ने अंगूठे नहीं

कटवाये, ताजमहल बनाने वालों के हाथ नहीं काटे गये, लेकिन तरीके होते हैं हाथ काटने के दूसरे तरीके होते हैं। इस तरह से हिन्दुस्तानी दस्तकारी और खासतौर से उत्तर प्रदेश में कि मान्यवर अगर आप उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें तो दस्तकारी के ऐतबार से पूरे हिन्दुस्तान में कोई राज्य इतना ज्यादा दस्तकारी के लिए अपनी मजबूत जड़े नहीं रखता होगा, जितनी मजबूत जड़े उत्तर प्रदेश रखता है। आप अन्दाजा तो लगाइये मान्यवर, क्या नहीं है यहां सहारनपुर, मुरादाबाद, बनारस, मुबारकपुर, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, रामपुर, बरेली अगर इसी दस्तकारी को जिन्दा कर दिया जाय, अभी हमारे भाई कह रहे थे, किस कदर वाजिब बात की मान्यवर, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन हम चाहते हैं, ये हमारा कालीन उद्योग भी जिन्दा रहे और हमारा दरी उद्योग भी जिन्दा रहे। मान्यवर आप इधर चले जाइये पश्चिम के कुछ बड़े मामूली और कमजोर देहात हैं, पूरब में भी ऐसे देहात हैं मान्यवर ऐसी दरी बनाते हैं, ऐसी खूबसूरत दरी बनाते हैं कि फाईवस्टार होटल्स में वह दरी डाली जाती है, लेकिन कारोबार नहीं है, काम नहीं है, बस फाईस्टार होटल्स में सजावट के लिए वह दरी रह गई है, इस्तेमाल के काम में नहीं आती, क्योंकि हमने गला दबा दिया उन लोगों का। बाहर के लोग आते हैं मान्यवर, यहां का दस्तकारी का सामान तलाश करते हैं, नहीं मिलता है उनको, क्योंकि दस्तकार मायूस हो गया है, जो काम करते थे दस्तकारी का वह रिक्शा चलाने लगा, कोई पत्थर तोड़ने लगा, कोई मनरेगा में लग गया, इस तरह हमारी दस्तकारी ने सांस तोड़ दिया। हिन्दुस्तान की जो असल पहचान थी उसने सांस तोड़ दी है लेकिन फिर भी इस पर मैं समझता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है। आप अपनी मेहनत के एतबार से अपनी बड़ी एक अलग पहचान रखते हैं लेकिन इन तमाम चीजों को जिन्दा रखने के लिये इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, भारत सरकार से भी अगर कोई मदद लेने की जरूरत हो तो हमें शर्म नहीं होनी चाहिये अपनी बात कहने के लिये। अभी देखिये, हमने सुषमा स्वराज जी को खत लिखा है। क्या–क्या हो रहा है, अब अटैची भी खरीदकर देगी भारत सरकार देगी हाजियों को, वह कमीशन भी भारत सरकार खायेगी। अजीब तमाशा है, हाजियों के लिये जो अटैची होगी वह अटैची दिल्ली से खरीदकर आयेगी बल्कि बम्बई से, सेण्ट्रल हज हाउस ऑफिस बम्बई में है। बम्बई से अटैचियां खरीदी जायेंगी, वे लखनऊ भेजी जायेंगी, लखनऊ से हाजियों को तकसीम होंगी। हाजियों के उस पैसे में से जिसमें से उन्हें हज करना था वे पैसे भारत सरकार ने हाजियों के काट लिये। जहां ये सोच हो गयी हो, जहां इस तरह से देश को चलाया जा रहा हो वहां क्या होगा ये तो हम अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन बहरहाल हमें अपनी बात कहना जरूरी है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की कुछ बातों पर सहमत हूं। मान्यवर, छोटा उद्योग छोटी पूंजी खाता है और बड़ा उद्योग बड़ी पूंजी खाता है। छोटा उद्योग छोटी पूंजी खाकर अच्छा उत्पादन देता है, लोगों को काम भी मिल जाता है और बड़ा उद्योग बड़ी पूंजी खाकर उतना उत्पादन नहीं दे पाता लेकिन मान्यवर, इस प्रदेश में लोहार, कुम्हार, मनिहार, मेहतर, मोची इत्यादि–इत्यादि जो कुटीर उद्योग हैं तो मान्यवर, ये 09 महीनों में बन्द नहीं हुये। चाहे पूर्व की सरकारें हों या कुछ हों। मा0 अध्यक्ष जी, मैं

आपसे बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सच में उत्तर प्रदेश में चाहे अलीगढ़ का सेवेन लीवर का ताला हो, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जितने स्थान गिनाये हों, उत्तर प्रदेश और भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज कहां है वह, मान्यवर, क्या स्थिति बनी है और कौन सी परिस्थितियों में हम जा रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश की सरकार सक्षम है, बाहर से माल न आने दें, रोक लें। हम उसको अपने प्रदेश में बनाने का काम करें। हम अपने उद्योगों को डेवलप करने का काम करें। मान्यवर, हम सदाशयता से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार सक्षम है, प्रचण्ड बहुमत है। उत्तर प्रदेश के उद्योगों को बढ़ाने का काम करें। हम धन्यवाद देंगे।

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, मैं निर्यात के विषय में बात कर रहा था।

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत बातें हो गयीं, संक्षेप में कह दीजिये। अभी चार विभागों के बजट बाकी हैं।

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, मा0 श्री शमशेर जी ने कहा कि सीतापुर के दरी उद्योग की स्थिति खराब है। हमने वहां एक एस0पी0बी0 बनवाना चाही लेकिन एस0पी0बी0 के सदस्य लोग नहीं मिले। हम और आप बैठ लेंगे, हमारे मन में भी उनकी पीड़ा है। वहां एक एस0पी0बी0 बनवा के वहां सारी व्यवस्थायें हो सकती हैं। वहां रॉ मटीरियल भी कहना चाहिये कि उनके लिये बैंक बन सकता है। उसके लिये डिजाइनिंग सेण्टर और हब बन सकते हैं। आप और हम लोग बैठ लेंगे, वहां के कुछ उद्यमी साथियों को, दस–बीस को लाकर या हम वहां चले चलेंगे। हमारे विभाग के अधिकारी लोग चले जायेंगे, जी0एम0 वहां रहते ही हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, मेले–प्रदर्शनी उद्योग विभाग बहुत लगाता है, वहां आने–जाने और वहां का स्टाल का किराया भी लघु उद्योग विभाग देता है तो उन मेलों में भी पार्टिसिपेट सीतापुर के लोग करें तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है जो सीतापुर में मेरी जानकारी में है। मार्केटिंग के लिये बहुत सारे मेले लगते हैं विभाग की तरफ से तो उसमें किराया, वहां का स्टाल काफी कुछ कहना चाहिये कि सरकार की तरफ से हस्तशिल्पियों को, उद्यमी साथियों को देते हैं। बाकी तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री जी ने जो बात कही, वह कहनी चाहिये कि वाकई विचारणीय हैं और इस बारे में हम लोगों को बैठकर विचार करना पड़ेगा। माथुर साहब ने मथुरा की बात कही तो उस बारे में भी हम तो आपने उस समय कहा था तो भी वहां डी0एम0 से कहकर आये और यहां औद्योगिक विकास के अधिकारी भी बैठे हैं, हमारे विभाग के भी बैठे हैं तो वे सब लोग सुन रहे हैं। बाकी हम और आप बैठकर फिर कार्यवाही मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नगर विकास मंत्री जी सब लोग बैठ लेंगे। बाकी एक वहां की बड़ी समस्या है, एक औद्योगिक विकास का एक स्थान है, वहां पर पानी का रास्ता बन्द कर दिया है। वह मेरी स्वयं की जानकारी में है, वह वाकई समस्या है लेकिन वह बहुत कम इण्डस्ट्री चलती है। इण्डस्ट्री वाले पता नहीं डरपोक हैं, उन्हें अपना रास्ता खोल लेना चाहिए। यह समस्या तो है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री

माथुर जी से निवेदन करना चाहूंगा वह मेरी हर बात से संतुष्ट भी हैं, मेरी तारीफ भी कर रहे हैं, तो फिर कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, हालत यह है कि कोई भी चीज यदि चश्मा बनवाना है तो इसका फ्रेम एक इण्टरनेशनल कम्पनी का सस्ता है और हिन्दुस्तान का महंगा है। उसकी क्वालिटी कहीं अच्छी है, हमारी बुरी है। कोई सज्जन हो जो अब शीशे इस्तेमाल करते हो देशी वाले। हमारी आंखों तक में सब विदेशी चश्मे लग गए हैं मान्यवर। बड़ी बुरी हालत है, नहीं मान्यवर, बड़ी बुरी हालत है। बिल्कुल दस्तकारी खत्म हो गई है।

श्री विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 1991 में जब ग्लोब्लाइजेशन के अन्दर नरसिम्हा राव जी ने इस देश को डाला उसके बाद ये सारी समस्यायें इस देश में उत्पन्न हुई हैं उससे पहले हम लोग सब दस्तकारों को अपने यहां पर संरक्षण दिया करते थे। आप नौ महीने की जो बात कर रहे हैं, नौ महीने में ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि दस्तकारी समाप्त हो गई है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरी यह मंशा नहीं है, मैं सिर्फ जरी और जरदोजी के कारोबार के बारे में कह रहा हूं।

श्री विक्रम सिंह–

बड़ा है यह विषय माननीय मंत्री जी। यह बहुत बड़ा विषय है केवल जरी तक सीमित नहीं है। आप चश्मे की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

न, न, आपकी जानकारी में नहीं है। केवल जरी और जरदोजी के कारोबार के बारे में मेरा कहना यह है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमें कारण नहीं, क्या कारण रहे क्यों एक्सपोर्ट बन्द हो गया उसका। हमें यह नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि जरी और जरदोजी से लाखों खानदान पलते थे और दो जिले तो कम से कम इस पर आधारित थे, बिल्कुल जैसे फुल स्टॉप लग गया। ये तो अब पता चला है, क्योंकि उसमें न तो किसी जाति का मामला है, न धर्म का मामला है। बरेली में तकरीबन 80 फीसद हिन्दू परिवार हैं जो यह काम करते हैं, मुस्लिम परिवार रामपुर में हैं जो यह काम करते हैं। इसमें धर्म, जाति का कुछ नहीं है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा दस्तकारी का काम जिससे हजारों–लाखों खानदान पल रहे हैं। देखिए अगर इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज देश को यह दिन क्यों देखने पड़ते।

श्री प्रदीप माथुर–

ये कैसे सत्ता में आए। (भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए)

श्री मोहम्मद आजम खां–

(कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए) जाहिर है ख्ग ग ग, जो ये सत्ता में हैं। इसमें क्या बुरा है ?

श्री अध्यक्ष–

अभी बहुत बजट है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें मान्यवर, बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुला लें, जिसमें माननीय मंत्री जी हों, नेता प्रतिपक्ष भी हों, कांग्रेस के नेता हों, भाजपा के नेता हो और मुख्य मंत्री जी भी हों। मान्यवर, दस्तकारी को हम कैसे जिन्दा रख सकते हैं, मान्यवर, बहुत जरूरी है। देखिए हमारे दस्तकारों को मान्यवर, बचना चाहिए और ये हमारा जैसे कोई नेशनल मूवमेंट होता है। नेशनल मूवमेंट की तरह हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए कि हमारी दस्तकारी और हमारे दस्तकार कैसे बचें, यह हमारी बड़ी गंभीर समस्या है और इस पर संजीदगी से कोई कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,96,47,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह मद संख्या–13(4) और मद संख्या–13(5) आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों एक साथ रख दें।

ख5.20 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,00,30,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,22,07,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयुर्वेद विभाग के लिए कुल रु0 62069.80 लाख तथा यूनानी विभाग हेतु रु0 7960.98 लाख कुल रु0 सात अरब तीस लाख अटहत्तर हजार का बजट प्राविधान किया गया है। क्षेत्रीय यूनानी कार्यालय जनपद लखनऊ, बरेली, वाराणसी एवं गोरखपुर मण्डल में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु रुपया 1.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। राजकीय टी0टी0 कालेज एवं चिकित्सालय लखनऊ के नवीन परिसर से पुराने परिसर में छात्र–छात्राओं को चिकित्सीय प्रशिक्षण हेतु आने–जाने एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के प्रशिक्षण हेतु बस क्रय करने हेतु रुपया 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में मरीजों के भोजन हेतु मानक मद–41 भोजन व्यय हेतु पृथक से मद खोला गया है। रोगियों का भोजन एवं आहार की व्यवस्था हेतु आयुर्वेदिक में रुपया 79.02 लाख यूनानी में रुपया 4.00 लाख कुल रू0 83.02 लाख की व्यवस्था की गयी है । औषधि मद में विगत वर्ष 2015–16 में आयुर्वेद विभाग में रुपया 516.80 लाख एवं यूनानी विभाग में रू0 35.00 लाख कुल रुपया 551.80 लाख की व्यवस्था थी, जिसको बढ़ाकर आयुर्वेद में 693.32 लाख एवं यूनानी में रुपया 49.50 लाख कुल रुपया 742.82 लाख की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के 8 आयुर्वेदिक एवं 2 यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 मानकों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रदेश में स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय जहां भूमि उपलब्ध है भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों के अनुसार कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय में पदों का सृजन कराये जाने का लक्ष्य है। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ का पुनःनिर्माण कराये जाने का लक्ष्य है जिसमें 14 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के आधार पार कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 30–12–2014 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के संचालन हेतु राज्य आयुष सोसायटी का शासी एवं कार्यकारी निकाय का गठन किया गया है। इस हेतु रुपया 1333.00 लाख का प्राविधान बजट में किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जा रही है।

मान्यवर, होम्योपैथी विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु होम्योपैथी विभाग के लिए कुल रु0 32207.76 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। जनपद गोरखपुर एवं अलीगढ़ में निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के भवन निर्माण एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज आजमगढ़ में आवासीय भवनों आदि के निर्माण

हेतु रु0 1231.11 लाख का प्राविधान आय–व्ययक में किया जा रहा है। राजकीय होम्योपैथिक औषधि परीक्षणशाला स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक पदों का सृजन कराये जाने का लक्ष्य है जिस हेतु रु0 31.50 लाख का प्राविधान आय–व्ययक में किया गया है। औषधि मद में विगत वर्ष 2014–15 में होम्योपैथिक विभाग के लिये रुपया 314.50 लाख की व्यवस्था थी, जिसको बढ़ाकर रु0 355.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना है। मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उददेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार भी जब वर्ष 2014–2015 का बजट प्रस्तुत किया था तो मुझे याद है कि जो सुझाव हमने दिये थे उसको बहुत गंभीरता से इन्होंने नोट किया था और इस बात को महसूस किया था कि इस पर कार्य होना चाहिये। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसकी बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आचार्य चरक और सुश्रुत युग से और पीछे चलें तो वैद्य धन्वन्तरि इस देश की धरोहर रहे और एक कहावत गांव में कहीं जाती थी, शहरों तक पहुंची थी, दुनिया के हर कोने तक कहावत पहुंची थी, वो कहावत है कि ''इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है''। माननीय मंत्री जी आज आपने यूनानी का बजट भी प्रस्तुत किया है अर्थात् हकीम लुकमान, धन्वन्तरि, सुश्रुत, चरक जैसे नाम यह बताते हैं कि हमारी आयुर्वेद की थाती क्या रही है, हमारी यूनानी पद्धति की थाती क्या रही है ? अंग्रेज इस देश में आये, हमारी थाती ले गये, आज एलोपैथ पर जब आपका बजट आयेगा तो अरबों–खरबों का आप बजट लेकर आयेंगे। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने देश की दस्तकारी के दर्द की बात कर रहे थे। बात तो वह दस्तकारी के खात्मे की कर रहे थे, लेकिन मुझे आयुर्वेद, होम्योपैथ याद आ रहा था। हमारी अपनी माटी, अपनी धरती जिसने पूरी दुनियां को आयुर्वेद दिया, वहां ही आज आयुर्वेद दम तोड़ रहा है आप आज जो बजट लेकर आये हैं दिल पर हाथ रखकर सोचियेगा मैं जानता हूं कि आप सत्ता में हैं, आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसको नकारेंगे मगर आपकी अन्तरात्मा कह रही होगी कि सर्वाधिक शोषण भी इस पद्धति का हम नहीं आप कर रहे हैं। यह बजट अनुमान से स्पष्ट हो रहा है। मान्यवर, दो करोड़ पैंसठ लाख परिवारों का बजट आपने प्रस्तुत किया है, उनको दवा देने के लिये आयुर्वेद के लिये, लगभग 53 हजार ग्राम पंचायतों के लिये आप बजट दे रहे हैं। बजट का अनुमान लगाइयेगा करोड़ में। एक उदाहरण आपको

आगे दूंगा होम्योपैथी को लेकर कि एक लाख साठ हजार पांच सौ गांवों के लिये आप जो बजट लेकर आये हैं, बताइयेगा कितने पैसे एक व्यक्ति के इलाज पर आप खर्च करेंगे ? अट्टालिका बना लीजिये, उद्योग मंत्री जी उद्योग लगा लेंगे, पंचायत मंत्री के रूप में आप गांव में सड़कें बना लेंगे, सारी सुविधा वहां पर दे देंगे, मगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपकी सड़क लेकर हम क्या करेंगे, गाड़ी लेकर क्या करेंगे, बिजली लेकर क्या करेंगे ? पहले स्वस्थ तो करिये और एलोपैथ की जो परिस्थिति है यह मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव भारत सरकार पर भी है और क्षमा करेंगे कहीं न कहीं प्रदेश सरकारों पर भी है। उसका पैगाम यह है कि एलोपैथ तेजी से बढ़ रहा है और आयुर्वेद जो हमारी अपनी थाती है, सस्ते इलाज में गांव की दाई से लेकर दादी तक सामान्य हल्दी से दर्द दूर करती थीं। आज हम टैबलेट खा रहे हैं, बड़े मरीज बन रहे हैं, शुगर, कैंसर व अन्य रोगों के शिकार हो रहे हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, जो उन दवाओं से नुकसान पहुंच रहा है उसके लिये आप कितने 102 एम्बुलेंस लगायेंगे, कितने 108 ले आयेंगे आप, कितने सामुदायिक अस्पताल खोलेंगे। सच्चाई यह है कि जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, वह रोग पैदा कर रहा है और जो पद्धति रोग खत्म कर सकती थी, उसको आप रोगग्रस्त कर रहे हैं। इस नाते आपसे विनती करना चाहता हूं कि भगवान के लिये, इस देश और प्रदेश की जनता के लिये आयुर्वेद को मरने मत दीजिये, यह मर रहा है, यह पद्धति मर रही है। मैं कभी कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करता। मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में जब आप पहला बजट लेकर आये थे, बहुत संवेदनशील मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं विकलांग कल्याण मंत्री जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012–13 से लेकर आज तक चारों बार माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण और माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में आयुर्वेद शब्द का जिक्र तक नहीं है, होम्योपैथ शब्द का जिक्र तक नहीं है, मैं वाक्य की बात नहीं कर रहा, मैं पन्ने की बात नहीं कर रहा, जिस उत्तर प्रदेश में 8–8 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज चलता हो, 2–2 यूनानी मेडिकल कालेज चलता हो, करोड़ों का जिसका बजट आता हो, आप उसका बजट में जिक्र तक नहीं करते, तो यह साबित करता है कि आप इसकी कितनी उपेक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कल जब अपना जवाब दे रहे थे, अच्छा लग रहा था, उन्होंने सारे वर्ग का जिक्र किया कि मैं किसानों के लिये काम कर रहा हूं, नौजवानों के लिये काम कर रहा हूं, छात्रों के लिये काम कर रहा हूं, उद्योगपतियों के लिये काम कर रहा हूं, उन्होंने स्वास्थ्य सहित तमाम बातें कीं लेकिन कहीं इन तीनों पैथी का जिक्र तक नहीं आया। आप केवल एलोपैथ की बात कर रहे हैं। आपके पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट पेश किया था, मैंने तब भी कहा था कि भारत सरकार ने आयुष की स्थापना की है। आयुष आयुर्वेद, यूनानी, सिद्य तथा होम्योपैथ से मिलकर बना है। भारत सरकार का यह कहना है कि यही वह पद्वति है, जो एलोपैथ से दो–दो हाथ कर सकती है और हमारे गरीबों का भला कर सकती है। आप आयुष से माननीय मंत्री जी बजट क्या ले रहे हैं, मात्र 13 करोड़ 33 लाख । 13 करोड़ 33 लाख जबकि केन्द्र 1300 करोड़ दे सकता है, अर्थात् यह बात तय है कि अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अधिकारियों की स्थिति बता दूं कि वह इस बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे यह पैथी ही अछूत है। इस तरह से वह इससे व्यवहार करते हैं। वह सौतेला व्यवहार भी

नहीं करते, यदि सौतेला भी करते तो मानते कि किसी को 4 गिलास, किसी को एक गिलास दूध दे रहे हैं, बल्कि एकदम अछूतों जैसा व्यवहार है, कि इस पर बात तक नहीं करते हैं। मैं अगली पंक्ति में वह बात आपको बताऊंगा। मैं माननीय मंत्री जी आपसे यह कहना चाहता था कि आयुर्वेद और यूनानी विभाग के 2367 हास्पिटल हैं, आकड़ें आपके पास हैं, मैं इन्हें दोहरा कर सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा। जितने डाक्टर हैं आपके पास, वह डाक्टर कितने हैं, यह आपको बखूबी पता है । असलियत यह है कि न डाक्टर हैं, न फार्मासिस्ट हैं, न दवाई है। आपने दवा का बजट अभी बताया, 5 करोड़ 16 लाख रुपये आपने दवा को दिया है। आप ही बताइयेगा कि 2367 अस्पतालों में 5 करोड़ 16 लाख रुपये आपने दिया है, मेरी गणित शायद अच्छी न हो, सरकार के पास बड़े–बड़े गणितज्ञ बैठते हैं, बताइयेगा कि आप एक अस्पताल पर कितने हजार रुपये पहुंचायेंगे। होम्योपैथ का आंकड़ा मैं आपको आगे दूंगा, एक व्यक्ति पर मात्र 47 पैसा आपने एक साल में दिया है, यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर ध्यान होगा, अगर कोई अधिकारी दिलाये, दोष आपका भी नहीं, जो आपके हाथ पांव हैं, वह इस बारे में काम नहीं करना चाहते। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या माननीय चौधरी साहब आप और माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर रूचि लें तो यह पद्धति दम तोड़ने से बच जायेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसको मैनें सौतेला क्यों कहा, यह भी नहीं है कि यह कहीं गैर है, सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा आप कराते हैं, उसी सी0पी0एम0टी0 से एम0बी0बी0एस0 होता है उसी सी0पी0एम0टी0 से डेन्टल के लिए जाते हैं, उसी सी0पी0एम0टी0 से आयुर्वेद में जाते हैं, सी0पी0एम0टी0 से होम्योपैथ में जाते हैं। अर्थात यह भी नहीं कि यह पद्धति स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग डॉक्टर भी बनाना नहीं चाहते हैं। सभी एम0बी0बी0एस0 हो जायेंगे यह सम्भव नहीं, सभी मास्टर ऑफ सर्जन हो जायेंगे यह भी सम्भव नहीं, कोई बी0एच0एम0एस0 हो सकता है, कोई बी0ए0एम0एस0 हो सकता है, खुद का अपना प्रैक्टिस कर सकता है, उसको रोजगार भी हो सकता है उसका परिवार भी चल सकता है। इन तीनों पद्धतियों की हत्या कर रहे हैं सरकार में बैठे अधिकारी लोग, मैं गुहार लगा रहा हूं कि इन तीनों पद्धतियों को सरकार बचाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आयुर्वेद यूनानी की बात किया फिर मैं होम्योपैथ पर आऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि दवाओं के मद में जो पैसा आपने दिया है वह बहुत कम है। गांव में तो कोई इन अस्पतालों में जाता ही नहीं है क्योंकि दवाएं नहीं, डाक्टर नहीं, फार्मासिस्ट नहीं तो कौन जायेगा। लेकिन जो दवा के मद में आपने पैसा दिया है यह काफी कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। कई ऐसे पद हैं जिनका सृजन तक नहीं हो पाया, फाइलें धूल खा रही हैं विभागों में मैं चाहूंगा कि उन पदों का सृजन किया जाए और जो रिक्त पद हैं उनको भरने की कवायद की जाए। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आपने कही है आपने कई चीजों का बताया कि यह लक्ष्य है, यह लक्ष्य है, मगर लक्ष्य होने के बाद यदि आप बजट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो लक्ष्य से काम नहीं चलेगा। अच्छा लगता यदि आप यह कहते कि हमारा यह लक्ष्य है और हमने टोकेन मनी में इतना रुपया दिया है, केवल एक बजट आपका आया है जिसमें आप 14 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं बाकी सारे लक्ष्य हैं आयुष विश्वविद्यालय, क्योंकि होम्योपैथ या

आयुर्वेद है, अब होम्योपैथ आगरा विश्वविद्यालय से अटैच है अगर वह यहां लखनऊ में मेडिकल विश्वविद्यालय से होता तो शायद आसानी होती मगर के0जी0एम0सी0 ने कह दिया हम उनको नहीं लेंगे, हमारी पद्धति अलग है उनकी पद्धति अलग है। हालांकि पढ़ाई सारी वही होती है, सारे बच्चे वही कुछ पढ़ते हैं जो सी0पी0एम0टी0 से जाते हैं केवल सर्जरी या कुछ चीजों को छोड़ दीजिए तो बाकी की पढ़ाई भी वही होती है।

श्री राजीव कुमार सिंह–

एन0आर0एच0एम0 में हर जिले में पचासों लड़के लिये गये हैं चाहे वह आयुर्वेदिक हों या होम्योपैथिक हों।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यदि आप आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं तो आयुर्वेद, सिद्धा जो दक्षिण भारत से जुड़ा है, यहां भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं या योगा या आपका होम्योपैथ और यूनानी, इसका अगर अपना विश्वविद्यालय होगा तो वह अपनी समस्याओं का निदान कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि जब आप इस पर बात करें तो इस पर टोकेन मनी की भी बात करें। मैं नहीं कहता कि आज आप पैसा दे दें लेकिन शुरूआत करें। मान्यवर, अस्पतालों की जो स्थिति है उसकी संख्या कितनी कम है, मैं चाहूंगा कि यूनानी अस्पतालों की संख्या भी आयुर्वेद अस्पतालों के साथ बढ़ाई जाये। अस्पताल ऐसे हैं कि जमीन है तो भवन नहीं, मान्यवर, छप्पर में चल रहे हैं अस्पताल, डॉक्टर जहां बैठता है वह डरता है कि कब उसकी छत गिर जाये। इतनी जर्जर हालत में भवन हैं मैं चाहूंगा कि जो आपने लक्ष्य की बात की है उन अस्पतालों के भवन निर्माण कराये जाएं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं होम्योपैथ की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 1 हजार 575 हास्पिटल आपके हैं और 1 हजार 575 हास्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनके 300 पद खाली हैं। अब तीन सौ पद खाली हैं या फिर 12 सौ अस्पताल ही हैं बाकी जो 300 अस्पताल हैं उनको कौन चलाता होगा क्योंकि फार्मासिस्ट हैं नहीं। वर्ष 2010 में होम्योपैथ विभाग के फार्मासिस्टों के लिए एक गजट भी हुआ था मगर वह गजट बी0एस0पी0 सरकार में वैसे ही पड़ा रह गया। मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, आप आये हैं आप इसे दिखवा लें, जिन लोगों ने सौ–सौ रुपए का ड्राफ्ट भरा था या तो आप उनका पैसा वापस करा दें अथवा यदि आपको ये अस्पताल चलाने हैं बन्द नहीं करने हैं। तो फिर भेषजों (फार्मासिस्टों) की भर्ती कर लें, कम से कम फार्मासिस्ट दवा तो दे सकेगा। हालत यह है कि झाड़ू–पोछा वाला दवाई देता है क्योंकि डॉक्टर वहां हफ्ते में एक दिन बैठता है, एक दिन दूसरी जगह बैठता है, एक दिन तीसरी जगह बैठता है क्योंकि डॉक्टर आपके पास बहुत कम हैं। वह संख्या आपको पता है मैं उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन एक आंकड़ा आपके पास है। 70 जिले थे तो 70 जिला चिकित्साधिकारी के पद सृजित थे अब जिले आपके बढ़ गये, मगर यह आवश्यकता विभाग ने नहीं समझी कि बढ़े हुए जिले के हिसाब से नये पदों का सृजन कर लिया जाए। दूसरे, जो 70 पद स्वीकृत हैं उसमें 36 खाली हैं यानि 36 जिले ऐसे हैं जहां जिला चिकित्साधिकारी हैं ही नहीं। तो जब जिले पर ही कोई विभाग का मुखिया

नहीं है तो बाकी जगह क्या देखेगा। दूसरा, जो 70 जिला चिकित्साधिकारी के पद हैं उसके साथ कोई सहायक नहीं है, न 'ख' श्रेणी, न 'ग' श्रेणी और न 'घ' श्रेणी है। कई पद ऐसे हैं जिसकी स्वीकृति नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे तो शायद यह पैथी बच जाए। दूसरा मैं यह बात कहना चाहता था कि समूह 'ख' के 1610 में से 161 पद खाली हैं, समूह 'ग' के 1572 में से 447 पद खाली हैं, समूह 'घ' के 2334 में से 550 पद खाली हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उनकी मंशा भी देख रहे हैं कि वह लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। इसका विज्ञापन निकालेंगे तो कुछ लोग इसमें एडजस्ट होंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, इस सरकार की वाहवाही करेंगे। 1575 अस्पताल में केवल 400 ऐसे अस्पताल हैं जो आपके खुद के भवन में हैं, बाकी के जितने भी चिकित्सालय हैं लगभग 1100, वह किराये के मकान में हैं सीढ़ी के नीचे हैं, छोटी सी कोठरी में हैं और बहुत जर्जर हालत में हैं जिनका किराया 100 रुपया महीना सरकार देती है। आज के जमाने में कौन 100 रुपये में कमरा किराये पर देगा। उसकी जानकारी आपको है। मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार जरूर ध्यान दे। मान्यवर, औषधि के मद में आपने आयुर्वेद से ज्यादा अन्याय होम्योपैथ के साथ भी कर दिया। आयुर्वेद में तो आपने पांच करोड़ रुपया देने की बात कही और इसमें आपने 3 करोड़ 14 लाख रुपया आपने दिया है। जब आप 5 करोड़ रुपया दिये थे होम्योपैथ को तो एक मरीज पर 47 पैसा आया था, अब 3 करोड़, 14 लाख रुपया आप दे रहे हैं तो ईश्वर जाने क्या होगा? माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक सवाल लगाया था उसमें सरकार का जवाब आया कि प्रदेश के किसी भी होम्योपैथिक अस्पताल में दवाई और शीशी की कोई कमी नहीं है, यह लिखित जवाब आया है। मैं उस पत्र की जानकारी माननीय अध्यक्ष जी, आपको दे रहा हूं, मेरा यह आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है, सरकार को गुमराह किया है, सरकार के मंत्रियों की किरकिरी कराने के लिए यह जानबूझकर गलत जवाब दिया गया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां शीशी हो, कागज की पुड़िया में दवाई दी जा रही है। वहां के डॉक्टर दवाई नहीं है तो प्राइवेट दवाई खरीद करके एक्सट्रा पैसा ले रहे हैं। उनकी शिकायत होगी तो उनकी नौकरी जायेगी। आपका बजट है नहीं, यह परिस्थिति है। काम की स्थिति यह है कि आपने एक बार 5 करोड़ रुपया दिया था 70 लाख रुपया विभाग ने वापस कर दिये थे क्योंकि वह दवा खरीद नहीं पाये थे। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। विभाग के अधिकारी पैसे वापस कर रहे हैं तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं मेढ़ ही खेत खा रहा है। मैं आपका दोष क्या दूं, विभाग के जो संबंधित अधिकारीगण हैं वह ही चाहते हैं कि यह पैथी बन्द हो जाए। हो सकता है कि वे भी मल्टीनेशनल कम्पनी से जुड़े हुए लोग हों। मा0 डॉक्टर अग्रवाल साहब यहां बैठे हुए हैं, एलोपैथ के, बच्चों के अच्छे डाक्टर हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि बच्चों के लिए होम्योपैथ कारगर पैथी है। लोग यह बात कहते हैं और भारत सरकार का यह ऑकड़ा है कि बच्चों के लिए होम्योपैथ में बेहतरीन दवायें हैं और डॉक्टर साहब इस बात से सहमत हैं, पता नहीं आप हमारी बात यहां मानेंगे या नहीं लीवर के लिए जितनी भी टानिक डाक्टर लिखते हैं चाहे वह लिव 52 लिखें या कोई दवा लिखें वह आयुर्वेद से बनी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि दोनों पैथी इस तरह की हैं अगर आप मातृ दर और शिशु दर की मौत को रोकना चाहते हैं तो इन पैथियों को आपको बढ़ाना होगा अगर इन दोनों पैथियों पर सरकार ध्यान देगी तो हम गर्भवती महिलाओं को बचा सकते हैं बच्चों को बचा सकते हैं और सरकार की जो चिन्ता है कि हमारे देश का हमारी माटी का जो थाती है उस आयुर्वेद और होम्योपैथ की थाती को हम बचा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

अध्यक्ष जी मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। क्योंकि पिछली बार मा0 मंत्री जी आपसे बात हुई थी और वह बजट रखा गया था जो मेडिकल कालेजों की स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत करा दें एक मेडिकल कालेज सन् 2009 में गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए धन गया 70 करोड़ रुपयों में उसको बनना था 2014 में उसको बनकर वहां पर क्लासेस शुरू होने थे । यह मैंने 2013 में प्रश्न लगाया तो माननीय मुख्य मंत्री जी का लिखित जवाब आया कि 2014 में इसकी क्लासेस शुरू करा दी जाएंगी। 2014 में क्लासेज शुरू नहीं हुई क्योंकि सरकार ने इतना कम बजट ही दिया अब आप दो करोड़ चार करोड़ रुपए देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि जो सी0सी0एच0 का मानक है उसके अनुसार उनको हास्टल या अन्य चीजें बनानी होती हैं। 2014 में जब मैंने पत्र लगाया तो माननीय मुख्य मंत्री जी का लिखित जवाब आया कि 2015 में गोरखपुर का राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज शुरू हो जाएगा। पढ़ाई शुरू हो जाएगी 2015 आपके सामने है और मैं जानता हूं कि 2015 में भी जब मैं पत्र लगाऊंगा तो अधिकारीगण मुख्यमंत्री जी से यह जवाब लगवा देंगे कि 2016 में शुरू होगा। क्योंकि जिस कछुए की गति से इसका निर्माण चल रहा है मुझे लगता है कि 2020 तक भी कोई शरू कर पाए। जहां यह मेडिकल कालेज बन रहा है आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर चार जनपदों के लोगों का भला होना है। अध्यक्ष जी मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां क्यों मेडिकल कालेज स्थापित किया जा रहा है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र अपराधियों का क्षेत्र माना जाता रहा है वहां कट्टे और बम बनते थे। वहां के नौजवान यह कहते थे कि मैं भी कट्टा बम बनाऊंगा मैं भी नेता बन जाऊंगा । वहां की संस्कृति इस तरह की हो चुकी थी हम लोगों ने प्रयास किया कि जहां कट्टे बम चलते थे अगर मेडिकल कालेज खुलेगा तो वहां डाक्टर बनेंगे वहां का नौजवान डाक्टर बनेगा न कि अपराधी बनेगा इस नाते अपराधियों को लोग रोल माडल न माने इसके लिए उचित होगा कि इस पैथी को मानने लगें मेडिकल कालेज जो अलीगढ़, गोरखपुर का बन रहा है उसे बनवाएं और मेडिकल कालेज बनें जो आपने बजट दिया है गोरखपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ के लिए वह

अपर्याप्त है। 13 करोड़ 35 लाख में आपने 12 करोड़ दिया है इससे भला नहीं होगा इसे और बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सुझावों पर ध्यान देंगे सरकार ध्यान देगी और इन दोनों भारतीय पद्धतियों को जो गरीबों का इलाज करती हैं इसको जिन्दा रखेंगे इसको असमय मारेंगे नहीं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष मैं कटौती के प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करते हुए दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा जब–जब राज्य में जब–जब देश में जिस विधा को जिस कला को प्रोत्साहन देने का काम किया है वह विधा फली–फूली है वह कला फली–फूली है। आयुर्वेद एक इतिहास प्रदत्त हमारे पास एक ऐसी विधा है, यूनानी एक ऐसी विधा है, होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में, जहां 22 परसेन्ट 24 परसेन्ट गरीब लोग रहते हैं और ग्रामीण व्यवस्था जहां 76 परसेन्ट है, वहां पर हम लोगों को आसानी से सस्ती दवा कैसे दे सकें यह चुनौती सिर्फ हमारे ही राज्य के पास नहीं है, सारे देश के पास है, सारे विश्व के पास है और इस पर शोध हुआ। यह व्यवस्था हम लोगों को इतिहास प्रदत्त है। इसका हम लोगों को आदर करते हुए मैं समझता हूं बहुत कम बजट इसमें रखा गया है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है जिसे सत्ता पक्ष अभी मानेगा तो बहुत सारे लोगों का लाभ होने की सम्भावना है और मैं समझता हूं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको हम लोगों ने ऐसा नेगलेक्ट करके छोड़ा है और यह बहुत समय से देश और प्रदेश में होता रहा है जिनका उपयोग न सिर्फ रोजगार सृजन के लिये हो सकता है, लोगों की बेहतरी के लिये भी हो सकता है। अध्यक्ष जी एक मेरा छोटा सुझाव इसमें यह है कि हमारे यहां 52 हजार पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 52 हजार पंचायतें हैं और इन 52 हजार पंचायतों में एक–एक आयुर्वेद की नर्सरी जरूर लगवा दी जाय। आयुर्वेद सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसका प्रोडक्शन करके शीशियों में बन्द करके बेचा जाय तब ही वह आयुर्वेद कहलायेगा। कुछ ऐसी आयुर्वेदिक व्यवस्थाएं हैं जो सीधे पेड़ों से तोड़कर उनसे व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, यह बहुत सारी तरीके की हैं, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करने की यहां कोई विशेष आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि इस तरह की नर्सरी लगती है तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। एक आयुर्वेदाचार्य का वहां पर उसको लोगों को प्रिस्क्राइब करने का एक तरीका मिलता है। उसके साथ में योग को जोड़ दीजिये, होम्योपैथी, यूनानी को जोड़ दीजिये तो आपको तीन–चार लोगों के लिये ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जायेंगें। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार को रोजगार देना इतना आवश्यक नहीं है जितना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और इसी प्रक्रिया के तहत पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 के भवन बने हुए खड़े हुए हैं और डाक्टर नहीं आते हैं। एक भवन को आरक्षित किया जा सकता है इस अवसर के लिये जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी का डिस्ट्रीब्यूशन उस जगह से हो। सबसे ज्यादा एक विषय जिस पर हम लोग अक्सर चर्चा नहीं करते हैं। डाक्टर साहब ने चर्चा की थी बच्चों का कुपोषण। महिलाओं का कुपोषण, बुर्जुगों का कुपोषण। यह लोग बहुत दूर जा नहीं पाते। बहुत दूर होता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्पताल, और छोटी–छोटी बीमारियां होती हैं, उन छोटी–छोटी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी में है और वह बहुत कम पैसे में वहां उनको उपलब्ध हो सकता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, दीन दयाल शोध संस्थान है चित्रकूट में और इसमें शोध हुआ है। उस शोध में उन्होंने एक बटुआ निकाला है जिसमें लगभग 25 ऐसी बीमारियों जो सिर दर्द से लेकर, आंख दर्द, पेट दर्द, दांत दर्द, जबान दर्द इसका आयुर्वेदिक इलाज उन्होंने निकाला है और काफी शोध के बाद उसको निश्चित किया है। अगर उस तरह की चीजों को गांवों में, ग्रामीण अंचल में लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये यदि सरकार वास्तव में इतनी संजीदगी से सदन में कहती है तो मैं समझता हूं कि इस कार्य को करना नितान्त आवश्यक है। इस सुझाव को आप जरूर अपने उसमें लें। इसके अलावा यह नर्सरी व्यापार सृजन का भी एक केन्द्र हो सकती हैं। यह नर्सरी दूसरी नर्सरियों को भी पौधे दे सकती हैं और बहुत छोटी छोटी बातें जैसे आंवला विटामिन सी के लिये बहुत बढ़िया चीज है, कुपोषण में यह सारी बातें आती हैं। हो सकता है ऊपर से देखने में कोई महिला कोई पुरुष स्वस्थ लगता हो लेकिन कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिन्स होते हैं जो शरीर में न रहने से और उसकी उपलब्धता न होने से हो सकता है कि वह दिखाई भले न दें लेकिन कहीं न कहीं आपके शरीर में उसका इफेक्ट होगा। दूरगामी परिणाम भी होते हैं और वह बाद में जाकर परिलक्षित होते हैं तो मैं यह आग्रह करना चाह रहा था मंत्री जी से। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करना चाह रहा हूं कि इस पर रेवन्यू मॉडल भी बन सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप उसको ग्रान्ट के तौर पर दें कि जो आपने एक बार नर्सरी लगायी वह लगातार वह व्यक्ति जिसके सुपुर्द आपने उसको किया वह उसके लिये रेवेन्यू मॉडल की तरह काम करेगा। वह उस नर्सरी से जो बेचे उससे अपनी आय बनाये और उसके द्वारा अपना घर बार भी चला सकता है। तो यह एक छोटा सा सुझाव मेरे दिमाग में आया था, कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर वर्मा बोलेंगें आप बजट में। बोलना है ?

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिनकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा किसी बात को दोहराऊंगा नहीं। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत श्री राजेश त्रिपाठी जी द्वारा लाए हुए कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो इस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण अंश है वह निश्चित रूप से आज सदन की चर्चा में नहीं आया है मनुष्य इस प्रकृति की श्रेष्ठ रचना है और इसी मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, हम अपने प्रगतिशील कार्यों की ओर नजर डालें, वैज्ञानिक अन्वेषण की ओर नजर डालें, तो आपको मिलेगा कि जो मनुष्य जंगलों में नंगा पैदा हुआ आज अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आज सुन्दर सभ्य समाज की रचना करने में कामयाब हुआ है लेकिन मान्यवर, अगर उसके स्वास्थ्य से संबंधित हमारे मन के अन्दर उदारशीलता नहीं रहेगी तो निश्चित

रूप से जो हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो माननीय श्री राजेश त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव में नहीं आ पाए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेडिकल अफसर जो आयुर्वेदिक और यूनानी विधा के हैं पी0एच0सी0 पर पोस्ट हैं उनके साथ अलग–अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह मेडिकल अफसर, हमारी सरकार यह कहती है हमारे देश का न्यायालय यह कहता है कि समान काम और समान दाम होना चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मेडिकल अफसर जो आयुर्वेद और यूनानी विधा के पी0एच0सी0 पर पोस्टेड हैं उनको एन0पी0ए0 नहीं मिलता है उनको ए0पी0सी0 नहीं मिलता है उनको समय पर जो चार वर्ष में प्रमोशन होना चाहिए वह प्रमोशन नहीं मिलता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वही चिकित्सक पी0एच0सी0 पर जाते हैं तो जो एलोपैथ का मेडिकल अफसर होता है वह सोमवार, बुद्धवार और शुक्रवार को ओ0पी0डी0 करता है बाकी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को क्षेत्र में जाकर के भ्रमण का कार्यक्रम करता है या राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेता है या स्वास्थ्य मेला लगाने का काम करता है और वहीं पर उसी पी0एच0सी0 में पोस्ट जो आयुर्वेदिक और यूनानी विधा का जो मेडिकल अफसर होता है वह भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को पी0एच0सी0 में ओ0पी0डी0 करता है और बाद के दिनों में क्षेत्र में मेला लगाने का काम या क्षेत्र में भ्रमण करने का काम करता है लेकिन दोनों के वेतन में जो विसंगतियां हैं दोनों की सुविधाओं में जो विसंगतियां हैं निश्चित रूप से हमारी उदासीनता का परिणाम हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो बात करना चाहूंगा कि इसका जो हाल है निश्चित रूप से यह पद्धति जो बीमार है, यह विभाग अगर बीमार है तो उसके पीछे हमारी आपकी उदासीनता है। अगर यह उदासीनता खत्म नहीं की जाती है तो ऐसे लोगों का भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है जो इस पद्धति से जोड़कर के इस सिस्टम से लोगों को शिक्षा देकर के बेरोजगार बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी ने सब कह दिया आपने डाक्टरों के बारे में ध्यान आकृष्ट कर दिया यह आपका उद्देश्य था अब बैठिए जवाब देने दीजिए अभी बहुत बजट हैं।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मेडिकल अफसरों के साथ जो अलग–अलग तरह का व्यवहार हो रहा है निश्चित रूप से सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। जब एक समान काम है तो एक समान उनको वेतन मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद् देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब, आखिरी बार बोलने का मतलब इस पर, इस बजट पर अंतिम बार बोलने से है। यह बड़हलगंज के उस पर नहीं है। आप बोलिये।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

इनकी प्रार्थना से दूसरे लोग थोड़ी देर में अन्तिम बार बोलने वाले हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भाजपा के मा0 सदस्य और अपना दल के मा0 सदस्य ने कटौती प्रस्ताव पर हमारा समर्थन किया इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं और अपनी उस बात पर बल देना चाहता हूं पता नहीं डाक्टर साहब सहमत होंगे कि नहीं कि यह जो दोनो पैथी हैं यह बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं। जैसे स्वाईन फ्लू का हाहाकार मचा है। यह सोचेंगे कि स्वाईन फ्लू का अभी टीका बनायेंगे, दवा बनायेंगे और रोज आ रहा है कि यदि कपूर और इलायची आदि बराबर–बराबर मात्रा में ली जाये तो स्वाईन फ्लू होगा ही नहीं। यह बता रहा है कि इस पैथी का महत्व क्या है। स्वाईन फ्लू का इलाज घर–घर में बैठा है बस जानकारी का अभाव है मैं इसलिये यह बात कहना चाहता था। मैं यह कह रहा था कि होम्योपैथ विभाग में डी0पी0सी0 नहीं हुयी है। आप इसकी डी0पी0सी0 करायें। प्रोन्नति का जिन चिकित्सकों को अवसर मिलना है उन चिकित्सकों को दिलायें, इससे शायद आपके चिकित्साधिकारियों के पदों पर भर्ती हो जायेगी और कमी पूरी हो जायेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि यह जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही खोल सकते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में केवल तीन मेडिकल कॉलेज ही निजी क्षेत्र में खुल पाये हैं। यदि सरकार इस बैन को हटा लेती है तो शायद इस पैथी का भला हो जायेगा। यह एक शासनादेश आया हुआ है कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मैं होम्योपैथ की बात कर रहा हूं। मा0 ओझा जी इस विभाग को देख चुके हैं उनको पता है। अगर यह बैन हट जाता है तो निजी क्षेत्र के लोग, सारे समाज के लोग उसमें अल्पसंख्यक भी होंगे और भी लोग उसमें होंगे तब शायद इस पैथी का भला हो सके। दूसरा मैं यह कहना चाहता था कि आपके जिले में जो 70 जिला चिकित्साधिकारी अपने दिया है इनके पास कोई साधन भी नहीं हैं। अगर आप इनसे कहें कि जाओ 90 किलोमीटर देखकर आओ कि तुम्हारा डाक्टर काम कर रहा है कि नहीं। वह बेचारा बस से जायेगा तब तक दो बजे का समय खत्म हो जायेगा। इनके लिये वाहन की व्यवस्था यदि जिले में न कर पायें तो मण्डल स्तर पर वाहन उपलब्ध करा दें कि एक जिले में एक दिन, दूसरे जिले में दूसरे दिन। इसलिये कम से कम मण्डल स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था तो होनी चाहिये। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वाईन फ्लू के अलावा मस्तिष्क ज्वर से हमारा पूर्वांचल तबाह हो रहा है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अधिकारियों के साथ बैठक कीजिये। आंध्रप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का ऑकड़ा मंगा लीजिये, लिट्रेचर मंगा लीजिये, होम्योपैथ ने आंध्रप्रदेश से मस्तिष्क ज्वर को खत्म कर दिया है। 2007 के बाद आंध्रप्रदेश में एक भी मरीज मस्तिष्क ज्वर से नहीं मरा है। मा0 मंत्री जी, आप ऐलोपैथ के डाक्टर हैं इसलिये आप नहीं मानेंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मेरा दर्द होम्योपैथ और आयुर्वेद के सम्बन्ध में है। ऐलोपैथ के डाक्टर आपको यही बतायेंगे कि यह संभव नहीं है, यह पानी है, यह बेकार है, यह घास–फूस खा रहे हो, ऐलोपैथ के लोग तो यही कहेंगे। मगर मैं जो कह रहा हूं कृपया आप इस पर रिसर्च करा लें। दिक्कत क्या है ? अधिकारी जायेंगे और वहां से रिसर्च पेपर लायेंगे। नहीं है मत करियेगा। अधिकारियों का दावा है कि इस

बीमारी पर रोक लगा सकते हैं। सरकार इस पर विचार करे। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कैलाश–

मान्यवर, मा0 त्रिपाठी जी ने जो सुझाव रखा है। जहां तक विभागों में खाली पदों को भरे जाने की बात है उसमें मा0 मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश प्रदेश के सभी विभागों को दे दिये हैं। वह सभी पद भरे जायेंगे। जो आयोग से हैं वह अलग है उन्हें आयोग को भेज दिया जायेगा। दूसरी बात, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ यह बात सही है, पुराने जमाने में इसके अलावा और कोई उपचार ही नहीं था। इसलिये यह महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव भी अच्छे हैं। हमारे जितने भी मा0 सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उस पर विचार किया जायेगा और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लीजिये।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यदि सरकार इस बार पूरा मान लेगी तो अगली बार नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,00,30,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,22,07,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख6.07 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,00,45,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम जिस विभाग का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आज दुनिया में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता और मांग है। यह एक ऐसा डिपार्टमेण्ट है, जिसके बिना आज दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है और इस विभाग ने, इस टेक्नॉलोजी ने दुनिया की दूरी को बहुत कम कर दिया है और उस दूरी के भीतर होने वाले लाभ को, अनुमान को हम कितना ज्यादा से ज्यादा कैश कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे लाभ ले सकते हैं, जो उसका सबसे उपयोगी हिस्सा है, टेक्निकल हायर एजूकेशन और उससे सम्बन्धित विभाग। अध्यक्ष जी, मेरे विभाग में टू टायर सिस्टम है, प्राविधिक शिक्षा टू टायर सिस्टम के तहत् चलती है। प्रथम जिसको आप हायर एजूकेशन कहते हैं, टेक्नॉलोजी का, वह इंजीनियरिंग है, जिसमें डिग्री कोर्सेज हुआ करते हैं, उस टेक्निकल हायर एजूकेशन में एम0टेक भी हुआ करता है, पीएच0डी0 भी हुआ करती है और बी0टेक भी हुआ करती है, एमबीए भी हुआ करती है, फार्मेसी भी हुआ करती है। दूसरा जो टायर सिस्टम हमारे पास है जिसको आप पॉलीटेक्निक कहते हो, डिप्लोमा सिस्टम है। यह दो ऐसे सिस्टम हमारे पास हैं, इन दोनों सिस्टमों को उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से अधिक से अधिक मजबूत करना चाहती है और उसको अधिक से अधिक उपयोग में प्रदेश की जनता और लोगों के बीच लाना चाहती है और इस 2015–16 के बजट के भीतर, हायर टेक्निकल एजूकेशन के भीतर हमने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है और आगे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं, हमारे पास आज की स्थिति में दो टेक्निकल विश्वविद्यालय हैं। एक टेक्निकल विश्वविद्यालय, जिसे लोग यूपीटीयू के नाम से जानते हैं, पूरे हिन्दुस्तान में लोग जानते हैं, बाहर भी लोग इसको जानते हैं और एशिया का सबसे बड़ा यह विश्वविद्यालय है। जिसमें 654 कालेज एफीलिएटेड हैं, जिसमें 11 अनुदानित महाविद्यालय हैं। दूसरा हमारे पास जिसको हमारी सरकार ने मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने स्थापित किया है, गोरखपुर के भीतर, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल विश्वविद्यालय, जो अपनी अच्छी स्थिति और गति से चल रहा है। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय के भीतर जो हमारा यूपीटीयू है, उससे हमारे दो प्रकार के महाविद्यालय एफीलिएटेड हैं, आज की तारीख में, एक एसोसिएट है और एक एफीलिएटेड कालेज हमारे पास है। उसके भीतर एचबीटीआई कानपुर, लखनऊ का आईईटी, केएनआईटी सुल्तानपुर, कानपुर, झांसी। ये ऐसे बड़े महाविद्यालय हैं इंजीनियरिंग कालेजस हैं जिनके अंतर्गत हमने अपनी एक साख

हिन्दुस्तान के अन्दर बना रखी है और ऐसा हमारा इंजीनियरिंग कालेज रहा है जिसकी साख न केवल उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने–कोने तक रही है। इसलिए हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी की है और हमारी सरकार ने बजट के भीतर यह फैसला भी किया है एचबीटीआई कानपुर को एक नया इंजीनियरिंग टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं जो आगामी वर्ष से प्रारम्भ हो जायेगा। जो एचबीटीआई विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा। उसकी साख उसकी गुणवत्ता उसकी क्षमता उसकी योग्यता उसकी दक्षता इन सभी मापदण्डों को अपने दिमाग में रखकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि एच0बी0टी0आई0 को हम विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे और उसकी साख को हिन्दुस्तान में दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे। मान्यवर हमने सिर्फ यही तक अपने आप को सीमित नहीं किया है चूंकि टेक्नॉलाजी की बहुत डिमाण्ड है उसकी आवश्यकता है हमारी आबादी भी बहुत है। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है जिन–जिन मण्डलों के भीतर हमारे अपने उत्तर प्रदेश सरकार के इंजीनियरिंग कालेजस नहीं हैं उन मण्डलों के भीतर हम धीरे–धीरे करके यह इंजीनियरिंग कालेजस खोलेंगे। उसी के तहत आज हमने देवीपाटन में गोण्डा के भीतर और बस्ती में बस्ती के भीतर एक गर्वनमेण्ट कालेज खोलने की बात कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10–10 करोड़ रुपये का हमने एडवांस दे दिया है। हमने उसकी एक निर्माण शाखा भी नियुक्त कर दी है। इलाहाबाद मण्डल के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई गर्वनमेण्ट कालेज नहीं है इंजीनियरिंग कालेज नहीं है इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि इलाहाबाद मण्डल में प्रतापगढ़ के भीतर भी एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जायेगा जहां पर कि गर्वनमेण्ट कालेज कोई नहीं है। बदायूं के भीतर भी इसी प्रकार से है। वो हमारे संकल्प में है प्रस्तावित है। हम उसको भी पूरा करना चाहेंगे। धीरे–धीरे करके जहां हमारे मण्डल में नहीं है उनको भी हम सेचुरेट करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन अभी बदायूं और प्रतापगढ़ हमारे बीच है जिनको हमें खोलना है। इस बीच हमने चार जो उस समय इन्होंने खोले थे उनको स्थापित करने का प्रयत्न किया। बांदा का इंजीनियरिंग कालेज आजमगढ़ का इंजीनियरिंग कालेज अम्बेडकरनगर का इंजीनियरिंग कालेज और इसके अलावा हमारे बिजनौर का इंजीनियरिंग कालेज इन सभी के भीतर जो विगत वर्षों में जहां डायरेक्टर्स नहीं थे भवन नहीं थे उपकरण नहीं थे साजसज्जा नहीं थी हमने आज की तारीख में इन चारों इंजीनियरिंग कालेजस के भीतर डायरेक्टर्स की विधिवत् नियुक्ति कर दी है। डायरेक्टर्स अपने–अपने कालेजस में पहुंच गए हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो हमारा 2015–16 का सत्र चलेगा यह सारे के सारे बच्चे अपने इंजीनियरिंग कालेजस की तरफ बढ़ेंगे और पूरी साजसज्जा व्यवस्था के साथ हमारा इंजीनियरिंग कालेज चलेगा। मान्यवर तीन और इंजीनियरिंग कालेज हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं। कन्नौज का कालेज मैनपुरी का कालेज और सोनभद्र का कालेज। 2015–16 के सत्र के भवन अभी निर्मित हो रहे हैं। भवन निर्मित होने में साजसज्जा में अग्रिम समय अभी लग सकता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे गर्वनमेण्ट कालेजस में आएं लाभ लें इसलिए हमने फैसला किया कि मैनपुरी का हमारे कालेज हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में चलेगा। कन्नौज का कानपुर में भी चलेगा। और सोनभद्र का

केएनआईटी सुल्तानपुर में चलाएंगे जो इसी वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ होगी। यह तो वह कालेजस हैं जिनको हमने प्रारम्भ किया या प्रारम्भ करने जा रहे हैं। एक बड़ी भारी समस्या आज हमारे सामने महॅगाई की है। कीमतें बढ़ रही हैं लोग इजाफा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहली बार इस स्थिति में खड़े हैं। हमारी यूपीटीयू में जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार रुपये हुआ करता था हमने दो सौ रुपये प्रवेश शुल्क घटा दिया है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भी हमने शुल्क घटाने का काम किया है। यू0पी0टी0यू0 के भीतर किया है। अब हमारे बच्चे प्रवेश लेने आयेंगे। मान्यवर, आज टेक्टनालाजी बहुत बढ़ गयी है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि डिग्री तो हम दे रहे हैं। अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं अच्छी टेक्नालाजी एडाप्ट करके बाहर जाना चाह रहे हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट जो आज के समय की आवश्यकता है वह हम नहीं कर पा रहे थे इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि उन्नाव में स्किल डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन इंस्टीटयूट स्थापित कर रहे हैं। जिसके लिए हमने पांच करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था भी कर दी है। जो भी बच्चे हमारे निकलेंगे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों। वहां जाकर के अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मान्यवर, हमारी यू0पी0टी0यू0 के भीतर नोएडा के अन्दर बड़ा कैम्पस है। उस नोयडा के कैम्पस के भीतर हमने यह फैसला किया है कि वहां पर हम दो बड़े एजूकेशन के सेक्टर स्थापित करने जा रहे हैं जो पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नही है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन टेक्नालॉजी। डिजाइन टेक्नालाजी अपने आप में एक नया कान्सेप्ट है। जो दुनिया के मात्र पांच देशों के भीतर है। और हमने यह प्रयास किया है कि हम डिजाइन टेक्नालाजी का डेवलपमेंट करके अपने बच्चों में डिजाइन का एक्सेलेंस पैदा करेंगे। हमने इसको अमेरिका के इंस्टीट्यूट से टाइअप करने का प्रयास किया है। और उसको करायेंगे। और 15 ऐसे नये स्टेट सहभागी बनने के लिए तैयार हैं दो यूरोप के हैं एक कनाडा के, एक अमेरिका के बाकी हमारे अपने इंस्टीट्यूट हैं जो उसके सहभागी बनने के लिए तैयार हैं। और मिलकर हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। जो अपने आप में हिन्दुस्तान में अकेला डिजाइन एक्सेलंट सेंटर होगा। मान्यवर, हम नोएडा के भीतर एक और बड़ा काम कर रहे हैं। इंस्टीटयूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इम्प्लायमेंट वह भी करने जा रहे हैं। उसके भीतर भी हम इम्प्लायमेंट कैसे जनरेट कर पायें। और विशेषता यह है कि सरकार का एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। हम इसको सेल्फ सफीशियंट माध्यम से अपने आप इसको करने जा रहे हैं। और सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने जो इसका प्रासपेक्टस बनाया है वह अपने अंतिम दौर में है और दुनिया के जो विभिन्न एक्सपर्टस हैं उनको बुलाकर उनसे बात करके उस प्रासप्रेक्टस को बना रहे हैं। जो अपने आप में यूनिक प्रासपेक्टस होगा। जो उत्तर प्रदेश के निकलने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएटस को नई दिशा देगा और अपना एक नया मानदंड स्थापित करेगा। मान्यवर, स्किल डेवलपमेंट में एक प्राब्लम हो गयी है। हमारे बच्चे निकलते हैं। वह बाहर जाना चाहते हैं। दुनिया आज बहुत छोटी हो गयी है। लेकिन इंगलिश स्पीकिंग कैपिसिटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यह दोनों हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए यू0पी0टी0यू0 ने एक फैसला किया है कि हम कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी से एग्रीमेंट करने जा

रहे हैं। हम कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी से एग्रीमेंट करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो ग्रेजुएटस निकल रहे हैं उनकी इंगलिश स्पीकिंग कैपिसिटी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वह कैम्ब्रिज युनिविर्सिटी के कोलेबोरेशन से हम नोयडा के अपने सेक्टर के भीतर उसको हम डेवलप करेंगे। जिससे हमारे बच्चे भी बाहर जाकर अपनी हैसियत स्थापित कर सकें और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें और बाहर की पूंजी भी हमारे प्रदेश के भीतर ला सकें।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, कुछ उत्तर भाषण भी दिलवा दीजिए। प्रोफेसर साहब बहुत देर तक बोलेंगे।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

नहीं हम बहुत संक्षेप में बोलेंगे। आप घबराइये नहीं। मान्यवर, इसके अलावा हमने फैसला किया है कि जो हमारे पुराने चार इंजीनियरिंग कालेजेस हैं। उनके भीतर हम इनोवेशन एण्ड इक्वीशन सेंटर स्थापित किये हैं। फार एक्सेलेंस वह कालेजेस जिस दिशा के लिए जिस ट्रेड के लिए जाने जाते हैं उनको हम और मजबूती प्रदान करेंगे। कानपुर में हम सिविल इंजीनियरिंग कालेज को एच0बी0टी0आई0 में करेंगे। आई0ई0टी0 लखनऊ में इलेक्ट्रानिक्स, आई0आई0टी0 कम्प्यूटर साइन्स करेंगें और गोरखपुर में मैकेनिकल इन्जीनियर करेंगे और यू0पी0टी0आई0 कानपुर में टैक्सटाइल इन्जीनियर। इन ट्रेड के भीतर पूरे हिन्दुस्तान में जाने जाते हैं लेकिन यह और मजबूती से, और गुणवत्ता के साथ, और कैपेसिटी के साथ खड़े हों, और क्वालिटी के साथ खड़े हों इसलिए इन्हें और मजबूत करने का प्रयास है जिसका सारा खर्च यू0पी0टी0यू0 वहन करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से इसका कोई लेना–देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में तो होगा ही, पढ़ लेंगे सब किताब में।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर बस संक्षेप में कहता हूं। बहुत बड़ी मात्रा में आज की तारीख में एक लाख उन्तिस हजार से ज्यादा बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स के भीतर प्रवेश दिला दिया आपने, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। गवर्नमेन्ट सेक्टर और प्राईवेट सेक्टर दोनों मिलाकर आज की तारीख में हम 400 करीब विद्यालय बना चुके हैं। इसे पालिटेक्निक सेक्टर के भीतर भी विकलांगों को विशेष सुविधा, इसे लेकर एक विशेष बात कहना चाहता हूं। 97–98 से जो हमारे अनुदानित पालिटेक्निक कालेज थे, जो हमारे अनुदानित गवर्नमेन्ट इन्जीनियरिंग कालेज थे बजट फ्रीज था मान्यवर, बजट फ्रीज होने के नाते हमारी जो फैकल्टीज अप्रूव्ड हैं हम उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार हमारी सरकार है जो आज इतने सालों के बाद बजट को डिफ्रीज किया है और पूरे के पूरे इन्जीनियरिंग कालेज के भीतर जितने भी हमारे सैक्शन पद हैं, फैकल्टी के सारे के सारे पद भरने का हमने निर्णय किया है। 250 परसेन्ट ज्यादा अपने बजट को इन्क्रीज करने का काम किया है। यह मामूली बात नहीं है सरकार की। मान्यवर, समय बहुत कम है मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बजट को सर्वसम्मत से पारित कर दिया जाये।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, बहुत भारी पुस्तिका के साथ और उससे भी भारी भूमिका के साथ आदरणीय मंत्री जी ने इस बजट की रूप–रेखा सदन के अन्दर रखी है। मान्यवर, आपने बताया है उत्तर प्रदेश का प्राविधिक विश्वविद्यालय जिसे हम यू0पी0टी0यू0 के नाम से जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। बहुत सारी सुखद और सकारात्मक स्थितियों के बारे में बताया विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय की बहुत सारी नई चीजों के बारे में बताया इन्होंने लेकिन मान्यवर वास्तव में यह विश्वविद्यालय अकेला ऐसा एक विश्व विद्यालय है, जिसकी कापियां बिना जचीं कबाड़ियों के यहां मिल रहीं हैं। 100 नम्बर के प्रश्न पर 105 नम्बर दिया जा रहा है। एक भी कर्मचारी पूरी यूनिवर्सिटी में परमानेन्ट नहीं है। 2011 के बाद आज तक यूनिवर्सिटी में कोई परीक्षा नियंत्रक नहीं है। मान्यवर, एशिया नहीं हिन्दुस्तान की इकलौती यूनिवर्सिटी है जहां छात्राओं के लिए, कमजोर वर्ग के सामान्य, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए एक रुपये की भी फीस का छूट का प्राविधान नहीं है। छूट की बात छोड़ दीजिये मान्यवर, लगता है इतनी महंगाई हो गयी है कि सरकार ने इस फीस को दोगुना बढ़ाने का काम तकनीकि विश्व विद्यालय ने किया है। मान्यवर, पुस्तिका पर नहीं गया हूं बहुत जल्दी ही खत्म करूंगा। मान्यवर, जैसा मा0 मंत्री जी कह रहे थे, वास्तव में आने वाला समय या वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का समय है और बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की हमारे प्रदेश में देश में है और सबसे बड़ी आशा और उम्मीद है इस विश्वविद्यालय से, इस तकनीकी शिक्षा से, लेकिन स्थितियां बहुत ही उलट हैं इस तकनीकी विश्वविद्यालय की। मान्यवर हम पहला पृष्ठ खोलते हैं, इस पुस्तिका का जिसके पैरा 1.1.3 में विश्व बैंक सहायतित तकनीकी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, द्वितीय चरण का विवरण दिया गया है। पिछली बार भी यह मामला आया था मान्यवर, आपकी कृपा से मुझे इस बार भी मौका मिला इस विषय पर बोलने का, पिछली बार भी इन्होंने चयनित किया था दो इन्जीनियरिंग कालेजों को और बहुत बड़ी धनराशि उन कालेजों को इन्होंने सहायता के रूप में दी थी। इस बार फिर मान्यवर, एक आत्मनिर्भर कालेज जो अब युनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है उसको फिर से मान्यवर, पूरे 10 करोड़ की सहायता सबकम्पोनेण्ट 1.1 प्लान के अन्तर्गत देने का काम कर रहे हैं। इसका चयन किस आधार पर हुआ है, यह हमारी समझ से परे है। मान्यवर, पेज संख्या–04 में आपने पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया का जिक्र किया है, 116425 अभ्यर्थियों को प्रवेश इस सत्र में दिया गया है मान्यवर, इसकी स्वीकारोक्ति इन्होंने इस पुस्तिका के माध्यम से की है, मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से और बताना भी चाहता हूं कि आपकी काउन्सिलिंग के बाद कितने छात्रों ने प्रवेश लेने का काम किया। मान्यवर, आगे का पृष्ठ आप देखेंगे, अभी सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की बात हो रही थी, मा0 मंत्री जी बड़े जोर–शोर से कह रहे थे, लेकिन बहुत दुःखद स्थिति है मान्यवर, हमारे प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में 4172 सीटें हैं, लेकिन उसमें प्रवेश मात्र 3683 लोगों का हुआ है। 15 फीसदी

सीटें खाली हैं, मान्यवर प्रदेश के छात्र सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या कारण हैं, आखिर क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस पर मा0 मंत्री जी को विचार करना चाहिए। इसके आगे पैरा 1.7.2 में इन्होंने रिजल्ट का जिक्र किया है, वर्ष 2102 में 78 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए थे, वर्ष 2013 में 70 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए थे, वर्ष 2014 में 81 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मान्यवर, जब परीक्षा की कापियां कबाड़ की दुकान में पाई जायेंगी, मान्यवर कबाड़ी के यहां कापियां मिलेंगीं तो परीक्षाफल लाजिमी है ऐसे ही बढ़ जायेगा। मान्यवर, अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर क्योंकि पूरी पुस्तिका में सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े हैं, संख्यात्मक आंकड़े हैं जो शायद भ्रमित करने के लिए हैं, लेकिन यह बहुत ही हास्यास्पद है मान्यवर, सात पृष्ठ पर अगर नजर डालेंगे, सातवें पेज पर विश्वविद्यालय का योगदान मैं बता रहा हूं, सुन कर शायद आपको भी लगे, इन्होंनें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित छात्रों को 25 रुपया प्रतिमाह की दर से पुस्तकीय सहायता प्रदान करने का इन्होंने निर्णय लिया है, इंजीनियरिंग के छात्र के लिए, फार्मेसी के छात्र के लिए, मैनेजमेण्ट के छात्र के लिए जिसकी कहीं भी फीस मान्यवर, 50 हजार, 01 लाख से कम नहीं है और 25 रुपये की छात्रवृत्ति का बखान मान्यवर, इस किताब के अन्दर है। ये क्या स्थितियां हैं मान्यवर, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। मान्यवर, बड़े कठिन हालात हैं इस तकनीकी विश्वविद्यालय के मान्यवर, ऐसी दुःख परिस्थिति शायद पिछले पांच सालों में कभी आई हो कि दिसम्बर में पहले सेमेस्टर के एक्जाम हुए हैं । आज 15 मार्च हो गए, अभी तक पहले सेमेस्टर के रिजल्ट/परिणाम नहीं आ पाए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, यह बहुत गम्भीर मामला है, लाखों–लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है मान्यवर, इसको संज्ञान में लेने के लिए आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, एक यूनिवर्सिटी के अन्दर जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आये मान्यवर, पूरे यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है, यूनिवर्सिटी की उत्तर पुस्तिकाओं में एक सीक्रेट कोडिंग की जाती थी मान्यवर, उसका उद्देश्य यह होता था कि परीक्षक यह जान न पाये कि कापियां किस संस्थान की हैं और किस छात्र की हैं। मान्यवर, बड़ा दुःखद है, इतना गोपनीय कार्य प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेज के कर्मचारियों के द्वारा लिया जा रहा है और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है मान्यवर कि अभी तक यह कोडिंग का काम खत्म नहीं हो पाया। मान्यवर, जब कोडिंग ही नहीं खत्म हो पायेगी तो इसका रिजल्ट कब आयेगा, जब दूसरा सेमेस्टर बीत जायेगा तो निश्चित रूप से यह लाखों लाख छात्रों के साथ यह धोखा है। बड़े जोर–शोर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौशल विकास के लिये एक संस्था यू0पी0एस0टी0एम0 का गठन किया और करोड़ों रुपये का इसके लिये बजटीय प्राविधान किया और प्राइवेट संस्थाओं को इसमें प्राथमिकता देने का काम किया। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर 400 से ऊपर इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनके पास अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अपनी प्रयोगशाला है, अपनी वर्कशाप है, अपना स्टाफ है लेकिन यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम इन कालेजेज को न देकर प्राइवेट कालेजों को देने का काम, प्राइवेट कालेजों को देने का जो इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं उससे अलग लोगों को देने का काम किया गया है। अगर यही प्रशिक्षण इंजीनियरिंग कालेजों के माध्यम से दिया जाता तो उसकी लागत भी कम हो जाती। उसका लाभ लेने वाले छात्रों का प्रतिशत भी

बढ़ जाता। मान्यवर, अभी पिछले साल एक खबर छपी थी, बहुत ही गंभीर बात है इण्डिया टुडे नाम नहीं लेना चाहिये सदन के अन्दर, बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है देश की। हमने भी पढ़ा था, आपने भी देखा होगा जो यू0पी0टी0यू0 का नजारा प्रस्तुत करती है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय कह रहे हैं उस पत्रिका के अन्दर कि सरकार यूनिवर्सिटी को अपनी बपौती समझती है। मान्यवर, वे कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि प्रमुख सचिव यूनिवर्सिटी को दूध देने वाली गाय समझते हैं। इतनी हल्की बात विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जैसे पद पर रहते हुये सार्वजनिक हो रही है। इससे दुःखद और क्या हो सकता है, यह हाल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है जो डोमेसाइल नीति के बारे में है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जो डोमेसाइल पालिसी है इंजीनियरिंग कालेजेज में छात्रों के एडमीशन के सम्बन्ध में, इससे बड़ी क्षति हो रही है। दूसरे प्रदेशों के छात्र हमारे यहां प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिये कैटेगरी तय की गयी है कि इससे ज्यादा हम एडमीशन नहीं देंगे। इसकी परिणिति यह है, इसका परिणाम यह हुआ है कि बड़ी संख्या में छात्र हमारे यहां के दिल्ली, बंगलौर, पूना आदि के कालेजेज में जाकर एडमीशन ले रहे हैं। हमारी मेधा, हमारी बहुमूल्य पूंजी ये सब हमारे देश से बाहर जा रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, इस साल यूनिवर्सिटी ने हजारों बच्चों पर तरस खाते हुये इंजीनियरिंग कालेजों में फेल हुये बच्चों के लिये एक अतिरिक्त परीक्षा का प्राविधान किया। इन्होंने परीक्षा करा ली, अब फेल हुये बच्चों का जो रिजल्ट आया वह दूसरे साल आया तो उनके पास होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब उसका एक साल बाद परिणाम आ रहा है, उनका पूरा एक साल खराब ही हो गया और मान्यवर, बांट दिया, सबको पास करने का काम किया, पता नहीं उसके पीछे कारण क्या था। हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। मान्यवर, चूंकि समय कम है और आपका भी निर्देश है। वैसे बहुत लम्बी फेहरिस्त है विश्वविद्यालयों के बारे में लेकिन बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करते हुये, इस कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मान्यवर, मैं पहले मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे मण्डल में और मेरे बस्ती जनपद में इंजीनियरिंग कालेज दिया और वहां बनना शुरु हो जायेगा अगले साल से। मान्यवर, हमारा बस्ती जनपद टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे था। मैं मंत्री जी को, इस विभाग के उन अधिकारियों को भी जिनमें से शायद कुछ बस्ती जनपद से भी सम्बन्धित होंगे जिन्होंने हमारे जिले को इंस्टीट्यट दिया मैं उनकी भी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, पूरी दुनिया में बहुत छोटी–छोटी आबादी वाले 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ आबादी वाले देश हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, तकनीकी इतनी डेवलप है कि हिन्दुस्तान जैसा बड़े मार्केट, विशाल देश के उनके इलेक्ट्रानिक सामान भरे पड़े हैं और हिन्दुस्तान उसे खरीद रहा है। हमारी टैक्नोलॉजी डेवलप करेगी जब हमारे यहां तकनीक अच्छी होगी तब यहां के बने इलेक्ट्रानिक सामान हम पूरी दुनिया के बाजार में भेजने काम करेंगे और जिस मुल्क की टैक्नोलॉजी अच्छी है। तकनीकी शिक्षा जहां की अच्छी है, मान्यवर, आज दुनिया में वही राज कर रहे हैं। हम ज्यादा धान–गेहूं पैदा कर

लें, उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है। इस विशाल देश के लिए भोजन के लिए तो है लेकिन जरूरी यह है कि हम कितना जहाज बना लेते हैं। हम कितना अणु बम बनाते हैं कितना हम असलहे बनाते हैं। हमारा देश जिस अनुपात में आगे जाना चाहिए था आजादी के बाद उतना नहीं पहुंच पाया है। देश ही साथ हमारा उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की जो तरक्की हो रही है और जिस तरीके से कालेज खुल रहे हैं, उससे मान्यवर, अच्छे आने वाले दिन हैं और हमारा प्रदेश देश में तो अपना नाम करेगा ही पूरी दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके, हम पूरी दुनिया में छा जाएंगे। ज्यादा न कहकर मैं केवल मान्यवर, मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए और अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। बस्ती जैसे पिछड़े, जहां पर कोई भी डिग्री कालेज नहीं था, या तो गोरखपुर में था या फिर लखनऊ में था। हमारे बस्ती में और गोण्डा में इंजीनियरिंग कालेज दिया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदित करना चाहता हूं कि अच्छी चीजों का आपको भी समर्थन करना चाहिए। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग का बजट जो माननीय मंत्री जी लाये हैं, हमारे मित्र हैं और माननीय दीपक पटेल जी भी काफी पढ़े–लिखे नौजवान हैं, उन्होंने लगातार कई वर्षों से इस पर कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उनके कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, यह सही है कि उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का महत्व है और टेक्निकल एजूकेशन जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज हो या चाहे पॉलिटेक्निक हो, मान्यवर, ये खुलने चाहिए। मैं भी मंत्री था, पिछली सरकार में मैंने भी बड़ा प्रयास किया था अपने जिल में मैंने खुलवाये भी थे इस तरह के कालेज। ठीक है, खुलने चाहिए, लेकिन आज तक जितने खुल गए हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी को कि पहले उन्हें संचालित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने जिले कौशाम्बी में पॉलीटेक्निक खुलवा दिया लेकिन पता नहीं किन कारणवश आज तक उसकी बाउण्ड्री नहीं पूरी हुई। मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा था कि इसको संचालित करा दीजिए। पूर्णकालिक शिक्षकों की वहां पर तैनाती नहीं हुई। इलाहाबाद से लोग आते हैं, चले जाते हैं। वहां पर जब कोई नहीं रहता तो जानवर उसके अन्दर घुसे बैठे रहते हैं। तो आप इंजीनियरिंग कालेज खुलवायें, अच्छी जगह खुलवायें जहां भी नये इंजीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निल ये खोले जाएं, पहले तो उसकी साइट देखी जानी चाहिए कि वह उचित है कि अनुचित है, वहां आवागमन की सुविधा है, छात्रों को सुविधा होगी आने–जाने में, शिक्षकों को सुविधा होगी कि नहीं होगी। यह सारी जांच करने के बाद ही ऐसे प्राविधिक शिक्षा के स्थान खोले जाने चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है, वक्त काफी हो चुका है एक तो हमारे जनपद कौशाम्बी का वह दिखवा लेंगे कि किस कारणवश वह बाउण्ड्री अधूरी पड़ी है, जिससे जानवर अन्दर घुसे रहते हैं। दूसरा हमने माननीय मंत्री जी से कहा था कि पूर्णकालिक शिक्षकों की वहां तैनाती कर दें। मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमने 100 बच्चों का छात्रावास बनवाया है वहां पर।

समाज कल्याण विभाग से यह 100 बच्चों का छात्रावास बनवाया है। हमने कई बार आपके विभागीय अधिकारियों से बात–चीत भी की। अपने समाज कल्याण अधिकारियों को भी भेजा कि इसको ले लें। बच्चे उसमें रहें, अनावश्यक पड़ा है और बच्चों को भी सुविधा होगी, तो मान्यवर, इसको भी दिखवा लें। मान्यवर, यही मेरे दो–तीन सुझाव थे। धन्यवाद।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव जो श्री दीपक जी ने रखा है उसमें उन्होंने दो बातें रखी हैं आलोचना ओर सुझाव तो आलोचना में न पड़कर सिर्फ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, टेक्नोलाजी का बड़ा रोल रहा है सभ्यताओं के विकास में। मैं समालोचना में न पड़कर मात्र सुझाव दे रहा हूं अध्यक्ष जी, सभ्यताओं के विकास में टेक्नोलॉजी का एक योगदान रहा है। कबीलाई अवस्था से हम लोग किसान बने तो भी टेक्नोलॉजी का उसमें रोल रहा, किसान से इंडस्ट्रियालिस्ट बने तो उसमे भी टेक्नालॉजी का रोल रहा और सारी दुनिया को सिकोड़ने में आज एक मुट्ठी में ले आने में एक लैपटाप में ले आने में जिन तरंगों का योगदान है वह भी टेक्नालॉजी से प्रभावित है। अध्यक्ष जी, आपने जो बाते कही उसमें एक बात कहॉ से आपने शुरू किया कि मण्डल के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई गयी है इंजीनियरिंग कालेजेज को बनाने की कि जिन मण्डलों में नहीं है पहले उन मण्डलों को देखा जायेगा और उसके बाद मैं समझता हूं कि अगर एक लाइन में कहा जाय तो एक वाक्य निकलता है अंगेजी का ''टू लिटिल टू लेट'' बहुत समय पहले यह व्यवस्था हो जानी चाहिए थी किन कारणों से नहीं हो पाई उन कारणों में जाने के बजाय अगर हम आगे का चिन्तन करें तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा और अब यह जनपदों के स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। जनपद के स्तर पर अब जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से 1951 में 6 करोड़ की जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की आज 22 करोड़ की जनसंख्या है इसके अनुपात से मैं समझता हूं कि आज जो युवक पैदा हो रहे हैं हमारे यहां जो युवा साथी पैदा हो रहे है इस तरह से स्किल डेवलपमेन्ट सिर्फ आई0टी0आई0 और डिप्लोमा स्किल डेवलमेन्ट नहीं है यह भी एक स्किल डेवलपमेन्ट है। व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है टेक्नालॉजी, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है टेक्नालॉजी तो मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी विशेष बाते हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन पर अभी देश म मे विशेष चर्चा नहीं हो रही है लेकिन आने वाले समय के प्रति चिन्ता अपनी रखते हुए और आपको भी उस चिन्ता से अवगत कराते हुए मैं समझता हूं कि सरकार अगर संज्ञान लेगी तो जिस तरह मुख्यमंत्री जी धन के लिए, उद्योगों के लिए इनवेस्टमेन्ट के लिए दुनिया भर में जा रहे हैं अपने प्रतिनिधि अपने दूत भेज रहे हैं वह लोग जब वहां जायें तो और भी ऐसी बाते लेकर के आ सकते हैं जिनसे न सिर्फ रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं उसके अलावा प्रदेश के अन्दर जो फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर प्रदेश का है उसको प्रभावित करने वाले निर्णय हो सकते हैं। हम लोगों को मैं समझता हूं कि अपनी जो यह 5 साल की राजनैतिक सत्ता है, आयु है इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। 5 वर्ष की आयु होती है जो भी सत्ता में आये आप आयें मैं आऊं कोई भी आये लेकिन यह प्रदेश इसके पहले भी

था और इसके बाद भी कायम रहेगा और युवा लोगों को हम क्या दिशा देकर के जा रहे हैं प्रदेश को देश के इतने सारे राज्यों में हम कहां प्लेस करके जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह हम लोगों की वर्तमान की हर वर्तमान की यह जिम्मेदारी है और आज वर्तमान आप है और यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो देश में अभी तक आई नहीं जिनका विश्व में जिन टेक्नालॉजी के विषय में अब एक मार्केट है उन टेक्नालॉजी को लेकर प्रदेश के युवाओं के अन्दर प्रचारित प्रसारित कर दें। एक टेक्नालॉजी है आप सबने सुना होगा नैनो टेक्नालॉजी, नैनो टेक्नालॉजी के ऊपर अभी तक देश में कोई विशेष कार्य शुरू नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब, ठीक से बैठिये, इधर मुंह करके बैठिये क्यों पीठ कर रहे हैं।

श्री विक्रम सिंह–

देखिये, शिकायते बढ़ती जा रही हैं, पीठ तक पहुंच गयी है।

मान्यवर, नैनो टेक्नालॉजी इसके अन्दर एक टेक्नालॉजी है। मैं समझता हूं नैनो टेक्नालॉजी एक इतनी बड़ी टेक्नालॉजी एक इतनी बड़ी विधा है टेक्नीकल फील्ड की कि इसके लिए कालेज नहीं एक पूरी यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है और उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के और खासकर प्रदेश के युवाओं का हो सकता है। बायो–टेक्नोलॉजी सिर्फ बायो–टेक्नालॉजी के ऊपर एक इंजीनियरिंग कालेज एक विश्वविद्यालय खोला जा सकता है देश में जिस तरह से दवाइयां बनने का काम, जिस तरह से पेस्टीसाइड और दुनिया भर की चीजे बनने का काम चल रहा है और हम जो हमारे यहां के बच्चे तैयार होंगे तो विदेशों में भी नौकरी करेंगे देश में धन आयेगा। डिफेंस, अभी राष्ट्रीय सरकार ने डिसाइड किया है मेक इन इण्डिया प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम मेक इन इण्डिया डिफेंस के कुछ सेक्टर्स को खोलेंगे और उन सेक्टर्स में भारत के अन्दर उसका उत्पादन होगा हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसे बच्चे हीं नहीं है जो इन चीजों को समझकर विदेशी चीजों से बेहतर बना सके इसलिए लगातार एक लाख करोड़ हम लोगों को विदेशों के लोगों को इम्पोर्ट करने के लिए देना पड़ता है। क्यों नहीं अपरचुनिटी के तौर पर उत्तर प्रदेश इसको देखे और भारत के मध्य में होने के कारण जो कुछ यहां बनेगा वह उतनी ही दूर साउथ को भेजा जा सकता है, जितनी दूर जम्मू कश्मीर को भेजना है। यह हमारे पास एक डेमोग्रेफिक विविधता है, प्रिविलेज है, जिसका प्रयोग हम लोगों को करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि टेलीकाम सेक्टर ''टू लिटिल–टू लेट'' है, जैसाकि मैने कहा मुझे याद है आज से 15 वर्ष पहले 3जी और 2जी के ऊपर जब सारा विश्व चल रहा था, उस वक्त 1जी के टेण्डर भारत में हो रहे थे। एक लम्बा प्रोसेज बनाकर हम लोग चलते हैं, इस प्रोसेज को स्किप किया जा सकता है, स्किप करने का मतलब यह है कि दुनिया में जो टेक्नोलाजी आज प्रयोग हो रही है, जरूरी नहीं कि आप वह पूरा प्रोसेज फालो करें जो उन लोगों ने फालो किया है और उसके बाद में जाकर आप उसी प्रासेज पर पहुंचे। उसमें समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और मैं समझता हूं कि उसमें हम लोग दोयम दर्जे के भी हो जाते हैं। यह

टेलीकाम सेक्टर की स्थिति है और यदि टेलीकाम में हम लोग कुछ काम करें और उसका इंजीनियरिंग कालेज खोले तो मैं समझता हूं कि यह एक नई विधा होगी और नई विधाओं में लोगों को पारंगत करने से ही हम मार्केट में अपनी जगह बना पायेंगे। सिर्फ लोगों को पढ़ा देने मात्र से हम समझ लें कि बच्चे पढ़ गये, उनके पास एक विधा हो गई और उनके हाथ में एक हथियार हो गया और अब वह नौकरी पा जायेंगे, यह गलत है इसके लिये मार्केट बड़ी आवश्यक बात है जिसको बहुत गहराई से सरकारों को अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप उद्योग में घुसेंगे, जब आप प्रशिक्षण में घुसेंगे, जब आप स्किल डेवलपमेण्ट में घुसेंगे तो मार्केट की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक विषय हो जायेगा। मैं सोलर चिप डिजाइन्स की बात करना चाहूंगा, आप लोगों ने अभी 10 मेगावाट के दो सोलर प्लाण्ट्स का उद्घाटन किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सोलर प्लाण्ट का जो चिप आता है वह भारत में जर्मनी से इम्पोर्ट होता है वो हमारे पास नहीं है। देश में जितनी भी कम्पनियां हैं, सारी कम्पनियां असेम्बल यूनिट्स हैं और हमारे यहां अभी तक सोलर चिप काटने की मशीनें नहीं बन पाई हैं। प्रश्न यह है कि उनको हम अपने यहां क्यों नहीं बनाते हैं ? उसकी कास्ट कम होगी। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि चाइना के साथ हम कैसे कम्प्टीशन करें, कम्प्टीशन तभी होगा जब हुनर हमारे यहां होगा, पैसा हम कम लेंगे और जिस वैश्वीकरण के प्रासेज में हमको डाल दिया गया है, हमारे चाहे या अनचाहे उस व्यवस्था में कैसे हम कम्पटीटिव रहें, यह भी देखना पड़ेगा। आप कम्पटीशन से बाहर हो जायेंगे, आपका पैसा बढ़ जायेगा, आप मार्केट में अपने पैसे की ज्यादा कीमत मांगने लगेंगे। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम पोर्टल बनायेंगे, पोर्टल तो सारा विश्व देखता है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है कि किस चीज का कितना पैसा है और खरीदने वाला व्यक्ति वहीं से खरीदेगा जहां से उसे चीज सस्ती मिलेगी। माननीय अध्यक्ष, जी, डिजाइन का इन्स्टीट्यूट आपने कहा मैं आपको बधाई देता हूं, यह बहुत अच्छा प्रयास है। इस डिजाइन के इन्स्टीट्यूट का उपयोग मल्टीफोरियस हो सकता है, जो एक हस्तशिल्प की बड़ी सी व्यवस्था आप कह रहे थे किबना रहे हैं, तो उसके साथ में यदि आप डिजाइन इन्स्टीट्यूट को जोड़ देंगे तो हमारी जो डिजाइन्स हैं, हमारा जो हस्तशिल्प फेल हुआ है विश्व में उसका कारण यह है कि वह एक पारम्परिक पैटर्न को लेकर चलता आया है और उसको बदलने काम काम नहीं किया गया है। उसके अन्दर इन्हैरेण्ट इनोवेशन नहीं हुआ है, उस इनोवेशन को करने का प्रयास यह डिजाइन इन्स्टीट्यूट करेगा तो आप मार्केट में स्वतः अपनी जगह बना लेंगे, आपको फिर मार्केट में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक और विषय जो खासकर टेक्नीशियन एजूकेशन से जुड़ा हुआ है, अध्यक्ष जी, बहुत आवश्यक विषय है कि पैसा पैसे वालों को मिलता है। बैंक जब पैसा देता है तो उसे जो बैंक में गारण्टी दे सकता है जो दिखा सकता है कि मैं यह पैसा वापस कर सकता हूं, तो यह पैसा उनको मिलता है। विश्व में नई विधायें अब बैंकिंग और फाइनेन्सियल सेक्टर्स में आ गई है, विश्व में जो विधाये हैं उसमें आइडिया फाइनेन्सिंग है, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के अन्दर पढ़कर अच्छा हुनर आया है तो उत्तर प्रदेश के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर सत्तापक्ष कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसको आइडिया

फाइनेंसिंग कहा जा सकता है। यदि आईडियाज को फाइनेन्स करने लगेंगे तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे और न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि आप उन्हें उद्यमी बनायेंगे। आम व्यक्ति को आपने टेक्नोलाजी दे दी और आपने उसको उद्यमी भी बना दिया। यह एक बहुत बड़ा विषय है जिसके उपर मैं समझता हूं कि चर्चा होनी चाहिये। टेक्नोलाजी फील्ड में मार्केट के असेसमेण्ट के लिये एक इन्टरनल यूनिट आपको बनानी होगी जो यूनिट लगातार इस विषय पर नजर रखे कि देश और विदेश के टेक्नालोजी इनोवेशन किस तरफ जा रहे हैं, किस चीज में अब ग्लट आ रहा है, किस चीज में अब मार्केट अच्छा होने वाला है, कहां पर किस उत्पाद की आवश्यकता विश्व के किस कोने में पड़ेगी, क्योंकि अब हम वैश्विक व्यवस्था में आ गये हैं। अब सिर्फ देश के विषय में सोचने का कोई मतलब नहीं है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही अच्छी बातें कह रहे हैं। अनुरोध मेरा दूसरा था जिस कारण मैनें इंटरवीन किया। हम आज टेक्निकल एजूकेशन पर बात कर रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी हमारा अलग विभाग है, उसका बजट अलग से आयेगा, हम तब उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको रोकूंगा नहीं किन्तु अगर आप टेक्निकल एजूकेशन के बारे में कोई और मूल्यवान बात कह सकेंगे तो वह आज की तारीख पर ज्यादा उपयोगी होगी, बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी ।

श्री विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हुआ क्या है कि इतने वर्षों के राज–काज में हम लोगों ने मंत्रालय बहुत सारे बना दिये हैं लेकिन सब मंत्रालय आखिर में जाकर एक ही काम करते हैं तो कहीं न कहीं इनका जुड़ाव हो जाता है और बांतों का जुड़ाव निकल आता है। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माइक्रो विषय से माइक्रो विषय पर आकर मैं अपनी बात कहूंगा, यह माननीय मंत्री जी आपके लिये विषय है कि हमारे फतेहपुर में एक भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है और यह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां के बच्चे पढ़ने के लिये बांदा जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, कानपुर आते हैं, रायबरेली जाते हैं तो वहां पर एक शिक्षा का ऐसा केन्द्र जरूर होना चाहिये, वहां हुनर बहुत है, बच्चे जो भी इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, वहां से वह आगे जाकर बहुत विकसित होते हैं और बड़ी अच्छी–अच्छी जगहों पर जॉब करने पहुंचते हैं। तो हुनर/टैलेन्ट की कोई कमी नहीं है, बस इसको सही परवरिश करने की जरूरत है, इससे वह अपने घरों के पास रहेंगे, अपने मां–बाप की सेवा भी करेंगे, अपनी खेती भी देखेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

विक्रम सिंह जी आप कुछ दोहरायेंगे।

(कोई जवाब न मिलने पर)

ठीक है, माननीय मंत्री जी आप जवाब दे दीजिये ।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पटेल जी ने, माननीय विधायक, भाजपा, हमारे वरिष्ठ साथी इन्द्रजीत जी ने और हमारे साथियों ने जो कुछ सुझाव दिये हैं, उनमें से दो तीन बांतों को साफ करके मैं बाकी को स्वीकार करता हूं। पटेल जी ने कहा कि यू0पी0टी0यू0 की कापी डस्टबिन में मिल रही है, बाहर पड़ी हुयी मिल रही है। मेरे ख्याल से पटेल जी ने पूरी बात समझी नहीं। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि यू0पी0टी0यू0 की प्रैक्टिकल की कापी बी0बी0डी0 जो कालेज है, उस कालेज में बच्चों को प्रैक्टिकल कराने प्रैक्टिकल की कापी गयी थी। बी0बी0डी0 कालेज के स्तर पर कहीं लापरवाही बरती गयी, जैसे ही यह हमारे संज्ञान में आया, यूनिवर्सिटी के संज्ञान में आया, तत्काल उनको डिबार कर दिया गया, प्रैक्टिकल उनके निरस्त कर दिये गये, पुनः प्रैक्टिकल कराने के आदेश कर दिये गये और जिन लोगों ने भी या वहां के प्रोफेसर्स ने लापरवाही किया है, उनको परीक्षा से दो साल के लिये बहिष्कृत कर दिया गया। यू0पी0टी0यू0 का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। सीधे–सीधे उस कालेज का दोष था, इसलिये इसमें हमने कार्यवाही कर दी। दूसरी बात, आपने एक सवाल सेमिस्टर्स के बारे में भी उठाया, मैं आपको यह भी बता दूं कि कोडिंग खत्म हो चुकी है, एम0टेक0 के रिजल्ट आ गये हैं, एम0फार्मा के रिजल्ट आ गये हैं, बी0टेक0 के रिजल्ट बहुत जल्द इसी महीने के भीतर ही आ जायेंगे, जल्द पब्लिश हो जायेंगे और सबके सामने आ जायेंगे। एक सवाल आपने और उठाया था कि बड़ी मात्रा में हमने लोगों को बैक पेपर्स के लिये परमिट कर दिया है और दूसरे साल उनका रिजल्ट निकाला। आपको शायद इस बात का ज्ञान होगा कि विश्वविद्यालय बिना बोर्ड आफ काउन्सिल की बैठक के किसी चीज पर निर्णय नहीं ले सकती तो विश्वविद्यालय ने जब निर्णय लिया, 3 महीने के भीतर उनके बैक पेपर्स के रिजल्ट आ गये, लेकिन काउन्सिल के निर्णय लेने में चूंकि उसमें इस बात को लेकर सहमति नहीं थी और यह विश्वविद्यालय की नियमावली में भी नहीं है तो कैसे इसको कंसीडर किया जाना चाहिये, वह ठीक हो जायेगा। जहां तक और कुछ सुझावों का सवाल है, मैं उसको स्वीकार करूंगा और उसको सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। माननीय इन्द्रजीत सरोज जी बड़े वरिष्ठ साथी ने कहा है मैं उनकी बात से सहमत हूं और इसको दिखवा भी लेता हूं और जहां तक वहां पोस्टिंग का सवाल है तो पोस्टिंग हमने कर दी है। सिर्फ एक ट्रेड वहां पर था और एक ट्रेड होने के कारण वहां पर टीचर्स की, लेक्चरर्स की, एच0ओ0डी0 की बड़ी लिमिटेड संख्या थी। अब हमने इसको तीन ट्रेड में परिवर्तित कर दिया है। हम जो जुलाई से वहां पर सेशन चलाने जा रहे हैं वह तीन ट्रेड के भीतर वहां चलेगा इसलिए संख्या वहां टीचर्स की भी बढ़ जायेगी, प्रिंसिपल भी हमने नियुक्त कर दिया है, बाउन्ड्री टूट गई है या नहीं बनी है इसको हम दिखवा लेंगे और हर कीमत पर जुलाई से जो हमारा सेशन आने जा रहा है उस सेशन के भीतर पॉलीटेक्निक कॉलेज हमारा कौशाम्बी में चलेगा, वहीं चलेगा, बच्चे वहीं पढ़ेंगे और वहीं पर कॉलोनी के भीतर रहेंगे। जहां तक हॉस्टल का सवाल है हम उसे दिखवा लेते हैं हमारे बच्चे जाकर हास्टल में टेकओवर कर लेते हैं, इसकी व्यवस्था हम करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। निश्चित रूप से आज की टेक्नोलॉजी पर हमें विचार करना चाहिए और मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना भी चाह रहा हूं कि जब से हमने इस विभाग को सम्भाला है पहली बार

हम लोगों ने तय किया है कि हमारे जो सेमेस्टर्स जो हुआ करते थे और हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ करते थे, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हमारी है, जो प्रॉस्पेक्टस बनाया करती थी वह साल–साल भर के लिए बनाया करती थी। हमने यह तय किया कि हर ट्रेड को स्पेसिफिक जो मार्डन टेक्नोलॉजी की ट्रेड है उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज हमारी हर सैमेस्टर के बाद होगी और आज स्थित हो रही है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी 6 महीने के बाद स्क्रिप्ट हो जाती हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है और यदि हम अपने बच्चों को पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ायेंगे तो हम उन्हें इस दौर में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उन टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया है और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती जायेंगी हम उसे लेते जायेंगे, हमारे पास अच्छे ब्रोसर्स हैं, अच्छे डिजाइन हैं। मैं यह भी आपको सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के भीतर केवल प्रॉसेज ही नहीं सम्मिलित किये हैं, हम बड़े–बड़े इण्डस्ट्रीज को सम्मिलित कर रहे हैं, इसके भीतर हम बड़े–बड़े एक्सपर्ट्स को भी सम्मिलित कर रहे हैं जिससे कि उनके बहुमूल्य सुझाव हमें मिल सकें, हम अपने सिलेबस को बिल्कुल अल्ट्रामार्डन बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के टेक्नोलॉजी के बच्चों को हम बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल अपडेट करके स्किल डेवलपमेंट के भीतर लाकर दुनिया के साथ उन्हें शामिल कराना चाहते हैं। इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आपने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे आप वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पास करायें।

श्री सुल्तान बेग–

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे साथी ने एक सुझाव आपके सामने रखा था, यह 25 रुपए जो आप वजीफा दे रहे हैं कृपा करके इसको तो बता दें कि यह 25 रुपए इस मंहगाई के जमाने में क्या हैं, बस इतनी ही बात मैं जानना चाहता हूं।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

हमने अपनी लाइब्रेरी के भीतर, जो भी हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी हैं उसमें जो भी विकलांग बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे हैं वह फ्री, बिना किसी दिक्कत के हमने उनको पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दी है। जब वह चाहें तो वह पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें, पुस्तक जमा करें लाइब्रेरी के भीतर, इसके अतिरिक्त हम पुस्तकें इश्यू भी करते हैं। जहां तक 25 रुपए की बात है तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि हम किताबें फ्री उपलब्ध करा रहे हैं, इश्यू फ्री कर रहे हैं तो जो परम्परा चल रही है, चल रही है, उससे इसको जोड़ना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,00,45,44,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख7.05 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 39,38,03,01,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, संक्षेप में रख दीजिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय मौर्या जी, अगर कृषि पर भी कटौती किया तो बड़ा खराब संदेश जायेगा आप लोगों के खिलाफ।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का बहुत महत्वपूर्ण बजट हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और हमारी सरकार ने इस वर्ष किसान वर्ष भी घोषित कर रखा है, इस दृष्टि से भी यह बजट हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान हमारी प्राथमिकता में है और कौन किसान हमारी प्राथमिकता में है सीमान्त किसान और लघु सीमान्त किसान, ये दोनों प्राथमिकता में हैं उत्तर प्रदेश के पूरे किसानों की आबादी का 93 प्रतिशत सीमान्त और लघु सीमान्त किसान हैं। हमारी जो वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार है उसकी नीयत इन लघु सीमान्त किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करके प्रदेश में अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करना, अधिक से अधिक कृषि के क्षेत्र में रोजगार पैदा करना है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में 2 करोड़ 33 लाख किसान कृषि पर आश्रित हैं, किसान के रूप में काम कर रहे हैं। इस योजना के भीतर पिछले वर्ष हमने जितना बजट दिया था उसमें हमने 14.5 प्रतिशत बजट में आज वृद्धि की है। यह बजट केवल पिछले बजट को ही सम्मिलित नहीं किया है अनुपूरक बजट भी हमने सम्मिलित किया है। दोनों को मिलाकर जितना बजट था उससे 14.5 प्रतिशत हमने अधिक बजट कृषि के लिए आवंटित किया है। हम जो मानकर चल रहे हैं इसका परिणाम तीन–चार क्षेत्रों में बहुत अच्छा निकल करके आयेगा। एक तो भूमि की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, उसकी प्रकृति ठीक कर रहे हैं। हम जैविक खाद को प्रश्रय देने काम कर रहे हैं और 75 प्रतिशत सब्सिडी जैविक खाद पर देने का

इस बजट में प्राविधान किया है। हमारी मृदा ठीक हो जाए इसकी रचना ठीक हो जाए इसके लिए जगह–जगह साईन्टिस्ट की पोस्ट बनाने का काम किया है। विशेष बात इसके भीतर यह हमने यह कर रखी है कि हमने कृषि को परम्परागत रूप से बढ़ाने का प्रयत्न किया है उतना ही कृषि के भीतर अनुसंधान के माध्यम से नई खोज, नई व्यवस्था डेवलप करने का भी प्रयत्न किया है, दोनों को एक साथ चलाने का काम किया है। चाहे उसकी जमीन हो, चाहे उसकी प्रजाति हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाहे उसकी फसली ऋण का सवाल हो, चाहे फसल नष्ट हो जाए तो उसके बीमा का सवाल हो, इन सारी चीजों का उल्लेख हम अपने इस बजट के भीतर किये हुए हैं। मान्यवर, मैं यह भी बता दूं कि जहां इन कृषि क्षेत्र के भीतर 14.5 प्रतिशत अधिक बजट दे रहे हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में नये अन्वेषणों, नये रिसर्च को 15 प्रतिशत अधिक पैसा बजट और अनुपूरक से ज्यादा दिया है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं यह भी बता दूं सदन के भीतर कि जहां हम इतना करने जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में इतनी ज्यादा वृद्धि करने जा रहे हैं, वहीं मान्यवर, अच्छे दिन वाली सरकार आ गयी है केन्द्र में, उसने अपना बजट प्रस्तुत किया है इस बात को कहते हुए कष्ट होता है कि किसान के नाम पर सरकार आयी, किसान का नारा देकर आयी उसका बजट जरा सुन लीजिए आज की तारीख में क्या है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–2016 में अपने प्रस्तावित बजट में कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो गतवर्ष 16,462 करोड़ रुपया था, वर्तमान बजट सत्र में जो अच्छे दिनों वालों की सरकार है उसने बजट घटाकर मात्र 9 हजार करोड़ रुपया कर दिया। (सत्तापक्ष से शेम, शेम की आवाज आयी) एक तरफ हम अपने संसाधन से कृषि के विकास की बात कर रहे हैं जैविक खाद उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, अनुसंधान की बात कर रहे हैं, नये–नये कॉलेजेज खोलने की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज स्थापित करने की बात कर रहे हैं और इतना ही नहीं केन्द्र से जो हमको सहायता मिलनी चाहिए थी उसको भी केन्द्र सरकार बार–बार काट रही है। जो हमको सब्सिडी दिया करते थे उसमें भी कटौती करने का काम केन्द्र सरकार करने जा रही है। फिर भी इस सबके बावजूद हमने बजट में वृद्धि की है और अपने बजट को बढ़ाया है और किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देने का, अनुसंधान करने का, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने एक नया काम शुरू किया है पिछले बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की थी लेकिन अनुपूरक बजट के भीतर हमने इसकी व्यवस्था की थी। आज मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस बजट के भीतर हमने सोलर फोटो बोल्टाइक योजना के भीतर हमने काफी इंतजाम कर रखा है। पांच हजार सोलर पम्प की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। यह भी सुन लें कि दो हार्स पावर और तीन हार्स पावर के सोलर पम्प होंगे इनमें हम 75 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। यह हमारी सरकार काम कर रही है। जो पांच हार्स पावर के पम्प लगाना चाहते हैं उन किसानों को हम 50 प्रतिशत छूट देंगे। बिजली के नाते किसानों को दिक्कत होती है रात में कैसे करे इसलिए हमने तय किया है कि बड़ी मात्रा में अभी हमने पांच हजार किया है आने वाले बजट में हम 6 हजार पम्प लगाने की व्यवस्था करेंगे। हमने रवी की फसल के लिए तिलहन की फसल के लिए बुन्देलखण्ड में तिलहन ज्यादा से ज्यादा हो उसकी पैदावार बढ़ाने की भी हमने व्यवस्था की है। हम जमीनें ठीक कर सकें इसकी व्यवस्था करने के लिए हमने अपने क्षेत्र के

भीतर जो ऊसर है बंजर है बीहड़ जमीन है उसको भी बड़ी मात्रा में अनुदान बढ़ाकर उसको पूरा करने का प्रयास किया है। हमारे कृषि क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है हम पूरे उत्तर प्रदेश इस बार एक हजार एग्रो जंक्शन स्थापित करने जा रहे हैं जहां पर हमारा नौजवान जो ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट हैं वह एग्रीकल्चर से सम्बन्धित सारे उपकरणों को वहां ले सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार उसके ब्याज में पांच प्रतिशत का अनुदान देगी जिससे उसको ब्याज में राहत मिल सके। वह अपना रोजगार स्थापित कर सके चला सके। यह इंतजाम हम करने का काम कर रहे हैं। लाइसेंस हम फ्री देंगे पांच प्रतिशत उसको ब्याज में भी इंतजाम करने जा रहे हैं। जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त हो सके। इस बार हमने एक हजार लोगों की व्यवस्था की है। हमने किसानों के लिए काल सेंटर स्थापित करने का भी काम किया है। जिससे किसान पता लगा सकता है कि आज हमारे फसल की क्या कीमत होगी। हम अपनी फसल को किस बाजार में बेचें किसान पता लगाकर वहां जा सकता है। हमने मंडियों की स्थापना की है। चाहे आलू की मण्डी हो चाहे सब्जी की मंडी हो हमने कन्नौज के भीतर बहुत बड़ी आलू की मण्डी स्थापित की है। हम कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसान वर्ष मनाकर कार्य किया है। हमने गोबंश के संवर्धन में कार्य किए हैं। उसके लिए अनुदान देने का काम किया है। जो लोग गोबंश के बारे में बात किया करते हैं। वह अपने बजट में देख लें क्या उन्होंने इंतजाम किए हैं। मांस निर्यात में दो प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गो–बंश और मजबूत किया जाय गोबंश को स्थापित करने के लिए हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं उनको छूट देने का इंतजाम कर रहे हैं। हर दिशा में हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान मजबूत हो अपनी खेती से मजबूत हो इतना उत्पादन करे मैं यह भी आपसे कह दूं हमारा जो उत्पादन है इस देश के भीतर हम सबसे ज्यादा आलू की सप्लाई करते हैं। गन्ना हम करते हैं 39.78 प्रतिशत गेहूं हम करते हैं 32.17 प्रतिशत दलहन 13.17 प्रतिशत यानी इस देश के कृषि उत्पादन में भी हमारी बड़ी भारी भागीदारी है हम इस भागीदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन यह सब तब होगा जब संसाधन बढ़ेंगे। इसलिए हम अपने सारे संसाधन अपने किसानों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। नौजवान किसान कृषि की तरफ उन्मुख हों इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो हमने कृषि का बजट प्रस्तुत किया है सर्वसम्मति से इसको पारित करने काम किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री जाहिद बेग–

भाई आप तो किसान विरोधी नहीं हैं यह भाजपा वाले हैं आप क्यों कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं। इनको क्या कहें इनकी तो शाम होती भी नहीं है।

'श्री महाबीर सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2015–2016 को किसान वर्ष घोषित किया है, इसका हम सभी स्वागत करते हैं। प्रदेश के बजट में 39 अरब 38 करोड़, 3 लाख, एक हजार रुपये का बजट है। मैंने इस बजट को बहुत बार पढ़ा। इसमें से 18 परसेन्ट बजट सीधा किसान के साथ है, किसानों के लिये है, शेष बजट शिक्षा के लिये, भवन के लिये बिजली विभाग के लिये है और दूसरा सिंचाई का है जो किसानों के लिये रखा गया है। परन्तु जो प्रदेश के किसानों के लिये जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि कृषि क्षेत्रफल 166.23 लाख हेक्टेयर है 69 परसेन्ट प्रदेश में 2 लाख 33 हजार परिवार कृषि उत्पादन करते हैं। देश की कृषि वृद्धि दर 4.3 है। हमारी योजना में वर्ष 2015–2016 में लक्ष्य रखा गया है 5.1 वार्षिक वृद्धि करते हुए खरीफ, रवि, तिलहन फसलों का लक्ष्य निर्धारित है। माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ बोला है, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां धान की फसल जो इस साल बहुत अच्छी हुई थी परन्तु दुर्भाग्यवश वह परचेज नहीं हो पाई। हरियाणा ने बैन कर दिया। जो धान हमारा 4200 रुपये क्विंटल 4 हजार रुपये क्विंटल पतले चावल का जाता था, पंजाब हरियाणा में सेल होता था वह धान इस बार 1400 सौ 1500 सौ रुपये किसान के घर में पड़ा हुआ है। मैं पश्चिमांचल की बात कर रहा हूं, हमारे पूर्वांचल के विधायक भी बता रहे थे कि पूरब में भी धान की परचेज नहीं हो पाई। इसका अन्तर्राष्ट्रीय कारण हों, केन्द्रीय सरकार हो, जो भी हो किसान बहुत मजबूर है, उसके धान की खरीद नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है जो बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था। वहां की सरकार ने अपने बजट में 2400 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है अपने बजट में धान पर बोनस देने के लिये। 400 रुपया क्विंटल उन्होंने बोनस दिया है आने वाले 5 साल के लिये बजट में प्राविधान किया है कि 2400 करोड़ रुपया हम अनुदान देंगे। हमारे साथ हरियाणा है, वहां 300 रुपये क्विंटल अनुदान है। हमारे साथ लगा हुआ पंजाब है, वहां पर साढ़े चार सौ रुपया क्विंटल धान पर अनुदान है। गेहूं पर अनुदान है पांच सौ रुपया क्विंटल। आप माननीय अध्यक्ष जी किसानों के शीर्ष नेता रहे हैं अनेक आन्दोलन किये हैं और सदन में माननीय मंत्री और समस्त नेता बैठे हैं। किसान आज सबसे ज्यादा परेशानी में है। गन्ने का दाम उसको मिल नहीं रहा है। मेरे क्षेत्र में हमारे जनपद का गन्ना उत्तराखण्ड की मिलों को दे दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी 20 फरवरी के बाद का लास्ट ईयर का पेमेंन्ट इस साल नहीं हुआ है। कई बार हमारे अधिकारियों ने मीटिंग की वह मीटिंग तक में नहीं आते। मेरा अनुरोध है कि गन्ने पर तो जो आज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति है वह सेन्ट्रल गर्वनमेंट के कारण आ रही है कि बाहर से जो हमारी चीनी आ रही है उसकी वजह से 2600 रुपये क्विंटल हमारी चीनी बिक रही है मिल की, तो मिल नहीं चल पायेंगीं। हमारे जनपद की 3 शुगर मिल पहले से बन्द हो चुकी हैं। 6 मिल में से 3 बन्द हैं। गन्ना किसान की बहुत बुरी स्थिति है। दूसरे जो स्टेट गर्वनमेंट हमारी अनुदान दे सकती है, हमारा अनुरोध है कि यह किसान वर्ष घोषित किया है वर्ष 2015–2016 को माननीय मुख्य मंत्री और सरकार किसानों के लिये सीधी सब्सिडी की व्यवस्था करे। सीधी सब्सिडी का बहुत सीधा सा मतलब है यहां हम सब मंत्री बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 परसेन्ट कषि ऋण की जो ब्याज दर थी उसको घटाकर तीन साल पहले 8 प्रतिशत किया गया और इस साल विधान सभा में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा 3 प्रतिशत ब्याज दर रखी है किसानों की। यदि हमारी सरकार, प्रदेश सरकार यह चाहती है कि किसानों की उन्नति हो तो मैं चाहता हूं, यह मांग करता हूं सदन से, माननीय मंत्री जी से कि मंत्रि–मण्डल फैसला ले सीधी राहत जायेगी किसानों के पास। पांच साढ़े पांच लाख रुपये का ट्रैक्टर आता है फोर्ड इन्टरनेशनल। चार लाख से कम कोई ट्रैक्टर नहीं है। और चार लाख का साढ़े चौदह परसेन्ट जो ब्याज बैठता है वह 60 हजार रूपये के करीब एक साल उनको किश्त देनी होती है। माननीय अध्यक्ष जी 60 हजार रुपये, एक किसान 50–60 बीघे से ऊपर आज कोई काश्तकार नहीं है। छोटी जोत हो चुकी है। हमारे बराबर जो उत्तराखण्ड है माननीय मंत्री जी, वहां की सरकार ने, कषि मंत्री जी ने सवा लाख रुपया ट्रैक्टर पर फ्री कर दिया। पर ट्रैक्टर पर सवा लाख की छूट किसान को दी जा रही है और 7 परसेन्ट उन्होंने इन्टरेस्ट रखा है और बाकी इन्टरेस्ट प्रदेश सरकार वहन कर रही है मुझे जानकारी है क्योंकि हमारा जिला हरिद्वार, देहरादून से मिला हुआ है पूरा प्रदेश में 180 ट्रैक्टर गत वर्ष में किसानों ने खरीदे हैं। कोई किसान ब्याज कम होने की वजह से अपना ट्रैक्टर बेच कर नया ट्रैक्टर नहीं लेगा, वह तब ही लेगा जब उसको आवश्यकता होगी। उसका ट्रैक्टर खराब होगा तो छोटा किसान ले लेगा और छोटा किसान भी तभी तक खेती करेगा जब तक वह कर सकता है, नहीं तो फिर कबाड़ी को बेच देगा। मेरा अनुरोध है किसान को आज सीधी सब्सिडी की जरूरत है ब्याज दर की जरूरत है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की स्थिति अभी तीन परसेन्ट की नहीं है मेरा माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकर से अनुरोध है कम से कम साढ़े चौदह परसेन्ट जो ट्रैक्टर पर ब्याज है, कृषि यंत्रों पर ब्याज है और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 11 परसेन्ट जो बैंकों का ब्याज है वह कार पर है। कार अति आवश्यक है या ट्रैक्टर अति आवश्यक है तो प्रदेश सरकार इस पर विचार करेगी कि ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर जो लोन है नलकूप के लिए जो किसान लोन लेता है उसकी ब्याज की दर सात परसेन्ट होनी चाहिए जो सब्सिडी शेष होती है चौदह और साढ़े चौदह परसेन्ट और सात के बीच की उसको उत्तर प्रदेश सरकार वहन करे तभी यह सच्चे अर्थों में किसान साल होगा किसानों की स्थिति सुधरेगी। जब हम अपने किसानों को उत्पादकता का बोनस देंगे तो हमारी फसलें बढ़ेंगी इस बजट में विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत से प्राविधान किए हैं। लखीमपुर खीरी हो, आजमगढ़ हो, सभी जगह कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रदेश में 29 हैं, मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं और मांग करता हूं कि सहारनपुर मण्डल में मा0 हमारे सिंचाई मंत्री जी गए थे और घोषणा करके

आए थे कि सहारनपुर मण्डल को एक यूनीवर्सिटी दी जाएगी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सहारनपुर जनपद में सहारनपुर मण्डल में कोई यूनीवर्सिटी नहीं है। वहां पर कृषि यूनीवर्सिटी खोली जाए सहारनपुर में कृषि का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। मेरा मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध है कि मृदा परीक्षण पर सरकार ने बहुत छूट दी है। परन्तु जो छूट है और अधिकारियों को जो इतना बजट दिया गया है यह जमीन पर नहीं आ पा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ बैठें और गांव के दौरे करें। खेतों पर जाएं आफिस में बैठकर कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से तीसरा मुद्दा और रखना चाहता हूं हमारे यहां गहरे नलकूप लगते थे जो आठ सौ से नौ सौ फिट की गहराई तक हैं सौ नलकूप नाबार्ड से स्वीकृत हुए थे और उनमें से 33 खराब हो चुके हैं पूरे प्रदेश में 430 ब्लाक डार्क घोषित हो चुके है। डार्क ब्लाक घोषित होने के बाद जो सरकार ने रखा है मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बिजली का कनेक्शन तुरन्त दे दिया जाएगा। उनके कनेक्शन पर बैन है कि आपका ब्लाक डाक्र घोषित है। शामली जनपद सहारनपुर जनपद और पांच ब्लाक मुजफ्फरनगर के डार्क घोषित हो चुके हैं वहां खेती की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार ने बजट भी रखा है रि–बोर जितने भी नलकूप हैं वह स्पार्क करा दिए जाएं। रि–बोर से ही किसानों को काफी फायदा हो जाएगा और ब्लाक इकाई को न रखकर मान्यवर, इसके लिए न्याय पंचायत इकाई को ही किया जाए, ताकि जो डाक्र ब्लाक हैं, कुछ न्याय पंचायत ऐसी हैं जहां पानी उपलब्ध हैं हमारे पूर्व मंत्री जी जो हैं जो विधायक जी हैं उनका क्षेत्र सरसांवा है एक तरफ यमुना नदी बहती है और एक तरफ पहाड़ हैं तो वहां पर जलस्तर ऊंचा है और पूरा ब्लाक डार्क हो गया न किसानों को बिजली कनेक्शन मिल पा रहे हैं,न छूट मिल पा रही है उसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे कि ब्लाक इकाई न मानकर इसको न्याय पंचायत इकाई माना जाए। मेरा दूसरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जो मंडी की सुविधा दी गई जनेश्वर मिश्रा में जो चालीस लाख का प्राविधान किया गया है मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक विकास खंड में दो–दो जनेश्वर मिश्रा गांव हैं। वह आवश्यक रूप से चयनित किए जाएं। मेरे क्षेत्र में पूरे जनपद में चार जनेश्वर मिश्रा गांव हैं इस बार चयनित हुए हैं। बजट में दिया है मेरा आपसे अनुरोध है कि मंडी समिति की सड़कें काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। जो बाढ़ आई थी मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आठ साल से पहले की सड़कें बनी हुई हैं उन्हें पुनः मरम्मत कर किसानों की मंडी आमद बढ़ाने के लिए उसको पुनः रिपेयर कराया जाए। मेरा मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो हमारे बराबर के प्रदेश सुविधा दे रहे हैं इस बार कृषि वर्ष होने के कारण हमारी प्रदेश सरकार किसानों को महत्वपूर्ण छूट दे अनुदान दे और उनको ब्याज में कमी करके उनको संशोधन करने का मौका दे। एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सरकार से, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुत चक्कियां लगती थीं पांच साल पहले दस हजार की रसीद कटती थी माननीय मंत्री जी बिजली विभाग से, जो अब पचपन हजार की कटती है। किसान का सारा मुनाफा चला गया और हमारा उद्योग हरियाणा में शिफ्ट हो गया, छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गया। किसान को बहुत लाभ होता था, कुटीर उद्योग को उससे लाभ होता था। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध

करता हूं कि मैंने जो बात रखी है इसको आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाये। सच्चे अर्थों में किसान वर्ष तभी होगा जब हम किसानों के लिये छूट का प्रावधान करें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग दो–दो मिनट बोल लीजिये, ज्यादा समय मत लीजियेगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, महावीर राणा जी द्वारा कृषि विभाग के बजट पर जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत देश का जब भी नाम लिया जाता है तो एक ही बात कही जाती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन इस कृषि का तात्पर्य तब खत्म हो जाता है जब यहां के किसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज स्थिति यह है जैसा मंत्री जी ने बजट रखते समय बताया कि दो करोड़ तैंतीस लाख किसान हैं। आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं और यहां बैठे सभी लोग देख रहे हैं कि छोटे किसानों का वजूद, छोटे किसानों का अस्तित्व आज खत्म हो गया है। लाखों लाख किसान, पांच लाख किसान और दसों लाख किसान जो शहर के आस–पास रहने वाले हैं उनकी जमीनों को बिल्डरों द्वारा, भू–माफियों द्वारा, सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में आवासीय रूप में कन्वर्ट कर लिया गया है। आवास की सुविधा लेने के लिये जो कृषि प्रयोज्य जमीन थी वह खत्म कर दी गई। मान्यवर, चाहे विकास दर हो, विकास दर हमारी खेती, हमारे किसान पर निर्भर करती है। चाहे सकल घरेलू उत्पाद हो, जब कृषि और कृषक मजबूत हो तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। चाहे सेंसेक्स बढ़ता हो। कहतें हैं हमनें समाचार–पत्रों में पढ़ा है कि बारिश अगर नहीं हुयी है इसलिये जी0डी0पी0 डाउन हुई है विकास दर डाउन हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर यह होता है कि जब बारिश होती है तो किसानों की फसलों पर उसका असर पड़ता है और किसानों की फसल जब ज्यादा पैदा होती है तब इस भारत का विकास होता है। किसान मजबूत होता है हमको अनाज देता है, पेट भरने के लिये भोजन देता है, हमारे जिन्दा रहने के लिये भोजन की व्यवस्था करता है। जब तगड़ी ठंड पड़ रही होती है, बहुत भयंकर लू चल रही होती है, बारिश हो रही होती है तब भी किसान रात में अपने खेत में डंडा लिये हुए खड़ा होता है और अपनी फसल को देखने, उसे बचाने का वह कार्य करता है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई, जिस पर यहां पर भी नियमों में चर्चा हुई और टीवी पर भी आपने चर्चा देखी होगी कि उत्तर प्रदेश के साथ–साथ काफी जगहों के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब मुआवजे की बात आती है तो वहां पर उनकी जो इकाई मानी जाती है वह ब्लॉक मानी जाती है कि उस ब्लॉक में 50 परसेन्ट से ऊपर नुकसान हुआ कि नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

यह राजस्व का विषय है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, नुकसान तो किसान का होता है। नुकसान तो उसकी फसल का हुआ है, अगर उसकी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा कर दिया होता तो उस पर उसकी प्रतिपूर्ति मिल जाती। आज आप देखें कि डीजल पर व्यापारियों को फैक्ट्री मालिकों को 15 रुपये, 20 रुपये उनको लीटर का अनुदान है, लेकिन किसान को चाहे वह गरीब किसान हो चाहे वह औसत दर्जे का किसान हो, उसको डीजल पर कोई अनुदान नहीं मिलता है। यह सोचने का विषय है। पांच लाख करोड़ से ज्यादा अनुदान केन्द्र सरकार के द्वारा सिर्फ बड़े–बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है, लेकिन किसानों को उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। खाद पर, कीटनाशक पर जो देते हैं वह भी पूंजीपतियों को देते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ा अतिक्रमण जो रहा है वह लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के तहत हो रहा है जिसमें किसान की जमीन को लेने का प्रयास किया जा रहा है। उसको रोकने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिये कि गरीब किसान की जमीन अगर ली जाये तो उसमें उसकी सहमति होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में सरकार ने उसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया है कि यदि किसी की जमीन अधिग्रहीत की जायेगी तो उसमें 20 परसेन्ट डेवलप करके देने की बात है। अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के लोगों को 20 प्रतिशत डेवलप करके देने की जो बात कही थी उसको भी उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने खत्म कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जैसाकि हमारे भाई महावीर राणा जी ने कहा कि मण्डी परिषद् से निर्मित सड़कें सिर्फ ग्रामीण अंचलों में बनी हैं गांवों को जोड़ रही हैं। आज वह पांच–छह लाख किलोमीटर सड़के जो बनी हैं वह सब बाढ़ के कारण जर्जर हालत में हैं।

श्री राम चन्द्र यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट के कटौती प्रस्ताव को जिसे मा0 सदस्य, बसपा ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, कृषि विभाग का ही एक कृषि विश्वविद्यालय हमारे फैजाबाद जनपद में वर्ष 1977 में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। अपनी स्थापना के समय से अब तक जिन भी किसानों की जमीनें उसमें ली गयी थी, वह एक हजार ऐसे परिवार हैं, जिन्हें अभी दैनिक वेतन पर रखा गया है, उनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है। मान्यवर, वह किसान जिनकी जमीन स्थापनाकाल के समय यह कह कर ली गयी थी कि निश्चित रूप से जमीन अगर जा रही है तो उसके बदले आपको काम मिलेगा। आज उनकी उम्र 50 से ऊपर हो रही है और उनकी एक बड़ी संख्या है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप जब विश्वविद्यालय गए थे, आपसे मिल करके वहां के किसानों ने अनुनय–विनय किया था लेकिन अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं की गयी है। मान्यवर, इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति यह है, जिस समय फसलों की कटाई हो रही थी, उस समय वहां पर धान की

रोपाई हो रही थी। 26 फार्म हैं, छब्बीसों के छब्बीसों फार्म पर धान की रोपाई हो रही थी, जब धान की कटाई का समय था। पूरी तरह से कृषि विश्वविद्यालय में शोध का कार्य बाधित है, मैं समझता हूं कि पिछली बार जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति थी, इस बार और भी कमजोर हुई है। यहां के कर्मचारियों की जो स्थिति है, वहां जो रेगुलर कर्मचारी थे, उन रेगुलर कर्मचारियों की आकस्मिक निधन के बाद उनके परिवार के जो वारिश हैं, ऐसे कम से कम 70 परिवार हैं जिनके आश्रितों को अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने नौकरी नहीं दी है। पूरी तरह से वहां के कर्मचारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है। जिन किसानों की जमीनें गई हैं, उन किसानों में भी बहुत आक्रोश है। वह समय–समय पर जब भी माननीय मंत्री जी वहां गए हैं या जब भी प्रदेश सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाता है, उसके सामने अपनी बात रखते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक उनकी अनदेखी की गयी है। आज इस बजट के समय कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा आई, मान्यवर, उस विश्वविद्यालय के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी जो हमारे पड़ोस के भी हैं, वह निश्चित रूप से कृषि विश्वविद्यालय की इन समस्याओं का निदान करेंगे और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो ओले पड़े हैं, कृषि विभाग से जो फसल बीमा योजना लागू की गयी थी, अभी तक उन प्रभावित क्षेत्रों में कोई सर्वे का काम नहीं किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो क्षेत्र ओले से प्रभावित हुए हैं, वहां पर सर्वे कराकर फसल बीमा योजना का उन्हें लाभ दिलाया जाए। अभी हमारे साथी मण्डी परिषद् की जो सड़कें हैं, उनका जिक्र कर रहे थे, उन मण्डी परिषद् की सड़कों को मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन मण्डी परिषद् की सड़कों को भी नियमित करा दिया जाए। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

कुँवर कौशल जी दो मिनट में जो सुझाव देना हो दे दीजिए।

श्री कौशल सिंह कुंवर–

मान्यवर मैं आपके माध्यम से दो सुझाव देना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश भी है और प्रदेश भी है। बड़ा विचित्र है कि अन्तिम चरण में इस पर बहस हो रही है और सबको जाना है कितने लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखते हैं वह तो यहां देखकर लग रहा है। हालात यह है कि हम कृषि पर ही अगर चर्चा नहीं करते हैं कंजूसी करते हैं तो शायद अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात होगा। आज भी हम अपनी खेती भगवान के भरोसे कर रहे हैं। प्रकृति के भरोसे कर रहे हैं। हमारे जिले में रोहिन्द नाम की प्रणाली 15 साल से ठप पड़ी हुई है। 25 किलोमीटर तक सिंचाई का साधन भगवान के भरोसे चल रहा है। मैं सम्बद्ध करता हूं उसका शिलान्यास मा0 मुलायम सिंह जी ने उस समय किया था।

श्री अध्यक्ष–

यह तो सिंचाई का विषय है।

श्री कौशल सिंह कुंवर–

मान्यवर सिंचाई का नहीं खेती भगवान के भरोसे हो रही है। हम जमीन तोड़कर पानी निकाल रहे हैं। हमारे पास साधन हैं हम किसान को साधन नहीं दे पा रहे हैं। आपके माध्यम से दो सुझाव दे रहा हूं बार्डर के किनारे का हूं आप भी बार्डर के किनारे से हैं उस पीड़ा से आप भी अवगत हैं। दो साल जब इतनी अच्छी व्यवस्था चली कि कहीं भी किसान को खाद के लिए त्राहि–त्राहि नहीं मची। इस साल ऐसी स्थिति आई कि बार्डर के किनारे के जितने जिले हैं वहां के कृषि अधिकारियों ने बड़े डीलरों से कौन सा समझौता किया कि खाद चार सौ नब्बे रुपये पांच सौ रुपये यूरिया बिकने लगी। जब उसको हमने गांव में जा कर देखा अंकुश लगाया तब एकदम नब्बे रुपये रेट घट गया। उसके बाद जहां पर चार सौ नब्बे रुपये की बिक्री हो रही थी वह तीन सौ सत्तर पर आ गई। उसके बाद व्यापारी हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है। इसी प्रदेश में दो साल सुचारु रूप से व्यवस्था चली। हालात यह है कि सब्सिडी दी जाती है रोटावेटर के ऊपर और फार के ऊपर कलटीवेटर के ऊपर। किसान से तय किया जाता है कि तुम्हारे खाते में पैसा तब जाएगा जब तुम हमारा कमीशन दे दोगे। रोटावेटर की कंपनियों से समझौता किया जाता है कि इस कंपनी का रोटावेटर खरीदोगे तब तुम्हारे खाते में पैसा जायेगा। इसलिए मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि ऐसे अधिकारियों पर ऐसे दलालों पर सरकार अंकुश लगाए जो किसानों की पीठ में छुरा भोंककर सरकार को बदनाम कर रहे हैं और खाद का रेट उचित दाम पर बिके जिससे किसान को लाभ हो सके। वहीं गडौरा शुगर मिल में किसानों का पचासों करोड़ रुपया बकाया है।

श्री अध्यक्ष–

गन्ने का बजट जब आएगा तब बोलिएगा।

श्री अब्दुल मशहूद खां–

मान्यवर आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारे सभी सदस्यों ने करीब–करीब कहा कि हमारा मुल्क कृषि प्रधान मुल्क है। इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान बसता है और आज कृषि जैसा महत्वपूर्ण विषय है और इस मौके पर अगर मैं नेता जी को न याद करूं तो यह नाइंसाफी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसने वाले किसानों के बारे में उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों के बारे में कृषि के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा तो उनका नाम मा0 नेता मुलायम सिंह जी हैं। उन्होंने किसानों की बैलगाड़ी का चुंगी माफ किया ट्रैक्टर–ट्राली का चुंगी माफ किया फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना लागू की। ऐसी बहुत–सी योजनाएं हैं और इस सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कृषि क्षेत्र में। हमारे मुख्य मंत्री जी अभी तो बात हो जाएगी कि बिजली का है लेकिन किसानों से ही जुड़ा है कि उनकी सिंचाई के लिए चौबीस घण्टे बिजली रहे। उसका फीडर अलग किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। हमारी सरकार ने उनकी सिंचाई भी मुफ्त कर दी है। यह बहुत बड़ा काम किया है। किसानों के बारे में जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश

में आई अगर किसी सरकार ने वास्तविकता से सोचा है तो वह समाजवादी सरकार है समाजवादी पार्टी है। कृषि उपकरणों पर विशेष छूट दी जा रही है। नए–नए कृषि विश्वविद्यालय कायम किए जा रहे हैं जो विश्वविद्यालय कायम हैं आपने हमें कृषि विश्वविद्यालय का मेम्बर भी बनाया है। वहां मैं जाता हूं और देखता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने वैज्ञानिकों को कहा है कि आप खोज करें कि कौन–सा बीज कौन–सा उर्वरक ऐसा लाया जाए जिससे किसानों को बेहतर फायदा हो।

यह सरकार किसानों के लिए कृषि के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है और हमारे मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह किसान और कृषि के हित में है। तिलहन की फसल के लिए, दलहन की फसल के लिए, खरीफ के लिए, रबी के लिए अलग–अलग से वैज्ञानिकों को सौंपा गया है कि इनको आप पूरा प्रोत्साहन दीजिए। मैं बजट के समर्थन में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो–तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, बिना प्रस्ताव लाये मा0 मुख्य मंत्री जी ने सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है। मान्यवर, जब प्रदेश का किसान रोता है तो पूरा प्रदेश रोता है। और जब किसान हंसता है तो पूरा प्रदेश हंसता है। मान्यवर, काहे का किसान वर्ष। मान्यवर, बुआई के समय बीज नहीं, खाद नहीं, सिंचाई के समय बिजली नहीं, पानी नहीं, किसान की फसल की सुरक्षा नहीं, दैवीय आपदाओं से निपटने की कोई योजना नहीं। मान्यवर, उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं । तो काहे का किसान वर्ष। मान्यवर, अभी मा0 ओझा जी ने कहा कि भारत सरकार ने बजट में कुछ दिया ही नहीं है। मान्यवर, प्रदेश सरकार किसान की कितनी हितैषी है। मान्यवर, बुआई के समय कुछ चीजें होती हैं जैसे जिंक। जिंक पर प्रदेश सरकार 75 प्रतिशत अनुदान दिया करती थी। उसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार का है और 25 प्रतिशत अनुदान प्रदेश सरकार का है। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। काहे का किसान वर्ष। और मान्यवर, दूसरा माइक्रोनूडल्स, जो बुआई के पहले काम आता है। जिसमें यूरिया, डाई, पोटाश यह होते हैं। इस पर भी 75 प्रतिशत अनुदान किसान को दिया जाता है। अब इसमें 25 प्रतिशत अनुदान जो प्रदेश का था वह प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया और 50 प्रतिशत अनुदान केंद्र का है वह है। काहे का किसान वर्ष। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी जितने अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में कृषि विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है। यह तो सच में किसानों की जिनकी कोई आवाज नहीं है जिनकी कोई यूनियन नहीं है जिनकी कोई बात नहीं कहता है उनका जो सारा अनुदान का मामला है अनुदान दिया जाता है यह सारा भ्रष्ट विभाग कृषि विभाग खा जाता है। शंकर बीजों पर जो अनुदान मिलता है वह किसान को जाता ही नहीं है। सारा का सारा विभाग के लोग ही खा जाते हैं। तो मान्यवर, जो अनुदान वितरण होता है इस पर सरकार ध्यान दे। तो हम समझते हैं कि यह सरकार के हितेषी हो सकते हैं। मान्यवर, यह बोनस की बात करते हैं। अभी केंद्र सरकार ने गेहूं का मूल्य 1400 रुपये प्रति कु0 घोषित किया है। यदि यह किसान के हितैषी होते तो 1400 रुपये प्रति कु0 पर 100

रुपये बोनस देते तब माना जाता कि यह किसान हितैषी हैं। जैसा रेट तय हुआ उतना ही रेट यह दे रहे हैं। तो मान्यवर, न तो यह किसान वर्ष है न यह सरकार किसान हितैषी है। सच में कहा जाये तो यह सरकार जितनी विरोधी हो सकती है उतनी विरोधी कहना उचित ही होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होनें बिजली की बात कही। अभी ओझा जी का एक सुझाव अच्छा आया था। जो सौर ऊर्जा का यह प्रयोग कर रहे हैं। बिजली तो होगी नहीं। किसानों को सौर ऊर्जा से ट्यूबवेल यह बनाकर देंगे तो मैं समझता हूं कि पानी की सुविधा ठीक हो सकती है और मान्यवर, अभी अनुदान की बात आती है। अभी जो दैवीय आपदा है एक तरीके से दैवीय आपदा ही है। अभी किसान का गेहूं गिर गया है उसमें उत्पादन नहीं होगा। आलू सड़ गया। और तिलहन, दलहन सब खत्म हो गये। तो मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि किसान रो रहा है। किसान क्या करे। खेती करे तो कैसे करे। मान्यवर, खेती न करें तो क्या करे तो आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। 5000 रुपया प्रति बीघा नुकसान जो हुआ है (व्यवधान) बरेली में कृषि विद्या विश्व विद्यायल की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था कर देंगें तो मैं समझता हूं किसानों का हित होगा। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये, हम भिजवा देंगे।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राणा साहब ने, माननीय धर्मपाल जी ने, बसपा के माननीय विधायक जी ने जो कटौती प्रस्ताव के बारे में कहा है। कुछ सुझाव तो मूल्यवान हैं, हम जरूर इस बात को दिखवायेंगे कि किसान के हित में स्वीकार कर सकते हैं किस हद तक हम लागू कर सकते हैं। जहां तक सवाल है फसलों का, ओला वृष्टि के कारण नष्ट होना हमारी सरकार ने बीमा कम्पनियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा किसान की फसल नष्ट हुई है तो उन्हे पैसा दिया जायेगा यह सरकार का फैसला है, पैसा उनको मिलेगा। दूसरा सवाल है, मान्यवर किसी मित्र ने कहा कि किसानों के जो यंत्र खरीदे जा रहे हैं, उनको बाध्य किया जाता है कि इसी दुकान से खरीदा जाये। मैं स्पष्ट कह दूं आपसे किसान जो भी यंत्र खरीदे, चाहे जिस दुकान से खरीदना चाहे, खरीदे और उसके खाते में पैसा पहुंच जायेगा। किसी भी दुकान, किसी भी कम्पनी, जहां से भी किसान खरीदना चाहे, उसका पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार उसको दे देगी। उसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है। तीसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने की कि किस बात का किसान वर्ष, वहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बीज नहीं है। माननीय धर्मपाल जी मैं आपसे आग्रह करता हूं हमारी अकेली सरकार है जो किसी भी किसान की, किन्हीं भी कारणों से दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, चाहे एक धूल जमी हो, उस मृत्यु पर हम उसको 05 लाख रुपये देते हैं। कोई भी प्रदेश सरकार नहीं है, जो एक लाख रुपये से ज्यादा देती हो। 05 लाख रुपये हम देने का इन्तजाम करते हैं जिससे किसान का परिवार बेहाल न हो जाये। आप किसान वर्ष की बात कर रहे हैं कि कैसा किसान वर्ष मनाया जायेगा। मान्यवर, जहां तक इसका सवाल है तो आप जरा

अपना बजट झांक कर देखिये, 45.33 परसेन्ट जो पिछली सरकार, कांग्रेस ने बजट बनाया था उसमें 45.33 परसेन्ट आपने बजट में कटौती की थी तो किस किसान की आप बात करते हैं। किसान को सब्सिडी देने की बात क्यों नही केन्द्र सरकार करती है ? बड़े–बड़े कारपोरेट सेक्टर को 05 परसेन्ट आप दे रहे हैं, किसान को देने की बात आप क्यों नहीं करते हैं ? मान्यवर सत्य यह है कि हमारी सत्ता ने 29–29 नई प्रजातियों का विस्तार किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पास–पड़ोस के विभिन्न प्रदेशों के भीतर भी बड़ी मात्रा में उन प्रजातियों में किसान बीज खरीद रहा है और उसका उपयोग कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने इन प्रजातियों का विस्तार किया। हम हर क्षेत्र में किसान के हर क्षेत्र में, किसान को जो लाभ मिल सकता हो, उत्पादन उसका बढ़ सकता हो वह सारा इन्तेजाम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर इसे सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

बब्बन सिंह चौहान जी, कटौती पर कुछ पूछना चाहते हैं ? स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने जनपद से जुड़े हुए मामले को मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मान्यवर, हमारे चन्दौली जनपद में धान और गेहूं की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जनपद चन्दौली धान की फसल के मामले में बहुत आगे है। मान्यवर, वहां पर अभी खाद के लिए बहुत समस्या थी, यहां तक कि पिछली बार भी मैं सदन में बोला था कि महिलाएं लाइन लगा कर खाद ले रही थीं, वहां पर धान की खरीदारी नहीं हुई, खाद, बीज, पानी, बिजली यह किसान से जुड़े हुए मामले हैं, मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां चन्दौली में बीज और खाद की जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसकी जांच कराई जाय, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय। दूसरी बात, हमारे यहां मण्डी कहीं पर भी नहीं है, तो हमारे यहां किसान के लिए मण्डी की व्यवस्था की जाय।

'श्री जगपाल–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने सदन के समक्ष यह बात कही है कि किसान दुर्घटना बीमा को इन्होंने एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का काम किया है, इसके लिए हम मा0 मंत्री जी का, सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, किसान परिवार का जो मुखिया है, उसी के नाम खतौनी है, लेकिन दुर्घटना में उसका लड़का खेत में काम कर रहा है, उसके परिवार का सदस्य काम कर रहा है, लेकिन उसके नाम जमीन नहीं है, मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मुखिया के साथ–साथ उसके परिवार को उसमें सम्मिलित कर लिया जाय,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि बुजुर्ग जिसके नाम जमीन है, वह अपने घर बैठा रहता है, खेत में काम किसान का बेटा कर रहा है, उसका पोता कर रहा है और दुर्घटना में वह मर रहा है, इसलिए किसान दुर्घटना बीमा में किसान परिवार के मुखिया के साथ–साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाय।

श्री विक्रम सिंह–

मा0 मंत्री जी, जनपद फतेहपुर में करोड़ों रुपये की एक कृषि मण्डी बनी खड़ी हुई है, लेकिन वह मण्डी अभी चालू नहीं हो सकी है, कृपया उसको किसान हित में जल्दी चालू करा दें, जिससे किसानों का भला हो जायेगा।

श्री महावीर सिंह राणा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो अनुदान, बीज और बोनस की बात उन्होंने रखी है और छत्तीसगढ़ के बाराबर जो हमने ब्याज में सब्सिडी की बात रखी है, क्या मा0 मंत्री जी उसको पूरा करेंगे।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ कितने जिलों का प्रदेश है, आप हमको बता दें। कितने हेक्टेयर का उत्पादन वह कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अभी एच0आर0डी0 मिनिस्ट्री की बैठक हुई थी, उसमें मा0 मानव संसाधन मंत्री, पूरे हिन्दुस्तान के सारे मंत्री लोग थे, मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, बार–बार एच0आर0डी0 मिनिस्ट्री में फिनलैण्ड का जिक्र हो रहा था कि फिनलैण्ड के भीतर कैरियर गौसमेण्ट की स्कीम पूरी तरह लागू है, हिन्दुस्तान में लागू की जानी चाहिए। तो हमने कहा कि फिनलैण्ड की आबादी बताओं जरा, तो बताया गया कि 19 लाख, 19 लाख की आबादी वाला देश, हमारे यहां एक जिले में बल्कि शहर में उससे ज्यादा आबादी है, तो छत्तीसगढ़ की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, हमारे यहां बहुत हेक्टेयर में काम होता है, फिर किसानों को जितनी सहूलियत दी जा सकती है, वह सहूलियत हम देंगे, उसकी मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 39,38,03,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख7.51 बजे, पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इसमें बाजपेयी जी लिखकर दे गये हैं कि इसे स्थगित कर दिया जाये तो यह स्थगित रहेगा।

ख7.52, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

श्री सुरेश कुमार खन्ना की उत्तर प्रदेश के अशासकीय वित्त पोषित बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री धर्मेश सिंह तोमर की जनपद–हापुड़ की तहसील एवं ग्राम–धौलाना के खसरा संख्या–1599 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली में 132 के0वी0ए0 सब–स्टेशन से 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र चहनिया व सकलडीहा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत सीवर लाइन चालू कराने एवं टूटी पड़ी सड़कों को ठीक कराने के सम्बन्ध में।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद के यमुना नदी पर बना नया केबिल स्टेड ब्रिज पर पैराशूट जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

कुंवर कौशल सिंह की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के अन्तर्गत नौतनवां बाजार में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री लोकेन्द्र सिंह की जनपद–बिजनौर से दिल्ली हेतु बिना परमिट चल रही डग्गामार बसों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री पंकज गुप्ता की जनपद–लखनऊ के सरोजनी नगर, नादरगंज के सीपेट इन्स्टीट्यूट के समीप स्थित रुस्तम विहार कालोनी की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियामताबाद के कतिपय क्षेत्रों में जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर श्री चौसर श्री मऊ मार्ग पर करनपुर ग्राम में सड़क/पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद–कौशाम्बी के ग्राम–लेहदरी घाट पर बने पुल हेतु पहुंच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :–

1. श्री सन्तराम कुशवाहा,
2. श्री रविन्द्र भड़ाना,
3. श्री रामवीर उपाध्याय,
4. डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
5. श्री सुरेश बंसल,
6. श्री भीम प्रसाद सोनकर,
7. श्री रामहेत भारती,
8. श्री उमेश पाण्डेय,
9. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
10. श्री हरविन्दर साहनी उर्फ रोमी साहनी,
11. डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,
12. डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई,
13. श्री दलवीर सिंह,
14. श्री पं0 सुदेश शर्मा,
15. श्री धर्मराज,
16. चौधरी गजेन्द्र सिंह,
17. श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
18. श्री इन्दल कुमार,
19. श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
20. श्री शारदा प्रताप शुक्ला,
21. श्री विजय कुमार दुबे,
22. श्री कृष्ण गोपाल पटेल,
23. डा0 अरूण कुमार,
24. श्री चन्द्र भान सिंह पटेल,
25. श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ राज्जू महाराज,
26. श्री नीरज ''कुशवाहा'' मौर्य,
27. श्री लालमुन्नी सिंह,
28. श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

29. श्री विजय बहादुर यादव,
30. श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
31. श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
32. श्रीमती सीमा द्विवेदी,
33. श्री राजीव,
34. श्री धर्मपाल सिंह,
35. श्री प्रदीप चौधरी,
36. श्री दिलनवाज खां,
37. श्री जगपाल सिंह,
38. श्री रविदास मेहरोत्रा,
39. श्री सिनोद कुमार शाक्य,
40. श्री जगन प्रसाद गर्ग,
41. श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
42. श्री संजय प्रताप जयसवाल,
43. श्री जियाउद्दीन रिज़वी,
44. श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह,
45. श्री जय प्रकाश निषाद,
46. श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया,
47. श्री विजय कुमार पासवान तथा
48. श्री अनीसुर्रहमान।

नियम–51 की सूचनाओं के समय सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका एक संरक्षण चाहता हूं। आपसे बात यह हुई थी कि यहां तमाम सदस्य सूचनायें देते हैं और चूंकि आप कुछ सूचनाओं को चयनित कर लेते हैं। बाकी सदस्य यहां बैठे रहते हैं उनकी सूचनायें नहीं ली जा सकतीं उसी श्रेणी की क्योंकि उसकी एक सीमा है कि कितने तक लेंगे और जो अपनी नोटिस दे करके स्वयं उसके समय तक नहीं रह सकते। मान्यवर, अगर आप यह कर देंगे तो कम से कम जो सदस्य पूरे समय रहता है उसकी बात आ सकेगी। मेरी प्रार्थना है कि यह परम्परा आप डाल सकते हैं और यह निर्णय आपके अधिकार की बात है। आप चाहें तो और सब की राय भी ले लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा मा0 अम्बिका चौधरी जी कह रहे हैं। यह बात हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं, इसके दो फायदे हैं।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन मुसीबत यह है कि जिस समय ये सूचना देते हैं उस समय तो मौजूद रहते हैं और अभी तक यही परम्परा रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

आप उन्हें रिजेक्ट कर दीजिये। अध्यक्ष जी, नियम तो आप बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, आप लोग कह रहे हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। अब इस पर तो कुछ करना ही पड़ेगा।

जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र में अत्यधिक आपराधिक वारदातों तथा जहरखुरानों द्वारा लगातार हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

इसमें श्री राजनारायण बुधौलिया नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी भी नहीं हैं।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन नगर पंचायत में 33/11 के0वी0ए0 के बिजली घर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेश राणा भी नहीं हैं।

जनपद गाजीपुर में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अनुचरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री सिबगतुल्ला अंसारी भी नहीं हैं।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के कतिपय ब्लाकों में चयनित प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में अधूरे भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद महाराजगंज के...

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खविधान सभा क्षेत्र–नौतनवां स्थित बलाक–रतनपुर एवं लक्ष्मीपुर में स्थित कुछ चयनित प्राथमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों में एक कक्षीय, दो कक्षीय भवन निर्माण तथा बाउण्ड्रीवाल हेतु वर्ष 2010–2011 एवं 2011–2012 में सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था। जनपद महाराजगंज के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त भवन प्रभारियों जो कि इसी जनपद के शिक्षक थे, द्वारा भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु भेजी गयी धनराशि तो आहरित कर ली गयी किन्तु कार्य आधा–अधूरा एवं कई स्थलों पर कोई कार्य नहीं कराया गया। उक्त भवन प्रभारियों द्वारा कार्य पूर्ण करने के पहले ही पूरा पैसा किस आधार पर आहरित कर लिया गया ? यह जांच का विषय है। उक्त जनपद के दोनों ब्लाक में अभी भी दर्जनों विद्यालयों के भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण पेण्डिंग पड़े हुए हैं। उक्त निर्माण/बाउण्ड्रीवाल के मद में आये पैसे को लेकर चले गये। आगामी कुछ महीने में ग्राम पंचायतों में प्रधानी का चुनाव होना है। इसलिए जनपद महाराजगंज के दोनों ब्लाक–1 रतनपुर एवं 2–लक्ष्मीपुर के दर्जनों विद्यालयों में एक कक्ष अथवा दो कक्ष निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल के आधे–अधूरे कराये गये कार्यों को शीघ्र पूरा किये जाने तथा प्रकरण की गहनता से जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा उक्त कार्यों हेतु निष्कासित धन की सम्बन्धित भवन प्रभारियों से वसूली कर कार्य को पूर्ण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित के साथ–साथ लोक महत्व का है।

मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, निशातगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 11–03–2015 द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को स्थलीय जांच करने के उपरान्त जांच आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड साऊ घाट के ग्राम कडरखास में कब्रिस्तान से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं सिविल जज के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 अय्यूब द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य द्वारा सूचित किया गया है जनपद बस्ती...

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खविधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड साऊ घाट परगना बस्ती पूरब तहसील में स्थित ग्राम कडरखास के कब्रिस्तान से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के रिट संख्या–1762/1977 के आदेश दिनांक 27–08–1996 एवं मा0 सिविल जज (सी0डी0) के रिट संख्या–54/96 के आदेश दिनांक 17–09–2014 का अनुपालन करवाये जाने हेतु श्री यार मोहम्मद आदि द्वारा दिनांक 13–02–2015 को मण्डलायुक्त बस्ती को प्रार्थना–पत्र दिया गया था। परन्तु अभी तक उक्त लोगों को कब्रिस्तान में असामाजिक तत्वों द्वारा मुर्दों को दफन नहीं करने दिया जा रहा है तथा पैमाइश कराकर चहारदीवारी नहीं बनवाने दी जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन एवं मुस्लिम समाज के मुर्दों को असमाजिक तत्वों द्वारा दफन करने से रोकने की स्थिति में कभी भी साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अतः मान्यवर से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त ग्राम कडरखास के कब्रिस्तान से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के रिट संख्या–1762/1977 के आदेश दिनांक 27–08–1996 व मा0 सिविल जज (सी0डी0) के रिट संख्या–54/96 के आदेश दिनांक 17–09–2014 के आदेश का अनुपालन एवं चहारदीवारी बनवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जैसा कि दी गयी सूचना में उल्लिखित किया गया है कि इस प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये श्री यार मोहम्मद आदि द्वारा दिनांक 13–02–2015 को मण्डलायुक्त, बस्ती को प्रार्थना–पत्र दिया गया है। चूंकि कब्रिस्तानों से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण आदि के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर कार्यवाही की जाती है। मा0 सदस्य की अपेक्षानुसार मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती को शासन के आदेश

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या–नियम–05/52–2–2015–नियम (4)/15, दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही कराने के निर्देश दे दिये गये है।,

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष–

यह केवल वक्तव्य है लेकिन माननीय सदस्य बहुत आग्रह किये थे कि हमारा वक्तव्य नहीं हुआ है तो हमें कुछ स्पष्टीकरण पूछना है। माननीय सदस्य जल्दी पूछे, 8.00 बज गया है।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, बस्ती जिले में आजादी के पहले से कडरखास में एक कब्रिस्तान है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें पढ़ लो क्या है उसी में से पूछो।

डा0 मो0 अय्यूब–

मान्यवर, मैं इससे कम समय में खत्म करूंगा। वर्ष 1977 से उस पर विवाद है और कोर्ट में मुकदमा चला है। वर्ष 1996 में उस मुकदमें का सुप्रीमकोर्ट ने फैसला दिया कि दोनों समुदायों में वह कब्रिस्तान आधा–आधा बांट दिया जाये और दोनों को कब्जा दे दिया जाय। सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर सिविल जज डिस्ट्रिक कोर्ट बस्ती ने 1996 से लेकर...

श्री अध्यक्ष–

सुनिये माननीय सदस्य, मैं आपको समझ देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपका अधिकार है लेकिन मान्यवर, अगर इस पर आप भाषण की नई परम्परा डालेंगे, इस पर आख्या नहीं आ सकती। यह कैसे होगा। यह नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य नीचे लिखा है चूंकि कब्रिस्तानों से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण आदि के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर कार्यवाही की जाती है। मा0 सदस्य की अपेक्षानुसार मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती को शासन के आदेश संख्या– निगम–05/52–2– 2015–नियम (4)/15, दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। आर्डर हो गया है अब आप बैठ जाइये।

जनपद बलिया में बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल रसड़ा को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री जय प्रकाश अंचल अनुपस्थित हैं।

जनपद हाथरस के श्री गोपाल आदर्श विद्यालय सोसाइटी की भूमि को श्री गोपाल आदर्श इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

यह स्थगित रहेगा।

जनपद इलाहाबाद के करछना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा बेन्दौं में दिनांक 01 मार्च, 2015 को श्री बलराम पटेल पुत्र श्री छक्कन पटेल की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री दीपक पटेल, एडवोकेट, मा0 सदस्य...

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खविधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई कि जनपद इलाहाबाद स्थित विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत थाना औद्योगिक क्षेत्र, बेन्दौं ग्राम सभा में बलराम पटेल पुत्र श्री छक्कन पटेल (थाना करछना, गांव–हरेई, मजरा–आधार का पूरा निवासी) को दिनांक 01–03–2015 को कुछ लोगों के द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गयी है। बलराम पटेल अत्यन्त निर्धन थे तथा पूरे परिवार की आजीविका इन्हीं पर निर्भर थी, इनके दो छोटे–छोटे बच्चे हैं। इनकी निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र का जनमानस आक्रोशित है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपर्युक्त तथ्यों को गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मृतक के परिवार को 5,00,000 (पांच) लाख रूपये की आर्थिक सहायता तथा दोषी मुल्जिमों की अविलम्ब गिरफ्तारी कराये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद से सूचना प्राप्त की गयी। सूचना में अवगत कराया गया है कि दिनांक 02–03–2015 को वादी श्री छक्कन पटेल द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपने पुत्र बलराम पटेल की गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त सुभाष तिवारी उर्फ सर्वेश तिवारी पुत्र स्व0 काशी प्रसाद

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तिवारी व उनके परिजनों के विरुद्ध मु0अ0सं0–37/15, धारा 302/120 बी0, भादंवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना प्रभारी निरीक्षक, औद्योगिक क्षेत्र श्री स्वामी नाथ द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 201 भादंवि की वृद्धि की गयी है तथा अखिलेश, राजेश, कमलेश, अशोक, विकास व गिरीश के नाम प्रकाश में आये। राजेश, कमलेश व गिरीश को दिनांक 06–03–2015 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध कर जेल भेजा जा चुका है। नामित अभियुक्त सुभाष तिवारी उर्फ सर्वेश तिवारी घायल होने के कारण जीवन ज्योति अस्तपताल में इलाजरत है। अन्य नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।,

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नियमताबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र ...

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में सिकटिया छितमपुर होते हुए पंचवटी रामनगर तक एवं पढाव बहादुरपुर सुंराबाद होते हुए सहजौर तक बहुत ही जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है सड़क में बहुत बड़े–बड़े गढ्ढे हैं जिससे आवागमन पूर्णता बाधित रहता है। बरसात के समय सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एंव बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार विधान सभा सत्र में प्रश्न के माध्यम से एवं पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।

प्रश्नगत मार्ग सिकटिया–छित्तमपुर–रामनगर तक मार्ग का नाम पंचवटी परोवा से छित्तमपुर मार्ग है, जो ग्रामीण मार्ग की श्रेणी का है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 6.525 कि0मी0 है, जिसमें चैनेज 5.500 से 5.900 में कट स्टोन पेमेन्ट है, जिसकी दशा ठीक है, शेष क्षतिग्रस्त लम्बाई 6.125 कि0मी0 का भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग के

क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

विकास खण्ड नियमताबाद में पड़ाव बहादुरपुर सकुराबाद होते हुए सहजौर तक मार्ग पड़ाव–भुपौली मार्ग के नाम से है। यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं एवं यातायात चालू है। मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। दिनांक 16–03–15 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 57 मिनट पर सोमवार, 16 मार्च, 2015 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 13 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोटः–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0–एल0 80 विधान सभा (138)–06–08–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।